



MATS
UNIVERSITY

NAAC
GRADE **A⁺**
ACCREDITED UNIVERSITY

MATS CENTRE FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION

विश्व के प्रमुख राजनितिक विचारक एवं विचारधारा

बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (बी.ए.)

चतुर्थ सेमेस्टर



SELF LEARNING MATERIAL

COURSE DEVELOPMENT EXPERT COMMITTEE

- 1- Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh
- 2- Dr. Sudhir Sharma , Subject Expert ,HOD Hindi Department, Kalyan College, Bhilai
- 3- Dr. Kamlesh Gogia Associate Professor, MATS University ,Raipur, Chhattisgarh
- 4- Dr. Sunita Shashikant Tiwari Associate Professor, MATS University Raipur Chhattisgarh
- 5- Dr. Rajesh Kumar Dubey , Subject Expert, Principal , Shahid Rajeev Pandey Government College ,Bhatagaon , Raipur ,Chhattisgarh
- 6- Dr. Naaz Benjamin , Principal ,Government Mata Shabri Naveen Girls College, Bilaspur, Chhattisgarh

COURSE COORDINATOR

Mr. Khileshwar Raxsel ,Assistant Professor, MATS University ,Raipur, Chhattisgarh

COURSE /BLOCK PREPARATION

Dr. Sunita Shashikant Tiwari Associate Professor, MATS University Raipur Chhattisgarh

March, 2025

ISBN-978-81-987917-4-0

@MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur- (Chhattisgarh)

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-(Chhattisgarh)

Printed & Published on behalf of MATS University, Village-Gullu, Aarang, Raipur by Mr. Meghanadhu Katabathuni, Facilities & Operations, MATS University, Raipur (C.G.)

Disclaimer-Publisher of this printing material is not responsible for any error or dispute from contents of this course material, this is completely depends on AUTHOR'S MANUSCRIPT.
Printed at: The Digital Press, Krishna Complex, Raipur-492001(Chhattisgarh)

अनुक्रमणिका

माड्यूल – 1	विषय – विश्व के प्रमुख राजनितिक विचारक – IV	
	प्राचीन ग्रीक विचारक	
	इकाई – 1 अरस्तु का जीवन परिचय	1-6
	इकाई – 2 अरस्तु के मतानुसार राज्य की प्रमुख विशेषताएँ	7-16
माड्यूल – 2	इकाई – 3 संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत	17-26
	पश्चिमी राजनीतिक विचारक	
	इकाई – 4 मैकियावली का जीवन परिचय	27-32
माड्यूल – 3	इकाई – 5 मैकियावली के चिंतन के प्रमुख विशेषताएँ	33-42
	आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक	
	इकाई – 6 जीन मैक्स रूसो का जीवन परिचय	43-45
	इकाई – 7 जीन मैक्स रूसो	46-48
	इकाई – 8 रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत	49-50
	इकाई – 9 सम्प्रभुता संबंधित विचारक	51-53
	इकाई – 10 जेरेमी बेन्थम का जीवन परिचय	54-61
	इकाई – 11 कानून तथा न्याय व्यवस्था	62-69
	इकाई – 12 जे.एस. मिल का जीवन परिचय	70-85
	इकाई – 13 जार्ज विल्हेम फेडरिक हीगल का जीवन परिचय	86-98
माड्यूल – 4	इकाई – 14 टी.एच.ग्रीन का जीवन परिचय	99-111
	प्रमुख आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक	
	इकाई – 16 कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय	112-120
	इकाई – 17 मार्क्स के अनुसार सामाजिक इतिहासों का वर्गीकरण	121-129
	इकाई – 18 हैराल्ड जोसेफ लास्की	130-149

Acknowledgement

The Material (Pictures and images) we have used is purely for educational purpose. Every effort has been made to trace the copyright holders of material reproduced in this book. Sould any infringement have occurred, the publishers and editors apologize and will be pleased to make the necessary corrections in future of this book.

माड्यूल – 1

प्राचीन ग्रीक विचारक

इकाई – 1 अरस्तू का जीवन परिचय

अरस्तू प्लेटो का शिष्य था, परन्तु वह अपने गुरु की तरह कल्पनावादी न होकर यथार्थवादी था। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही वह दार्शनिक और साहित्यकार भी था। अरस्तू की विशेषता यह रही कि उसने राजनीतिशास्त्र को स्वतंत्र रूप से एक विज्ञान का रूप दिया।

अरस्तू का जन्म 384 ई० पू० मकदूनिया के नगर स्टैगीरा में हुआ था। उसके पिता राजकीय चिकित्सक थे। अरस्तू का पालन पोषण भाही परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में उसे एथेन्स में प्लेटों के पास पढ़ने भेजा गया। प्लेटों की अकादमी में उसने 20 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। अरस्तू की प्रक्रिया के कारण प्लेटो उसे अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। अरस्तू ने एषिया माइनर का भ्रमण किया और उसे कई भासकों ने अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया। यह कुछ स्थानों पर रहा भी, पर अन्त में जाकर उसने एथेन्स में ही एक अकादमी का प्रधान रहा। 322 ई० पू० सिकन्दर महान् की मृत्यु के पश्चात् उसका देहावसान हो गया। सिकन्दर का वह गुरु था जिसके कारण उसकी ख्याति और अधिक फैल गई थी।

रचनाएँ

पहला भाग

दूसरा भाग

तीसरा भाग

चौथा भाग पाँचवा भाग

छठा भाग

सातवाँ भाग

आठवाँ भाग

अरस्तू की महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स है। यह ग्रन्थ 8 भागों में विभाजित है— इसमें राज्य की प्रकृति और दासता का विवेचन है।

इसमें पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्तों का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। इसमें प्लेटों के आदर्श पर भी विचार किया गया है।

इसमें संविधान के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन है। नागरिकता तथा न्याय का वर्णन भी इसमें है।

MATs Centre for Distance and Online Education, MATs University

इसमें संविधानों का वर्गीकरण करके उनकी समीक्षा की गई है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

इसमें क्रांतियों के कारणों तथा उसके समाधान के उपाय बताये गये हैं।

इसमें लोकतंत्र तथा धनिकतंत्र का वर्णन है । .

इसमें आदर्श राज्य का वर्णन है।

इसमें आदर्श राज्य का वर्णन भी है तथा विभिन्न प्रकार के संविधानों तथा उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है।

अरस्तू ने अन्य अनेक विशयों पर लिखा है और उसकी समस्याओं की संख्या लगभग 400

है, पर राजनीति की दृष्टि से पॉलिटिक्स ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ के विशय में प्रो० बाउले का कथन है कि अपने विशय का पॉलिटिक्स सर्वाधिक प्रभावशाली तथा गंभीर ग्रंथ हैं जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए !९

अरस्तू प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान का जनक

• अरस्तू को राजनीतिशास्त्र का जनक निम्नलिखित आधारों पर कहा जाता है—

(1) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग — अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। उसने अपने पूर्व तथा अपने समय के प्रचलित सभी राजनीतिक स्वरूपों तथा सिद्धान्तों का अध्ययन किया तथा उनसे क्रमबद्ध तथ्य एकत्र किये तथा अनेक देश के संविधानों का भी अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व अरस्तू ने 156 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसके बाद अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये तथा राजनीति को नवीन दिशाएँ प्रदान की। उसका विवेचन तथ्यों, परीक्षणों और उदाहरणों पर आधारित तथा क्रमबद्ध था, इसीलिए उसे इस भास्त्र का प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है।

(2) राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना — अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया । अरस्तू से पूर्व राजनीति, नीतिशास्त्र तथा दर्शन मिले-जुले थे । प्लेटों ने अपने ग्रन्थों में राजनीति को स्वतंत्र महत्व न देकर उसके ऊपर नीति को हावी रखा था। अरस्तू ने राजनीति और नीति को एक-दूसरे से प अंक किया । उसका मत था कि नीतिशास्त्र उद्देश्यों से तथा राजनीतिशास्त्र साधनों से सम्बन्धित है अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। चरन् इसे सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान की। डेनिंग के भावदों में, अरस्तू ने नीतिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र पर प थकप थक ग्रन्थों की रचना कर वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया ।

(3) यथार्थवादी दृष्टिकोण — अरस्तू प्रथम विचारक है जिससे राजनीति पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार किया। उसका चिन्तन तथ्यों पर आधारित है, कल्पनाओं पर नहीं। अरस्तू ने राजनीति पर यथार्थवादी तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किये हैं। उसका एक अपूर्व गुण संयम या संतुलन का तत्व है। उसने सदैव ही अतिवाद से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। इसीलिए कंटलिन ने कहा है कि १ कन्फ्यूषियस के बाद अरस्तू साम्यवाद और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अपनी यथार्थवादी के कारण ही अरस्तू अपने गुरु प्लेटों की सम्पत्ति और पालियों के साम्यवाद का समर्थन नहीं करता। वह जनता पर वही नियंत्रण लगाने का पक्षधर है जो जनता के हितों में हों और उसके

विकास में बांधक न हों। वह दार्शनिक राजा के स्थान पर जनता के विवेक में विश्वास करता है। वह बहुसंख्यक जनता की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करता है। इस सम्बन्ध में अरस्तू का कथन है कि, इस सिद्धान्त में कि थोड़े से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की अपेक्षा बहुसंख्यक जनता में ही सर्वोच्च सत्ता का निवास होना चाहिए, कठिनाइयाँ अवश्य हैं, किन्तु इसमें सत्य का अंश है।

(4) राजनीतिक संस्थाओं का आर्थिक आधार अरस्तू ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। उसने बताया कि सम्पत्ति का लक्ष्य और वितरण भासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करता है। अरस्तू ने अर्थव्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करके उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व रहे, पर उसका प्रयोग सार्वजनिक हो तो राज्य समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक हो सकता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक मध्यम वर्ग का उदय नहीं होता तब तक राज्य आत्म-निर्भर नहीं हो सकता है।

(5) कानून की सर्वोच्चता – अरस्तू ने भासन में कानून की सर्वोच्चता के विषय में व्यवस्थित विचार किया है। वह परम्परागत कानूनों तथा नियमों की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। प्लेटों तो सर्वोच्च व्यक्ति या दार्शनिक के भासन में विश्वास करता था, जबकि अरस्तू विधि के भासन में विश्वास करता था। इसी कारण उसे संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है।

अरस्तू द्वारा की गई कानून की व्याख्या के आधार पर ही बोदा, ग्रेषिय, बेन्थम, हॉन्स, आस्टिन, लॉस्की आदि विचारकों ने वैधानिक सम्प्रभुता की व्याख्या की है। सम्प्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति अरस्तू की बहुत ऋणी है।

(6) राज्य के पूर्ण सिद्धान्त का वर्णन

अरस्तू वह प्रथम पश्चिमी विचारक है जिसने राज्य के पूर्ण सिद्धान्त का कमबद्ध विवेचन किया है। अरस्तू ने राज्य के जन्म, विकास, स्वरूप, संविधान, सरकार का निर्माण, नागरिकता, कानून, क्रांति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी विषय आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के विषय हैं। परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करके उसने राज्य के पूर्ण सिद्धान्तवाद को प्रकट किया है। इसी कारण वह राजनीति का वास्तविक जन्मदाता बन गया। बार्कर के भावों में, अरस्तू के विचार प्रायः आधुनिकतम हैं।

मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इस उचित की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम अरस्तू ने ही की थी और यह वाक्य राजनीति के इतिहास में सदा एक स्वयंसिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

(7) सरकार के अंगों का वर्णन अरस्तू ने सरकार के तीनों अंगों—नीति बनाने वाला भासन चलाने वाला तथा न्याय करने वाला पर विधिवत् विचार किया है। ये तीनों अंग विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका कहे जा सकते हैं। उसने इन अंगों के संगठन कार्य तथा भाक्तियों का भी वर्णन किया है। उसके सिद्धान्त आगे चलकर भाक्ति पद्धति का नियंत्रण एवं संतुलन के आधार बने। आधुनिक सरकार की आकृति का प्रारम्भिक रूप अरस्तू के



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

सरकार सम्बन्धी विचारों में दिखाई देते हैं। आगे चलकर अरस्तू ने भाक्ति के पथ्यकरण के सिद्धान्त तथा भाक्ति के संतुलन के सिद्धान्त का भी संकेत किया है।

(8) वैज्ञानिक पद्धति – अरस्तू ने राजनीति के क्षेत्र में इस पद्धति में सर्वप्रथम आगमनात्मक तथा तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया। इस पद्धति में पर्यवेक्षण कर एकत्रित तथ्यों का बिना किसी पूर्व धारणा के निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तू ने ग्रंथ पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा इनका तुलनात्मक अध ययन तथा विप्लेशन किया। उसने इन भासन व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक तथा वर्तमान रूपों को भी देखा तथा सम्पूर्ण तथ्यों की तुलना करने के बाद वैज्ञानिक ढंग से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इसीलिए उसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।

(9) राजनीति पर भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन

अरस्तू ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक तथा आर्थिक प्रभावों का अध्ययन कर यह प्रतिपादित किया कि सम्पत्ति का विवरण भासन व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित करता है, राज्य की समस्याओं का मुख्य कारण आर्थिक असमानता है, भौगोलिक स्थिति राज्य के दूसरे राज्यों से सम्बन्ध तय करती है।

(10) नागरिकता की व्याख्या – अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिकता की विषय व्याख्या की है। अरस्तू द्वारा प्रस्तुत व्याख्या आधुनिक विद्वानों के लिए मार्गदर्शक रही है।

(11) अरस्तू ने वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर यह निष्कर्ष भी निकाले – 1. क्रांति का मूल कारण आर्थिक असमानता होती है। 2. व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबन्ध होने आवश्यक है। 3. सम्प्रभुता का निवास संविधान में होता है। 4. भासन केन्द्रीकृत न होकर विकेन्द्रित होना चाहिए। 5. लोकहित की उपेक्षा करने पर भासन का रूप विकृत हो जाता है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अरस्तू के विचार कल्पना पर आधारित नहीं हैं। अरस्तू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। उसके विचार सुस्पष्ट हैं कि अरस्तू के विचार कल्पना पर आधारित नहीं हैं। अरस्तू को स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होना अरस्तू की ही देन है। इन बातों के आधार पर ही मैक्सी ने अरस्तू को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है।

अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचार – अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में दासता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। अरस्तू के समय में दास प्रथा यूनान का महत्वपूर्ण व आवश्यक अंग थी। अरस्तू से पूर्व भी दास प्राणी को अनिवार्य एवं प्राकृतिक समझा जाता था। उस समय यूनान में खेती-बाड़ी, आर्थिक उत्पादन तथा भारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों द्वारा ही किये जाते थे तथा नागरिक लोग प्रायः अवकाश का जीवन व्यतीत करते थे तथा रजाकाज व कला, साहित्य तथा विज्ञान में संलग्न रहते थे।

दास प्रथा यूनानियों के लिए आवश्यक, उपयोगी और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी। अरस्तू से पूर्व एण्टीफोन आदि कुछ सोफिस्ट विचारक दास प्रथा को निरुद्ध बताकर उसकी निन्दा करने लगे थे। सोफिस्ट विचारक एल्सिडेमस ने कहा था कि, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को

स्वतंत्र बनाया है तथा प्रकृति ने किसी मनुष्य को दास नहीं बनाया है। अरस्तू ने यूनानी सभ्यता को संकट से बचाने तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पूरी दार्शनिक योग्यता से दास प्रथा का यह समर्थन उस संस्था का तार्किक संरक्षण है, जिसे आज के सभ्य जगत ने अस्वीकृत कर दिया है, यह ठीक जीवन के उस बड़े दोष को न्यायसंगत ठहराने का प्रयास है जोकि ग्रीक सभ्यता का एक बहुत बड़ा कलंक था। यह इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न है कि दास प्रथा ग्रीक जीवन को पल्लवित करने के लिए अनिवार्य तो है ही साथ ही न्यायसंगत है।

दास की परिभाषा – अरस्तू दास की परिभाषा देते हुए कहता है कि, श्रमिकों की व्यवस्था के लिए संजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। सम्पत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सर्जीव साधन।

अरस्तू बताता है कि ग्रह – प्रबन्ध के लिए संजीव और निर्जीव दो प्रकार की व्यवस्था चाहिए। दास हाथी, घोड़ा, पशु-पक्षी आदि सर्जीव उपकरण हैं तथा घर, खेत, अचल सम्पत्ति आदि निर्जीव उपकरण हैं। घर-परिवार के लिए दोनों की जरूरत होती है परन्तु निर्जीव का संचालन सर्जीव द्वारा ही होती है। सर्जीव दास, स्वामी, तथा उसके परिवार के लिए उपयोगी होते हैं। अतः उनकी व्यवस्था जरूरी है। दास प्रथा के सहारे पारिवारिक प्रबन्ध होता है और पारिवारिक सुविधा की दृष्टि में ही स्वामी और समाज के विशय में अपनी धारणा बना सकता है।

दास प्रथा का औचित्य

अरस्तू दास प्रथा को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर उचित बताता है—

(1) दास प्रथा प्राकृतिक है। अरस्तू मानवीय असमानता की प्राकृतिक स्थिति के आधार पर दासता को भी स्वीकार कर लेता है। वह मानता है कि व्यक्ति-व्यक्ति में गुण, योग्यता बुद्धि आदि का अन्तर प्राकृतिक है। अतः स्वयं प्रकृत ने नहीं चाहती कि सभी समान हों। उसका तो कहना है कि श्रेष्ठ और अत्यधिक विवेकवान् लोग अपनी विवेक बुद्धि के बल पर भासन करने की योग्यता रखते हैं तो दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने विवेक की कमी के कारण केवल आज्ञापालन ही कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से पहली कोटि के लोग स्वामी और दूसरी कोटि के लोग सेवक होते हैं। श्रमिक वर्ग मानसिक भाक्ति का तथा द्वितीय वर्ग भारीरक भाक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पारिवारिक कार्यों के लिए दोनों का सम्मिलन आवश्यक है। इसीलिए दासता प्राकृतिक है।

(2) दासता नैतिक आवश्यकता – अरस्तू दासता को एक नैतिक आवश्यकता भी समझता है। वह कहता है कि दास विवेक भान्य प्राणी होता है, पर विवेकशील स्वामियों के सम्पर्क के आकर वे धीरे-धीरे बनते जाते हैं। उसने स्पष्ट लिखा है कि श्रमिक जन्मजात दास हैं, उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है, जबकि वे संयमी व्यक्तियों के निर्देशन में काम करें। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दासों के नैतिक विकास में सहायक होती है।

(3) दास-प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक – अरस्तू बताता है कि दासता एक अनिवार्य संस्था के रूप में परिवार अथवा राज्य तथा स्वामी की सेवा के लिए आवश्यक है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेकशील सम्पन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। यह तभी सम्भव है जब कि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश हो



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास उनकी घरे आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करें। दास स्वामी को इस योग्य बनाना है कि वह नैतिक गुणों को प्राप्त कर सके। अरस्तू कहता है कि, जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास सम्भव नहीं है। दास प्रथा स्वामियों के साथ-साथ दासों के लिए भी लाभकारी है। दासों में बुद्धि या विवेक का अभाव होता है किन्तु स्वामी का सम्पर्क पाकर उसमें संयम और विवेक आता जाता है। स्वामी के संसर्ग में उसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। अरस्तू दास की स्थिति एक बच्चे के समान बताता है। यदि बच्चे का सही निर्देशन न मिले तो वह अनुचित राहों पर पड़ सकता है। इसी प्रकार स्वामी के अभाव में दास भी अपना अहित कर सकता है। जिस प्रकार बच्चे का कल्याण माँ-बाप के संरक्षण में होता है, उसी प्रकार दासों का कल्याण स्वामियों के संरक्षण में ही सम्भव है। अरस्तू लिखता है कि, शत्रु मनुष्य स्वभाव से ही दास है। उसके लिए दासता उपयोगी और उचित दोनों है।

(3) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्वामित्व व अंग अरस्तू के समय में दास प्रथा सम्पूर्ण यूनान में प्रचलित थी और वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्वामित्व का अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों की अर्थव्यवस्था दासों पर ही आधारित थी। इनको समाप्त करने पर न केवल नगर राज्यों का भाक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था वरन् इन राज्यों की सारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बिगड़ जाने की आशंका थी। अतः अरस्तू ने अपनी व्यावहारिक बुद्धि के आधार पर दास-प्रथा का समर्थन किया है।

इस प्रकार अरस्तू ने दास प्रथा की सामयिकता और आवष्यकता का समर्थन किया है। उसने दासों को समाज का आवष्यक अंग माना है। अरस्तू के भावों में, दासता न केवल आवष्यक वरन् सामयिक अनिवार्यता भी है।

दासता के प्रकार अरस्तू ने दासता को दो भागों में विभाजित किया है—

(1) प्राकृतिक दासता (2) कानूनी दासता।

(1) प्राकृतिक दासता — अरस्तू का मत है कि प्राकृतिक दास वे होते थे जिनका केवल भारीरिक विकास हुआ था और जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे।

(2) कानूनी दासता

अरस्तू का मत है कि युद्ध में किसी राज्य के पराजित युद्धवन्दियों को भी दास बनाया जा सकता है यह कानूनी दासता है। यह दासता युद्ध सम्बन्धी नियमों पर आधारित है। किन्तु युद्धवन्दियों को दास तभी बनाया जा सकता है जबकि विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हों।

दास प्रथा की भाँति या मानवीय आधार अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन तो किया है पर सशर्त किया है। ये भाँति इस प्रकार है—

(4) दासता के प्रकार— अरस्तू ने दास दो प्रकार के बताये हैं— एक प्राकृतिक दास तथा दूसरे कानूनी दास। प्राकृतिक दासों का केवल भारीरिक विकास हो पाता है, मानसिक नहीं। कानूनी दास वे होते हैं जो युद्ध में पराजित होकर बना करते हैं। अरस्तू कानूनी दासों को

दास नहीं कहता क्योंकि ये युद्धों में बनते हैं और युद्ध न्यायसंगत नहीं हुआ करते। इस प्रकार अरस्तू के मतानुसार युद्धबन्धियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए, जबकि ये बुद्धिहीन हों।

(2) पालन-पोषण की गारण्टी – अरस्तू यह भात लगाता है कि दासों का पालन-पोषण स्वामियों को करना है। दासों के प्रति स्वामियों का व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए। उसका यह भी कहना है कि यदि स्वामी दासों के प्रति अच्छा व्यवहार न करें तो उन्हें राज्य द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए।

(3) यूनानियों की श्रेष्ठता – अरस्तू का कथन है कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता और न वे दास बन सकते हैं, क्योंकि वे सर्वाधिक बुद्धिजीवी होते हैं।

नहीं (4) दासता जन्म-मूलक नहीं – अरस्तू का कथन नहीं कि दासता जन्म-मूलक होती, यह उचित गुणों पर आधारित होती है। यह आवश्यक नहीं कि दास का बेटा दास ही हो। यदि उसमें विवेक ढंग आता है तो वह दास नहीं रहेगा। इस प्रकार गुणों के इस आधार पर दास प्रथा को आधारित करके उसने इसकी उग्रता को कम कर दिया है। पर साथ ही वह यह भी कहता है कि गुणों के आधार पर दास अंदास में भेद करना कठिन है।

(5) मुक्ति के अवसर – अरस्तू का यह भी कथन है कि दासों को मुक्ति का अवसर भी मिलना चाहिए और उनकी मुक्ति की आषा भी की जानी चाहिए। यह मुक्ति भी स्वामियों के सम्पर्क से विवेक बुद्धि पर होगी।

अरस्तू यह भी कहता है कि दास को चाहिए कि वह अपने स्वामी को आज्ञा का पालन उसे मित्र षुभचिन्तक समझकर करें।

इकाई – 2 अरस्तू के मतानुसार राज्य की प्रमुख विशेषताएँ

दास-प्रथा सम्बन्धी विचारों की आलोचना

अरस्तू दास प्रथा का समर्थन करता है जो उसकी गरिमा के विरुद्ध सा लगता है। विचारकों ने दास प्रथा की अंग्र लिखे आधारों पर आलोचना की है—

(1) अमानवीय प्रथा – दास प्रथा का विचार बड़ा ही अमानवीय है। आदमी दूसरे आदमी को दास बनाकर उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करें, यह अनुचित है। आदमी आदमी की समानता हो सच्ची है।

(2) मानव समूह का विभाजन असम्भव – अरस्तू द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा के आधार पर मानक समूह को अप्राकृतिक आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। किन्तु मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना तथा किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है— सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में वार्कर का कथन है कि, श्यदि दास को किसी दृष्टि से मानव समझा जाता है तो उसे सभी दृष्टियों से मानव समझा जाना चाहिए और यदि उसे मानव मान लिया जाता है तो उसे बिल्कुल विवेकपूर्ण मानना ही नहीं और न यह मनोचित ही है। (3) विभाजन सर्वमान्य नहीं— अरस्तू का मानव-समूह की यह वर्गीकरण उचित नहीं है वह सर्वमान्य नहीं हो सकता। ऐसे अनेक प्रकार के विषिष्ट व्यक्ति ही सकते हैं। जिनकों न तो दासों में रखा जा सकता है और न स्वामियों में रखा जा सकता है। उसका यह विचार भी गलत है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट तन दासों को देती है तथा दुर्बल भारी किन्तु विवेकयुक्त मन



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

स्वामियों को देती है। इस प्रकार के विचार स्वाभाविक तथा हास्यास्पद हैं। अरस्तू के ऐसे विचारों पर ही प्रो० मैक्लेवन ने टिप्पणी की है कि, शरस्तू ने श्रम को दण्डित किया है।

(4) अव्यवस्था व उपद्रव का कारण — अरस्तू की दरा प्रथा सम्बन्धी विचारधारा उपद्रवों को उकसाने वाली है। स्वामी और दास वर्गों में समाज को बांट देना उपद्रव और व्यवस्था की निमंत्रण देना है। ऐसे विचार समाज को मानों किसी ज्वालामुखी पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जो चो जब फट सकता है। इस सम्बन्ध में प्रो० रास कहते हैं कि, शरस्तू में जो रतुन्य नहीं है, वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना।

(5) विरोधाभासपूर्ण विचार — दास पथा सम्बन्धी अरस्तू के विचार विरोधाभासपूर्ण हैं। एक और तो वह कहता है कि दास विवेकभून्य होते हैं तथा दूसरी ओर कह देता है कि स्वामियों के सम्पर्क में आने पर उनका विकास होता है। तब तो वे भी विवेकवान बन जायेंगे। यदि कोई प्रकृति से ही विवेकभून्य है तो उसका विकास नहीं हो सकता और यदि उसका विकास किया जा सकता है तो उसको दास बनाने की क्या आवश्यकता है?

(6) स्वतंत्रता तथा समानता की भावना के विपरीत — अरस्तू ये विचार स्वतंत्रता तथा समानता की भावना के भी विपरीत हैं। दास-प्री का समर्थन स्वतंत्रता और समानता की आधुनिक भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसे किसी अच्छे मस्तिष्क की उपज नहीं कहा जा सकता। ऐसे विचार मानवीय एकता को भी आघात पहुँचाते हैं। मुरे के अनुसार, श्रद्धिकांष व्यक्तियों की स्वाभाविक निम्नता में अरस्तू का विश्वास मानव के अधिकारों में वर्तमान विश्वास से बिल्कुल विपरीत है।

(7) जातिगत अहंकार से पूर्ण विचार — अरस्तू के विचार जातिगत अहंकार की भावना से भरे हुए हैं। जातिगत रक्षा के नाम पर दास प्रथा का समर्थन किया गया है। कुछ यूनानियों को उच्चता प्रदान कर उन्हें जन्म-जन्मान्तर तक स्वामी बनाने का शङ्क्यन्त्र भी इन विचारों से प्रतीत होता है। प्रो० थियोडोर सत्य कहते हैं कि, श्दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की गयी है।

(8) आधुनिक युग में मान्य नहीं — यदि अरस्तू के दासता के विचारों को स्वीकार कर लिया जाये तो उत्पत्ति के साधनों के रूप में जितने श्रमजीवी कार्य करते हैं। वे सभी (कृषक, श्रमिक, हस्तशिल्पी आदि) दास समझे जायेंगे। अतः आत के युग में इस सिद्धान्त को कोई भी मान्यता नहीं देगा।

निश्कर्ष इस प्रकार आज के वैज्ञानिक, प्रजातान्त्रिक, बुद्धिवादी और मानवतावादी विश्व में अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचार बिल्कुल ही व्यर्थ तथा संस्थापद हैं। ऐसे विचारों की आज कोई भी कद्र नहीं की जा सकती। इन विचारों में घोर स्वार्थपरता, जातिगत अभियान तथा शङ्क्यन्त्र की पूरी-पूरी गंध आती है। इसमें न केवल अरस्तू की रूढ़िवादिता दिखाई देती है वरन् उसका जातिगत अहंकार भी स्पष्ट होता है। इबन्स्टीन के अनुसार, श्दसकी दासता सम्बन्धी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बन्दी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा

मैक्लेवन अरस्तू के दासता सम्बन्धी विचारों की निरर्थकता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि. श्यदि हम इस सिद्धान्त का जीवन के तथ्यों या स्वयं अरस्तू के तर्कों के आधार पर मूल्यांकन करें तो इसका खोखलापन स्पष्ट हो जायेगा ।

क्रान्ति संबंधी विचार ने स्वयं इस के समय में अरस्तू के राज्यों में बहुत अस्थिरता व्याप्त थी । अरस्तू यूनान राजनीतिक अस्थिरता के दुश्परिणाम देखे थे। अतः उसने इस अस्थिरता को दूर करने के उपाय बताये हैं। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद परिपक्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आध र पर यह विवेचन प्रस्तुत किया। सेवाइन के अनुसार, श्इस विषय से सम्बन्धित पॉलिटिक्स के पश्ठ उसकी राजनीतिक सूझबूझ एवं यूनानी नगर राज्यों के भासन का अधिकार पूर्ण ज्ञान प्रकट करते हैं ।

क्रान्ति का अर्थ – अरस्तू के अनुसार, श्राज्य, संविधान या भासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रान्ति है ।

अरस्तू ने अपने ग्रन्थ पॉलिटिक्स के सातवें भाग में राज्य क्रान्ति और संविधान परिवर्तन सम्बन्धी बातों की विवेचना की है। उसने क्रान्ति के कारणों, उसके रोकने के उपायों आदि का भी वर्णन किया है। अरस्तू ने संविधान तथा भासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रान्ति कहा है । इस प्रकार इस अर्थ में रूसी और फ्रांसीसी क्रान्ति अरस्तू की क्रान्ति नहीं समझी जानी चाहिए। उसकी क्रान्ति परिवर्तन का नाम है।

अरस्तू के मतानुसार क्रान्ति – अरस्तू के मतानुसारं क्रान्ति के तीन रूप हैं—

(1) भासन व्यवस्था का परिवर्तन – पहले से स्थापित भासन-व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था स्थापित करना क्रान्ति है। जैसे— धनिक तंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना। (2) रूप सुधार – अरस्तू एक भासन व्यवस्था के रूप सुधार को भी क्रान्ति कहता है। किसी भासन-व्यवस्था या संविधान में कमी वेषी कर देना, उसमें घटा-बढ़ी कर देना भी क्रान्ति ही है । उदाहरण के लिए, जनतन्त्र के वर्तमान स्वरूप को कम अथवा अधिक करने की प्रक्रिया को भी क्रान्ति कहा गया है।

(3) पदाधिकारियों का परिवर्तन – भासन के मूल रूप में परिवर्तन किये बिना भासकीय पदाधिकारियों का भी परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी अरस्तू क्रान्ति कहता है।

क्रान्ति के कारण – अरस्तू ने क्रान्ति के कारणों पर व्यापक रूप से विचार किया है। उसने क्रान्ति के कारणों को तीन भागों में बाँटा है— (क) सामान्य कारण (ख) विषेश कारण । (ग) विषेश प्रकार की भासन प्रणालियों में क्रान्ति के विषेश कारण ।

(क) सामान्य कारण

क्रान्ति के सामान्य कारण निम्नांकित हैं

(1) विशमता – विशमता के कारण क्रान्ति का जन्म होता है। छोटे और असमर्थ वर्ग बराबर होने के लिए क्रान्ति करते हैं । बराबर स्थिति के लोग और बड़ा होने के लिए विद्रोह करते हैं। ये क्रान्ति के कारण बनती हैं। MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University डीनर्ग के अनुसार, श्अरस्तू क्रान्तिकारी आन्दोलनों का सबसे अधिक सामान्य कारण मनुश्य की समानता की लालसा को ही पाता है ।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

(2) अन्याय राज्य न्याय तथा मित्रता के आधार पर स्थिर रहता है। जब अन्याय, दुर्भावना, असन्तोष आदि विघटनकारी कार्य होने लगते हैं तो क्रान्ति होती है। जब एक वर्ग को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कठिनाई होती है तो क्रान्ति का मार्ग

कठिनाई होती है तो क्रान्ति का मार्ग खुलता है। एक वर्ग को यदि उसकी आशाओं से अधिक मिलता है तो भी क्रान्ति होती है। चूंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं इसलिए अन्याय और दुर्भावना असन्तोषक और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं।

(ख) विशेष कारण— क्रान्ति के विशेष कारण निम्नांकित हैं—

(1) घण्टा— जब समाज का धनिक वर्ग गरीबों से घण्टा करने लगता है और उन्हें नीची दृष्टि से देखने लगता है तो स्वाभाविक रूप से क्रान्ति के लिए जमीन तैयार होती है।

(2) मय भय व्यक्तियों को दो प्रकार से क्रान्ति के लिए प्रेरित करता है। हले वे जो अपराध से बचना चाहते हैं और दूसरे वे जो अन्याय का जबाब देना चाहते हैं।

(3) प्रमाद और आलस्य — जब प्रमाण और आलस्य के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों को भासनरुद्ध कर देती है और वे सत्ता के प्रति निश्ठावान नहीं रहते और भाक्ति संचय तथा स्वार्थ में लगे रहते हैं तो क्रान्ति उदय होती है ।

(4) अनुचित सम्मान

जब व्यक्तियों को अनुचित सम्मान प्राप्त होता है तब भी क्रान्ति जन्म लेती है। जिन व्यक्तियों में योग्यता नहीं होती और उन्हें सम्मान अधिक मिल जाता है तो योग्य व्यक्तियों के सम्मान को ठेस लगती है और ऐसी दशा में क्रान्ति पनपती है ।

(5) उच्च वर्गीय शङ्क्यन्त्र जब उच्च वर्ग अन्य जनों को नीचा समझता है और स्वयं सत्ता — प्राप्ति के शङ्क्यन्त्र में लग जाता है तो भी संघर्ष बढ़ता है और क्रान्ति पनपती है।

(6) विजातीय तत्व — जब राज्य में विकास करने वाले विजातीय तत्व समुदाय के साथ अपना भावात्मक सम्बन्ध में स्थापित नहीं कर पाते तो वे बहारी भानुओं से सौँट-गौँट करके क्रान्ति को पैदा करते हैं।

(7) छोटी-छोटी घटनायें कभी-कभी छोटी-छोटी घटनायें भी क्रान्ति को जन्म देती हैं। जैसे-एक बार साइराक्रूज में दो कुलीनों के संघर्ष के कारण ही क्रान्ति हो गई थी ।

(8) सन्तुलित व्यवस्था — व्यवस्था का अधिक सन्तुलन भी क्रान्ति पनपाता है। जब समाज के वर्गों में सन्तुलन रहता है तो उनमें परस्पर प्रतियोगिता बढ़ती है। उसमें सत्ता हथियाने की होड़ लगती है, जिससे संघर्ष होता है।

(9) श्रेष्ठता की भावना — जब समाज में कुछ लोग दूसरे लोगों की तुलना में अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, राज्य की प्रभुसत्ता का प्रयोग अपने स्वार्थों में करते हैं, तो वे राज्य में क्रान्ति के बीज बो देते हैं, क्योंकि जनता ऐसी भासन प्रणाली को अधिक दिनों तक स्वीकार नहीं कर सकती

(10) भासकों की धष्टता

अरस्तू का मत है कि जब भासक वर्ग उदण्ड या धष्ट होकर जनहित की अपेक्षा करते हुए व्यक्तिगत लाभ के मोह में फँस जाता है तो जनता ऐसे भासकों और उस संविधान के विरुद्ध हो जाती है जिसके कारण यह सब सम्भव होता है और क्रान्ति कर देती है ।

(11) राज्य के किसी वर्ग में असाधारण वृद्धि जब राज्य के सभी वर्गों का समानुपातिक विकास नहीं होगा तो राज्य का रूप बिगड़ जायेगा और क्रान्ति होगी । जैसे— प्रजातंत्र में निर्धनों की संख्या बहुत बढ़ जाती है । आगे चलकर यह वर्ग अभाव के कारण सत्तारूढ़ वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति कर देता है ।

(12) निर्वाचन सम्बन्धी शङ्क्यन्त्र — अरस्तू के मतानुसार क्रान्ति तब भी हो जाती है जब निर्वाचनों में बेईमानी होती है और निर्वाचनों द्वारा सही लोकमत को अभिव्यक्त नहीं होने दिया जाता है ।

(13) छोटे-छोटे परिवर्तनों की अवहेलना — कभी-कभी छोटे परिवर्तनों की ओर ध्यान में देने से भी क्रान्ति हो जाती है । अरस्तू के भावों में, जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में खाई को पार करने में, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, सेना का तित्तर-बितर हो जाना पड़ता है, उसी प्रकार राजा में प्रत्येक प्रकार का अन्तर (छोटे बड़े, गरीब-अमीर का भासकों व भासितों का) संघर्ष पैदा कर देता है ।

(14) मध्यम वर्ग का अभाव — यदि किसी राज्य में मध्यम वर्ग नहीं है तो अमीरों व गरीबों की खाई बढ़ते-बढ़ते क्रान्ति का रूप ले लेती है ।

(ग) विशेष प्रकार की भासन प्रणालियों में क्रान्ति के कारण प्रणालियों में क्रान्ति के कारण इस प्रकार है—

विभिन्न भासन

(1) प्रजातन्त्र में क्रान्ति जोषीले और लच्छेदार भाषण करने वाले नेता लोग सस्ती लोकप्रियता के आधार पर सत्ता हथिया लेते हैं । वे अपनी बातों से लोगों को मूर्ख बनाया करते हैं और अपना स्वार्थ पूरा किया करते हैं ।

(2) अधिनायकतन्त्र में क्रान्ति — अधिनायकतन्त्र में दो कारणों से क्रान्ति होती है— (1) जब भासकों का जनता के प्रति अन्याय अधिक बढ़ जाता है । (2) जब सत्ताधारी पक्ष में परस्पर फूट और दलबन्दी बढ़ जाती है ।

(3) कुलीनतन्त्र में क्रान्ति — कुलीनतंत्र में क्रान्ति के तीन कारण होते हैं— (1) जब पद तथा प्रतिष्ठा को सीमित कर दिया जाता है । (2) जब भाक्तिपालियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं । (3) जब विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य समाप्त हो जाता है ।

(4) राजतंत्र में क्रान्ति — राजतंत्र में अरस्तू क्रान्ति के तीन कारण बताता है— (1) जब भासन का जनता के प्रति व्यवहार असामान्य हो जाता है । (2) जब प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान होता है । (3) जब पड़ोस का विरोधी राज्य अपनी चालबाजियाँ शुरू कर देता है ।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

मैक्सी के अनुसार, श्रद्धा में सन्देह नहीं कि अरस्तू की दृष्टि क्रान्ति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाये गये एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रान्ति में देखे जा सकते हैं।

क्रान्ति के प्रतिकारक के उपाय

मैक्सी का कथन है कि, श्रद्धा ने जितने अच्छे ढंग से क्रान्ति के कारणों पर प्रकाश डाला है, उतने ही अच्छे ढंग से उसने निराकरण के उपाय भी बताए हैं। श्रद्धा ने क्रान्ति के प्रतिकारक के मुख्य रूप से दो उपाय बताए हैं— (1) सामान्य उपाय तथा (2) विशेष उपाय

(1) सामान्य उपाय

भासिक तथा भासित में सौहार्दपूर्ण तथा तनाव रहित सम्बन्ध होने चाहिए।

नागरिकों को संविधान की भावना के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कानूनों का पालन करने की आदत आनी चाहिए।

राजकीय सत्ता पर एक वर्ग या व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्य कर्मचारियों का कार्यकाल लम्बा नहीं होना चाहिए और लोगों को बारी-बारी से सरकारी पदों पर आसीन होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। पुरस्कारों, पदों तथा सम्मानों का विस्तृत वितरण होना चाहिए।

(5) भासन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पदाधिकारियों को अपने पदों का अनुचित लाभ नहीं उठाने देना चाहिए।

(6). विभिन्न वर्गों के मध्य सन्तुलन रहने से भी राजनीतिक सन्तुलन बना रहता है। भासन का कार्य विरोधी गुणों के व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। धनियों का धन तथा गरीबों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। मध्यम वर्ग की भाक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए।

(7) विदेशी लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा वे कभी भी राजनीतिक संकट पैदा कर देंगे।

(8) हमें घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी छोटी सी घटना बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है।

(9) बाहरी आक्रमण का भय दिलाते रहने से राष्ट्रीय एकीकरण बना रहता है और एकता की भावना का विकास होता है।

विशेष उपाय

मिश्रित संस्कारों में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली प्रवृत्तियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए।

(2) क्लीनतंत्र तथा क्रेपीतंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र में सामान्य प्रशासकीय कार्यों का संचालन निम्न वर्ग के हाथों में छोड़ दिया जाना

चाहिए। धनिक वर्ग के पास ऐसे कार्य रहने चाहिये, जिससे वर्गीय असन्तोश न पनपने पाये

(4) निरंकुष भासन में क्रान्ति का भय दूर करने के लिए नीचे लिखे उपाय किये जाने चाहिए—

- (क) स्त्रियों को जासूसी कार्य दिया जाना चाहिए।
- (ख) नारिकों का बौद्धिक जीवन समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (ग) अपराधियों को दण्ड मिलना चाहिए।
- (घ) पुरस्कारों का उचित वितरण होना चाहिए।
- (ङ.) जनता बाहरी आक्रमण के भय से ग्रस्त रहना चाहिए।
- (च) भासक को स्वयं भी आक्रमण की नीति अपनाते रहना चाहिये।
- (छ) धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह दिखाया जाना चाहिए।
- (ज) भासक को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

स्पष्ट है कि अरस्तू ने न केवल क्रान्तियों के कारण बताये हैं, वरन उनसे बचने के उपाय भी बताये हैं। उसके ये विचार मौलिक, व्यवहारिक, वास्तविक भाव्य और व्यापक हैं। अरस्तू के अलावा आज तक किसी भी विचारक ने क्रान्ति पर इतने व्यापक व स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

मैक्सी के भावों में, शराजनीतिक विज्ञान क्रान्ति रूपी विश का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता।

अरस्तू के क्रान्ति सम्बन्धी विचार आधुनिक राज्यों के सन्दर्भ में भी उपयोगी है। राज्य सम्बन्धी विचार

अरस्तू को राजनीतिक चिन्तन का जनक कहा जाता है। उसने राजनीति के अलावा ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ लिखा है। इस प्रकार उसका विस्तृत ज्ञान आगे की पीढ़ियों के लिए एक महान देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह कहा जाता है कि यूनानी दर्शन का जो बीज सुकरात ने बोया था, वह लता की भांति प्लेटो में आकर फैला और वह अरस्तू के दर्शन में पुष्प की भांति खिल उठा। उसके विषय में दान्ते ने कहा है कि वह बुद्धिमानों का गुरु था।

पॉलिटिक्स अरस्तू का अनुपम ग्रन्थ है। अरस्तू ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ पॉलिटिक्स का प्रारम्भ राज्य से ही किया है। वह राज्य को एक ऐसा राजनीतिक समुदाय मानता है, जो दूसरे सभी समुदाय से श्रेष्ठ है तथा जो व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हित की कामना करता है।

अरस्तू अपने गुरु प्लेटो की भांति सोचते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने स्वार्थी और हितों की पूर्ति के लिए किया है तथा उसका अपने नागरिकों की भांति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तू



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

का मत हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तू के भावों में, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में रहने में असमर्थ है या जिसके आत्मनिर्भर रहने के कारण राज्य की आवश्यकता नहीं, वह या तो पशु है या देवता ।

अरस्तू के राज्य सम्बन्धी विचारों की विवेचना कुछ उपपरीशकों के अन्तर्गत अधिक स्पष्टतः की जा सकती है। ये उपपरीशक इस प्रकार हैं—

(1) राज्य की उत्पत्ति — अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। उसकी दृष्टि में राज्य स्वाभाविक है। उसका निर्माण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा नहीं होता है। अरस्तू के भावों में, राज्य की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं में होती है, किन्तु बाद में राज्य श्रेष्ठ जीवन के लिए बना रहता है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर मानव ने पहली सामाजिक संस्था कुटुम्ब की स्थापना की जिसमें पति, पत्नी, सन्तान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुम्बिक व्यवस्था में हमें राज्य का स्वरूप दिखाई देता है क्योंकि कुटुम्ब का स्वामी भासक के रूप में कार्य करता है। कुटुम्ब स्वाभाविक समुदाय है। वह सन्तानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परन्तु मनुष्य केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता उसकी अन्य भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएँ हैं। इसलिए कुछ कुटुम्ब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम, पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है।

इस प्रकार अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार परिवार तथा गांव है। अरस्तू के भावों में, राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका उद्देश्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन है।

(2) राज्य का विकास — अरस्तू राज्य को प्राकृतिक संस्था मानकर उसका विकास होता हुआ मानता है। राज्य का विकास बतलाने के लिए अरस्तू ने अनुमान पद्धति का सहारा लिया है। अरस्तू के अनुसार राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध सर्वाधिक है। जिस प्रकार भारी और भारी के अंगों का अटूट सम्बन्ध है। राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध अटूट है। जिस प्रकार मानव भारी में हाथ, पैर, हृदय आदि अनेक अंग हैं। उसी प्रकार राज्य के अंग परिवार, ग्राम आदि हैं, जो भारी के अंगों के समान अपने निश्चित कार्य करते रहते हैं। अरस्तू का विचार है कि राजनीतिक विकास जैविक विकास है। राज्य पहले से ही ग्राम परिवार तथा व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में होता है तथा आरम्भ से लेकर अन्त तक विभिन्न रूपों को धारण करता है। राज्य परिवार का ही वृद्ध रूप है।

(3) राज्य की प्रकृति — राज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में अरस्तू का कथन है कि — (1) राज्य का अस्तित्व व्यक्ति से प्रथम है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। (2) व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। (3) राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन के लिए प्रसाधनों को जुटाने के लिए हुई है।

किसी प्रकार हुआ हो, नैतिक पूर्णता की ओर मानव स्वभाव की अन्तरस्थ प्रकृति ही मनुष्यों को समाज के विभिन्न रूपों में से गुजरते हुए अन्ततः राजनीति तक पहुंच जाने के लिए उत्प्रेरित करती है। अरस्तू का मत है कि, प्रकृति द्वारा स्थापित प्रथम स्वाभाविक संगठन परिवार है, परिवारों से मिलकर गांव बनता है और अन्त में बहुत से गांव मिल जाने पर जो समाज बनता है, वही राज्य है। अरस्तू के अनुसार, श्रद्धा प्रारम्भिक समाज प्राकृतिक (स्वाभाविक) थे तो सब राज्य भी स्वाभाविक हुए क्योंकि यह उन्हीं का चरम विकास तो है। किसी वस्तु का चरम विकास ही उसका स्वभाव होता है।

राज्य की विशेषताएं

अरस्तू के मतानुसार राज्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) राज्य एक स्वाभाविक संस्था — प्लेटो की भांति अरस्तू भी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। वह राज्य को किसी समझौते का परिणाम नहीं मानता है। उसने सोफिस्टों के इस विचार का भी खण्डन किया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अरस्तू का मत है कि मनुष्य एक राजनीतिक व सामाजिक प्राणी है तथा राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। चूंकि राज्य परिवार का वृद्धत रूप है अतः यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारम्भ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। अतः राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अन्तिम अवस्था है। फोस्टर के भावों में, अरस्तू की पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से राज्य केवल इसलिए स्वाभाविक नहीं है कि वह मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वरन् इस अर्थ में भी स्वाभाविक है कि वह मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए पोषक तत्व और पर्यावरण प्रदान करता है।

सेबाइन के अनुसार, श्रद्धा प्रकार बेजुफल के लिए वैजु वक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम भाक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है

(2) राज्य एक सर्वोच्च समुदाय — अरस्तू राज्य को एक समुदायों का वृद्धत समुदाय ही नहीं मानता, अपितु उसे एक सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य अन्य समुदायों से ऊँचा है। अन्य समुदाय संकीर्ण होते हैं तथा सीमित हितों की रक्षा करते हैं, जबकि राज्य सबका हित देखता है। वह व्यक्ति की नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक आदि सभी आवश्यकताओं की तृप्ति करता है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को सर्वगुण सम्पन्न बनाना है।

(3) राज्य मनुष्य से पूर्ववर्ती अरस्तू के अनुसार राज्य मनुष्य से पहले हैं। वह मनोवैज्ञानिक रूप से राज्य को मनुष्य से पहले मानता है। वह राज्य को पूर्णता का प्रतीक मानता है। व्यक्ति तो उसका अंग मात्र हैं। यदि राज्य भारी है तो व्यक्ति उसके अवयव हैं पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तू के भावों में, “समय की दृष्टि से परिवार पहले है परन्तु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले हैं।

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

(4) राज्य साधन नहीं, साध्य — अरस्तू ने राज्य को साध्य माना है। राज्य एक घोंसला है जो पोषण करता है, पिंजरा नहीं जो बाधा डालता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

की अभिपूर्ति है। व्यक्ति को राज्य रूपी साध्य की सुरक्षा का हर प्रयास करते रहना होगा

(5) राज्य एक आध्यात्मिक समुदाय राज्य एक आध्यात्मिक समुदाय है। उसका उद्देश्य नकारात्मक नहीं है। वह तो सर्वोच्च अच्छाइयों का प्रदान करने वाला है। वह केवल बुराइयों को नहीं रोकता, अपितु अच्छाइयों को सिखाता है। राज्य व्यक्ति की तरह ही नैतिक है।

(6) राज्य एक सावयव राज्य का पूर्ण सावयव (आंगिक) है। वह एक पूर्ण इकाई है जो सम्बन्ध भारी और उसके अंगों में है, वहीं सम्बन्ध राज्य और व्यक्ति में है। जिस प्रकार एक अवयव भारी नहीं कहलाता, उसी प्रकार एक व्यक्ति राज्य नहीं कहा जा सकता है। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। राज्य की संजीवनी भावित ही राज्य के अन्य अंगों को जीवन भाक्ति प्रदान करती है।

व्यक्ति अपना पूर्ण विकास राज्य में ही रहकर कर सकता है। इबन्स्टीन के अनुसार, अरस्तू ने अपने इस विचार के आधार पर राज्य की जैविक धारणा की नींव रखी है।

(7) राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन – अरस्तू राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन मानता है। वह कहता है कि, श्राज्य परिवार तथा ग्रामों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तू ने आत्मनिर्भरता के लिए आंतरक्रिया भाब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ पूर्ण निर्भरता है। बार्कर अरस्तू के आत्मनिर्भरता भाब्द का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अरस्तू का अर्थ है— राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और नैतिक प्रेरणाओं एवं भावनाओं की उपस्थिति, जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को सम्भव बनायें। इस प्रकार, अरस्तू का आत्मनिर्भरता से अर्थ यही है कि व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त बौद्धिक तथा आध्यात्मिक गुणों को भी प्राप्त कर सकता है। चूँकि राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है इसीलिए इसे आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है।

(8) नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन अरस्तू प्लेटो की भांति नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तू का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों तथा पूर्णता में साझेदारी है।

राज्य के कार्य तथा उद्देश्य

अरस्तू ने राज्य के कार्य तथा उद्देश्यों की विवेचना निम्नांकित रूपों में की है—

(1) श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु राज्य आवश्यक है। राज्य एक ऐसा नैतिक संगठन है जो श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति में सहायक बनता है। राज्य का कार्य अपने सदस्यों की अधिकाधिक भलाई करना है। स्वामी के सम्पर्क में आकर दास नैतिक गुणों को प्राप्त करने में समर्थ बनता है। दास अपने आपके लिए भी लाभकारी है। राज्य रूपी स्वामी द्वारा ही दास का जीवन श्रेष्ठ बनता है। अरस्तू के भाब्दों में, श्राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए।

(2) नैतिक जीवन प्राप्त करना— राज्य का कार्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि व्यक्ति को नैतिक जीवन की प्राप्ति सुलभ हो सके। वह राज्य के कार्य न्याय और सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रखता। वह तो राज्य से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के कार्यों की अपेक्षा करता है। वह कहता है कि मानव जीवन सुख के लिए नैतिक कार्य आवश्यक है। राज्य का उद्देश्य केवल अपराधों को रोकना नहीं है, अपितु नागरिकों को सच्चरित्र बनाना भी है। जब नागरिक सच्चरित्र बनेंगे तो अपराध भी कम होंगे।

(3) सदगुणों का विकास करना अरस्तू कहता है कि व्यक्ति में गुण और दोष दोनों पाये जाते हैं। राज्य ऐसे कार्य करता है कि जिनमें दोनों का निराकरण हो और व्यक्ति में सदगुणों का विकास हो। राज्य व्यक्ति के सदगुणों का विकास करने वाली संस्था होने के कारण ही वह आध्यात्मिक संस्था कहलाया है।

निश्कर्ष — इस प्रकार अरस्तू के अनुसार राज्य व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में पाया जाता है। परन्तु व्यक्ति विचारशील तथा विवेकशील प्राणी है। अतः उसकी सामाजिकता अन्य जीवधारियों से भिन्न है। व्यक्ति की सामाजिकता की सम्पूर्ति राज्य के अन्तर्गत ही हो पाती है और इस प्रकार राज्य व्यक्ति से अभिन्न बन जाता है, यहाँ तक कि वह साध्य हो जाता है।

इकाई — 3 संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत

संविधान का वर्गीकरण

अरस्तू ने अपने संविधान सम्बन्धी विचारों को अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरे तथा चौथे

- भागों में प्रस्तुत किया है। अरस्तू ने संविधान और सरकार दोनों को पर्यायवाची भाव माना है। अरस्तू के अनुसार संविधान वह आधारभूत है जिस पर राज्य रूपी भवन का निर्माण किया जाता है। अपने संविधान की व्याख्या करने से पूर्व 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसके पश्चात् आदर्श संविधान के गुणों का विवेचन किया था। अरस्तू द्वारा संविधानों का जो वर्गीकरण किया गया है, वह उसके द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्तों, विशेषताओं तथा गुण-दोषों के आधार पर है।

संविधान की परिभाषा — अरस्तू ने संविधान के लिए यूनानी भाव पॉलिरिया (चवसमजप) का प्रयोग किया है जिसका अंग्रेजी अनुवाद है— कॉन्स्टीट्यूशन। संविधान की परिभाषा करते हुए अरस्तू का कथन है कि संविधान या पॉलिटि राज्य का एक ऐसा संगठन है, जिसका सम्बन्ध सामान्यतः राज्य के पदों के निर्धारण से है और विशेषकर ऐसे पद के निर्धारण से है जो समस्त राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च हो।

परिभाषा का विप्लेशन — इस परिभाषा से संविधान के विषय में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं—

संविधान राज्य या उसके पदों का संगठन है।

1. संविधान सर्वोच्च शक्ति के निवास को निर्धारित करता है।

2. संविधान राज्य के लक्ष्य को भी बताता है।

संविधान राज्य के लिए आवश्यक है। इसी के आधार पर उनका निर्माण और अन्त।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

संविधान राज्य का आधार है तथा उसके परिवर्तन के साथ राज्य का स्वरूप बदल जाता है ।

संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धान्त

अरस्तू द्वारा प्रस्तुत संविधानों का वर्गीकरण उसकी मौलिक देन नहीं कहा जा सकता । क्योंकि प्लेटो ने भी अपनी रचना स्टेट्समैन में राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । किन्तु राज्य या संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तू के द्वारा ही किया गया है । अरस्तू का वर्गीकरण जिन सिद्धान्तों पर आधारित है, वे निम्नलिखित प्रकार हैं

इसका तात्पर्य है कि भासकीय सत्ता का सूत्र कितने व्यक्तियों के हाथ में रहेगा । भासकों की संख्या के आधार पर उसने संविधान को तीन भागों में बाँटा है— (1) एक व्यक्ति का भासन, (2) कुछ व्यक्तियों का भासन, (3) बहुसंख्यकों का भासन ।

1. संख्या

2. उद्देश्य — राजा का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ साधन व उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तू ने संविधान के दो भाग किये हैं—

(क) स्वाभाविक रूप इस रूप में राज्य की भाक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में होता है । यह अच्छा रूप है ।

(ख) विकृत रूप इस रूप में राज्य की भाक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत हित या स्वार्थ साधन के लिए किया जाता है । यह बुरा रूप है ।

संविधानों का वर्गीकरण

अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है—

संख्या का आधार

भासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या

एक

अल्पसंख्यक

बहुसंख्यक

नैतिक आधार

सर्वोच्च सत्ता के संचालन का उद्देश्य

भासन का विकृत रूप

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

भासन का स्वाभाविक रूप एकतंत्र या राजतंत्र (Monarchy)

कुलीनतंत्र (Aristocracy) बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र (Polity)

अनुसार निरंकुष तंत्र के बाद कुलीन तंत्र की स्थापना होनी चाहिए किन्तु रूस व भारत आदि देशों में निरंकुषतंत्र के बाद सीधे प्रजातंत्र की स्थापना है। इसी प्रकार अनेक राज्यों में राज्यों में राजतंत्र का स्थान सैनिक तंत्र ने ले लिया है।

7. प्रजातंत्र सम्बन्धी धारणा गलत – अरस्तू ने प्रजातंत्र को भीड़तंत्र का पर्यायवाची माना है। वह इसे सबसे अधिक अव्यवस्थित और अनियंत्रित भासन समझता है किन्तु वर्तमान समय में प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ भासन पद्धति समझा जाता है। अतः प्रजातंत्र के सम्बन्ध में अरस्तू के विचार उचित नहीं हैं।

8. आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं – अरस्तू द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। सीले के अनुसार, अरस्तू ने अपने काल के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया था, जो आज के राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय तथा विषालकाय राज्यों पर लागू नहीं होता है।

अरस्तू के वर्गीकरण का महत्व – अरस्तू के वर्गीकरण की अनेक आलोचनाओं के बावजूद इस वर्गीकरण का महत्व है। वह सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। राजनीति चिन्तक गिलक्राइस्ट के अनुसार आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं, उनके लिए ऐतिहासिक उपहार रहा है।

गैरेल के अनुसार, अरस्तू का वर्गीकरण अपने पूर्वगामियों के विचारों पर आधारित हैं, परन्तु वह अधिक सही और स्पष्ट है। इसीलिए यह वर्गीकरण बिना किसी तात्त्विक परिवर्तन के आज तक चला आ रहा है।

अरस्तू के न्याय सम्बन्धी विचार

अरस्तू अपने गुरु प्लेटों की भाँति राज्य के लिए न्याय को आवश्यक मानता है। अरस्तू न्याय की सदगुणों का समूह मानता है। उसका मत है कि व्यक्ति को न्यायप्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें।

अरस्तू ने न्याय के दो रूप बताये हैं— (1) पूर्ण न्याय (2) विशेष न्याय।

1. पूर्ण न्याय – अरस्तू के अनुसार नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता को ही पूर्ण न्याय कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने सम्बन्धों में नैतिक गुणों का पालन करें। अरस्तू के पूर्ण न्याय की व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि, परिवार में न्याय का अर्थ है स्वामी का दास पर या पति का पत्नि पर या घर के मालिक का सदस्यों पर स्वाभाविक भासन घ गाँव में न्याय का अर्थ है सबसे सयाने पुरुष द्वारा गाँव के दूसरे लोगों का नेतृत्व। एक सक्षम राज्य में न्याय का अर्थ है शिक्षित, सभ्य और गुणवान व्यक्ति द्वारा अपने व अन्य लोगों पर उचित भासन की व्यवस्था। अरस्तू के अनुसार, पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में ही निहित है।

2. विशेष न्याय – इसका सम्बन्ध सदगुण और भलाई के विशेष रूपों से है जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। अरस्तू विशेष न्याय को दो भागों में विभाजित करता है— (1) वितरणात्मक न्याय, (2) सुधारक न्याय।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

1. वितरणात्मक न्याय – वितरणात्मक न्याय का अभिप्राय यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे क्योंकि इनके विशम वितरण से राज्य में असन्तोश उत्पन्न हो जाता है, जो क्रांति को जन्म देता है। अरस्तू के भावों में, शराज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये गये योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति ही वितरणात्मक न्याय है ।

2. सुधारक न्याय – सुधारक न्याय का अर्थ है— एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ व्यवहार यह एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ सम्बन्ध को नियंत्रित करता है तथा राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें दूर करता है। जैसे— यदि कोई व्यक्ति को हानि पहुँचाता है तो राज्य हानि पहुँचाने वाले पक्ष को दण्डित करके इस त्रुटि को दूर करने का प्रयत्न करता है ।

अरस्तू का आदर्श राज्य

अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स की सातवी पुस्तक में आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है। इससे पूर्व प्लेटों ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है जो कि काल्पनिक तथा अव्यवहारिक है। इसीलिए वह अपनी अन्तिम पुस्तक लॉज में उसने एक उपादर्श राज्य का चित्रण करता है, जिसमें वह दार्शनिक भासक के स्थान पर कानून की ही सर्वोपरि मानता है और यह स्वीकार किया है कि भासक को भी कानून की अधीनता में रहना चाहिए। इसमें प्लेटों ने साम्यवाद का आदर्श भी छोड़ दिया है।

अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया है उसमें आदर्श के व्यवहारिक सुन्दरतम् राज्य है। अरस्तू ने अपने रीतिरिवाज व जनमत के महत्व को भी स्वीकार किया है। वह प्लेटों के साम्यवाद को अस्वीकार करते हुए सम्पत्ति व परिवार को आवश्यक और उपयोगी बताता है ।

अरस्तू के आदर्श राज्य को स्पष्ट करते हुए, प्रो० मैक्लवैन लिखते हैं कि, अरस्तू का सर्वश्रेष्ठ राज्य वह है जिसमें अनुकूल स्थितियों के होते हुए तीसरे प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त अधिक से अधिक लागू होते हैं। अरस्तू के अनुसार ऐसा राज्य न तो अमीर होगा और न ही गरीब यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित होगा, अधिक धनसंग्रह और व्यापार या सीमा विस्तार की इच्छा से वह दूर होगा। वह एकताबद्ध, धर्मशील, सुसंस्कृत व संरक्षणीय होगा। वह महत्वाकांक्षाओं से परे होगा परन्तु विस्तृति नहीं। वह एक सुसंगठित छोटा और स्वतंत्र नगर होगा जिसमें सर्वोच्च माक्ति एक अभिजात वर्ग के हाथ में होगी ।

अरस्तू द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य प्लेटों के लॉज में बताये गये उपादर्श राज्य के बहुत निकट है। इस सम्बन्ध में सेवाइन का कथन है कि, अरस्तू जिसे आदर्श राज्य मानता है कि वह प्लेटो का उपदर्श का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है । इस सम्बन्ध में प्रो० मैक्सी का मत है कि, प्लेटों का राज्य अमूर्त विचारों का एक ढाँचा है जिसे यथार्थ रूप दार्शनिक राजा देगा जो अपने सामने वर्तमान समस्त संस्थाओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और सन्तति निरूपण और शिक्षा द्वारा एक निर्दोश सामाजिक व्यवस्था में मनुष्यों की एक नवीन एवं श्रेष्ठतर जाति पैदा करेगा। अच्छी तरह समझा जा चुका है और जिसे कोई भी बुद्धिमान राजनीतिक प्रयोग कर सकता है । तो भी दोनों विचारकों में एक सा ही नैतिक योग है, एक

सी ही व्यवस्था की चाह एक सा ही संतुलन का प्रेम, एक न्याय और बुद्धि के प्रति आस्था, एक सा ही शिक्षा में विश्वास एक सी ही मानवता में आस्था और भाव जीवन की प्राप्ति के लिए समान चिन्ता दिखाई देती है।

इस प्रकार आदर्श राज्य के सम्बन्ध में प्लेटों जहाँ अपने विचार समाप्त करता है, अरस्तू वहाँ से प्रारम्भ करता है।

अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषताएँ

अरस्तू द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित रूपों में देखा जा सकता है—

(1) व्यक्ति का नैतिक विकास अरस्तू के आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। चूँकि राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। अरस्तू का कथन है कि, श्राव्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए विद्यमान है। यहाँ पर सद्जीवन का अभिप्राय नैतिक जीवन है।

(2) मध्यम वर्ग का सिद्धान्त — अरस्तू अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। उसका विचार है कि, श्राव्य मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्यतः श्रेष्ठ जीवन है और यह मध्यम मार्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव है।

अरस्तू यह मानता है कि योग्य सर्वोत्तम भासन का चुनाव स्वर्णिम मध्यम मार्ग के आधार पर ही किया जा सकता है इस दृष्टि से संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र ही श्रेष्ठ भासन व्यवस्था है जो कि मध्यम वर्ग द्वारा ही चलती है। अरस्तू का मत है कि नगर राज्य में तीन वर्ग होते हैं —

(1) धनी वर्ग, (2) निर्धन वर्ग, (3) मध्य वित्त वर्ग ।

अरस्तू के मतानुसार, संवैधानिक तंत्र एक प्रकार की मिश्रित भासन प्रणाली है जिसे यह लोकतंत्र व धनिकतंत्र का मेल बताता है। मध्यम वर्गीय राज्य संवैधानिक तंत्र का मूल तत्व सन्तुलन है तथा यह सन्तुलन कुलीनतंत्र तत्व गुण तथा लोकतंत्रीय तत्व संख्या के मध्य स्थापित किया गया है। इन दोनों तत्वों के मेल और मध्यम वर्ग की सुदृढ़ स्थिति पर ही भासन का स्थायित्व और व्यवस्था निर्भर करती है।

अरस्तू मध्यम वर्ग की प्रधानता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है

(1) अरस्तू बताता है कि अत्यन्त धनी तथा बलवान व्यक्तियों का झुकाव अपराधों और अत्याचारों की ओर होता है जबकि अत्यन्त निर्धन तथा निर्बल व्यक्तियों की प्रवृत्ति धूर्तता तथा तुच्छ अपराधों की ओर होती है। अतः इनकी प्रधानता वाले राज्य दोषपूर्ण होते हैं। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य यथासम्भव समान मनुष्यों के समाज की स्थापना करना होता है। मध्यमवर्गीय लोगों की प्रधानता से ही ऐसा सम्भव हो सकता है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

(2) अरस्तू बताता है कि धनी तथा निर्धन दोनों ही वर्गों के लोग मध्यम वर्ग पर समान रूप से विश्वास करते हैं किन्तु वे एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं।

(3) मध्यम वर्ग की प्रधानता वाला नगर सब प्रकार की दलबन्धियों से मुक्त होता है, इसलिए यह अधिक सुरक्षित होता है। साथ ही यह धनी या निर्धन वर्ग को अतिवादी होने से भी रोकता है। अरस्तू बताता है कि प्राचीन यूनान में सोलन, लाइकरगस आदि श्रेष्ठ नियम निर्माता मध्यम वर्ग में ही उत्पन्न हुए थे। यह भी मध्यम वर्ग की महत्ता का प्रमाण है।

उपरोक्त कारणों से मध्यम वर्ग की प्रधानता वाली भासन व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। मध्यम मार्ग की दृष्टि से व्यवहारिक आधार पर सर्वोत्तम भासन-व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र (Polity) है। अरस्तू बताता है कि इस मध्यम मार्गी भासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण विधि की सर्वोच्चता है।

अरस्तू ने अपने आदर्श राज्य में भासन सम्बन्धी कार्यों के लिए ही संस्थाओं का उल्लेख असेम्बली यह भासन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए थी। सभी नागरिक इसके सदस्य होते थे।

मजिस्ट्रेसी यह भासन करने वाले अधिकारियों की संस्था थी।

न्यायालय और न्यायिक अधिकारी।

(3) कानून की सर्वोच्चता – अरस्तू ने पॉलिटिक्स में जिस आदर्श राज्य का वर्णन किया है, उसकी एक प्रमुख विशेषता कानून की सर्वोच्चता है। अरस्तू कहता है कि, श्ठीक प्रकार से बनाये गये कानून ही अन्तिम प्रभु होने चाहिए। इस व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का भासन केवल उन्हीं विषयों में सर्वोच्चता होना चाहिए, जिनमें कानून ने कोई स्पष्ट घोशणा न की हो। वह तर्क देता है कि, “व्यक्ति के भासन की तुलना में विधि का भासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है।

अरस्तू बताता है कि समाज में रीति-रिवाज हमारी संचित बुद्धि है। रीति-रिवाजों का प्रादुर्भाव ही अच्छे जीवन को प्रतिष्ठित करने के लिए होता है, इसलिए वे विधि, विवेक और नैतिकता के पर्यायवाची हैं। जिस समाज में कानूनों की प्रधानता होती है वह समाज स्वयंसेवी सर्वोत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करता है कि कानून के भासन का सर्वप्रमुख गुण यह है कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है।

अरस्तू यह मानता है कि यह सम्भव है कि कानून के कठोर भासन से कुछ अन्याय हो, किन्तु यह व्यक्ति की निरंकुष व स्वच्छ इच्छा से होने वाला अन्याय से कम होगा। सेवाइन के अनुसार, अरस्तू का आदर्श सदैव ही संवैधानिक भासन रहा है। निरंकुष राज्य नहीं चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुष राज्य ही क्यों न हो। अरस्तू आरम्भ से ही इस विचार का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अन्तिम सम्प्रभु कानून ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं। उसने इस बात को मानवीय दुर्बलता के प्रति रियायत के रूप में नहीं, वरन् अच्छे भासन के अनिवार्य अंग के रूप में और इस प्रकार एक आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया है।

(4) जनसंख्या – अरस्तू के अनुसार, आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही कम । अरस्तू का मत है कि यदि राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक होगा तो राज्य में कानून व्यवस्था रखना कठिन हो जायेगा। साथ ही राज्य में सावयवी एकता स्थापित नहीं हो सकेगी जो उसको राजत्व का रूप देती है। दूसरी ओर जनसंख्या कम होने पर राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा तथा बाहरी भानुओं से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। अरस्तू ने प्लेटों की तरह कोई जनसंख्या निश्चित नहीं की है। अरस्तू का मत है कि राज्य की अधिकतम संख्या उतनीही होनी चाहिए, जितनी राज्य की आवश्यकतायें पूरी कर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त हो ।

कृक अरस्तू अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या के आकार पर ही नहीं वरन् लोगों के गुणों व चरित्र पर भी बल देता है। वह कहता है कि, राज्य की महानता का आधार उसके प्रजातंत्र की संख्या नहीं है वरन् उसका मानदण्ड उसकी क्षमता है ।३

(5) प्रदेश – अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य का प्रदेश इतना होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकतायें पूर्ण हो सकें और उस पर निवास करने वाली संयम और उदारतापूर्ण जीवन बिता सके। इस प्रकार अरस्तू का मत है कि प्रदेश न तो इतना कम हो कि लोगों की आजीविका कठिन हो जाये और न इतना अधिक होना चाहिए कि लोग विलासी जीवन व्यतीत करने लगे ।

अरस्तू का मत है कि राज्य का क्षेत्र व उसकी सीमायें ऐसी होनी चाहिए, जिसमें भानुओं का –प्रवेश करना कठिन हो तथा जिसकी रक्षा सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त, राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जहाँ जल और स्थल दोनों मार्गों से आसानी से पहुँचा जा सके। तभी राज्य का विकास एक व्यापारिक केन्द्र के रूप में सम्भव हो सकेगा।

(6) नागरिकों का चरित्र

अरस्तू का विचार है कि एक राज्य का चरित्र उसके नागरिकों के चरित्र पर निर्भर है, इसलिए वह अपने राज्य के नागरिकों के चरित्र पर बहुत बल देता है। अरस्तू का मत है कि बुद्धिमता, साहस और उत्साह के मेल से ही नागरिक अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं। वह कहता है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए, जिनमें उत्तर जातियों के उत्साह और एषियाई जातियों की बुद्धिमता का मेल है।

(7) राज्य की स्थिति – अरस्तू का मत है कि आदर्श राज्य का प्रदेश दो भागों में बँटा होना चाहिए— (1) विशेष बस्ती या नगर, (2) इसके चारों ओर का प्रदेश । आदर्श राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक सुविधा तथा सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बस्ती का स्थान निश्चित करना चाहिए। बस्ती में पूजाग्रह, पार्क, व्यायामशालाएं, बाजार बन्दरगाह और सार्वजनिक स्थान होने चाहिए।

8. राज्य में विभिन्न वर्ग – अरस्तू के विचार सुस्पष्ट, आदर्श राज्य के नागरिकों की प्रमुख आवश्यकतायें 6 हैं— भोजन, कला-कौशल, हथियार, सम्पत्ति, सार्वजनिक देव पूजा तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य में 6 वर्ग होंगे—



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

कशक, पिल्पी, योद्धा, व्यापारी, पुरोहित, तथा सार्वजनिक हित का निर्धारण अर्थात् प्रशासक

उपर्युक्त 6 वर्गों में से प्रथम दो वर्गों को अरस्तू नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता है। क्योंकि उनका जीवन सद्गुणों नहीं होता है। भोश चार वर्गों को अरस्तू राज्य का नागरिक मानता है। उसका मत है कि अन्य चार वर्गों के नागरिक युवावस्था में देश की रक्षा का कार्य करें, प्रौढ़ावस्था में राज्य के भासन सम्बन्धी विषयों का चिन्तन करें तथा वृद्धावस्था में पुरोहित का कार्य करें।

प्लेटो एक व्यक्ति एक कार्य की बात करता है तो अरस्तू एक ही व्यक्ति को उसकी अवस्था के अनुसार तीन कार्य देता है। इसे स्पष्ट करते हुए डर्निंग ने लिखा है, शनागरिकता के विभिन्न कार्यों को करते हुए नागरिक लोग उस समानता को बनाये रखेंगे जो स्वतंत्र नागरिक की विशेषता है। साथ ही मासक और शामिल दोनों रूपों में अनुभव प्राप्त करके, चे नागरिक के चरित्र का निर्माण करेंगे।

9. शिक्षा

अरस्तू अपने गुरु प्लेटों की तरह शिक्षा को राज्य का मुख्य आधार मानता है। उसका मत है कि आदर्श राज्य में नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य तथा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अरस्तू का मत है कि नागरिकों का चरित्र पूर्ण रूप से उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है।

अरस्तू ने मानवीय विकास के स्वाभाविक क्रम को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को तीन स्तरों में विभाजित किया है—

प्रथम स्तर

जन्म से 7 वर्ष की आयु तक भारी सम्बन्धी शिक्षा होनी चाहिए। यह शिक्षा घर पर ही होनी चाहिए।

द्वितीय स्तर —

7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। इस आयु में पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जायेगी।

तृतीय स्तर

14 से 21 वर्ष तक की आयु में राज्य की सेवा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय उन्हें आज्ञापालन करने और भासन करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस काल में बौद्धिक शिक्षा व व्यापार की शिक्षा भी प्रदान की जायेगी।

10. सम्पत्ति अरस्तू अपने आदर्श राज्य के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति आवश्यक मानता है। इसीलिए वह प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सम्पत्ति के साम्यवाद का विरोध करता है। वह यह मानता है कि सम्पत्ति का विशम वितरण राज्य के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता

है। इसलिए वह सम्पत्ति की विशमता को दूर करने के लिए निम्नलिखित तीन विकल्प प्रस्तुत करता है।—

- 1 सम्पत्ति वैयक्तिक हो, किन्तु इसका उपभोग सामूहिक हो ।
- 2 सम्पत्ति सामूहिक हो, किन्तु इसका उपभोग वैयक्तिक हो,
- 3 सम्पत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो ।

अरस्तू इनमें से प्रथम विकल्प को अपनाने के पक्ष में है। उसका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि पर दासों की सहायता से कृषि कार्य करेगा। चूँकि उत्पादन वैयक्तिक होना अतः सभी व्यक्ति अधिकाधिक उत्पादन का प्रयत्न करेंगे तथा उपभोग सामूहिक होने पर समाज में समानता और भाई-चारे को अपनाया जा सकेगा।

अरस्तू का आदर्श राज्य भी दोषमुक्त नहीं है। इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है—

1. अरस्तू ने अपने आदर्श राज्य में दास प्रथा को बनाये रखा है, यह अनुचित है।
2. अरस्तू समाज के भारीरक श्रम और शिल्पकार व कृषकों की उपेक्षा करता है तथा उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है। उसके ये विचार आधुनिक प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी दृष्टिकोण के विपरीत है।

अरस्तू द्वारा स्त्रियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करना, उसकी एक बहुत बड़ी

अरस्तू की यह धारणा कि यूरोप और एशिया के लोगों में भासन करने की क्षमता नहीं है, यह क्षमता केवल यूनानियों में है, गलत है तथा उसकी जातीय अहंकारिता को स्पष्ट करती है। अरस्तू का यह कहना वास्तविकता से परे हैं कि युवावस्था में सैनिक सेवा करने वाले प्रौढ़वस्था में भासक और न्यायाधीष का कार्य करेंगे !

5. उपर्युक्त आलोचनाओं से स्पष्ट है कि अरस्तू ने अपने विचारों में यथार्थवाद का तो चित्रण किया है किन्तु आदर्शवाद कहीं दिखाई नहीं देता है। सेवाइन के अनुसार, एक आदर्श राज्य की रचना करने का अरस्तू का घोषित उद्देश्य कभी पूरा नहीं हुआ और पाठक यह अनुभवकरता है कि इस कार्य में उसकी अधिक रुचि नहीं थी। उसने राज्य के आदर्शों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, एक आदर्श राज्य के ऊपर नहीं।

अरस्तू के आदर्श राज्य का महत्व

उपरोक्त आलोचनाओं से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अरस्तू का आदर्श राज्य बिल्कुल ही महत्वहीन है। अरस्तू एक यथार्थवादी विचारक है। वह प्लेटो की तरह कल्पना की उड़ान नहीं भरता है वरन् अपने समय की परिस्थितियों को देखते हुए कैसा सर्वोत्तम राज्य उपलब्ध हो सकता है, उसी का उल्लेख करता है। अरस्तू के शिक्षा सम्बन्धी विचार, नागरिकों का चरित्र, कानून की सर्वोच्चता पर बल आदि विचार महत्वपूर्ण हैं। उसके आदर्श राज्य में किसी भी रूप में नागरिकों के हितों और इच्छाओं की अवहेलना नहीं की गई है। अरस्तू के आदर्श



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

राज्य में राज्य के श्रेष्ठ जीवन तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में कोई अन्तर नहीं है और इस दृष्टि से यह नितान्त आवश्यक है।

सिनक्लेयर के अनुसार, शआदर्ष राज्य और सर्वश्रेष्ठ संविधान पर विचार करते समय अरस्तू केवल इतनी स्वतंत्रता लेता है कि वह एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की कल्पना कर सके, जो सम्भावना की सीमा से परे न हो।

अरस्तू का आदर्ष प्लेटों के विचारों से प्रभावित है। सेवाइन के भाब्दों में, शअरस्तू का राजनीतिक आदर्ष का सिद्धान्त उस भूमि के ऊपर आधारित है जो कि उसने स्पष्टतः प्लेटो के साथ अपने संसर्ग से प्राप्त की थी। यह उस प्रयास का परिणाम है जो कि उसने –स्टेट्समैन और लॉज में प्रतिपादित सिद्धान्त के मुख्य तत्वों को ऐसे परिवर्तनों के साथ जो कि उस सिद्धान्त को स्पष्ट एवं संगतिबद्ध बनाने के लिए अपेक्षित थे, ग्रहण करने की क्रिया है।

इस सम्बन्ध में बार्कर का कथन है कि, शयह एक विलक्षण और संकेतपूर्ण तथ्य हैं कि अपने सर्वोत्तम को अंकित करने में उसने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम उप-आदर्ष राज्य का अनुसरण किया है।

अभ्यास—प्रश्न

1. अरस्तू का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिये।
2. अरस्तू प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। समीक्षा कीजिए।
3. अरस्तू के दासता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिये।
4. क्रांतियों के कारणों तथा उनके प्रतिकार के उपायों के संबंध में अरस्तू की धारणाओं की विवेचना कीजिये।
5. अरस्तू के अनुसार राज्य के कार्य एवं उद्देश्य क्या हैं?
6. अरस्तू द्वारा किये गये संविधानों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिये।
7. अरस्तू के न्याय संबंधी विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 8. आदर्ष राज्य के सम्बन्ध में अरस्तू के विचारों की समीक्षा कीजिये।

माड्यूल – 2 पश्चिमी राजनीतिक विचारक

इकाई – 4 मैकियावली का जीवन परिचय

यूरोप के इतिहास में दो ऐसे आन्दोलन हुए जिनके परिणामस्वरूप मध्ययुग का पटाक्षेप हो गया है और आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इनके नाम हैं पुनर्जागरण (तमदवनेंदबम) और म सुधार आन्दोलन (तमवितउंजपवद)। मध्ययुग की संस्कृति ने उन विचारों को आत्मसात कर लिया था जो रोमन साम्राज्य व्यवस्था में निहित थे, और कई ऐसे विचारों को भी जो यूनानी दर्शन में व्यक्त हो चुके थे। मध्ययुग एक ऐसा विश्वव्यापी समाज था, जिसके ऊपर दो विभिन्न भाक्तियों का प्रभुत्व था, एक पोप, तथा दूसरा सम्राट मध्ययुग में यह सामान्य विश्वास था कि विश्व में मानव का स्थान निश्चित करने तथा उसके नैतिक कर्तव्यों की परिभाषा करने वाली अग्रिम तथा सर्वोच्च भाक्ति चर्च है। इसका अर्थ न केवल यह था कि आस्था तथा ईश्वर द्वारा प्रेषित ज्ञान तर्क से श्रेष्ठतर है, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि मनुष्य के सांसारिक हित आध्यात्मिक लक्ष्य के अधीन है। भौतिक भावित की आध्यात्मिक भाक्ति के प्रति यह अधीनता अर्थात् सम्राट पर धर्माधिकारी का यह प्रभुत्व मध्यकालीन सभ्यता तथा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी पुनर्जागरण प्राचीन काल के बहुदेववाद का पुनरुत्थान था। यह उस प्राचीन संस्कृति के पुनर्जन्म का द्योतक है जो मसीही धर्म के विजय के बाद लुप्त हो गयी थी। पुनर्जागरण में जो तत्व उभरकर सामने आये, उनमें प्रमुख स्थान यूनानी कला का था, यूनानी दर्शन का नहीं रोमन गणराज्यों के विचारों का था, रोमन साम्राज्य के विचारों का नहीं। यह यूरोप के लोगों में बहुदेववादी भावना पुनरुत्थान का द्योतक भी था, जो मध्ययुग की ईसाई संस्कृति के अविर्भाव से दब तो गयी थी, पर लुप्त नहीं हो पायी थी। अब लोगों के मन में प्राचीन विचारकों की प्रति एक नयी जिज्ञासा जागृत हुई क्योंकि इनमें कुछ ऐसे विचार थे जिनके प्रति वे अपनेआपको सजग अनुभव करते थे। 14वीं शताब्दी में पोपतंत्र तथा साम्राज्य के बीच चलने वाले संघर्ष में से एक नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ जो अस्तु की भावना से भरा था और जो इस बात पर जोर देता था कि राज्य एक स्वपर्याप्त संस्था है और चर्च से स्वतंत्र है। इस विचारधारा को हम मार्सिलियो ऑफ पेडुआ में चरम सीमा पर पहुंचते हुए पाते हैं। उसकी अन्तिम विजय का अर्थ था नवीन धर्म-निरपेक्ष राज्य की विजय, जिसका 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे उदय हो रहा था। यहीं से मध्ययुग का अन्त तथा आधुनिक युग का जन्म होता है जो राष्ट्रवाद की भावना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। दूसरी ओर, धर्म सुधार का आन्दोलन ऐसा था जो स्वयं मसीही धर्म के भीतर आया था। यह मसीही धर्म विरोधी नहीं था। इसका ध्येय यह बताया जाता था कि मसीही धर्म में जिन बाहरी तत्वों का घालमेल हो गया है, उन्हें निकाल कर इसे भाद्व कर लिया जाये। अतः पुनर्जागरण और धर्म सुधार उन प्रमुख दो भाक्तियों के द्योतक हैं जिन्होंने मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक यूरोप में परिवर्तित कर दिया। मैकियावली इन्हीं में से एक भाक्ति का प्रतिनिधि है। राजनीतिक सिद्धान्त के क्षेत्र में वह पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है।

जीवन परिचय

मैकियावली का जन्म पुनर्जागरण के जन्मभूमि इटली में पुनर्जागरण आन्दोलन में अग्रणी रहे फ्लोरेन्स नगर के एक सम्पन्न परिवार में सन् 1469 में हुआ। उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण 25 वर्ष की अवस्था में अपने गणराज्य के एक छोटे से पद पर आसीन होकर उसने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ किया। अपनी सूझबूझ और भासन संचालन की



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

बारीकियों को समझने की अद्भुत क्षमता के कारण थोड़े से समय में ही उच्च राजनीतिक पद प्राप्त करने में सफल हो गया।

शासकीय पद युद्ध तथा आन्तरिक मामलों से सम्बन्धित था। 1512 तक मैकियावली इसी पद पर बना रहा। इसी बीच उसे फ्लोरेन्स का दूत बनकर इटली एवं अन्य यूरोपीय देशों में भ्रमण का अवसर भी हुआ, जिससे उसको सक्रिय राजनीति का व्यापक एवं व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। 1509 के बाद जब रेवेन्ना में स्पेन के हाथों फ्रांस पराजित हो चुका था इटली में दीची का दल सत्तारुढ़ हुआ। कुछ वर्ष बाद 1512 में फ्लोरेन्स ने भी तत्कालीन सरकार से पदच्युत करके सत्ता विजयी दल को सौंप दी, हालांकि इस देश ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। मैकियावली की नौकरी छूट गयी और उसे फ्लोरेन्स से निष्कासित कर दिया गया। अगले वर्ष पाया गया कि एक शड़यंत्र में उसका हाथ रहा था जो असफल हो चुका था। उसे बंदी बना लिया गया, यातनाएँ दी गयीं, पर अन्त में उसे रिहा कर दिया गया। वह गाँव चला गया जहाँ वह अपना समय खेती-बाड़ी और साहित्य के अध्ययन में बिताने लगा। अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ उसने इसी दौर में प्रस्तुत की।

राजनीतिक सिद्धान्त की दृष्टि से मैकियावली की दो कृतियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं *रूडिसकोर्सेज आन द फर्स्ट टेन बुक ऑफ टीटस लिवियस* और *द प्रिंस*। *रूडिसकोर्सेज* के अन्तर्गत रोमन गणराज्य के इतिहास की स्वतंत्र काव्य प्रस्तुत की गयी। मैकियावली ने उससे कुछ शिक्षाएँ ग्रहण की हैं और अपने युग के मार्गदर्शन के लिए सूत्र निर्दिष्ट किये हैं। *द प्रिंस* ऊर्बिनो के ड्यूक लोरेन्जो को लक्ष्य करके लिखी गयी है। *द प्रिंस* की रचना 1513 के अंत में सम्पन्न हुई। *रूडिसकोर्सेज* की रचना पहले प्रारम्भ की गयी थी, परन्तु वह बाद में पूरी हुई। मैकियावली की पुस्तकें एक ही विषय के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं। मैकियावली का प्रतिपाद विषय है कि राज्यों का उत्थान एवं पतन कैसे होता है तथा राजनेता उन्हें किन साधनों के द्वारा स्थायी बना सकता है। प्रिंस में राजतंत्रों अथवा निरंकुष भासन प्रणालियों पर विचार किया गया है। मैकियावली के भोश जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं है। लोरेन्जो ने उसकी आषाओं पर पानी फेर दिया, न उसका कुछ बना न इटली का। मैकियावली ने जो अन्य ग्रंथ लिखे उनमें *पार्ट ऑफ वार* और *पेस्ट्री ऑफ फ्लोरेन्स* प्रमुख हैं। 1521 से उसे मेदीची ने छोटी-मोटी राजनैतिक नौकरी पर रखा। उसकी मृत्यु 1527 में हुई।

मैकियावली के चिन्तन पर उसके समय की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे तो प्रत्येक विचारक के विचार अपने देश और काल के रंग में रंगे होते हैं किन्तु यह रंग मैकियावली पर सबसे गहरा चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। यह कहा जाता है कि इटली की दशा के बारे में इतना अधि एक किसी अन्य व्यक्ति को मालूम नहीं था, जितना कि मैकियावली को था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार एवं कृतियाँ भिन्न होती। मैकियावली पर अपने युग की परिस्थितियों के गहरे प्रभाव को देखकर ही डर्निंग ने उसके सम्बन्ध में कहा कि, 'यह प्रतिभा सम्पन्न फ्लोरेन्स निवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का षिषु था। अतः मैकियावली के चिन्तन को समझने के लिए उसके युग के उन पोशक तत्वों और उपलब्ध परिस्थितियों का अध् ययन आवश्यक है, जिन्होंने उसके चिन्तन को प्रभावित किया। जिन बातों ने मैकियावली के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डाला और उसके दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की, उन्हें हम निम्नलिखित भीर्शकों के अन्तर्गत रख सकते हैं—

(1) पुनर्जागरण आन्दोलन

(2) निरंकुष राजतंत्रों का उदय

(3) इटली का राजनैतिक विभाजन और दुर्दशा

पुनर्जागरण आन्दोलन ने ईश्वर की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाया और मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध, आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक रुचि के केन्द्र बन गये। मध्यकाल की पारलौकिकता के स्थान पर अब मानव समस्याओं का अध्ययन तथा उनका हल निकालने का प्रयत्न होने लगा। प्राचीन अति-प्राकृतिक (Supra & Nature) विचार का स्थान एक मानवीय तथा प्राकृतिक विचार ने ले लिया। जीवन में *v Kuhl u* (Struggle) पर अधिक जोर दिया जाने लगा। इसी लोक में सफलता प्राप्त करना मोक्ष प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। पुनर्जागरण ने इहलोक को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया और यूनानी सोफिस्टों की इस युक्ति को अपनाया कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है। कुल मिलाकर पुनर्जागरण का अर्थ था चर्च के नियंत्रण के विरुद्ध धर्म निरपेक्ष बुद्धि का विद्रोह। मैकियावली की कृतियों में पुनर्जागरण युद्ध की वास्तविक स्थिति के दर्शन होते हैं। व्यक्ति का महत्व और उसका सौन्दर्य व्यक्तित्व का असीमित विकास और उसका पूर्वजन्म के आधार पर व्यक्ति को उच्च मानने की प्रवृत्ति का तिरस्कार, बौद्धिक तर्कवाद और सांसारिक मर्यादा का निरूपण, उदगमनात्मक, पद्धति का अनुसरण, राष्ट्रीयता की भावना का नेतृत्व तथा पारलौकिक के स्थान पर लौकिक उद्देश्यों की उपलब्धि का औचित्य आदि इतने सारे तथ्य हैं जिनका समर्थन मैकियावली ने अपने विचारों और कृतियों में किया है। ये सारे सिद्धान्त पुनर्जागरण की देन हैं।

पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। भासना एवं भासना सम्बन्ध विचारों में विपुल परिवर्तन हुए। मध्ययुगीन सामन्तवादी व्यवस्था अपनी उपयोगिता खोती जा रही थी। नये उभरते हुए राजवंशों की भाक्ति में अतुलनीय वृद्धि हुई। सभी राज्यों में राजा ने सामन्तों का दमन करके भाक्तिषाली एवं निरंकुष राजतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित की। पश्चिमी यूरोप के प्रत्येक भाग में राजा की भाक्ति में अतुलनीय वृद्धि हुई। सभी राज्यों में राजा की भाक्ति अन्य प्रतियोगी संस्थाओं के मूल्य पर बढ़ी। ये प्रतियोगी संस्थाएं कुलीन वर्ग, संसदे, स्वतंत्र नगर अथवा धर्माचार्य आदि थे। राजनैतिक भाक्ति जो मुख्य रूप से सामन्तों एवं निगमों में विभक्त थी, भीघ ही राजा के हाथों में केन्द्रित हो गयी। सोलहवीं भाताब्दी में एक ऐसे प्रभु का सिद्धान्त जो समस्त राजनैतिक भाक्ति का स्रोत है, राजनीतिक दर्शन का सामान्य रूप बन गया। निरंकुष राजतंत्रों की स्थापना नये आर्थिक परिवर्तनों की भी मांग थी।

यूरोपीय समाज में अनेक वर्षों से होते आ रहे आर्थिक परिवर्तनों ने एकदम से सामूहिक परिणय उपस्थित किया। इनके कारण मध्ययुग की संस्थाओं में आमूल परिवर्तन हुआ।

सार्वभौम चर्च एवं सार्वभौम साम्राज्य के सिद्धान्तों के बावजूद ये संस्थाएं इस तथ्य पर आधारित थी कि मध्ययुगीन समाज का आर्थिक ढांचा और राजनैतिक संगठन पूरी तरह स्थानीय था।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

यह परिवहन के साधनों की सीमाओं का अनिवार्य परिणाम था। कोई विषाल स्वतंत्रता देता हो। वाणिज्य भी मुख्य रूप से स्थानीय ही था। मध्ययुग में वाणिज्य संगठन की इकाई नगर था। 14वीं भाताब्दी में धन का प्रयोग या संचरण बहुत अधिक नहीं था। संचार साधनों के विकास के साथ-साथ वाणिज्य में हुए परिवर्तनों एवं व्यापार वृद्धि ने पुरानी व्यापारिक श्रेणियों की उपयोगिता को नष्ट कर दिया क्योंकि वे निरन्तर बढ़ते व्यापार का सफल संचालन करने में असमर्थ थी। सोहलवी भाताब्दी तक सम्पूर्ण राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग करने, राज्य के भीतर में और बाहर वाणिज्य को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय भाक्ति के विकास की एक जानी-बूझी नीति अपना ली थी। रोम के साम्राज्य के बाद यह पहला अवसर था जबकि यूरोपीय समाज में धनी और उद्यमी दोनों प्रकार के व्यक्ति काफी अधिक संख्या में थे। यह वर्ग कुलीनों का और उनके द्वारा प्रस्तुत विभाजनों एवं अव्यवस्थाओं का घोर विरोधी था। उनके हित राज्य के भीतर एवं बाहर दोनों स्थानों पर सशक्त सरकार के साथ थे। इसीलिए इनकी राजनैतिक संधि सवभावतः राजा के साथ थी। नया उभरता हुआ व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए भाक्तिषाली राजतंत्रों की स्थापना में सहायता देने लगा। यह फलस्वरूप कुलीन वर्ग का समाज में महत्व घटने लगा और व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने लगा। राजा भी देश की समृद्धि में वृद्धि के लिए व्यापारियों को सहायता एवं संरक्षण देने के पक्ष में थे। कुल मिलाकर हवा भाक्तिषाली राजतंत्रों की स्थापना के पक्ष में बहने लगी। मैकियावली इसे बहुत प्रभावित था। पेरिस में उसने जिस भासक की कल्पना की है वह और कोई नहीं, निरंकुष भाक्तिषाली राजा ही है, जिसके लिए धर्म, नैतिकता और राजनीति सभी का महत्व केवल राज्य के गौरव और भाक्ति बढ़ाने के साधन के रूप में है। राज्य का हित उसके लिए सर्वोपरि हित है तथा राज्य की सुरक्षा और विस्तार उसके लिए बड़े महत्व की वस्तुएँ। वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नैतिक-अनैतिक, धर्म-अधर्म आदि किसी भी साधन को प्रयोग में लाने के लिए स्वतंत्र है।

मैकियावली के समय इटली पांच राज्यों—

1— नेपल्स का राज्य, 2— रोमन कैथोलिक चर्च का क्षेत्र, 3— उची ऑफ मिलान, 4— वेनिस गणराज्य तथा 5 फ्लोरेन्स गणराज्य में बंटा था जबकि इंग्लैण्ड, फ्रांस और स्पेन राष्ट्रीय राज्यों के रूप में स्थापित हो चुके थे। इटली के पांचों राज्य आन्तरिक रूप से राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं तथा व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं के गढ़ थे और बाहरी रूप से ये निरन्तर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। इटली का तात्कालिक समाज अस्तु के इस कथन को कि श्विधि और न्याय से पथक मनुष्य समस्त प्रजातियों से निकटतम होता है सार्थक सिद्ध कर रहा था। मैकियावली को इटली के इस कलहपूर्ण विभाजन से इस बात की आकांक्षा थी कि इसका लाभ उठाते हुए इटली के पड़ोसी राज्य उसको कभी भी हड़प सकते हैं और उसके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं। वह चाहता था कि राष्ट्रीय राज्यों की तरह इटली का भी राष्ट्रीय आधार पर एकीकरण हो और वह भी किसी भाक्तिषाली भासक के अधीन अपना स्वतंत्र विकास करने में सफल हो सके। इटली की इस राष्ट्रीय आवश्यकता को सर्वप्रथम मैकियावली ने ही महसूस किया और उसके लिए इटली के भासकों का आह्वान किया कि वे मिलकर एक भाक्तिषाली तथा सुदृढ़ इटैलियन राष्ट्र का निर्माण करें और इटली को उसकी वर्तमान दुर्दशा से मुक्ति दिलायें। मैकियावली ने अपनी अन्तर्दृष्टि से राष्ट्रवाद के भावी विकास और महत्व को पहचाना और इटली के राष्ट्रवाद के अग्रदूत होने का श्रेय प्राप्त किया। इस ओर संकेत करते हुए सेबाइन का कथन है कि मैकियावली के

अतिरिक्त और कोई व्यक्ति इटली को नहीं पहचान सका । उसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण यूरोप में चलने वाले इस विकास क्रम का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया । अतः इटली के राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने भी मैकियावली को प्रेरित किया कि इस लक्ष्य को सामने रखकर अपनी रचनाओं का स जन करे और ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके । उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि मैकियावली का चिंतन उसके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था और इसलिए डर्निंग द्वारा जो उसे प्लुग का पिपु की संज्ञा दी गयी है वह काफी – हद तक उचित और उपयुक्त है ।

मैकियावली के चिंतन की प्रमुख विशेषताएँ—

अध्ययन पद्धति

अपने युग की समस्याओं पर विचार करने के लिए मैकियावली ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया । उसका मानना था कि जिसको यह ज्ञात करना है कि भविष्य में क्या होगा, उसे पहले से ज्ञात होना चाहिए कि अतीत में क्या हो चुका है । मैकियावली ने पूर्व वैज्ञानिक तटस्थता की नीति अपनाते हुए अपनी समकालीन परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और उसके आधार पर अपने निश्कर्शों का प्रतिपादन किया । उसकी अध्ययन पद्धति में अनुभववाद एवं इतिहासवाद का सुन्दर समन्वय है । अरस्तु के बाद इस पद्धति को अपनाने वाला मैकियावली पहला व्यक्ति था । इस पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने तत्कालीन धर्म भाक्ति को एक गम्भीर चुनौती दी और मानव व्यवहार के पथ प्रदर्शन के रूप में ईश्वरीय नियमों का बहिष्कार करते हुए राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित कर दिया ।

षप्रिसं मैकियावली की पहली महान रचना है जिसमें देवीय और मानीवय तत्वों में स्पष्ट संघर्ष दिखलाई देता है और जिसमें पूर्ववर्तियों द्वारा अपनायी गयी प्राचीन सूक्तियों को यह समझकर छोड़ दिया गया कि वे सैद्धान्तिक रूप से बुद्धिहीन और व्यवहारिक रूप से भ्रष्ट करने वाली थी । डर्निंग एवं सेबाईन उसकी पद्धति को विषुद्ध रूप से वैज्ञानिक कम और पर्यवेक्षात्मक अधिक मानते हैं क्योंकि उसने अपनी समकालीन परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार कुछ सिद्धान्त पहले से ही निष्चित कर लिए और फिर उनको पुष्ट करने के लिए इतिहास से खोज-खोज कर उदाहरण दिये । उसने एतिहासिक उदाहरणों का प्रयोग अपने स्वतंत्र निश्कर्शों की पुष्टि के लिए किया । एक दृष्टि से यह बड़ा अनैतिहासिक था । उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव प्रकृति सदैव ही और सर्वत्र ही एक सी है । अपने इस दृष्टिकोण के कारण उसे जहां से उदाहरण प्राप्त हुए, उन्हें वहीं से ले लिया । उसकी पद्धति निरीक्षणात्मक थी, लेकिन उसका निरीक्षण व्यवहारिक बुद्धि द्वारा निर्दिष्ट होता था । नैतिकता के प्रति मैकियावली की उदासनीता को वैज्ञानिक तटस्थता कहना भी एक दुरुह कल्पना है मैकियावली तटस्थ नहीं था । उसकी दिलचस्पी केवल एक ही साध्य राजनीतिक भाक्ति में थी । अन्य सारी बातों के प्रति यह उदासीन था । मैकियावली के राजनीतिक सिद्धान्तों का किसी व्यवस्थित पद्धति से विकास नहीं हुआ । वे विषिष्ट परिस्थितियों के सम्बन्ध में उसके विचारों के आधार पर विकसित हुए । मैकियावली की न तो दर्शन में दिलचस्पी थी और न ही राजनीति के उपयोग से घरे कुछ सामान्य सिद्धान्तों के निरूपण में । कभी-कभी वह अपने सिद्धान्तों का वर्जन मान देता है अथवा वह उन्हें स्वतः सिद्ध मान लेता है । फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि मैकियावली ने अपने अध्ययन को धार्मिकता,



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

परम्परावादिता, रूढ़िवादिता और कोरे पांडित्य प्रदर्शन से मुक्त करके उसे ऐतिहासिक यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार पर किया ।

मैकियावली का चिन्तन राज्य का सिद्धान्त नहीं वरन राज्य की सुरक्षा का सिद्धान्त है

मैकियावली का सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन राज्य की सुरक्षा एवं राज्य संचालन की कला से सम्बन्धित है। यद्यपि मैकियावली ने अरस्तु अध्ययन की पद्धति का अनुसरण किया फिर भी उनके

चिंतन में मौलिक अन्तर है। अरस्तु का उद्देश्य जहाँ पर बुद्ध राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन और विवेचन राज्य है वहीं मैकियावली का उद्देश्य व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना है जिन्हें व्यवहार में लाकर एक भासक अपने राज्य की सुरक्षा और भासन का सुल संचालन कर सकता है। अरस्तु की तुलना में राज्य के प्रति मैकियावली का दृष्टिकोण बड़ा संकीर्ण है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल भासन कला का प्रतिपादन करना है अरस्तु की तरह राज्य का सांगोपांग सैद्धान्तिक विवेचन करना नहीं है। अरस्तु के विपरीत उसके चिंतन में हमें क्रमबद्धता का अभाव भी दृष्टिगोचर होता है !

राजनीति से धर्म और नैतिकता का सम्बन्ध विच्छेद

मैकियावली के चिन्तन में हमारा ध्यान सबसे पहले उसके निशेधात्मक सिद्धान्तों की ओर जाता है। उसके लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के पार्थक्य पर प्रहार किया और प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया। मध्ययुगीन मान्यताओं के विरुद्ध राजनीति को धर्म एवं नैतिकता के बन्धनों से पूर्णतः मुक्त कर दिया। मैकियावली इस मूल धार्मिक मान्यता में विश्वास नहीं करता कि मनुष्य की नियति एक पारलौकिक साध्य की सिद्धि नहीं करना है। उसके अनुसार मनुष्य के सभी साध्य पार्थिव हैं, दिव्य नहीं। भौतिक समृद्धि के अलावा वह जिन मूल्यों को स्वीकार करता है वे सब पार्थिव हैं। ये मूल्य हैं— महानता, भाक्ति और यश मैकियावली राज्य को साध्य मानता है और धर्म को इस साध्य के साधन की पदवी देता है। मैकियावली का सिद्धान्त धर्म के विरुद्ध नहीं है। उसके विचार से धर्म राज्य की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक है। धर्म को महत्वपूर्ण स्थान राज्य के भीतर ही दिया जाएगा उससे बाहर या ऊपर नहीं। राज्य के सम्बन्ध में मैकियावली धर्म, नैतिकता और सामाजिक सदाचार के नियमों को उसी सीमा तक उपयोगी मानता है जिस सीमा तक के राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि में सहायक होते हैं। इस दृष्टि से मैकियावली इन सिद्धान्तों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता कि पसाध्य ही साधनों के औचित्य की कसौटी है या शक्ति ही सबकुछ है या आवश्यकता कानून को नहीं देखता ।

मैकियावली के चिन्तन की उपर्युक्त विशेषता को देखते हुए स्पष्ट है कि उसे किसी विचारह द्वारा विभेद में विश्वास रखने वालों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसकी अपनी एक अलग विचारह रा है। राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत इसे मैकियावलीवाद के नाम से जाना जाता है। राजनीति में जब इस भाव का प्रयोग किया जाता है तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। जिसे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। नाम से ही उसका अर्थ आप समझ में आ जाता है। मैकियावली के राजनीतिक विचार मैकियावली क्लासिक राजनीतिक

सिद्धान्तवादी नहीं है फिर भी व्यवहारिक राजनीति की पुष्टि करने के लिए उसने कुछ सिद्धान्तों का सहारा लिया, जिनके माध्यम से हम उसके राजनीतिक विचारों का परिचय पाते हैं ।

इकाई – 5 मैकियावली के चिंतन के प्रमुख विशेषताएँ

मानव स्वभाव रू सार्वभौतिक अहंवाद

मैकियावली ने राजनीति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसके मूल में एक विषिष्ट धारणा कार्य कर रही है। वह धारणा यह है कि मानव प्रकृति मूलतः स्वार्थी है। राजनेता के प्रेरक उद्देश्य सदैव अहंवादी होने चाहिए। जन साधारण सदैव सुरक्षा चाहता है और भासक भाक्ति। भासन की स्थापना का उद्देश्य ही यह है कि व्यक्ति कमजोर होता है। मनुष्य की प्रकृति बहुत अधिक आक्रमणशील और अर्जनशील है। मनुष्य की इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन पर एक मात्र नियंत्रण प्राकृतिक दुर्बलता का है। प्रिंस के सत्रहवें अध्याय में मनुष्य स्वभाव का चित्रण करते हुए—मैकियावली ने लिखा है, शसामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे क तघ्न, दुल— मुल, झूटे, कायर, लोभी होते हैं। जब तक आपको सफलता मिलती है, वे पूर्ण रूप से आपके बने रहेंगे। वे आपके लिए उस समय तक अपना रक्त, सम्पत्ति, जीवन और बच्चों का बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे जब तक इनकी आवश्यकता दूर रहती है, क्योंकि आवश्यकता शनिकंट आती है तो वे आपके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वे विद्रोह कर देते हैं। श्मनुष्य स्वभाव में सम्पत्ति के प्रति सम्भव की सघनता की ओर संकेत करते हुए वह कहता है कि श्वह अपने पिता की मृत्यु को तो भीघ्र भूल जाता है किन्तु पितृधन की हानि को नहीं भूलता। श्फलतः मनुष्य सदैव ही संघर्ष एवं प्रतियोगिता की स्थिति में रहते हैं। यदि इस संघर्ष एवं प्रतियोगिता पर विधि पर अंकुषल न हो तो समाज में अराजकता फैल सकती है। भांसक की भाक्ति अराजकता की सम्भावना पर और इस धारणा पर कि भाक्तिषाली भासन होने पर ही सुरक्षा कायम रह सकती है। आधारित है। मै कियावली ने भासन के सम्बन्ध में इस धारणा को स्वतः सिद्धतन किया है।

मैकियावली ने इस बात पर विषेश जोर दिया है कि सफल भासक को सम्पत्ति और जीवन की सुरक्षा की ओर विषेश ध्यान देना चाहिए क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में यही सबसे सार्वभौम इच्छाएं हैं। अत्याचारी भासक मार सकता है, लूटपाट नहीं कर सकता। मैकियावली की विचारधारा के इस पहलू को जब हम व्यवस्थित मनोविज्ञान के द्वारा पूर्ण करते हैं तो वह हान्स का राजनैतिक दर्शन बन जाता है। मैकियावली की मानव प्रकृति की निकृष्टता अथवा अहम मान्यता में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी इस बात में कि इन बुराईयों के कारण इटली के समाज की बहुत अधिक अधोगति हो गयी थी। उसके विचार में इटली भ्रष्ट समाज का सजीव उदाहरण था। भ्रष्टाचार से मैकियावली का अभिप्राय लोगों में व्यक्तित्व, ईमानदारी और निश्ठा के अभाव से है। इन त्रुटियों के कारण लोकषासन असम्भव हो जाता है। भ्रष्टाचार में सब तरह की उच्छृंखलता और हिंसा, धन और सम्पत्ति की विशमताएँ, भााति और न्याय का नाष, अव्यवस्थित महत्वकांक्षा, फूट, अराजकता, बेईमानी और धर्म के प्रति घण्णा भामिल है। जब आवश्यक गुणों का पतन हो जाता है तो केवल निरंकुष भाकित ही उनकी प्रतिष्ठा कर सकती है। नैतिक भ्रष्टाचार के अतिरिक्त मानव प्रकृति की स्वाभाविक आक्रमणशीलता संघर्ष और प्रतियोगिता को प्रत्येक समाज का सामान्य लक्षण बना देती है। प्रत्येक भासन को पंग—पग पर जिस असफलता का सामना करना



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

पड़ता है, उसका यही कारण है मनुष्य सदैव यह भक्ति करते हैं कि वे यह नहीं जानते कि अपनी आशाओं को कब सीमित किया जाए। इसी कारण मैकियावली ने मिश्रित अथवा संतुलित संविधान के प्राचीन सिद्धान्त को फिर से प्रतिष्ठित किया। उसने प्लेटो के आरम्भ में पोलिविलियम की हिस्ट्रीज पुस्तक के छठे अध्याय में वर्णित संविधान चक्र के सिद्धान्त को भावपूर्ण स्वीकार किया है। मैकियावली भासक के द्वारा नियंत्रण में रहता था। इस दिशा में मैकियावली के दर्शन के व्यवस्थित आख्यान के लिए सम्प्रभुता सम्बन्धी उस संकल्पना की आवश्यकता थी जिसका विकास आगे चलकर बोंदा और हाब्स ने किया। मनुष्य चरित्र में व्याप्त कृप्रवर्षितियों के दमन के लिए मैकियावली भासक को सख्ती का प्रयोग करने का परामर्श देता है। मैकियावली भय बिन होय न प्रीति के सिद्धान्त में विश्वास करता है, जो भासक के भाक्तिपाली होने पर ही सम्भव हो सकता है। इसलिए भासक को निरन्तर अपनी भाक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। इसी में उसकी सफलता एवं सुदृढ़ता का रहस्य निहित है।

धर्म एवं नैतिकता का नैतिक उदासीनता

राजनीति विज्ञान में सबसे पहले और स्पष्ट रूप से राजनीति से धर्म एवं नैतिकता को पृथक् करने का श्रेय मैकियावली को प्राप्त है। प्लेटो राजनीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र का ही एक अंग मानता था और अरस्तु राज्य को नीतिशास्त्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन। राजनीति के क्षेत्र में सर्वप्रथम मार्सिलियों ने धर्म निरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादन किया था, किन्तु वह धर्म को राज्य से अलग नहीं करता। सेबाइन ने इस ओर संकेत करते हुए कहा कि मार्सिलियो ने इसाई नैतिकता, को पारलौकिक कहते हुए विवेक की स्वायत्तता का प्रतिरक्षण किया, मैकियावली की दृष्टि में क्योंकि वह पारलौकिक थी, अतः उसने उसे पूर्णतया तिरस्कृत किया। इस मैकियावली धार्मिक पचड़ो से बिल्कुल मुक्त है। मैकियावली के चिंतन का मुख्य लक्ष्य राज्य का संरक्षण और उसका विस्तार करना है, जबकि नैतिकता का उद्देश्य मनुष्य के नैतिक विकास से है। उद्देश्य की भिन्नता के कारण राज्य एवं व्यक्ति को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। मैकियावली ने दो प्रकार के नैतिकता का विधान किया है। भासक के लिए एक प्रकार की नैतिकता और व्यक्तिगत नागरिक के लिए दूसरे प्रकार की। पहले की कसौटी यह है कि वह राज्य की भाक्ति की रक्षा और वृद्धि में कहाँ तक सहायक हैं। दूसरे की कसौटी यह है कि वह सामाजिक वर्ग को कहाँ तक भक्ति प्रदान कर पाता है। चूँकि भासक इस वर्ग से बाहर है अथवा उसका इस वर्ग विशेष से सम्बन्ध है, इसलिए वह इस वर्ग में आरोपित की जाने वाली नैतिकता से भी ऊपर है। व्यक्ति एवं राज्य के उद्देश्यों की भिन्नता के कारण व्यक्तिगत नैतिकता का अनुसरण करना राज्य के लिए हितकर नहीं है। अतः राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए भासक उन साधनों का प्रयोग करने के लिए भी स्वतंत्र है, जो व्यक्तिगत नैतिकता की दृष्टि से औचित्यपूर्ण न हो

राज्य की आवश्यकतानुसार धर्म विरुद्ध कार्यों का प्रबल समर्थक होते हुए भी मैकियावली धर्म एवं नैतिकता का राजनीति पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का बड़ा हिमायती रहा है। भासक साध्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जनता का नैतिक भ्रष्टाचार श्रेष्ठ भासन का निर्माण असम्भव कर देता है। उसका कथन है कि श्धार्मिक नियमों का पालन गणराज्यों की महानता का कारण होता है। इसकी उपेक्षा राज्यों के विनाश को उत्पन्न करती है। जहाँ ईश्वर का भय

नहीं होता, वहाँ यदि राजा का भी भय हो तो राज्य जल्दी नष्ट हो जाएगा। राज्य का भय कुछ समय के लिए धर्म के अभाव की पूर्ति कर सकता है। किन्तु राजाओं का जीवन क्षण भंगुर होता है। जो राजा एवं गणराज्य अपने को बनाये रखना चाहते हैं उन्हें धार्मिक विधियों की पवित्रता को सुरक्षित रखना चाहिए, इनके प्रति उचित श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। सब मनुष्यों में सबसे अधिक प्रशंसा के योग्य वे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की है। इसके बाद गणराज्यों और राज्यों के संस्थापकों की स्तुति की जाती है। श्वासक के दण्ड के भय के आलावा राज्य सेवा के लिए कुछ और प्रेरणा होनी चाहिए ताकि आज्ञापालन करते समय नागरिक उत्साह अनुभव करे और ऐसी परिस्थितियों में भी उसकी निश्ठा पर कोई आँच न आये जब वे आँख बचाकर अवज्ञा कर सकते हों और उनकी चोरी पकड़े जाने का अंदेश न हो। यह प्रेरणा धर्म प्रदान करता है। मैकियावली इसाई धर्म के साथ-साथ पोप को इटली के एकता में सबसे बड़ा बाधक मानता था। उसने लिखा कि शहम इटालियन रोम के चर्च और पुरोहित के कारण अधार्मिक ही नहीं हुए अपितु वह हमारे विनाश का कारण भी है। उसने हमारे देश को विभक्त कर रखा है। श्चर्च एवं धर्म के सम्बन्ध में उसकी मान्यता थी कि वे राज्य से स्वतंत्र एवं उच्च नहीं होने चाहिए वरन् राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के साधनों के रूप में उन्हें राज्य के अधीन होने चाहिए।

राज्य एवं भासन सम्बन्धी विचार

मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य के स्वार्थ को बताया है। अस्तु के विपरीत राज्य प्राकृतिक संस्था न होकर मानवीक त और क त्रिम संस्था हैं। वह कहता है श्मनुष्य का स्वार्थ और भाक्ति की आकांक्षा राज्य को जन्म देती है और इसलिए राज्य को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए मनुष्य की इन आकांक्षाओं की निरन्तर पूर्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी मान्यता है कि अगर उसका विस्तार रुक गया तो उसका विनाश हो जायेगा। जब सभी मानवीय व्यवहार गतिशील हैं तो राज्य के लिए निष्फल पड़ा रहना सम्भव नहीं है। या तो वह अपने आप का विस्तार करे नहीं तो उसका विनाश अनिवार्य है। श्च राज्य के सम्बन्ध में मैकियावली की संकल्पना सजीव सत्ता के अनुरूप है। कोई राज्य किसी विशेष संरचना के आधार पर संगठित होकर राज्य बना है जैसा कि भारीर भी अपने अंगों के विशेष संरचना के आधार पर सावयव सत्ता का रूप ध धारण करता है। राज्य के संदर्भ में यह संरचना उन कानूनों और संस्थाओं से बनती है जिनके द्वारा लोगों पर भासन किया जाता है। स्वतंत्र एवं परतंत्र राज्य का भेद इस बात पर निर्भर है कि नागरिक इन कानूनों का पालन स्वेच्छा से करते हैं या विवष होकर। मैकियावली राज्य को परिवर्तनशील मानता है, जिसका उत्थान और पतन होता है। इस दृष्टि से वह राज्यों के दो रूप बतलाता है। (1) स्वस्थ राज्य और (2) अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य निरन्तर गतिशील एवं एकताबद्ध होता है। अस्वस्थ राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो गतिहीन होता है और उसका विकास अवरुद्ध होता है।

बहुत से प्राचीन यूनानी – रोमन विचारकों की भाँति मैकियावली भी सरकार अथवा भासन तंत्र के छः प्रकार स्वीकार करता है। उनमें से तीन सभी प्रकार से बुरे हैं और अन्य तीन अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन इन्हें बनाये रखना कठिन है, इसलिए वे भी घातक बन जाते हैं। हर श्बुराश भासन तन्त्र अपने समवर्ती अच्छे भासन तंत्र से इस बात में समान होता है कि वे सहजता से एक दूसरे में बदल जाते हैं, यथा राजतंत्र निरंकुष तंत्र में अभिजात तंत्र अल्प तंत्र में और जनतंत्र पूर्ण उच्छृंखलता, यानी भीड़तंत्र में ! उपरोक्त रूप एक निष्चित



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

क्रम में बदलते हैं। आरम्भ में यह परिवर्तन श्रृंखला इस प्रकार थी रू राजतंत्र, निरंकुष तंत्र, अभिजातंत्र, अल्पतंत्र, जनतंत्र और भीड़तंत्र। यह वह चक्र है जिसके अन्दर सभी राज्यों के भासन घूमे हैं और घूम रहे हैं किन्तु वे उस भासन तंत्र की ओर विरले ही लौटते हैं, जिससे निकले हैं, क्योंकि उनमें से विस्तार में ही इतनी भाक्ति बची रह पाती है कि नष्ट हुए बिना इस चक्र से कई बार गुजर सकें। भासन पद्धतियों के चक्रानुक्रम की यह संकल्पना स्पष्टतः प्राचीन राजनीतिक विचारकों, प्लेटो, अरस्तु, पोलिथियस से उधार ली गयी है। किन्तु नई ऐतिहासिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मैकियावली ने उसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं। मैकियावली ६ धर्मशास्त्रीय व्याख्याओं को अमान्य ठहराकर राजनीति के युद्ध आनुभाविक, लौकिक तत्वों को ढूँढने का प्रयास करते हैं। वह भासन पद्धतियों के परिवर्तन को देवी इच्छा से नहीं, अपितु किन्हीं निश्चित पद्धतियों और भाक्ति संतुलनों की नियम संगत पुनरावृत्तियों वसे सम्बद्ध मानते हैं। उनके अनुसार यह इसी का परिणाम है कि कभी राजा सत्ता में आता है, कभी अभिजात वर्ग और कभी जनता। मैकियावली राजतंत्र, अभिजात तंत्र और जनतंत्र इन तीनों को मिलाकर बनायी गयी भासन पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं क्योंकि उनमें से हर एक दूसरे पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है।

गणतंत्रवाद एवं राष्ट्रवाद

जिन्होंने केवल पद प्रिंस को पढ़ा है वे सोच सकते हैं कि मैकियावली का राजनीतिक सिद्धान्त थ्रेसीमेक्स से बहुत भिन्न नहीं है। पद प्रिंस उसकी प्रमुख कति अवष्य है, परन्तु उसका सारा चिंतन इसी में नहीं भरा है। पद प्रिंस के चैप्टर ८ और ९ में स्वयं मैकियावली ने कहा है श्मनुश्यों के ऊपर जिन भी राज्यों या सरकारों का भासन रहा है वे या तो गणतंत्र होते हैं या राजतंत्र। गणतंत्रों के बारे में यहां कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं उस पर इनकी विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ मैं केवल राजतंत्रों का विवेचन करूँगा। यहाँ मैकियावली का संकेत जिस कति की ओर है वह है शडिसकोर्सेज। इसमें लोकतंत्र एवं राजतंत्रों में वही भेद माना गया है जो स्वतंत्र एवं परतंत्र राज्यों में होता है। गणतंत्रों को अपनी मूल प्रकृति की दृष्टि से भी राजतंत्रों से श्रेष्ठ माना गया है और अनेक विषिष्ट गुणों की दृष्टि से भी। परन्तु गणतंत्र एक ऐसी भासन व्यवस्था है जिसे अपनाने की योग्यता प्रत्येक जाति में नहीं होती। इस संभालने के लिए उस जाति में सद्गुण की मात्रा अधिक होनी चाहिए। लोगों में सद्गुण का जितना अभाव होता है, उतने ही वे भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्ट लोगों पर किसी न पति या तानाशाह का भासन होना चाहिए क्योंकि वे अपने आपको अनुषासन में रखने में असमर्थ होते हैं।

मैकियावली की धारणा है कि राजा की तुना में सर्वसाधारण अधिक विवेकशील, स्थिर चित्त होते हैं और निर्णय बुद्धि अधिक उन्नत होती है। यदि हम एक ओर ऐसे राजा को देखें जिस पर कानून का अंकुष हो और दूसरी ओर ऐसी जनता को जिस पर कानून का अनुषासन हो तो हमें उस राजा की अपेक्षा ऐसी जनता में अधिक सद्गुण देखने को मिलेगा और यदि इन दोनों की तुना तब करे जब इन्हें नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए तो हम देखेंगे कि जनता उतनी ज्यादातियाँ नहीं करती जितनी की राजा करता है।

MATS Centre for Distance Education, MATS University, Jaipur

मैकियावली रोप कायराय की स्वतंत्रता एवं स्वषासन का प्रषंसक था। यद्यपि उसके निरंकुष राजतंत्र सम्बन्धी विवरण में इसकी कोई झलक नहीं मिलती। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ भासन में बहुत से लोगों का हाथ होता है, वहाँ भासन अधिक स्थिर

होता है। मैकियावली आनुवांषिक भासकों की अपेक्षा निर्वाचित भासकों को अधिक पसंद करता है। उसका विश्वास था कि लोगों को स्वतंत्र और सशक्त होना चाहिए। उन्हें युद्धवीर बनाने का एकमात्र उपाय यह है कि उन्हें विद्रोह के साधन दिये जाये। भ्रष्टाचार रहित लोगों में सद्गुण और विवेक भासक की तुलना में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपने समय के किसी अन्य विचारकों की अपेक्षा वह ज्यादा अच्छी तरह समझा था कि कुलीन वर्ग के हित राजतंत्र के भी विरुद्ध हैं और मध्यवर्ग के भी। सुव्यवस्थित भासन के लिए उनका दमन अथवा विनाश आवश्यक है। मैकियावली को जहां कुलीन वर्ग से अरुचि है, वहाँ वह भाड़े के सिपाहियों से भी घण्टा करता है। मैकियावली का नागरिक सेना में विश्वास था। इनका कारण यह था कि मैकियावली में राष्ट्रीय भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी और वह इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसने यह साफ-साफ कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने देश के प्रति है। मैकियावली का कथन है कि, शजहाँ देश की सुरक्षा खतरे में हो वहाँ न्याय अथवा अन्याय, उदारता अथवा क्रूरता, गौरव अथवा लज्जा का कोई विचार नहीं करना चाहिए। उस समय सब बातों को छोड़कर केवल एक प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिए कि देश के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कि उपाय से की जा सकती है। मैकियावली ने निरंकुष और नष्पांत भाक्ति का जो आदर्शकरण किया है उसके मूल में यही भावना निहित है। मैकियावली की विचारधारा का प्रेरक उद्देश्य इटली में भांति और एकता की स्थापना करना था। मैकियावली ने देखा था कि फ्रांस एवं स्पेन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना निरंकुष भासकों ने की है। उसका विचार था कि इटली में भी इस एकता की स्थापना कोई निरंकुष भासक ही कर सकता है।

सर्वशक्तिशाली विविधकर्ता

मैकियावली ने अपनी विचारधारा में विधि और विधि-निर्माता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इटली की विप्रेष परिस्थितियों में निरंकुष राजतंत्र का पक्ष ग्रहण करते हुए भी मैकियावली की सामान्य इच्छा एक उदारवादी और वैधानिक राज्य की स्थापना की ही थी। मैकियावली विधिकर्ता को राज्य एवं समाज में सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। आचार एवं नागरिक सद्गुण विधि पर आध पारित होते हैं। विधिकर्ता केवल राज्य का निर्माता नहीं है वह सम्पूर्ण समाज या समाज की नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं का निर्माता है। मैकियावली को विश्वास है कि एक नवीन राज्य की स्थापना में एक बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यन्त आवश्यकता होती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था द्य पतनोन्मुखी समाज का उद्धार एक बुद्धिमान विधि निर्माता द्वारा ही हो सकता है। मैकियावली के इन अतिरंजित विचारों के अनेक कारण थें। कुछ अंशों में यह विविधकर्ता उस प्राचीन कल्पना का जो मैकियावली को सिसरो और पोलिवियस जैसे लेखकों से प्राप्त हुई थी, पुनराख्यान मात्र था। कुछ अंशों में यह सोलहवीं भाताब्दी के इटली की जर्जर अवस्था से प्रभावित थी। उसके समय की परिस्थितियों ने उसे यह समझने की प्रेरणा दी कि एक निरंकुष भासक ही राष्ट्र के भाग्य का विध ता हो सकता है। उसका तर्क है कि यदि मनुष्य स्वभाव से अहंकारी है तो केवल राज्य और विधि की भाक्ति ही समाज को एकता के सूत्र में बाँधे रख सकती है और नागरिकों के नैतिक दायित्वों को कार्यान्वित कर सकती है। मैकियावली के इन सुझावों को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय दान्स को जाता है।

MATs University, Centre for Distance and Online Education, MATS University

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आचरण के उस दोहरे मानदण्ड को जिसमें राजा (राजनेता) के लिए एक प्रकार का आचरण और व्यक्तिगत नागरिक के लिए दूसरे प्रकार का आचरण



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

बतलाया गया है, आसानी से समझा जा सकता है। यह दोहरे प्रकार के आचरण का सिद्धान्त ही मैकियावलीवाद है। भासक राज्य का सृष्टा होने के कारण न केवल विधि के बाहर ही है अपितु यदि विधि आचारों का निर्माण करती है तो वह नैतिकता के बाहर भी है। भासक के कार्यों को परखने की केवल एक ही कसौटी है कि वह अपने राज्य की भाक्ति को कहाँ तक बढ़ा सकता है और उसकी कहाँ तक रक्षा कर सकता है। मैकियावली ने यह निश्कर्ष जिस निष्पक्षता के साथ स्वीकार किया है और जिस उत्साह से भासकों को सलाह दी, वहीं षप्रिंस की बदनामी का प्रधान कारण है। मैकियावली ने सर्वशक्तिमान विविधकर्ता सम्बन्धी अपनी धारणा के आधार पर भी राजनैतिक निरंकुषता के किसी सामान्य सिद्धान्त का निरूपण नहीं किया। यह कार्य बाद में हाब्स ने किया। मैकियावली के निर्णय पर दो बातों का प्रभाव पड़ा था। वह साधन सम्पन्न निरंकुष भासिक की सराहना करता था और स्वषासी जनता के प्रति भी सराहना का भाव था। ये दोनों बातें संगत नहीं थी। उसने इस दोनों को आपस में मला दिया। उसने अपनी एक धारणा के आधार पर राज्य के निर्माण का सिद्धान्त विकसित किया और दूसरी के आधार पर उसकी रक्षा का सिद्धान्त। आधुनिक भाब्दावली में कहा जा सकता है कि उसका एक सिद्धान्त क्रांति के लिए था और दूसरा भासन के लिए। इसलिए उसने निरंकुषलता की केवल दो विशेष अवस्थाओं में ही सिफारिष की है। एक तो राज्य निर्माण के लिए निरंकुषता की जरूरत पड़ती है और दूसरे भ्रष्ट राज्य में सुधार लाने के लिए। निरंकुष हिंसा एक भाक्तिषाली राजनैतिक औशधि है। वह भ्रष्ट राज्यों में और विशेष आपातकालों में समस्त राज्यों में जरूरी है। लेकिन फिर भी वह एक विश है और उसका अधिक से अधिक सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

राजा या भासक

मैकियावली भासक को कुछ सलाह एवं परामर्ष देते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में नये राज्य के निर्माण के लिए प्रयत्न कर रहा है, जबकि प्रजा श्रष्ट और हतोत्साहित है। भासक को कठोर भासन के सिद्धान्त की पालना करनी चाहिए; राज्य के सुदृढीकरण के लिए हर प्रकार के साधन को अपनाना चाहिए और आवश्यक हो तो निर्ममता भी दिखानी चाहिए। इसलिए मैकियावली के सिद्धान्त

- का एक अभिगृहीत यह भी है कि श्यदि कोई आदमी हर हालत में निर्दोश और ईमानदार बने रहने का आग्रह करता है तो भ्रष्ट बहुसंख्या के बीच में उसका देर-सवेर विनाश अनिवार्य है। मैकियावली के अनुरूप भासक का प्रयत्न होना चाहिए कि लोग उसे सद्गुणी, दयालु, ईमानदार, परहित चिंतक और उदार हृदय समझे, न कि क्रूर, कंजूस, विश्वासघाती और दुष्ट। किंतु यदि ईमानदारी एवं अन्य अच्छाइयों उसके लिए काँटा बन जाती है और देश की एकता तथा जनसाधारण की वफादारी के बने रहने में बाधक होती है, तो भासक को छल कपट और चालाकी और आत्मनियंत्रण को पूर्व प्रतीक होना चाहिए। वह गुणों एवं अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। एक प्रकार से वह सोलहवीं भाताब्दी के इटली के अत्याचारी भासक को आदर्शकृत चित्र है। वह एक ऐसे व्यक्ति का वास्तविक, हांलाकि कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण चित्र है जिसे निरंकुष भासकों के रोग ने राजनैतिक जीवन के रंगमंच पर खड़ा किया। मैकियावली साधन सम्पन्न भासक की सराहना करता था चाहे वह चालबाज क्यों न हो, वह राजनीति में दुर्बल उपायों का कायल नहीं था। उसके विचार से राजनीति में दुर्बल उपाय दुर्बलता के कारण किये जाते हैं, किसी नीतिमत्ता के कारण नहीं। देश की एकता एवं जन साधारण की वफादारियों को बनाये रखने

के लिए प्रयुक्त साधनों और तरीकों में मैकियावली सैनिक ताकत, राजनयिक चतुराई, विद्वधता और न्याय संगत कठोरता को भी मिलाते हैं। राजनीतिक आचरण के नियमों एवं तरीकों से सम्बन्धित मैकियावली के विचार अमूर्त न्याय अथवा ईसाई नैतिकता के मानदण्डों पर आधारित नहीं है। उनकी सलाहे युद्ध व्यवहारिक है और राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति को ही सर्वोपरि की विद्यमानता को उभारा और नैतिकता तथा धर्म से राजनीति के पार्थक्य की सम्भावना तथा औचित्य को प्रदर्शित किया। जैसा कि अत्रेनियों गाम्भी लिखते हैं, मैकियावली का उद्देश्य मात्र यह ठोस रूप से दिखाना है कि कारगर होने के लिए ऐतिहासिक भाक्तियों को कैसे काम करना चाहिए।

असंगतियाँ

मैकियावली को पक्का सनकी, देशभक्त, कट्टर राष्ट्रवादी, राजनैतिक जोवीट, सच्चा लोकतंत्रवादी और निरंकुष भासकों का अंध कृपाकांक्षी कहा जाता है। ये सभी विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से कोई भी एक विचार मैकियावली की या उसकी विचारधारा की पूरी तस्वीर नहीं प्रस्तुत करता। वह राजनीति, राज्यषिल्प और युद्ध कला के अतिरिक्त न तो किसी चीज के बारे में सोचता है और न किसी के बारे में लिखता है। गहरे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रश्नों के सम्बन्ध में उसे अलग से कोई रुचि नहीं है। मैकियावली इतना अधिक व्यवहारिक था कि वह दार्शनिक दृष्टि से अधिक गहरा न हो सकता। लेकिन युद्ध राजनीति में वह अपने समस्त सहसामयिकों से आगे बढ़ा हुआ था फलतः मैकियावली की विचारधारा में अनेक त्रुटियाँ और असंगतियाँ भी आ गयी।

मानव स्वभाव के सम्बन्ध में मैकियावली का दृष्टिकोण एकांकी एवं असहमतिपूर्ण है। एक ओर तो वह कहता है कि मनुष्य सदैव दुष्टता की ओर प्रवृत्त रहते हैं, दूसरी ओर वह कहता है कि राष्ट्रों के रूप में संगठित होकर मनुष्य एक ऐसे अधिकार के साथ बोल सकते हैं, जिसकी तुलना ईश्वरीय वाणी से की जा सकती है। वह राजनीति में धर्म एवं नैतिकता की घोर उपेक्षा करता है और साध्य को ही साधन की कसौटी मानता है। मूलतः यह विचारधारा गलत परिणामों को जन्म देने वाली है। नैतिकता को राजनीति का अनुगामिनी बनाना वस्तुतः राजनीति को भ्रष्ट होने का मार्ग खोल देता है। स्वाधीनता पूर्व भारत के एक प्रमुख कवि तथा दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का मानना है कि पूँजीवादी समाज के नैतिक पतन का कारण, अधार्मिकता, निरपेक्ष नैतिक मूल्यों का अभाव और राष्ट्रवाद का प्रभाव है जिसने ईसाईयत की सार्वभौमिक धार्मिक नैतिकता के स्थान पर राष्ट्रीय नैतिक पद्धतियों को प्रतिष्ठापित किया। इकबाल के अनुसार, शैतान का भेजा हुआ फ्लोरेन्स वासी इसी नये (नास्तिक) धर्म का मूर्तिमान रूप था। मैकियावली के मुँह से नये धर्म ने राज्य को एकमात्र पूजनीय वस्तु घोषित किया, झूठ को प्रतिष्ठा दिलाई और शड़यंत्रों को कला बनाया। महात्मा गाँधी ने भी अभूर्व नैतिक मान्यताओं के आधार पर मैकियावली की निरपेक्ष नैतिक मूल्यों के अभाव के लिए आलोचना की थी।

मैकियावली की राजनीतिक विचारधारा में कुछ आधारभूत त्रुटियाँ हैं। जो दर्शन राजनीति की सफलता एवं असफलता के लिए राजनेताओं की प्रतिभा अथवा मूर्खता को उत्तरदायी ठहराता हो, वह अपर्याप्त है। मैकियावली का विचार था कि राजनीतिज्ञ समाज की नैतिक, धार्मिक और आर्थिक भाक्तियों का राज्य के लाभ के लिए प्रयोग कर सकता है। यदि ये भाक्तियाँ न हों तो वह राज्य के लाभ के लिए इन्हें उत्पन्न कर सकता है। यह न



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

केवल सार्थक मूल्यों का ही बल्कि प्रत्युत कार्य कारण सम्बन्धों का भी पर्याय है। जैसा कि सेबाइन ने कहा है कि मैकियावली अपने युग के चिंतन को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता। सेबाइन का कथन है कि श्यह निश्चित है कि 10वीं भाताब्दी के आरम्भ में यूरोपीय चिंतन की जो स्थिति थी उसे मैकियावली ने बिल्कुल समग्र रूप से चित्रित किया उसकी दो पुस्तकें उस दिन से 10 वर्ष के भीतर लिखी गयी थी, जिस दिन मार्टिन लूथर ने विट्टनवर्ग चर्च के द्वार पर अपने मतव्यों को टांका था। धर्म सुधार आन्दोलन के कारण राजनीति व राजनीतिक चिंतन का धर्म के साथ और धार्मिक मतभेदों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ जितना कि मध्ययुग में और कभी नहीं रहा था। धर्म के प्रति मैकियावली की रचना के बाद की सीमित बहुत दो भाताब्दियों के बारे में उसकी बातें सच नहीं हैं। इस दृष्टि से मैकियावली का दर्शन और काल की दृष्टि से संकुचित था।

मैकियावली ने ऐतिहासिक पद्धति का गलत प्रयोग किया। उसने इतिहास के निष्पक्ष और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपने मतों और सिद्धांतों को निर्धारित नहीं किया बल्कि अपने पूर्व कल्पित निष्कर्षों की पुष्टि के लिए उसका प्रयोग किया। मैकियावली ने व्यवहारिक राजनीति को इतना अधिक महत्व दिया कि राजनीति के मौलिक प्रश्नों की उपेक्षा की गयी। मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में राजनीतिक चिंतन पर छाये धार्मिक प्रभाव ने मैकियावली के मानस में गहरी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। राजनीतिक दृष्टि से मध्ययुग को अन्धकारयुग कहा जाता है क्योंकि स समय धर्म के प्रभाव से राजनीतिक चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। राजनीतिक चिंतन की धर्मशास् और कुंठित करने वाले अस्कोलोस्टिकवाद से मुक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की दिशा में पहला कदम था और इसका सारा श्रेय मैकियावली को जाता है। मैकियावली ने राजनीतिक चिंतन को यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मध्ययुग की कल्पना प्रधान निगमनात्मक अध ययन पद्धति के स्थान पर उसने यथार्थवादी आगमनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। जैसा कि हर्नषा का कथन है कि श्मैकियावली का प्रमुख योगदान उसके द्वारा राजनीतिक चिंतन की विधि में लाया गया परिवर्तन है। धर्म के साथ-साथ मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता के बंधन से मुक्त किया। मैकियावली ने राजनीतिक एवं वैयक्तिक नैतिकता में भेद किया है उद्देश्यों की भिन्नता के कारण वैयक्तिक नैतिकता के मानदण्ड राज्य पर लागू नहीं होते। राज्य एवं नैतिकता के सम्बन्ध में मैकियावली की प्रस्थापना ने राज्य को नैतिकता निरपेक्ष और स्वतंत्र चरित्र बना दिया।

आधुनिक समय में सम्प्रभु राज्य की अवधारणा का जो विचार है उसके निर्माण में मैकियावली ने अन्य किसी राजनैतिक विचारक की अपेक्षा अधिक योगदान दिया है। प्रभुसत्ता सम्पन्न राजनैतिक समाज के रूप में आधुनिक भाशाओं में इस भाब्द के प्रचलन का श्रेय मैकियावली की रचनाओं को है। आज राज्य एक संगठित भाक्ति है। अपने राज्य क्षेत्र में वह सबसे ऊँची सत्ता है। अन्य राज्यों के प्रति उसकी नीति आक्रमणशील रहती है। मैकियावली ने इन सारी विशेषताओं का दिग्दर्शन किया था। मैकियावली की रचनाओं के फलस्वरूप ही राज्य आधुनिक समाज में सबसे भाक्तिषाली संस्था बन सका। राज्य के इस विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि मैकियावली ने अपने युग के राजनैतिक विकास की दिशा को सही समझा था। मैकियावली ने अपने चिन्तन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। वह चाहता था कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वह

भाकिषाली और विकसित राश्ट्र-राज्य का आकार ग्रहण करे। उसने इस हेतु प्रादेशिकता आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया। उसके प्रादेशिक के इस समर्थन में ही राश्ट्रीयता के आधुनिक अंकुर विद्यमान थे। इस तरह इटली के राश्ट्रीय एकीकरण का समर्थन कर उसने आधुनिक राश्ट्र राज्यों के विकास का मार्ग प्रषस्त किया। इटली के राश्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही राजतंत्र का समर्थन करने वाला मैकियावली हृदय से जनतंत्रवादी था और जनतंत्र में भी जनतंत्रात्मक भासन व्यवस्था को सबसे अच्छी भासन व्यवस्था मानता था। राजतंत्र में भी उसने राजा के निर्वाचन का सुझाव दिया। आधुनिक युग में गणतंत्रात्मक भासन व्यवस्था की लोकप्रियता मैकियावली मैकियावली के सही दृष्टिकोण का परिचायक है। उसके इन विभिन्न प्रकार के योगदानों से स्पष्ट है कि मैकियावली धर्म प्रधान मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर आधुनिक युग की उन धारणाओं को जन्म देता है जो बाद में विकसित होकर उसकी आधारभूत प्रेरणाएँ बन गयी। मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक और जोन्स ने उसे आधुनिक राजनीतिक चिन्तन का पिता सही कहा है।

सारांश

राजनीति विज्ञान में मैकियावली द्वारा प्रतिपादित अनैतिक सिद्धान्तों की कटु आलोचना होती रही है। मैकियावलीवाद राजनीतिक में धूर्तता और क्रूरता का पर्याय बन गया। जैसा कि मैकॉले ने लिखा है कि, इतिहास में मैकियावली से अधिक बदनाम कोई व्यक्ति नहीं है, उसका वर्णन भौतान के रूप में किया गया है। उसे महत्वकांक्षा, प्रतिषोध, धूर्तता, धोखाधड़ी का आविष्कारक और प्रचारक माना गया है। फलतः आधुनिक राजनीतिक में व्याप्त सम्पूर्ण विशमाओं और भ्रष्टाचारों के लिए उसे ही उत्तरदायी घोषित किया गया है। अपराध किये बिना राजनीतिक महानता की प्राप्ति मानो असम्भव है। मैकियावली को लोकतंत्र को दूषित करने वाला और राजनीतिक वातावरण को विशैला बनाने वाला बताया गया है। प्रश्न उठता है कि क्या मैकियावली इन सबके लिए उत्तरदायी है?

वास्तव में उसने अपनी रचनाओं में वे ही बातें लिखी हैं जिन्हें राजनेता अक्सर किया करते थे। लेकिन उन पर पर्दा पड़ा रहता था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तात्कालीन राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण से सूक्ष्म विप्लेशन करते हुए भासकों के उन कुकृत्यों को खोलकर रख दिया जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। उसने तो उसका सिर्फ नग्न चित्र उद्घाटित किया। उसने जिस निर्मम स्पष्टवादिता के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाये जाने वाले कपटों के दम्पपूर्ण ढोंग का पर्दाफाष किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसने ऐसा करके राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग के पाण्डित्यपूर्ण अस्पष्टवाद से बचाने में बहुत योगदान दिया और इसलिए उसे आधुनिक युग के महान चिन्तकों में सर्वश्रेष्ठ नहीं तो प्रथम यथार्थवादी चिन्तक अवश्य माना जाना चाहिए। राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावली का सबसे बड़ा योगदान यह नहीं है कि उसने राजनीतिक और राजकीय विधिक परिघटनाओं की एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ और तटस्थ प्रेक्षक के तौर पर जांच की, बल्कि यह है कि उसने राजा के जीवन का उसे प्रभावित करने वाली सभी बातों, विशेषतः विभिन्न वर्गीय भाक्तियों तथा राजनीतिक गुटों में संदर्भ में अध्ययन किया।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

1. मैकियावली का जीवन परिचय दें !
2. मैकियावली के चिंतन की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं?
3. राजनीति के संबंध में मैकियावली के विचारों को स्पष्ट करें।
4. मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में देखा जाता है। इस कथन की विवेचना करें।

माड्यूल – 3

आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक विचारक

इकाई – 6 जीन मैक्स रूसो का जीवन परिचय

(Jean Jacques Rousseau) (1712–1778)

रूसो का जीवन परिचय – रूसो का जन्म अत्यन्त ही अषान्ति के युग में हुआ था। रूसो के समय में यूरोप में प्रतिकूल विचारधाराओं का प्रभुत्व था। फ्रांस इनका केन्द्र था। कुछ विचारक ऐसे थे जो बुद्धिवाद पर बल देते थे, जबकि कुछ दैवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का सहारा लेकर निम्न वर्ग की जनता को प्रभावित करते रहते थे। चर्च के धर्माधिकारी राज्य सत्ता के चापलूस बन गये थे। ऐसे वातावरण में जीन जैक्स रूसो (श्रमद श्रंभुनमे त्वनेमन) का जन्म 1712 ई० में जेनेवा के गणतन्त्र में हुआ था। रूसो का जन्म होते ही उसकी माता का देहावसान हो गया। उसके पिता ने पड़ोसियों की मदद से उसका पालन-पोषण किया। उसका पिता एक गरीब घड़ीसाज था। उसे दस वर्ष की उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी, पर वह भी छूट गई। बार में उसे वेनिस में फ्रेंच दूतावास में नौकरी मिल गई, पर फ्रांस चला गया और सन् 1756 तक पेरिस की गलियों का आवासा रहा। उसके कई स्त्रियों से अवैध सम्बन्ध रहे, पर भादी किसी से न हो सकी। सन् 1749 में डिजॉन अकादमी द्वारा घोषित एक निबन्ध प्रतियोगिता में उसने प्रथम पुरस्कार जीता। इसके बाद से वह लेखक और दार्शनिक हो गया। उसने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का भी आगे चलकर खूब परिचय दिया। रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था। उसके प्रकाशनों से फ्रांस में बड़ी उथल-पुथल मची, जिसके कारण उसे फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। वह अपने नगर जेनेवा में जाकर रहना चाहता था, परन्तु क्रान्तिकारी विचारों के कारण उसे वहाँ भी रहने की अनुमति नहीं मिली। फलतः वह इटली और जर्मनी आदि देशों में घूमता रहा और दशक में सन् 1778 में उसकी मृत्यु हो गई।

रचनाएँ

रूसो की प्रसिद्ध रचनाएँ इस प्रकार हैं

जेम क्पेबवनतेम वी तजे दकैबपमदबम यह सन् 1749 में प्रकाशित पुस्तक है। इसमें रूसो ने यह बताया है कि विज्ञान और कला में मनुष्य की अवनति ने क्या योग दिया है ?

The Discourse on the Origin of Inequality यह पुस्तक सन् 1754 में प्रकाशित हुई। इसमें बताया है कि समाज में असमानता कैसे उत्पन्न हुई ?

(1) The Social Contract: यह ग्रन्थ सन् 1762 में प्रकाशित हुआ। इसमें राजदर्शन सम्बन्धी गम्भीर विचार हैं।

(2) The Emile— यह उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह सन् 1762 में प्रकाशित हुआ। इसमें शिक्षा सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचार हैं, जो क्रान्ति की प्रेरणा देते थे।

(3) An Introduction to Political Economy— यह पुस्तक सन् 1758 में छपी। इसमें राजनैतिक अर्थशास्त्र से सम्बन्धित विचार हैं।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

रुसों का सामाजिक समझौता सिद्धान्त

रुसो हॉब्स तथा लॉक की तरह राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादक है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

मानव-स्वभाव हॉब्स ने मानव-स्वभाव को क्रूर, हिंसक, स्वार्थी और कपटी माना है, लेकिन रुसो का विचार है कि यदि मानव ऐसा होता तो मानव जाति दो पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी। साथ ही हमें अपने प्रियजनों की मृत्यु पर भोक की अपेक्षा दर्श होना चाहिए था। लॉक ने मानव-स्वभाव को सभी सदगुणों से पूर्ण तथा नैतिक माना है। लेकिन रुसों का कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था और वे भाव प्रमुख रूप से दो थे – प्रथम, आत्म रक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और द्वितीय, दया। रुसों के अनुसार, आदिम मनुष्य निश्पाप, स्वाभाविक रूप से निर्दोश, नैतिकता के विचारों से रहित तथा सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। इस प्रकार रुसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निश्पाप, निर्दोश तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। रुसों ने उसे एक 'आदर्श बर्बर' कहा है। प्राकृतिक अवस्था रुसों के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक थी। उसके अनुसार, आदिम मनुष्य एकांगी तथा जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी आवश्यकताएँ सीमित थी। वह स्वतन्त्र, सन्तुष्ट और सुखी था। छोटे-बड़े का भेद नहीं था तथा सभी समान थे। पशुओं की भाँति उसका न तो कोई घर था और न उसे कोई चिन्ता थी। कोई कलह, द्वेष, मारपीट नहीं थी। कोई सभ्यता नहीं थी और न सभ्यता की आवश्यकता थी। मनुष्य एकान्त में सुखी तथा बेपरवाह जिन्दगी जी रहा था।

आगे चलकर जनसंख्या बढ़ने लगी। जलवायु की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन में अन्तर आने लगा। समानता नष्ट होने लगी। व्यक्ति में सम्पत्ति का भाव भी जाग गया। सम्पत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और सुखी – शान्ति समाप्त हो गई। भाक्तियान तथा दूरदर्शी लोगों ने अच्छी और अधिक भूमि ले ली। अन्य लोगों को खराब या कम भूमि मिली या किसी को मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी और निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार भुगुरु कर दिए। लूट-खसोट, चोरी, हत्या, अपराध भारू हो गये। इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिये एक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना की।

रुसों इस प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, पर वह कहता है कि ऐसी अवस्था न कभी थी, न कभी होगी। वह यह भी कहता है कि वर्तमान अवस्था को समझने के लिये प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करनी ही पड़ेगी।

सामाजिक समझौता – रुसों के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था भान्ति, सुन्दर, सुखमय और स्वतंत्र थी, परन्तु जनसंख्या वृद्धि से भाक्ति तथा प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग होने लगा और तब अपनी सुरक्षा के लिए जनता ने एक समझौता किया। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया, किन्तु यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन् मानव समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होत है और सभी व्यक्ति उस सामान्य इच्छा के अधीन कार्य करते हैं। रुसों के भावों में, श्रत्येक व्यक्ति अपने

व्यक्तित्व और अपनी भाक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हममें से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण भाक्ति को प्राप्त कर लेता है।¹⁹ डॉ. पुखराज जैन के भावों में, मनुष्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या भाक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम राज्य या राजनीतिक समाज है।

सामाजिक अनुबन्ध के कारण – इन कारणों को इस प्रकार गिनाया जा सकता है—

- (1) प्राकृतिक अवस्था एकांगी थी तथा व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाने में असमर्थ थी।
- (2) प्राकृतिक अवस्था की स्वतन्त्रता अपूर्ण थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण जन-जीवन जटिल होता जा रहा था। (4) व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा, न्याय, आदि के लिए समाज या राज्य की स्थापना जरूरी था। (5) रूसों मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकार मानता है – स्वतन्त्रता, समानता तथा प्राभत्व। इनका उपयोग प्राकृतिक अवस्था में भली-भाँति नहीं किया जा सकता। इनका अन्दर तो व्यक्ति समाज या राज्य में ही ले सकता है।

इस प्रकार सामाजिक समझौता एक आवश्यकता ही नहीं, अपितु एक विवशता बन जाता है। यह मनुष्य की इच्छा का प्रतीक नहीं। मनुष्य को तो परिस्थितिवश ऐसा करना पड़ा।

सामाजिक समझौते की विशेषताएँ – रूसों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की विशेषताएँ नीचे लिखी हैं

- (1) रूसों के समझौते में व्यक्ति के दो रूप सामने आते हैं एक व्यक्तिगत तथा दूसरा समूहगत समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकारों का समर्पण कर देता है, परन्तु अधिकांश कारणों का यह समर्पण सम्पूर्ण समाज के प्रति होता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं।

- (2) व्यक्ति को यह सन्तोश रहता है कि उसने अपने अधिकार समूह को समर्पित किये हैं और वह स्वयं उस समूह का अंग है। अतः समूह उनका प्रयोग उसी के लिये करेगा।

- (3) इस समझौते से व्यक्ति की स्वतन्त्रता कर्तव्य अनुसार, सीमित नहीं होती, वरन् वह वास्तविक स्वतन्त्रता का उपभोग करता है। रूसों के भावना का पालन और जनहित की स्वतन्त्रता है। राज्य मनुष्य की स्वतन्त्रता के लिये ही कार्य करता है।

- (4) इस समझौते के आधार पर जो सामान्य इच्छा बनती है, वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन होता है। यही सम्प्रभुता पूर्ण भाक्ति होती है। (5) समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है तथा इसका लक्ष्य जनहित होता है। सामान्य इच्छा उसका हित निर्दिष्ट करती है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के विषय में इतना नहीं समझ पाता।

- (6) इस सामाजिक समझौते से व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन होता है और उसमें एक नैतिकता तथा उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है।

- (7) रूसों केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है। राजनीतिक समझौते को नहीं। इस समझौते से किसी राज्य की नहीं, अपितु समाज की स्थापना होती है, जो अपनी व्यवस्था के लिए पथक् सरकार या भासनतन्त्र स्थापित कर सकता है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

इस प्रकार रूसो के सामाजिक समझौते के द्वारा एक लोकतन्त्रीय समाज की स्थापना होती है। जिसके अन्तर्गत सम्प्रभुता सम्पूर्ण समाज में निहित होती है। वह सामान्य इच्छा के आधार पर भासन करने की ओर हमें ले जाता है। रूसो ने स्वयं भी इसके विषय में कहा कि, जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह है प्राकृतिक स्वतन्त्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ पाता है, वह है – सामाजिक स्वतन्त्रता और अपनी वस्तुओं का स्वामित्व !

इकाई – 7 जीन मैक्स रूसो

रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना.

रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धान्त की आलोचना निम्न रूपों में की जा सकती है— (1) अस्पष्ट तथा जटिल विचारधारा रूसो की विचारधारा सर्वाधिक अस्पष्ट तथा जटिल है तथा उसमें अनेक स्थानों पर विरोधाभास पाया जाता है। रूसो स्वयं कहता है कि, जो सामाजिक अनुबन्ध को पूरा समझ ले वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। वह एक तरफ तो व्यक्ति स्वतन्त्रता का समर्थन करता है तो दूसरी ओर वह व्यक्ति को पूर्णतया सामान्य इच्छा की दासता में छोड़ देता है। रूसो की विचारधारा में जो असंगतियाँ पाई जाती हैं उनके कारण मार्ले कहता है कि, उसे यद्यपि एक महान विचारक कहा जाता है, किन्तु वह यह नहीं जानता था कि विचार किस प्रकार किया जाता है। (2) गानव स्वभाव तथा मानवीय इतिहास की धारणा गलत रू— रूसो की मानव-स्वभावतथा मानवीय इतिहास के विकास सम्बन्धी धारणा नितान्त तर्कविरुद्ध है। कुक के भावोंमें, श्राकृ तिक अवस्था में विचरण करने वाले भद्र जंगली व्यक्ति का जो चित्र उसने अंकित किया है, वह उसकी कल्पना की ही उपज है। वह मानव जाति में अतीत को आदर्श बताकर मानव समाज को प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान करता है जबकि मानव जाति का इतिहास अवनति का नहीं वरन् प्रगति का इतिहास है। (3) राज्य तथा समाज में अन्तर न करना अनुचित – रूसो के समझौता सिद्धान्त की एक गम्भीर त्रुटि यह है कि उसने राज्य और समाज में कोई अन्तर नहीं किया है। उसकी दृष्टि में समाज के प्रति समर्पण ही राज्य के प्रति समर्पण है। इस त्रुटि के कारण रूसो का समझौता सिद्धान्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हनन का एक साधन बन गया है। सामान्य इच्छा का सिद्धान्त रूसो की विचारधारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन कर रूसो ने राजदर्शन में अपना विषिष्ट स्थान बना लिया। जोन्स के अनुसार, रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा न केवल उसके सिद्धान्त की सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारणा है वरन् उसकी सबसे अधिक मौलिक और सबसे अधिक रोचक धारणा भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण देन है। रूसो के इस विचार की प्रशंसा तथा आलोचना दोनों की गई हैं।

सामान्य इच्छा – रूसो सामान्य इच्छा उसको मानता है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है।

(2) आदर्श इच्छा – (Real will)

(1) यथार्थ इच्छा – यह भावात्मक होती है। इसमें अस्थिरता होती है तथा विवेक और विचार का अभाव होता है। इस इच्छा के वशीभूत वह कार्य होता है, जो बिना सोचे-समझे होता है। इस इच्छा से युक्त व्यक्ति यथार्थपूर्ण कार्यों में लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति समाज का ध्यान नहीं करता है। डॉ० आर्षीवादम के अनुसार, श्वह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है। क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा स्वविरोधी है।

(2) आदर्श इच्छा – आदर्श इच्छा बुद्धि और विचार का परिणाम होती है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। सामान्य इच्छा राजनीतिक समाज के सदस्यों की सामूहिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी विषय पर विवेकपूर्ण विचार-विमर्श द्वारा जो मानसिक चौतन्य या जागरूकता होती है और जिससे व्यक्ति और समाज का समान रूप से कल्याण होता है, वह सामान्य इच्छा कहलाती है। डॉ. आर्षीवादम के अनुसार, श्वह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप में दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है। यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य के प्रकट होती है।

सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। दूसरे भावों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो सम्पूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। किसी इच्छा को सामान्य इच्छा होने के लिए यह आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो।

परिभाषा – प्रो. ब्रोसांके के अनुसार, श्वसामान्य हित में सामान्य हित की धारणा निहित रहती है। यह न्यायिक होती है। यह कभी भी अन्याय पर आधारित नहीं होती। यह नैतिक दृष्टि से सर्वोत्तम होती है।

डॉ० आर्षीवादम के अनुसार, श्वसामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं का योग अथवा इससे भी अधिक उत्तम भावों में उनके एकीकरण के रूप में की जा सकती हैं।

ग्रीन के अनुसार, श्वसामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना का नाम ही सामान्य इच्छा है। श्वेपर के अनुसार, श्वसामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वह इच्छा है जो अपने व्यक्तिगत हित नहीं वरन् सामान्य हित को लक्ष्य बनाती है, यह सबकी इच्छा, सबके हित के लिए नहीं है।

जर्मिनोदांते के अनुसार, श्वसामान्य इच्छा समुदाय की श्रेष्ठ भावना है।

स्पष्ट है कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं

1. सामान्य व्यक्तियों की इच्छा। 2. सामान्य हित पर आधारित इच्छा।

रूसो सामान्य इच्छा के दो अंगों में द्वितीय को प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। रूसो के भावों में, श्वमतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है, जिसके द्वारा वे एकता में बँधते हैं। श्व

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

सामान्य इच्छा के निश्कर्ष – सामान्य इच्छा के विचार से नीचे लिखे निश्कर्ष निकलते हैं—रूसो राज्य को एक सावयव मानता है। (2) सावयव राज्य का एक नैतिक अस्तित्व होता



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

है, जिसकी अपनी इच्छाएँ भी होती है। (3) यही सामान्य इच्छा विधियों का अन्तिम स्रोत है। (4) सामान्य इच्छा के अधिकार क्षेत्र में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति आ जाता है। (5) सामान्य इच्छा का स्वरूप जितना विराट होगा, उतनी ही वह न्यायशील होगा। (6) सामान्य इच्छा की प्रवृत्ति सदैव लोक-कल्याण की दिशा में रहेगी।

सामान्य इच्छा की विशेषताएँ — सामान्य इच्छा की विशेषताएँ इस प्रकार हैं

(1) अखण्डता सामान्य इच्छा का पहला लक्षण यही है कि वह अखण्ड तथा एकतापूर्ण होती है। वह अनेकता में भी एकता बनाये रखती है। यह राष्ट्रीय चरित्र को स्थिर और एक बनाये रखती है। रूसों के भावों में, "सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती और उसे स्थिर रखती है।"

(2) अदेयता — यह अदेय है। किन्हीं व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। यह प्रतिनिधियों द्वारा भी व्यक्त नहीं की जा सकती है। किसी के द्वारा इसे व्यक्त करना इसकी हत्या करना है।

(3) अविच्छेदयता — इसे प्रभुसत्ता से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभुसत्ता भी सामान्य इच्छा में निहित रहती है। प्रभुसत्ता और सामान्य इच्छा का भारी और प्राणों का सा सम्बन्ध है।

(4) सर्वोच्च तथा निरंकुष — यह सर्वोच्च तथा निरंकुष होती है। यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से नियन्त्रित नहीं होती। कोई भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसके समक्ष नतमस्तक होना ही पड़ता है।

(5) स्थायित्व — यह एक स्थायी प्रवृत्ति तथा मानव के विवेक का परिणाम होती है। लार्ड के भावों में, श्वह न तो सार्वजनिक आदेश की आँधियों में मिलती है और न राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में।

(6) लोककल्याणकारी — यह लोककल्याणकारी होती है। यह व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है। व्यक्तियों की आदर्श इच्छा सदैव जनकल्याणकारी होती है। इसका लक्ष्य ही सम्पूर्ण इलाज होता है। रूसों के भावों में, "सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परन्तु वह निर्णय जो इसका पथ-प्रदर्शक होता है, सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता है।

(7) औचित्यपूर्ण इच्छा सामान्य इच्छा औचित्यपूर्ण होती है। इसमें विवेक काम करता है जो उचित रास्ते का अनुसरण कराता रहता है। रूसों के शब्दों में, सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्यायसंगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी सदैव ईश्वर की वाणी होती है

सामान्य इच्छा व सर्वसम्मति में अन्तर — अनेक बार सामान्य इच्छा व सबकी इच्छा को पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परन्तु दोनों को एक समझना गलत है। सबकी इच्छा मनुष्यों की यथार्थ व आदर्श दोनों इच्छाओं का सम्मिश्रण हो सकता है, जबकि सामान्य इच्छा में केवल आदर्श इच्छाओं का ही सम्मिश्रण है। रूसों के भावों में, समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की

इच्छाओं से सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का सम्बन्ध केवल सामान्य हितों से होता है ।

इकाई – 8 रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत

सामान्य इच्छा की आलोचना

अस्पष्ट रूसों की इस सामान्य इच्छा की विचारधारा में पहली त्रुटि तो यही है कि यह अस्पष्ट है। यह वास्तव में कुछ गतिशील व्यक्तियों के हाथों में खेल जाती है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकना बहुत अधिक कठिन ही नहीं वरन् लगभग असम्भव है। स्वयं रूसों इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चित नहीं है। इस सम्बन्ध में वह परस्पर विरोधी बातें कहता है।

इस सम्बन्ध में वैपर ने कहा है कि, श्जब रूसों हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते तो इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ ? रूसों ने हमें एक ऐसे अन्धकार में छोड़ दिया है, जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते।

अव्यवहारिक – दूसरी त्रुटि यह है कि व्यवहारिक क्षेत्र में यह अन्तर स्थापित करना बड़ा कठिन है कि कौन सी सामान्य इच्छा है और कौन-सी बहुमत की इच्छा है। सच तो यह है कि कभी-कभी व्यक्ति की ही भावना प्रधान और यथार्थ इच्छाओं के मध्य भेद करना कठिन हो जाता है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए घातक तीसरी बात यह है कि सामान्य इच्छाओं द्वारा रूसों व्यक्ति की स्वन्त्रता को छीन लेता है। यह सबके ऊपर हो जाती है।

प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में सम्भव नहीं-चौथी बात यह है कि रूसी इसे ऐसी बताता है कि जिसका किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता । प्रजातंत्र भासन वाले देशों में प्रतिनिधिपूर्ण भासन होता है, पर प्रतिनिधि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा, यह कुछ विचित्र है।

आदर्श तथा यथार्थ इच्छाओं के बीच अन्तर करना कठिन – रूसों ने मनुष्य की इच्छाओं को आदर्श तथा यथार्थ दो भागों में बाँटा है। इन दोनों इच्छाओं के बीच अन्तर करना कठिन है क्योंकि मनुष्य में सदैव ही व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की प्रवृत्ति पायी जाती है, उन्हें एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक् करना सम्भव नहीं होता है। इस सम्बन्ध में हॉब हाउस ने लिखा है कि, श्यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अन्तर व्यवहार में सही नहीं होता है ।

सामान्य हित की व्याख्या असम्भव रूसों की सामान्य इच्छा का विचार जिस सामान्य हित पर आधारित है, उसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। किसी कार्य को करने से पूर्व ही यह कैसे कहा जा सकता है कि उस कार्य का परिणाम जनकल्याण ही होगा । इसीलिए मार्ले ने कहा है कि, रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया है।

सामान्य इच्छा का महत्व

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

रूसों की सामान्य इच्छा का सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके महत्व को निम्नांकित रूपों में देखा जा सकता है.

रूसो एक समझौते के द्वारा जिस समाज की स्थापना की बात करता है, वह समाज लोकतन्त्रीय चरित्र का सिद्ध होता है। इस समाज में सम्प्रभुता भी होती है, क्योंकि इसके बिना व्यवस्था नहीं चल सकती, परन्तु यह सम्प्रभुता सामान्य इच्छा में निवास करती है। सामान्य इच्छा चूँकि लोक-कल्याण की भावना का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सम्प्रभुता लोकप्रिय होती है। रूसों की सम्प्रभुता अनश्वर, अविभाज्य, अप्रतिनिधिमूलक और अमर्यादित और असीम बताता है, फिर भी भासक को यह परामर्श देता है कि उसे प्रत्येक कार्य सामाजिक कल्याण की दृष्टि से करना चाहिए और विधियों को सबके ऊपर समान रूप से लागू करना चाहिए।

इकाई – 9 सम्प्रभुता संबंधित विचारक

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा विधियाँ

रूसों का कथन था चूँकि प्राकृतिक अवस्था के पश्चात् व्यक्ति राज्य को अपने समस्त अधिकार सौंप देता है और राज्य उसका ही एक विराट रूप हो जाता है। इस कारण राज्य के बन्धनों से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन नहीं होता। राज्य तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की और गारण्टी देता है, ताकि व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। राज्य जो भी विधियाँ बनाता है, वे व्यक्ति की ही इच्छा का परिणाम होती हैं। अतः व्यक्ति यह नहीं मानता कि ये स्वतन्त्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध हैं। वह अपने राज्य के नागरिकों को राज्य की भाक्ति का मुकाबला करने या सीमित करने के लिए कोई अधिकार नहीं देता।

विधियों को रूसो ने सामान्य इच्छा की आवाज माना है। उसका कहना है कि विधि की उत्पत्ति सामूहिक इच्छा और सहमति से होती है। उसमें सबका कल्याण निहित होता है। अतः विधि से व्यक्ति का विरोध हो ही नहीं सकता। वह विधियों को सामान्य इच्छा के निर्देशों के पालने का साधन मानता है।

रूसों के अनुसार, स्वतन्त्रता को और सुलभ बनाने में विधियों सहयोग करती हैं। ये स्वतन्त्रता पूरक हैं, उसके मार्ग की अवरोधक नहीं। यही विचार आज भी स्वीकार किये जाते हैं।

राजनीतिक चिन्तन को रूसो की देन या महत्व और प्रभाव

राजनीतिक दर्शन को रूसो ने निम्नांकित महत्वपूर्ण देन दी है

1. सामान्य इच्छा का जनक – राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा के सिद्धान्त का आविश्कार रूसों ने ही किया है। उसने बताया है कि राज्य की सम्प्रभुता इसी सामान्य इच्छा में निहित है।

2. लोकप्रिय सम्प्रभुता

की धारणा – रूसो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने लोकप्रिय सम्प्रभुता की धारणा है जो कि वर्तमान समय की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की मूल आधार है। उसने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता की मूल स्रोत है, सम्प्रभुता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। उसने जनता को सम्प्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए जनसभायें, लोकनिर्णय तथा आरम्भक आदि लोकतन्त्रीय संस्थाओं को अपनाने का सुझाव दिया है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

3. व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ सम्बन्धों का प्रतिपादन – रूसो ने व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों को श्रेष्ठ आधार पर प्रतिष्ठित किया है। रूसो ने राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों को नैतिक स्वरूप प्रदान किया तथा व्यक्ति की राज्य के प्रति भक्ति का एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया।

4. राज्य और सरकार में अन्तर रूसो ने राज्य तथा सरकार का अन्तर स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। उसने विधियों तथा विधि के भासन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। जन कल्याणकारी विधियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया तथा संवैधानिक विधियों के विकास में योग दिया।

5. राष्ट्रियता की भावना का प्रतिपादन यद्यपि रूसो राष्ट्रिय राज्य की धारणा का समर्थक नहीं था, परन्तु उसने राज्य की एकता व सफलता की भावना का समर्थन कर राष्ट्रभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया।

6. व्यक्तिवाद का प्रेरक – डॉ. वी. पी. वर्मा के अनुसार, शराज्य, सामन्तवाद और चर्च का प्रतिरोध कर व्यक्तित्व के परम समर्थन का प्रस्ताव उपस्थित करना रूसो के व्यक्तिवादी होने का प्रबल प्रमाण है। रूसो ने राजतंत्र व अभिजाततन्त्र का विरोध करके भी अपने व्यक्तिवाद का परिचय दिया है।

7. आदर्शवाद का सूचक – रूसो का राजनीतिक दर्शन आदर्शवाद का भी प्रेरक है। हींगल की आदर्शवादी विचारधारा जिसमें उसने राज्य को साध्य मानकर उसे उच्च स्थान दिया है, वह रूसो से ही प्रभावित है।

3. लोकतन्त्र का अग्रदूत

रूसो की विचारधारा मूल रूप में लोकतांत्रिक ही है। लोकतांत्रिक फ्रेंच क्रांति का प्रणेता रूसो को ही कहा जा सकता है। उसे निम्नांकित आधारों पर लोकतन्त्र का अग्रदूत कहा जाता है।

(1) लोकतंत्र लोकप्रिय सम्प्रभुता की धारणा पर आधारित है और लोकप्रिय सम्प्रभुता का सबसे प्रमुख प्रतिपादक रूसो है।

(2) रूसो के द्वारा लोक – कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है। रूसो राज्य को सामान्य इच्छा की अनुभूति कहता है और रूसो की इस सामान्य इच्छा का आधार लोक-कल्याण ही है। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो लोकतंत्र का ही पथ प्रशस्त करता है।

(3) रूसो विधि को जनता की आवाज मानता है। उनका विचार है कि विधि समस्त व्यक्तियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विषय पर सामान्य रूप से प्रभाव डालता है। यह दृष्टिकोण लोकतन्त्र का ही समर्थक है।

रूस के विचारों के आधार पर ही भरे ने उसे लोकतन्त्र का उच्चतम पुजारी कहा है। जी. डी. एच. कोल का यह कथन इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है, रूसो के हाथों में सामान्य इच्छा का सिद्धान्त मौलिक रूप से लोकतन्त्रीय हो जाता है और इस बात का दावा करता है कि जनता सैद्धान्तिक रूप में नहीं वरन् वास्तविक रूप में गासन करेगी। रूसो ने ही राजनीतिक जगत में लोकतंत्र को एक सजीव सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

अभ्यास

प्रश्न

1. रूसो की संक्षिप्त जीवनी लिखें।
2. रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धान्त क्या है ?
3. रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की विचारधारा की समीक्षा करें।
4. राजनीतिक चिन्तन को रूसो की देन या महत्व और प्रभाव की विवेचना करें।



इकाई – 10 जेरेमी बेन्थम का जीवन

विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

(Jeans Jacques Rousseau) (1748 ई० से 1832 ई०)

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में उपयोगितावाद का जन्म तथा भीघ ही इसका प्रभावशाली हो जाना ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन के इतिहास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि उपयोगितावाद के किसी भी महान विचारक बेन्थम और जॉन स्टुअर्ट मिल की भी तुलना बेकन, हॉब्स, लॉक या ह्यूम जैसे प्रथम श्रेणी के विचारकों से नहीं की जा सकती है, परन्तु उपर्युक्त विचारकों में से किसी ने भी अपने अनुयायी समूह को ऐसी निश्चित विचार प्रणाली प्रदान नहीं की, जैसी की बेन्थम ने। यह कार्य बेन्थम का ही था कि उसके आचारशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के विषय में कुछ ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, जिसको उसके शिष्यों तथा अनुयायियों ने विकसित किया तथा जो उपयोगितावाद के नाम से विख्यात हुए।

यद्यपि हमने बेन्थम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहकर पुकारा है, किन्तु आचारशास्त्र के सिद्धान्त के रूप में उपयोगितावाद का जन्म बहुत पहले ही हो चुका था। इस रूप में इसका सम्बन्ध प्राचीन यूनान की एपीक्यूरियन प्रणाली से माना जा सकता है क्योंकि एपीक्यूरियन विचारधारा के समर्थक मनुष्य को पूर्णतः सुखवादी मानते हैं। इसी प्रकार पूर्व में प्राचीन भारत के चारवाक विचारकों को इसका प्रवर्तक माना जा सकता है। 17वीं सदी के सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने भी उपयोगितावादी परम्परा का थोड़ा-सा विकास किया। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते में मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि मनुष्य पुषवत् आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी है जिसमें नैतिक भावनाओं का अभाव पाया जाता है। लॉक उपयोगिता को ही राज्य का आधार मानता है और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की भाक्तियों को सीमित कर देता है। पश्चिमी दर्शन के सिरैनायक वर्ग (ब्लतंदपबैबीववस) के विचारकों ने भी उपयोगिता का प्रचार किया था। 18वीं सदी में कम्बरलैण्ड भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है और राज्य की उपयोगिता के सम्मुख उसके नैतिक अस्तित्व तथा विवेकपूर्ण चेतना, आदि सभी बातों को गौण मानता है।

वर्तमान काल के बुद्धिवादी विचारकों के साथ-साथ सुखवादी दर्शन राजनीति में पुनः प्रवेश करने लगा। डेविड ह्यूम ने सर्वप्रथम उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट प्रतिपादन किया। लेस्ली स्टीफेन के अनुसार, उपयोगितावाद का जैसा क्रमबद्ध रूप डेविड ह्यूम ने प्रस्तुत किया है, उतना बीसवीं सदी के किसी भी लेखक ने नहीं किया उसके द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों में जॉन स्टुअर्ट मिल तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेक विख्यात उपयोगितावाद विचारक हुए जिनमें प्रीस्टले, हचसन, पैले, हालवेक, हैल्यूटियस, बेन्थम, जेम्स, मिल, जॉन ऑस्टिन, ग्राट, जे० एस० मिल तथा मोल्सवर्थ का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इन सब विचारकों में उपयोगितावादी दर्शन का स्पष्ट और व्यापक रूप में प्रतिपादन बेन्थम के द्वारा ही किया गया है। इस पुराने सिद्धान्त को भारतीय एवं व्यवस्थित रूप देने, राजनीति के क्षेत्र में इसको लागू करने की पद्धति का

विस्तृत प्रतिपादन करने तथा इसे लोकप्रिय एवं भाक्तिषाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेन्थम को ही है। इसी कारण बेन्थम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है।

वास्तव में, बेन्थम और उपयोगितावाद परस्पर इतने चनिष्ठ रूप में संयुक्त हैं कि उपयोगितावाद को बेन्थम के नाम से बेन्थमवाद भी कहा जाता है।

जीवन परिचय

बेन्थम का जन्म 1748 ई० में लन्दन के सम्पन्न वकील घराने में हुआ था। बेन्थम बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली था और उसके भौषवावस्था में ही लैटिन, ग्रीक तथा फ्रेंच भाषाओं का अध्ययन आरम्भ कर दिया। जब वह केवल 15 वर्ष का ही था, तभी उसने आक्सफोर्ड के क्वीन्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बेन्थम को अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही छात्र जीवन में अपने साथी मूर्ख तथा अध्यापक अयोग्य प्रतीत होते थे। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन किया। 1772 ई० में उसने वकालत करना आरम्भ किया, किन्तु बेन्थम ने यह महसूस किया कि वह वकालत के लिए नहीं बनाया गया है और वह वकालत छोड़कर न्यायशास्त्र तथा विधिशास्त्र के अध्ययन में लग गया और जीवनपर्यन्त इसमें लगा रहा।

1776 ई० में उसकी प्रथम पुस्तक षासन पर कुछ विचार प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने उस समय के दिग्गज विधिशास्त्री ब्लेकस्टोन की आलोचना करके कानून के क्षेत्र में हलचल मचा दी। बेन्थम प्रतिदिन नियमित रूप से लिखने वाला असाधारण व्यक्ति था और ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसकी निर्बाध गति थी, लेकिन उसका लेखन कार्य अत्यधिक अव्यवस्थित था। 1788 ई० में उसकी भेंट जेनेवावासी कुमारी धुमोन्त से हुई, जिसने उसकी रचनाओं का सभ्य जगत की फ्रेच भाषा में अनुवाद किया। इसमें फ्रेंच भाषा-भाषी प्रदेशों में उसकी ख्याति बढ़ी। 1821 ई० में उसे 26वर्षीय वोरिंग नामक भक्त नवयुवक का सहयोग मिला, जिसने उसके कुछ ग्रन्थों को 11 खण्डों में प्रकाशित किया किन्तु उसके लेखों का एक बड़ा भग अब तक अप्रकाशित है। वद्वारवस्था तक बेन्थम कितना अधिक सक्रिय था, इसका प्रमाण यह है कि अपने उग्र विचारकों का प्रचार करने के लिए उसने 76 वर्ष की आयु में प्लेस्टमिन्सटर रिव्यू नामक पत्र निकाला और 79 व की अवस्था में उसने लन्दन विश्वविद्यालय के मूल यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस उद्देश्य से स्थापित किया कि यह ऑक्सफोर्ड और केम्ब्रिज के दूषित वातावरण से मुक्त रहे। बेन्थम न केवल उच्चकोटि का सुधारक था, अपितु सहृदयता, भाव— प्रवणता एवं विषाल दृष्टिकोण का कोश भी था। यही कारण था कि उसे अपने जीवनकाल में ही अत्यधिक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। 1825 में जब वह फांस गया, तो वहां उसे एक विजेता जैसा सम्मान और स्वागत प्राप्त हुआ। लन्दन, पेरिस और अमरीका में उसकी पुस्तकों की 50 हजार से अधिक प्रतियां बिकी। वह अपने जीवन भर लार्ड मौलबोर्न, जेम्समिल, सर सेम्पुल रोमिलो, रिकार्डो, लार्ड ब्रोघम और जोसेफ हूम जैसे मित्र अनुयायियों से घिरा रहा। चिर कुसारे रहते हुए, आनन्दपूर्वक एक दीर्घ जीवन व्यतीत करने के बाद 1832 ई० में इस महान् विचारक की मृत्यु हो गयी। संयोगवश उसके विचारों से प्रेरित महान सुधार बिल इसी वर्ष पारित हुआ। इनके अतिरिक्त बहुत अधिक



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

सामग्री अभी अप्रकाशित हो पड़ी है। बेन्थम की इन रचनाओं में प्रथम एवं तृतीय रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

उपयोगितावाद

उपयोगितावाद 19वीं सदी में इंग्लैण्ड के दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित राज्य कार्य से सम्बन्धित एक प्रभावशाली दर्शन है। उपयोगितावाद का आधारभूत विचार उपयोगिता है। उपयोगिता ही राज्य के कार्यों का आधार है। इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित (लतमंजमेज चपदमे वीजम हतमंजमेज दनउडमत) राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। इस विचारधारा के अनुसार सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदण्ड उपयोगिता ही होना चाहिए। वस्तुतः उपयोगिता को ही मानवीय जीवन का आधार मानकर जिस राजनीतिक दर्शन का सृष्टि की गयी है, उसे ही हम उपयोगितावाद कहते हैं।

उपयोगितावाद मानवीय आचरण की प्रकृति और प्रेरकों एवं नैतिक निर्णय के स्तर से सम्बन्धित एक नैतिक सिद्धान्त है और बेन्थम तथा मिल, आदि उपयोगितावादियों द्वारा इस नैतिक सिद्धान्त के विचारों को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का कार्य किया गया है। इस प्रकार उपयोगितावाद का अध्ययन नैतिक व राजनीतिक दो रूपों में किया जा सकता है। इस रूप में यह सिद्धान्त ह्यूमनिसम के दर्शन से सम्बन्धित है, लेकिन वर्तमानसुखवाद, ग्रीक सुखवाद में इस रूप में भिन्न है कि जहां ग्रीक सुखवाद परोपकारी (Altruistic) है, वर्तमान सुखवाद अहंवादी (Egoistic) है। यह सिद्धान्त इस मूल मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य मूल रूप में इस इन्द्रिय प्रधान प्राणी है जो सदैव सुख की खोज करता और दुख से बचना चाहता है। प्रत्येक वह कार्य जो सुखकी अपेक्षा अधिक दुख की उत्पत्ति करता है गलत या बुरा है और प्रत्येक वह कार्य जिसका परिणाम दुख की अपेक्षा सुख है, अच्छा या सही है। इस प्रकार सुख समस्त मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च लक्ष्य है।

प्रत्येक व्यक्ति के सुख के साथ अन्य व्यक्तियों के सुख का प्रश्न भी जुड़ा होता है और यहीं वह राज्य की उपयोगिता के कारण है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व उसकी उपयोगिता के कारण है। बेन्थम के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन ही इसलिए करते हैं कि आज्ञा पालन के सम्भावित दोष अवज्ञा के दोषों से कम हैं। ऐसी स्थिति में राज्य का यह स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की वृद्धि का प्रयत्न करें। राज्य के कार्यों और कानूनों की परख सुख के सिद्धान्तों के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक रीतियों तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में केवल उपयोगिता ही मापदण्ड और इन संस्थाओं एवं कार्यों का औचित्य है। यदि राज्य के कानून लोक कल्याण की क्षमता नहीं रखते तो उनमें परिवर्तन होना चाहिए।

उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को व्यक्तियों का योग मात्र ही मानता है। अतएव जो कुछ व्यक्ति के लिए ठीक है, वही सम्पूर्ण समाज के लिए ठीक होगा। वह

सामाजिक कल्याण को व्यक्तियों के सुख का संग्रह मानता है। इस दृष्टि से उपयोगिता का आधार व्यक्तिवाद ही है।

बेन्थम का उपयोगितावाद

नैतिक की परम्परागत धारणाओं का खण्डन और सुखवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन – उपयोगितावाद बेन्थम की समूची विचारधारा तथा चिन्तन का मूलमन्त्र और आधारषिला है। बेन्थम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खण्डन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। बेन्थम के समय में नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्रायः लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा का ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो ईश्वर की इच्छा अर्थात् धर्मशास्त्रों के अनुकूल है, वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है, वह अनैतिक और पापमूलक हैं। इसके अतिरिक्त नैतिकता के सम्बन्ध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और दार्शनिक मनुष्य के अन्तःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेन्थम इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अन्तःकरण ये सब कुछ वैयक्तिक या आत्मगत (नैश्चर्यजपम) कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है, उसकी को ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अन्तरात्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अन्तरात्मा के सम्बन्ध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं जा सकता है, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक हैं।

नैतिकता की इन परम्परागत धारणाओं के स्थान पर बेन्थम सुखवाद में विश्वास करता है और यह मानता है कि सुख तथा दुःख, दूसरे भावों में प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम भासक हैं। स्वयं बेन्थम के भावों में, “प्रकृति ने मानव को सुख-दुःख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के भासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने भावों द्वारा उनके भासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किन्तु वास्तव में सदैव उनके अधीन ही रहेगा।

कार्यों का उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व – बेन्थम कार्यों का उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है, इसका कोई महत्व नहीं, महत्व की चीज तो उसका परिणाम है। उसके अनुसार जो वस्तु हमें सुख की अनुभूति देती है, वह अच्छी, ठीक और उपयोगी है और जिस वस्तु से हमें दुःख की अनुभूति होती है, वह बुरी, गलत और उपयोगी है।

सुख-दुःख का स्वरूप इस प्रकार उपयोगिता का सिद्धान्त सुख की प्राप्ति और दुःख के निवारण का सिद्धान्त है। सुख और दुःख का स्वरूप क्या है और इसका निर्धारण कैसे किया जाय, इसका बेन्थम ने वैचारिक ढंग से विषद विवेचन किया है। उसके मत में सादे या सरल सुख निम्नलिखित 15 प्रकार के हैं रु इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, सम्पत्ति, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र अथवा कीर्ति, भाक्ति पवित्रता, परोपकार, असत्कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आषा सत्संग और दुःख, पीड़ा, गंवारपन या फूहड़पन, भात्रता, बदनामी, उदारता, दोह स्मृति, कल्पना, प्रत्याषा, साहचर्य और अषोभनीय से उत्पन्न कष्ट सरल कष्ट हैं। अन्य सब प्रकार के और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं !



सुख-दुख के स्रोत सुख और दुख पूर्वोक्त आनन्दों

बेन्थन के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव

विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

से उत्पन्न होते हैं, किन्तु सब व्यक्तियों को एक कार्य विशेष से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता, इसका कारण व्यक्तियों की संवेदनशील या अनुभव करने की भाक्ति में अन्तर है। बेन्थम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशील 32 चीजों से प्रभावित होती है जिनमें से कुछ मुख्य है – स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियां, लिंग, आयु पद और जलवायु आदि बेन्थम ने सुख-दुख के पांच स्रोत बताये हैं, जो इस प्रकार हैं (1) प्राकृतिक- जब कोई सुख या दुख प्राकृतिकाटनाओं के कारण होता है तो प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। (2) राजनीतिक अथवा कानूनी – जब कोई सुख या दुख राजनीतिक अवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है, तो यह राजनीतिक सुख या दुख, कहलाता है। (3) नैतिक- जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है, तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। (4) सामाजिक या लौकिक जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दण्ड देता है, तो हमारा सुख या दुख सामाजिक होता है। (5) धार्मिक – धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर जो दुख या सुख मिलता है, उसका स्रोत धर्म होता है।

विभिन्न सुखों में गुण का नहीं वरन् परिणाम का भेद – बेन्थन के उपयोगवादी सिद्धान्त की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल परिणाम या मात्रा (नंदजपजल) का भेद मानता है, गुण (नंसपजल) का नहीं। उसके अनुसार विभिन्न सुख एक-दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं, किन्तु गुण में भिन्न नहीं होते। यदि हम कहें कि काव्य का आनन्द भोजन के आनन्द से अच्छा है, तो इसका अर्थ केवल यह होगा कि वह भोजन के आनन्द से मात्रा में अधिक है। उपयोगिता के सिद्धान्त के

अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे में श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। यदि हमने सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया, तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदण्ड नहीं रहेगी, फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदण्ड ढूँढना होगा। विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का ही भेद होता है, इस सम्बन्ध में उसकी प्रसिद्ध उक्ति है कि शक्ति सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन (एक प्रकार का बच्चों का खेल) भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ।

आनन्द मापक पद्धति – बेन्थम के विचार में सुख और दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उसने एक आनन्द मापक पद्धति प्रदान की है। उसके अनुसार इस सम्बन्ध में 6 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीव्रता अवधि निष्पिष्टता निकटता या दूरी उत्पादकता अर्थात् एक सुख द्वारा अपने ही जैसा दूसरा सुख उत्पन्न करना और विषुद्धता।

ये बातें तो व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए आवश्यक हैं, किन्तु व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए एक अन्य बात पर भी ध्यान देना जरूरी है वह है विस्तार अर्थात् मिलने वाले सुख या दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। व्यक्ति के लिए कौन-सा कार्य करना उपयोगी होगा, इसके लिए उसे उर्युक्त सात आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य अपनाना होगा सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेन्थम ने एक प्रक्रिया दी है, जो उसी के भावों में इस प्रकार है

समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख भोश रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि भोश दुख रहे तो यह समक्ष लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है।

विधि-निर्माण में उपयोगिता के सिद्धान्त का प्रयोग – बेन्थम उपयोगितावादी सिद्धान्त को केवल व्यक्तिगत आचार तक ही सीमित नहीं मानता था, वरन उसने से जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। विधि निर्माण में तो उसने इस सिद्धान्त को अपनाने पर विशेष बल दिया है। सामूहिक जीवन में क्या किया जाय, इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख (लतमेंजमेज चिचपदमे वजीम हतमंजमेज दनउडमत) के सिद्धान्त के आधार पर किया जाना चाहिए। उसके भावों में, “उपयोगिता के सिद्धान्त का आषय आनन्दों और कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना है। विधि-निर्माता का उद्देश्य जनता को आनन्द देना है। विधान निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धान्त सामान्य उपयोगिता अर्थात् अधिकतम हित होना चाहिए।

बेन्थम उपयोगितावाद को एक सार्वभौम सिद्धान्त मानता है और उसका कथन है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उपयोगिता के सिद्धान्त पर ही आधारित हैं। बेन्थम के अनुसार, उपयोगिता का सिद्धान्त सुनिश्चित और वस्तुपरक है तथा उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अतः यदि हम मानवीय सम्बन्धों के संचालन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं, तो हमें उपयोगिता के सिद्धान्त को अपनाना होगा और हमारे द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए।

उपयोगितावाद में आधारभूत सिद्धान्त

राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में बेन्थम का नाम उपयोगितावादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। उपयोगितावाद के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक विचारधाराएं कम-अधिक रूप में मानव-जीवन के नैतिक या भावनात्मक पक्ष पर आधारित हैं और इसी कारण ये विचारधाराएं सैद्धान्तिक अधिक और व्यावहारिक कम हैं, किन्तु उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो यथार्थवादी पक्ष पर आधारित है। बेन्थम के उपयोगितावाद के प्रमुख सिद्धान्तों का विप्लेशन निम्न प्रकार से किया जा सकता है ---

(1) उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धान्त पर आधारित है – सुखवाद के अनुसार मानव की यह नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वह सुख प्राप्त करना और पीड़ा से दूर रहना चाहता है, मनुष्य में अन्य भी अनेक प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं, किन्तु इन सबमें यही प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रमुख है। इस प्रवृत्ति के अनुसार मानव निरन्तर प्रसन्नता प्राप्त करने और पीड़ा से पिण्ड छुड़ाने



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

में लगा रहता है। मानव के सभी कार्यों की अच्छाई-बुराई की कसौटी सुख ही है। काण्ट जैसे दार्शनिक तो असत्य भाषण को सदैव बुरा कहेंगे, किन्तु उपयोगिता के आधार पर उसे अच्छा भी कह सकते हैं।

(2) राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना— उपयोगितावाद प्रमुखतया प्सावलौकिक सुखवाद की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धान्त है, जिसे बेन्थम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धान्त का रूप प्रदान किया है। बेन्थम तथा अन्य उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य एक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्यायसंगत समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक या दैवी उद्देश्य भी है, इसकी वे खुले भावों में आलोचना करते हैं और इसे भावों के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। बेन्थम के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन भी उपयोगिता के आधार पर ही करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को प्रत्येक कार्य करने के पूर्व यह लेख लेना चाहिए कि उस कार्य से कितने लोगों का हित होता है।

(3) राज्य और समाज में अन्तर है— आदर्शवादियों के विपरीत उपयोगितावादियों के मतानुसार राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। राज्य गौण है तथा समाज प्रधान। उपयोगितावादी यह भी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार उपयोगितावादी राज्य और समाज में अन्तर करते हुए राज्य कृकृ को समाज के अन्तर्गत स्थित एक संस्था मानते हैं।

(4) राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र — उपयोगितावाद राज्य के सम्बन्ध में किसी रहस्य अथवा अलौकिकता में विश्वास नहीं करता। उपयोगितावाद का तो स्पष्ट विचार है कि राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है, वह एक साधन मात्र है। साध्य तो व्यक्ति तथा सामूहिक कल्याण ही है।

(5) उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है — उपयोगितावाद रोमांटिक लेखकों के समान कल्पना, आदि में विश्वास नहीं करता है। वह तो 19वीं सदी का नितान्त यथार्थवादी आन्दोलन है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही उपयोगितावादी सामाजिक समझौता सिद्धान्त तथा प्राकृतिक अधिकार सिद्धान्त को निरी मूर्खता कहकर उसका उपहास करते हैं सभी उपयोगितावादी जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में संलग्न व्यावहारिक व्यक्ति थे, इस सम्बन्ध से रुडोल्फ मैट (लकवसडिमज़) ने ठीक ही कहा है कि उपयोगितावाद का उदय विद्यार्थियों के अध्ययन कक्षाओं तथा कक्षाओं में इतना नहीं हुआ, जितना कि जीवन की आवश्यकताओं तथा जीवन के लिए प्रतिदिन होने वाले संघर्शों के उतार-चढ़ाव में। यथार्थवादी होने के कारण ही उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा आगमनात्मक पद्धति को अपनाया गया है।

(6) उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है — उपयोगितावाद एक राजनीतिक विचारधारा मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास भी है। उपयोगितावाद वस्तुतः एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन इंग्लैण्ड की न्याय,

दण्ड तथा कानून, आदि व्यवस्थाएं अत्यधिक भ्रष्ट हो गयी थीं। ऐसी स्थिति में बेन्थम जैसे उपयोगितावादी ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया और उन्हें समाज हित के आधार पर सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बेन्थम, आदि दार्शनिकों के विचारों ने इंग्लैण्ड के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। समाज सुधार की तीव्र लंगन उपयोगितावाद की अपनी विशेषता है।

(7) संवैधानिक मार्ग में विश्वास – उपयोगितावाद यद्यपि एक प्रगतिशील विचारधारा है और यह दर्शन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है, किन्तु उपयोगितावाद समाज सुधार के लिए किसी क्रान्ति का उपदेश नहीं देता। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास रखता है और इसके समर्थकों का मत है कि जनमत को प्रभावित और व्यक्त करके ही समाज का निम्न वर्ग सरकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। भान्तिपूर्ण उपायों द्वारा वांछित परिवर्तन लाने के पक्ष में होने के कारण यह विचारधारा अंग्रेजी परम्परा के सर्वथा अनुरूप है। डॉ० वेपर के भावों में, श्वेन्थम ने अंग्रेज जाति की परम्पराओं के अनुरूप इस बात का प्रतिपादन किया कि सुधार क्रान्ति की अपेक्षा सदैव ही वांछनीय है।

(8) राज्य की अपेक्षा मासन का सिद्धान्त अधिक – उपयोगितावाद राज्य की अपेक्षा भासन का सिद्धान्त अधिक है। यह राज्य का विकास कैसे हुआ? राज्य का स्वरूप क्या है अथवा क्या होना चाहिए? आदि भाव सूक्ष्म प्रश्नों पर विचार नहीं करता। उपयोगितावाद अपना समस्त ध्यान व्यावहारिक भासन व्यवस्था और भासन के कर्तव्यों पर ही केन्द्रित करता है और इस सम्बन्ध में व्यापक मीमांसा प्रस्तुत करने के कारण इसे राज्य की अपेक्षा भासन का सिद्धान्त अधिक कहा जाता है। उपयोगितावाद के प्रतिपादक बेन्थम के द्वारा दण्ड, न्याय-व्यवस्था, जेल और भासन, आदि के सम्बन्ध में भी विचार व्यक्त किये गये हैं।

(9) समयानुकूल परिवर्तित विचारधारा – उपयोगितावाद की एक विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। वस्तुतः उपयोगितावादी दर्शन राजनीतिशास्त्र को ब्रिटिश विचारकों की देन है और इंग्लैण्ड के संविधान की भांति ही इसका क्रमिक विकास हुआ है तथा इसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार अनेक परिवर्तन होते रहे हैं बेन्थम ने उपयोगितावाद को एक विषिष्ट रूप प्रदान किया है और बेन्थम के उपयोगितावाद की विशेषता यह है कि वह विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का भेद मानता है, गुण का नहीं। ऑस्टिन ने उपयोगितावाद को कानूनी रूप प्रदान करने का कार्य किया और मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ-साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हुए इसे निम्न कोटि का भौतिकवाद कहलाने से बचाया। इस प्रकार उपयोगितावादी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही है।

बेन्थम के अन्य विचार

उपयोगितावाद के संस्थापक के साथ-साथ बेन्थम एक विधि-सुधारक भी था। उसने राज्य के स्वरूप, राज्य की सम्प्रभुता, विधि, न्याय-व्यवस्था, दण्ड कारागृह तथा संसद सम्बन्धी सुधारों, आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। बेन्थम के अन्य महत्वपूर्ण विचारों का अध्ययन निम्नलिखित भीर्शकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संविदावादी धारणा का खण्डन— बेन्थम के पूर्व राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामाजिक समझौता सिद्धान्त को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त थी। रूसो, आदि ने इसका प्रबल प्रतिपादन किया था और ब्लेकस्टोन ने कहा था कि मनुष्य एक आदिम सामाजिक समझौते के कारण राज्य के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लेकिन बेन्थम ने इस संविदा सिद्धान्त का उग्र विरोध किया। बेन्थम के मतानुसार ऐसा कोई समझौता कभी नहीं हुआ था और यदि कोई ऐसा समझौता हुआ भी हो तो वर्तमान पीढ़ी को उससे नहीं बांध सकता था। मनुष्यों द्वारा राज्य के आदेशों और कानूनों के पालन का कारण कोई पुराना समझौता नहीं वरन् वर्तमान काल में राज्यों से प्राप्त होने वाला लाभ या उपयोगिता है। उसके भावों में, “राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है और आज्ञापालन के सम्भावित दोष, अवज्ञा के सम्भावित दोषों की अपेक्षा कम है। अतः बेन्थम की दृष्टि में राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है, सामाजिक अनुबन्ध नहीं।

इकाई – 11 कानून तथा न्याय व्यवस्था
प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का खण्डन

अपने विचार—दर्शन के प्रतिपादन में बेन्थम आदर्शवादी की अपेक्षा यथार्थवादी था और इसी कारण उसके द्वारा न केवल संविदावादी सिद्धान्त वरन् प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक आधारों का भी खण्डन किया गया है। बेन्थम हॉब्स की भांति कानून को आज्ञा के रूप में ही देखता था और, क्योंकि आज्ञा कोई व्यक्ति समूह नहीं दे सकता है, प्रकृति जैसी अमूर्त वस्तुएं आज्ञा नहीं दे सकतीं, अतः प्राकृतिक कानून की कल्पना नितान्त अनुचित है। व्यवहार में मानवीय कानून का ही अस्तित्व सम्भव होता है।

बेन्थम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को भी नितान्त घणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। बेन्थम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि इस संरक्षण के आधार पर ही अधिकारों का पालन कराया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों को इस प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह इसमें क्रांतिकारी विचारों की बकवास मात्र मानता है। एक स्थान वह वह उन्हें ध्यात्मिक विभ्रम और प्रमाद का एक गड़बड़ घोटाला कहता है। उसके अनुसार ऐसा अधिकार जिसे भंग करने पर किसी प्रकार का दण्ड मिलने का भय न हो, बिलकुल व्यर्थ है। नागरिक राज्य के विरुद्ध किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य से बड़ी कोई दूसरी भाक्ति नहीं है, जो राज्य को अधिकार मानने के लिए बाध्य कर सके।

बेन्थम प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का इस कारण भी विरोधी है कि सामान्यता यह धारणा क्रान्ति को जन्म देती है और बेन्थम क्रान्ति की अपेक्षा स्थायित्व को श्रेयस्कर मानता है। उसका पक्ष यह है कि प्युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परन्तु सहन करने के लिए भान्ति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है।

बेन्थम को जनता की स्वतंत्रता जैसे भावों से कोई प्रेम नहीं था। उसका विचार था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। वह फ्रांस के क्रान्तिकारियों के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को भ्रामक मानता था। उसका विचार था कि सुरक्षा, जो कि स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है और कानून सम्प्रभु की आज्ञा तथा एक प्रतिबन्ध हाने के कारण स्वतंत्रता के विरुद्ध होते हैं। वेपर (लचमत)

के भावों में, “उपयोगितावादियों की योजना में स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया जाता । उसका मापदण्ड केवल प्रसन्नता है और स्वतंत्रता इस मापदण्ड की दासी होनी चाहिए । राज्य का उद्देश्य अधिकतम प्रसन्नता है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं ।

शासन पद्धति

बेन्थम भासन के प्रकार के सम्बन्ध में विशेष चिन्तित नहीं है और उसका विचार है कि भासन का प्रकार चाहे जैसा भी हो, उसका प्रमुख सिद्धान्त यह होना चाहिए कि वह अधिकतम जनता को सुख प्रदान कर सके । फिर भी इस सम्बन्ध में उसका सामान्य विचार यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत भले ही राजतंत्र या कुलीनतंत्र अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का साधन कर सके, किन्तु सामान्यता उपयोगिता के सिद्धान्त के अनुसार जनतंत्र ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है । इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थ साधन की चेष्टा करता है । ऐसी स्थिति में एक का राज्य अर्थात् राजतंत्र हो, तो राजा मात्र का हित-साधन होगा, कुलीनतंत्र हो तो थोड़े से लोगों या अधिक धनी वर्ग का ही हितसाधन होगा और प्रजातंत्र होने पर बहुसंख्यक या अधिक लोगों का हित साधन न हो सकेगा । अतः जनतंत्र ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधन बन सकता है । जनतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक स्थान पर वह लिखता है कि श्यह दुर्गुणी दुनिया गणतंत्रों से ढक दिये जाने पर ही ठीक हो सकती है ।¹⁹ डेविडसन के अनुसार उसका विश्वास गणतंत्र में है और उसका विचार है कि कार्यकुशलता, मितव्ययता और जनता की सर्वोच्चता के लक्ष्य को गणतंत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है ।

अपने इस दृष्टिकोण के आधार पर बेन्थम ब्रिटेन के तत्कालीन संविधान को नितान्त अपूर्ण मानता था और उसने इसके प्रति अपना तीव्र असन्तोष व्यक्त करते हुए सुधार के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे उसका कहना था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्लियामेंट का प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए और इस सम्बन्ध में उसका तर्क था कि इससे प्रतिनिधियों के स्वार्थ और आलस्य पर नियंत्रण रखा जा सकेगा, प्रतिनिधि जनता के निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे और जनता प्रतिनिधियों के कार्यों की पूर्ण जांच कर सकेगी । उसका कहना था कि मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही मतदाताओं को धमकी तथा भ्रष्टता से बचाकर मतदान की भावना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । बेन्थम प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए उत्सुक था और इस दृष्टि से उसने प्रेम की स्वतंत्रता पर बल दिया था । वह लाई सभा का अन्त कर देना चाहता था, क्योंकि वह एक अप्रजातान्त्रिक सदन और धनिक वर्ग का गढ़ था । बेन्थम राजपद के भी विरुद्ध था और अपने समय के ब्रिटिश संविधान को धनिक वर्ग द्वारा प्रभावित कहा करता था !

कानून तथा न्याय व्यवस्था

बेन्थम के जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन कानून पद्धति में सुधार करना था । वह राजनीतिक दार्शनिक से भी अधिक महत्वपूर्ण रूप में कानून-सुधारक था, जिसका उद्देश्य सैद्धान्तिक पद्धति तथा उपयोगिता के सिद्धान्त के आधार पर कानून के क्षेत्र में उन पुरानी धारणाओं और अन्धविश्वासों को दूर करना था, जो प्रगति के मार्ग में बाधक तथा जनसाधारण के कष्टों के लिए उत्तरदायी थे । उसके अनुसार तत्कालीन कानून और न्याय व्यवस्था में अनेक गम्भीर दोष थे जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है । उसकी दृष्टि में कानून के बड़े दोष अस्पष्टता, अनिश्चितता, दुर्बोधता, जटिलता, दकियानूसीपन और



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

अप्रचलित परिभाषिक भावों का प्रयोग थे। आवश्यकता इस बात की थी कि कानून को सरल, सुबोध भावों में अभिव्यक्त किया जाय तथा उसे संहिताबद्ध (ब्लैकपलि) किया जाय, जिससे सामान्य जन कानूनों को समझकर उनका पालन कर सकें। उसने अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा यूरोप के देशों में सामान्य रूप से प्रचलित दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक कानूनों की संहिताएं तैयार की थीं। उसने विधिशास्त्र (श्रनतपेचतनकमदबम) को राजनीति से पृथक् करने की आवश्यकता बतलाते हुए इस दिशा में स्वयं कार्य प्रारम्भ किया, जसे आगे चलकर उसके शिष्य जॉन ऑस्टिन ने पूरा किया।

इंग्लैण्ड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था में अनेक गम्भीर और भीषण दोष थे। सर सैम्युल रोमिली के भावों में, शून्याय-व्यवस्था ऐसी थी, जिसे किसी भी सभ्य समाज के लिए अपमानजनक कहा जा सकता था। श बेन्थम ने तत्कालीन न्याय-व्यवस्था की अत्यधिक कटु आलोचना की। उसके अनुसार न्याय व्यवस्था बहुत अधिक जटिल और अनिश्चित थी, न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता था और इतना अधिक व्यय करना होता था जो सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर होता था। बेन्थम के भावों में, इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता है, जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता, वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता है। वह जजों को व्यवसायिकों के तौर पर जज एण्ड को (श्रनकहम – ब्लैक.) कहा करता था और उसका विचार था कि ये जज उन व्यक्तियों से निश्चित रूप से अधिक दुष्ट होते थे, जिन्हें भयंकरतम अपराधी कहकर उनके द्वारा मृत्युदण्ड दिया जाता था और उसका विचार था कि हमारे कानून जजों द्वारा जजों के लाभ के लिए ही बनाए जाते हैं। वकीलों के बारे में भी उसकी सम्पत्ति ऐसी ही थी। उसका कहना था कि ये धालसी सत असत का भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी, सार्वजनिक उपयोगिता के सिद्धान्त की परवाह न करने वाले, स्वार्थी तथा अधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले होते हैं !

उसने न्याय के क्षेत्र में कुछ सुधार भी सुझाए। उसने जजों की निरंकुषता पर रोक लगाने के लिए जूरी प्रथा का समर्थन किया। वह इस बात के पक्ष में था कि विवादों का निर्णय अनेक जजों के स्थान पर एक जज के द्वारा ही किया जाना चाहिए। एक जज द्वारा निर्णय देने पर ही जज में उत्तरदायित्व की भावना का संचार हो सकता है और न्याय के सम्मान की रक्षा की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके द्वारा समर्थित सभी वैधानिक सुधार अब तक अपनाए जा चुके हैं। न्यायिक सुधार के इतिहास में उसका स्थान बहुत ऊँचा है। सर हेनरी मेन ने इस सम्बन्ध में लिखा है, श मैं बेन्थम के समय से लेकर अब तक होने वाले ऐसे किसी वैध ज्ञानिक सुधार को नहीं जानता, जिसका स्रोत उसका प्रभाव न हो। श फ्रेडरिक पोलक ने भी लिखा है कि 19वीं सदी में इंगलिष कानून में हुए प्रत्येक महत्वपूर्ण सुधार में बेन्थम के विचारों का प्रभाव अंकित है।

दण्ड व्यवस्था और जेल सुधार

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

बेन्थम के समय की दण्ड व्यवस्था बड़ी अमानुशिक और कठोर थी। चोरी, जालसाजी, आदि छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी प्राणदण्ड दिया जाता था। अतः बेन्थम ने इस दण्ड व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बेन्थम का विचार था कि दण्ड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए और इसलिए दण्ड की प्रकृति तथा

मात्रा अपराध की गुरुता के अनुपात में ही होनी चाहिए, उससे कम अथवा ज्यादा नहीं। अधिक दण्ड देने से लाभ के बदले हानि की आशंका ही अधिक रहती हैं। बेन्थम का एक विचार यह है कि नए अपराधी को पुराने अपराधी से कम दण्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि नए अपराधी के सुधार की अधिक आशा रहती है।

दण्ड निर्धारित करने में चार बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिए (1) अपराध किस प्रकार का है छोटा या बड़ा। (2) वे परिस्थितियाँ, जिनमें अपराध किया गया, उदाहरणार्थ, भूख लड़का यदि एक रोटी चुरा ले, तो वह दया का पात्र है। (3) अपराधी का उद्देश्य, और (4) अपराध से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंचती है। डेविडसन के अनुसार, श्बेन्थम का विचार है कि दण्ड देने में भावना और दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए।

दण्ड ऐसा हो कि वह अन्य अपराधियों के लिए चेतावनीस्वरूप हो और इस दृष्टि की कठोरता के स्थान पर दण्ड की निष्चितता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से दण्ड प्रकट और सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए।

बेन्थम के समय में जेल का प्रशासन भी नितान्त असन्तोषजनक था और जेल में कैदियों के साथ पशुवत् व्यवहार किया जाता था। बेन्थम ने इस बात पर बल दिया कि जेलें ऐसी होनी चाहिए कि यातनाग ह के स्थान पर सुधार हों के रूप में कार्य कर सकें। जेल में अपराधियों को लाभदायक काम या शिल्प सिखाया जाना चाहिए जिससे कि बाहर आकर वे अपनी रोटी कमा सकें। अवकाश के समय में कैदियों को लिखने-पढ़ने तथा नैतिक और धार्मिक शिक्षा की सुविधा दी जानी चाहिए। उसका विश्वास था कि उचित शिक्षा और व्यवहार से प्रत्येक कैदी का जीवन सुधारा जा सकता है

बेन्थम के समय में हावर्ड फास्ट जेल की व्यवस्था सुधारने के लिए आन्दोलन कर रहा था। बेन्थम को इस आन्दोलन से बड़ी सहानुभूति थी। उसने एक आदर्श जेल का नमूना भी तैयार किया था और इसका नाम उसने स्पेन आष्टिकन (चंद-व्यजपबंद) रखा था। इस जेल की इमारत चक्राकार होती है और उसके बीच जेल के गवर्नर के रहने का स्थान होता। चारों तरफ चन्दियों की कोठरियाँ होती और गवर्नर अपने भीषे के केबिन में बैठा-बैठा कैदियों की दिनचर्या देखता रहता और जिस बन्दी को सुधारने के लिए जैसे उपचार की आवश्यकता होती वैसी ही व्यवस्था करता। बेन्थम की इच्छा थी कि ऐसी पहली जेल का गवर्नर वही बने, परन्तु उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। बेन्थम ने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण सुधारों की योजनाएँ रखीं। सम्भवतः जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, जो उसकी दृष्टि से अच्छा रहा हो।

बेन्थम शिक्षण सुधार के क्षेत्र में अग्रणी था। उसका विश्वास था कि मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता है। उसने शिक्षा को दी पद्धतियों का सुझाव दिया— प्रथम, निर्धन और नाथ बच्चों के लिए और द्वितीय, उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए।

प्रथम योजना यह थी कि अनाथ बालकों को अच्छी आदत सिखायी जाएं सिजसे उनका चरित्र निर्माण हो। फिर उन्हें कला कौशल या व्यवसाय सिखाया जाना चाहिए जिसमें वे



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

अपनी आजीविका कमा सकें। इसके बाद उन्हें बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। द्वितीय योजना के अन्तर्गत, उच्च वर्गीय शिक्षा में बौद्धिक विकास पर अधिक ध्यान दिया गया था। उस समय तक शिक्षा में ग्रीक, लैटिन, आदि विषय ही मुख्यतया पढ़ाए जाते थे। बेन्थम ने इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं और विज्ञान, आदि उपयोगी विषयों के अध्ययन पर बल दिया। शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में उसका सामान्य मत था कि सरल विषय पहले पढ़ाए जाएं और कठिन बाद में। वह प्लानीटर पद्धति का समर्थक था, जिसके अनुसार ऊँची कक्षा और योग्यता वाले विद्यार्थी निम्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं।

बेन्थम के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य था कि वह निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। इन बच्चों के जीवन को ऊँचा उठाने और इनका जीवन समाज के लिए उपयोगी तथा लाभदायक बनाने हेतु प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सुधार का प्रतिपादन करने में बेन्थम अपने समय से बहुत आगे था। उसके विचार तत्कालीन भासक वर्ग द्वारा पसन्द नहीं किए गए। उन्हें इस बात का भय था कि निर्धन वर्ग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर कुलीन और धनी वर्ग की सत्ता का अन्त कर देगा। इसके अतिरिक्त, उसकी योजना को व्ययसाध्य ही समझा गया। उसकी योजना चाहे किन्हीं कारणों से अस्वीकार की गयी हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसने भौक्षणिक सुधार की दिशा में अग्रणी होने का कार्य किया। उसके विचारों को बाद की सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया और वर्तमान समय के प्रत्येक प्रगतिशील राज्य द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा है।

बेन्थम के द्वारा भासन पद्धति, कानून तथा न्याय व्यवस्था दण्ड व्यवस्था और जेल सुधार तथा शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वे उसके सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बेन्थम के द्वारा तत्कालीन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रस्तावित किए गए और उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारों का व्यावहारिक स्थिति पर प्रभाव भी पड़ा। इस सम्बन्ध में, सी.एम. यंग ने लिखा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के किसी भी ऐसे कोने को ढूँढना कठिन है जहाँ बेन्थम की आत्मा आज भी कार्य न कर रही हो। बेन्थम की व्यक्तिवादिता (राज्य या समाज सम्बन्धी धारणा) यद्यपि बेन्थम के दर्शन में न तो मानवीय प्रकृति की आधारभूत नैतिकता या अच्छाई पर बल दिया गया है और न ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिसे लॉक, माण्टेस्क्यू और मिल ने इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है, बेन्थम के चिन्तन में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी बेन्थम उतना ही द व्यक्तिवादी है, जितना थॉमस पेन, लॉक या रूसो।

वेन्सम को व्यक्तिवादी कहने का कारण उसकी राज्य या समाज सम्बन्धी धारणा है। उसके अनुसार समाज अपने घटकों के योग से अधिक कुछ नहीं है, अपने घटकों के जीवन तथा उद्देश्य के अतिरिक्त समाज का अपना कोई जीवन और उद्देश्य नहीं है, सम्पूर्ण इकाई अपने अलग-अलग भागों का योग मात्र है। राज्य या समाज सम्बन्धी उसकी यह धारणा व्यक्तिवादी विचारधारा के ही अनुकूल है। बेन्थम के लिए व्यक्ति ही सत्य है, समाज उसकी दृष्टि में एक काल्पनिक निकाय है, जिसकी उसके घटक नागरिकों के अस्तित्व के अतिरिक्त अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति का राज्य के लिए नहीं।

व्यक्तिवादियों के समान ही बेन्थम राज्य को एक छोटी और अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार करता है। राज्य को अनिवार्य बुराई के रूप में ग्रहण कर लेने के बाद वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य के नियंत्रण की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से उसका विचार है कि राज्य को जहां तक सम्भव हो, न्यूनतम विधियां बनानी चाहिए। विधियों की उपमा उसने औशधि से दी हैं। जिस प्रकार अधिक औशधियाँ व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार अधिक विधियाँ समाज के विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। इसलिए विधियों की न्यूनता समाज और राज्य के स्वस्थ विकास के लिए नितान्त आवश्यक है।

बेन्थम के अनुसार राज्य का कर्तव्य है और इसी बात में उसकी उपयोगिता भी है कि वह उन्नति करने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल वे ही प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए जिनका लगाया जाना सामान्य हित में नितान्त आवश्यक हो।

बेन्थम की स्वतंत्रता सम्बन्धी कल्पना निशेधात्मक थी और वह प्रतिबन्धों के अभाव को ही स्वतंत्रता समझता था। बेन्थम के इन विचारों के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड कुछ दिनों के लिए एक ऐसा पुलिस राज्य हो गया, जिसे बहुसंख्यक सामान्य प्रजा के हितों से कोई मतलब नहीं था। भासन द्वारा अपनायी गयी इस प्यद्भाव्यम् नीति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड अधिकाधिक सम्पन्न होता गया, किन्तु इसके साथ ही मजदूरों की दरिद्रता, दुःख और बेकारी का भी कोई पारावार न रहा। अन्त में, उपयोगितावादियों को सवयं अपनी नीति में परिवर्तन करके मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आन्दोलन करना पड़ा, कानून बनाने पड़े और यह कहना पड़ा कि सामान्य जन के हितों की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा सभी सम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए।

बेन्थम की देन और महत्व

बेन्थम की विचारधारा में उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसके दर्शन में मौलिकता का भले ही अभाव हो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी यथार्थवादिता और क्रियात्मक सुधारवादिता के आधार पर व्यावहारिक राजनीति को एक नवीन दिशा प्रदान की। उसकी महत्वपूर्ण देन निम्नलिखित है

उपयोगितावाद का प्रतिपादन – बेन्थम की सर्वप्रथम देन एक दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में उपयोगितावाद की स्थापना और उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करना है यद्यपि बेन्थम के पूर्व डेविड हूम, प्रीस्टले, हचसन, पैले, हालबैक और हैलेविटियस जैसे विचारकों द्वारा प्रकट या अप्रकट रूप में उपयोगिता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जा चुका था, किन्तु इस पुराने सिद्धान्त को भास्त्रीय और व्यवस्थित रूप देने तथा इसे लोकप्रिय एवं भाक्तिषाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेन्थम को ही प्राप्त है। मैक्सी के भव्दों में, श्रुपयोगिता का विचार बहुत पुराना और सुपरिचित था। बेन्थम ने इसकी खोज नहीं कीकृत् किन्तु उसने तथा उसके अनुयायियों ने इसे विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित किया और इसे उपयोगिता का विलक्षण वेग प्रदान किया।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

राज्य के कार्य और उद्देश्य के सम्बन्ध में यथार्थवादी धारणा – उसकी दूसरी देन राज्य के कार्य और उद्देश्य के सम्बन्ध में आदर्शवादी दृष्टिकोण से विचार किया जाता था, किन्तु बेन्थम ने इस कल्पनात्मक राजनीतिक सिद्धान्त की जड़ को हिला दिया और राज्य के कार्यों मापदण्ड हेतु अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का एक व्यावहारिक आधार प्रदान किया। मैक्सी को अस्वीकार करने वाले तथा उसकी खिल्ली उड़ाने वाले व्यक्ति भी उसके इस सिद्धान्त की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि सरकार तथा उसके अधिकारों का औचित्य इसी बात से निश्चित होता है कि वह प्रजा को कितना निष्पक्ष और स्पष्ट सुख पहुंचा रही है और उसकी कितनी सेवा कर रही है।

कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार – बेन्थम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कानून और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में उसने जितना कार्य किया, सम्भवतया उतना अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं। उसके प्रयत्न से कानून में सरलता और स्पष्टता आयी और न्याय प्रशासन में बहुत सुधार हुआ। उसके द्वारा कानून के संहिताकरण पर बल दिए जाने के कारण 19वीं सदी में अनेक देशों में कानूनी संहिताएं बनीं और उसे प्रयत्नों से ही 1832 में पार्लियामेंट का प्रथम सुधार कानून पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में सुधार के लिए आन्दोलन करने वाले सभी व्यक्ति उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहे और प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति, निर्धन कानून तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित अनेक सुधार कानूनों को उसी प्रेरणा का परिणाम कहा जा सकता है। वैधानिक तथा न्यायिक क्षेत्र में उसके इस पथ-प्रदर्शन के कारण वैधानिक तथा न्यायिक सुधार के इतिहास में उसका एक अत्यन्त उच्च स्थान सुरक्षित हो गया है।

लोकतंत्र को भाक्ति प्रदान करना – बेन्थम ने प्रेस की स्वतंत्रता, गुप्त मतदान, वयस्क, मताधिकार, आदि का समर्थन करते हुए जनतंत्र को बल प्रदान किया है। उसने लॉर्ड सभा एवं कृकृ वंशानुगत अधिकारों का विरोध किया है। बेन्थम ने इस सिद्धान्त पर बल दिया कि भासन के द्वारा अपनी दिन-प्रतिदिन की नीति एवं आचरण को जनमत के सामने उचित सिद्ध किया जाना चाहिए। बेन्थम का यह दृढ़ मत था कि राज्य मुट्ठी भर लोगों की स्वार्थसिद्धि का साधन नहीं होना चाहिए, उसे सामान्य जनहित तथा सार्वजनिक कल्याण का साधन बनाया जाना चाहिए।

ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता उत्पन्न करना – व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से बेन्थम की एक महत्वपूर्ण देन ब्रिटिश राजनीतिक जीवन में स्थिरता को बनाए रखना है। फ्रेंच राज्य क्रान्ति के बाद से समस्त यूरोप में क्रान्तियों की बाढ़ सी आयी हुई थी और ब्रिटिश कामन्स सभा में भी कोलाहलपूर्ण द भय रोज की बात हो गए थे। ग्लैडस्टन जैसे व्यक्ति भी यह कहने लगे थे कि कोई भी महान उद्देश्य भावावेश के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में बेन्थम ने इस बात पर जोर दिया कि सुधार क्रान्तियों से अधिक वांछनीय है और इस प्रकार ब्रिटिश राजनीति को क्रान्ति से सुरक्षित रखा। बेन्थम द्वारा प्रस्तावित सुधार के कारण अंग्रेज यह समझ गए कि समी विवादपूर्ण प्रश्नों का समाधान भान्तिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और सिरों को तोड़ने की अपेक्षा उन्हें गिनने का ढंग ही उत्तम है।

राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान और गवेषणा को महत्व महत्वपूर्ण देन राजनीति और राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में परीक्षा, अनुसंधान और गवेषणा की प्रवर्धन का प्रतिपादन करना और उन्हें महत्वपूर्ण बनाना है। बेन्थम के समय तक ऐसा माना जाता था कि श्रेष्ठ भासन पुरानी परम्परा, सामान्य बुद्धि और अन्तःप्रेरणा के आधार पर किया जा सकता है, किन्तु बेनीम ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में किस नवीन नीति या संस्था को अपनाने के पूर्व सभी सम्बद्ध क्षेत्रों से तथ्य एकत्रित किए जाने चाहिए और विवादपूर्ण प्रश्नों की जांच के लिए समितियाँ और आयोग स्थापित किए जाने चाहिए, इस प्रकार की समस्त जांच-पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार बेन्थम ने राजनीतिक जीवन में प्रयोगवादी, अनुभववादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का श्रीगणेश किया और बेन्थम के बाद इस दृष्टिकोण को सभी देशों और पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

अपने समय के बौद्धिक वर्ग पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा। जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, आदि उसकी ही देन हैं। न केवल इंग्लैण्ड, वरन् रूस, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको और दक्षिण अमरीका के विभिन्न देश भी उसकी प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थे और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। हैजलिट (हंसपजज) का कथन बहुत कुछ सीमा तक सत्य है कि उसका नाम इंग्लैण्ड में कम, यूरोप में अधिकतर तथा चिली के मैदान और मैक्सिको की खानों में अधिकतम ख्यातिपूर्ण है। उसने नवीन विश्व को संविधान तथा भविष्य के लिए कानून प्रदान किए हैं।

बेन्थम की उपर्युक्त देनों को दृष्टि रखते हुए ही मिल ने लिखा है कि उससे मानव जाति के सर्वाधिक बुद्धिमान और महान शिक्षकों में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने मानव को भास्वत मूल्य के विचार प्रदान किए हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. बेन्थम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 2. श्रमकृति ने मनुष्य जाति को दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों सुख और दुख के अधीन कर रखा है। बेन्थम के इस कथन की व्याख्या और विवेचना कीजिए।

3. कानून, न्याय व्यवस्था और जेल सुधार, आदि विषयों के सम्बन्ध में बेन्थम की विचारधारा स्पष्ट कीजिए।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

जे०एस० मिल जॉन मिल का पुत्र था। उसका जन्म 20 मई, 1806 ई० को लन्दन में हुआ था। वह बचपन से ही बड़ी तेज बुद्धि का था। 8 वर्ष की आयु में उसने लेटिन भाषा सीख ली थी व 12 वर्ष की कम आयु में उसने दर्शन भास्त्र का अध्ययन आरम्भ कर दिया था। अध्ययन पूरा करने पर वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा में चला गया। यहाँ भी उसने अपना लेखन कार्य जारी रखा। सरकारी पद पर हरने के कारण उसे भासन पद्धतियों का भी अनुभव था। जॉन स्टुअर्ट मिल का पिता बेन्थम के उपयोगितावाद से बड़ा प्रभावित था। उस पर इस सिलसिले में अपने पिता व बेन्थम का प्रभाव पड़ा। बेन्थम ने मिल को अपना श्रद्धात्मिक पोता (चपतपजनंस ळतंदकेवद) कहकर पुकारा। 1866 से 1868 तक उसने रेडीकल प्रतिनिधि के रूप में बेस्टामिटर का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिनिधि त्व किया। संसद में मुख्यतः तीन विषयों पर बोला— (1) श्रमिकों के हितों से सम्बन्धित बातों पर, (2) स्त्री मताधिकार तथा (3) आयलैण्ड में भूमि सुधारों पर। 1873 में इस महान विचारक की मृत्यु हो गई।

रचनायें – उसकी प्रमुख रचनायें हैं—

(1) ऑन लिबर्टी, (2) द सिस्टम ऑफ लॉजिक, (3) कन्सीडरेशन ऑन रिप्रजेन्टेटिव गवर्नमेण्ट, (4) प्रसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनोमी, (5) यूटिलिटेरियनिज्म (6) सन अनसेटिल्ड क्वप्चन्स इन पॉलिटिकल इकॉनोमी, (7) थॉट्स ऑन पार्लियामेण्टरी रिफार्म्स, (8) एकजामिनेषन ऑफ सर विलियम हैमिलटन्स फिलॉसफी, (9) सब्जेक्शन ऑफ वूमेन (10) ऑटोबायोग्राफी, (11) श्री ऐसेज ऑन रिलीजन, (12) लेटर्स द्य

मिल द्वारा बेन्थम के उपयोगितावाद में संशोधन – जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेन्थम के उपयोगितावाद के सिद्धान्त को एक दर्शन एक विश्वास और एक धर्म के रूप में ग्रहण किया तथा इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। किन्तु मिल का बौद्धिक क्षिति⁵ और भावात्मक आधार बेन्थम से कहीं अधिक व्यापक था और उसमें मनवीयता के तत्व की प्रधानता थी।

मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अपने जीवन में भावना की महत्ता स्वीकार करने के पश्चात् उसने एक भिन्न जीवन—दर्शन बनाया। उसने लिखा है, 'मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है। लेकिन अब मैं सोचने लगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख का सीधा लक्ष्य न बनाया जाये। वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने सुख के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपने विचार को केन्द्रित करते हैं, चाहे वह दूसरों का सुख हो, मनुष्य जाति का सुधार हो या कोई कला हो कृकृकृकृकृदूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो इस बात में मेरे विचारों में हुआ, वह था मनुष्य की आन्तरिक संस्कृति को मानव—कल्याण के लिए उचित स्थान देना। मैंने बाह्य वातावरण के संगठन पर ही सारा ध्यान केन्द्रित करना बन्द कर दिया।

जे० एस० मिल द्वारा बेन्थम के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए—

1. मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख मिल के इन विचारों ने पूरे उपयोगितावाद

में ही परिवर्तन कर दिया। बेन्थम के उपयोगितावाद के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता

है, वह स्वकेन्द्रित है। वह दूसरे सुख और दुःख को नहीं समझ सकता। इसके स्थान पर मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। यह दृष्टिकोण उपयोगितावाद के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त मिल के समय में उपयोगितावाद की तीव्र आलोचना की जा रही थी तथा यह कहा जा रहा था कि श्यह ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है और मानव जीवन को दूषित करने वाला है। मिल ने इन आरोपों का खण्डन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक तथा सुखकारी तत्वों का समावेश किया जिसके मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। इस प्रकार उपयोगितावाद के सम्बन्ध में मिल की स्थिति एक वैचारिक द्वन्द्व की है। इस सम्बन्ध में मैक्सी ने लिखा है कि, 'मिल में हम संघर्ष देखते हैं। वह संघर्ष है उसकी बौद्धिक सामग्री जो कि उसने अपने उपयोगितावादी गुरुजनों से विरासत में मिली थी, जिनके लिए उसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा थी और उस परिणाम के बीच जिस पर कि वह अपने खुले मस्तिष्क तथा संवेदनात्मक पर्यवेक्षण के कारण पहुँचा था

मिल ने लिख 'मैं उपयोगिता को समस्त आध्यात्मिक प्रश्नों का अन्तिम लक्ष्य मानता हूँ। परन्तु यह उपयोगिता व्यापक अर्थ में होनी चाहिए तथा उसका आधार प्रगतिशील मनुष्य के स्थाई हित में होने चाहिए।

2. सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार किया— मिल ने बेन्थम के विपरीत विभिन्न सुखों गुणात्मक भेद स्वीकार किया। उसने अनुभव किया कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अन्तर भी किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उसने लिखा है कि 'इस बात को मानना कि उपयोगितावादी सिद्धान्त के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जहाँ सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक अजीब बात होगी। 'इस प्रकार उसने सुख के गुण पर अधिक जोर दिया। उसका मतलब यह है कि सुख उच्चतर व निम्नतर दो प्रकार होते हैं। उसके अनुसार 'प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम सुख ही प्राप्त करना चाहिए और निम्नतर सुख से बचना चाहिए।

एक सन्तुष्ट सुअर की अपेक्षा असन्तुष्ट मानव श्रेष्ठ है। एक सन्तुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असन्तुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है और यदि मूर्ख और सुअर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिये कि केवल वे अपने पक्ष को जानते हैं। जबकि दूसरा पक्ष (मानव और सुकरात) दोनों पक्षों में। दोनों प्रकार के सुखों को जानता है।

इस प्रकार मिल ने विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हुए उपयोगितावाद को अधि कि मानवीय बना दिया।

3. सुख के आन्तरिक स्रोत को स्वीकार करना— बेन्थम ने सुख व दुःख के केवल बाहरी स्रोत बताये थे। वे थे प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक। मिल ने कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना। उसका कहना था कि जब हम किसी अनुचित कार्य को करते हैं तो हमारी भावनाओं को ठोस पहुँचती है। इसी तरह जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

तो हमें आन्तरिक सुख होता है। इस तरह से मिल ने भावनाओं को भी सुख व दुःख का स्रोत माना और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध स्थापित किया।

इस प्रकार मिल सुख दुःख के आन्तरिक स्रोत की बात कहकर उपयोगितावादी सिद्धान्त के आधार का ही अन्त कर देता है।

4. समाज का आध्यात्मिक उद्देश्य— मिल के दर्शन की एक खास विशेषता यह थी कि उसने नैतिकता को सामाजिक माना। उसका विचार था कि समाज का एक आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। वह है समूह लोगों का सुख मिल कहता है कि व्यक्ति को केवल अपने सुख को प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि समाज के सुख को प्राप्त करने के लिए व्यय करना चाहिए। वह व्यक्ति को अकेला नहीं मानता बल्कि उसे समाज के अंग के रूप में देखता है। उसका कहना है कि सभी के लाभ में कार्य करने में ही मनुष्य अपनी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। वह कहता है कि क्योंकि पशु का सुख एक अच्छाई है, और पक्षी इत्यादि का इसी प्रकार से इन सभी अच्छाई का योग भी एक अच्छाई है।

5. अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धान्त य में प्रतिपादन — बेन्थम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को एक राजनीति सिद्धान्त समझता था तथा व्यवस्थापन, प्रशासन, कानून निर्माण तथा सामाजिक नीतियाँ निश्चित करने में इस सिद्धान्त के प्रयोग का पक्षधर था किन्तु मिल स्थिति इस सम्बन्ध में दूसरी थी। उपयोगिता का सिद्धान्त उसके हाथों व्यवस्थापक के लिए निर्दिष्ट सिद्धान्त बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धान्त बन गया।

6. स्वतंत्रता साध्य है, साधन नहीं — बेन्थम ने स्वतंत्रता तथा उपयोगिता में उपयोगिता को अधिक महत्व प्रदान किया है। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है। साध्य नहीं किन्तु मिल के मतानुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है तथा निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल का मत है कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं हो सकता है।

7. इतिहास तथा परम्पराओं का महत्व — बेन्थम के मतानुसार उपयोगिता का सिद्धान्त समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है लेकिन मिल का विचार है कि अलग-अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परम्पराएँ होती हैं, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। वे इतिहास और परम्पराएँ प्रत्येक समाज के अन्तर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती हैं, इसीलिए कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके। अतः हमें किसी सार्वभौमिक धारणा या व्यवस्था का प्रतिपादन करने के बजाय इतिहास तथा परम्पराओं की भिन्नता तथा उनके महत्व को दृष्टि में रखना चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मिल ने मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवाही लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर तथा बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुःख का स्रोत मानकर उपयोगितावाद को अधिक

मानवीय बना दिया है। बेन्थम का उपयोगितावाद मात्र एक सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है, मिल ने इस भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का समोष किया है। दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए मैक्सी कहते हैं बेन्थम का उपयोगितावाद का सिद्धान्त भेड़ियों के समाज में स्वार्थ को महत्व देता है और सन्तों के समाज में साधुता

को। मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई भी समाज हो उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता ही होनी चाहिए।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जे०एस० मिल ने बेन्थम में तीन परिवर्तन किए – (1) सभी सुख एक जैसे नहीं हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने चाहिए बेन्थम का यह कहना गलत है कि प्रसापिन खेलने से जैसा सुख मिलना है वेसा ही कविता से पालत है। (2) सुख के स्रोत केवल बाहरी नहीं हैं। यह भावना से भी प्राप्त होता है। (3) समाज का आध्यात्मिक उद्देश्य है। व्यक्ति समाज का अंग है। इसीलिए उसका सुख समाज से अलग नहीं।

प्रतिनिधि भासन

अपने पिता जेम्स मिल व बेन्थम की तरह मिल भी लोकतंत्र का समर्थक था। मिल ने अपनी पुस्तक प्लवदेपकमतंजपवद वद त्मचतमेमदजंजपअम ळवअमतदउमदज में प्रतिनिधि भास पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मिल प्रतिनिधि भासन की व्याख्या करते हुए कहता है कि, प्रतिनिधि भासन का अर्थ यह है कि सम्पूर्ण जनता अथवा उसका अधिकांश भग स्वयं अपने द्वारा समय-समय पर निर्वाचित किये जाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा उस नियंत्रक भाक्ति का प्रयोग करती है, जो प्रत्येक संविधान में कहीं निवास करती है।

वह मुख्य रूप से विधानमण्डलों में अल्प-मतों की दयनीय दशा से चिन्तित था। अल्प-संख्यक कम संख्या में होने के कारण संसद में अपने हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। बहुसंख्यक लोग उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हैं। वे उनके साथ निरंकुषता का व्यवहार करते हैं। मिल यह जानता था कि जिस तरह बहु संख्यकों के अधिकार हैं, उसी तरह अल्पसंख्यकों के भी अपने हित और अधिकार हैं।

प्रतिनिधि भासन का स्पष्टीकरण निम्नलिखित भातों को पूरा करता है—मिल के

मतानुसार प्रतिनिधि भासन वह है जो 1. जनमत की स्वीकृति – वे लोग जिनके लिए

ऐसे भासन की स्थापना की जाये, इसे स्वीकार करने के इच्छुक हों या फिर इतने

निच्छुक न हों कि इसकी स्थापना में बाधा डाले।

2. स्थायित्व – प्लस भासन के स्थायित्व के लिए जो कुछ करना सम्भव है उसे करने की लोगों में इच्छा या योग्यता।

3. योग्यता – इस भासन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार लोगों से जो कुछ कराना चाहे, उसे करने की योग्यता लोगों में हो और उन्हें करने के लिए लोग तैयार हों।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या — मिल का कहना है कि वास्तविक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब अल्प संख्यकों को भी चुने जाने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए उसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव दिया। इसका अर्थ यह है कि अल्प संख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में संसद में स्थान दिये जायें। इस तरह से प्रतिनिधित्व प्राप्त करके अल्प संख्यकों को भासन प्रबन्ध में भाग लेने दिये जायें। इस तरह से प्रतिनिधित्व प्राप्त करके अल्प संख्यकों को भासन प्रबन्ध में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्हें सुरक्षा प्राप्त होगी और अपने हितों की रक्षा करने का मौका मिलेगा।

लेकिन इस व्यवस्था के बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। इससे अल्प संख्यकों व बहु संख्यकों के बीच मतभेद बढ़ेंगे और स्थिर सरकार बनाने में भी कठिनाई आ सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि व्यवस्थापक बुद्धिमान और दूरदर्शी हों। वे निजी स्वार्थ और लागत भावनाओं के ऊपर उठकर काम करने की क्षमता रखते हों।

बहुल या गुणात्मक मतदान — मिल ने निर्वाचकों की समस्या पर भी ध्यान दिया उसका कहना था कि बुद्धिमान शिक्षित व गुणों मतदाताओं को मूर्ख, अशिक्षित व गुणहीन मतदाताओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसने बहुल मतदान का समर्थन किया। पढ़े लिखे व बुद्धिमान लोगों को योग्यता के अनुसार एक से अधिक संख्या में मत देने का अधिकार दिया जाये। उसका विचार था कि उच्च प्रकार की बुद्धि और श्रेष्ठ चरित्र ही लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं और निर्वाचकों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उसने बहुल मत योजना के लिए सभी रास्ते खोल दिये। यह अधिकार एक गरीब को भी मिलना चाहिए बशर्ते वह बुद्धिमान और श्रेष्ठ चरित्र हों।

मिल संसद सदस्यों को वेतन दिये जाने के पक्ष में नहीं था। इससे पेशेवर राजनीति पैदा होते हैं। संसद में तो सेवा भाव से प्रेरित लोग होने चाहिए। संसद के लिए चुने जाने वाले लोगों को चुनाव व्यय राज्य को देना अन्यथा वे लोग उस व्यय की पूर्ति संसद को सदस्यता से लाभ प्राप्त करके करते हैं।

मतदाता की योग्यता— मिल ने यह भी कहा कि मताधिकार के लिए कुछ शिक्षा सम्बन्ध भाते होनी चाहिए। वह लिखता है, श्रम इस बात को स्वीकार नहीं करता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जो कि लिखना पढ़ना व गणित भी न जानता हो। लेकिन मिल का उद्देश्य आम आदमी को मताधिकार से वंचित करना नहीं था। इसीलिए उसने अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया।

भौक्षिक योग्यता के साथ-साथ मिल मतदाताओं की सम्पत्ति विषयक योग्यता पर भी बल देता है। उसका मत है कि जिनके पास सम्पत्ति होती है वे सम्पत्तिविहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं। सम्पत्तिविहीन व्यक्ति सार्वजनिक मामलों में अपव्ययी प्रवृत्ति अपना लेते हैं और जनता के हितों की उचित रूप में रक्षा नहीं कर पते !

MATS Centre for Distance and Online Education
74
बहुल मतदान — मिल गुप्त मतदान का विरोधी तथा खुले मतदान का समर्थक है। उसका मत है कि मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। जिसका प्रयोग बुद्धिमता, समझ और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप में किया जाना चाहिए। इस अधिकार के प्रयोग

में गोपनीयता रखना गुप्त-चुप किये जाने वाले अनुचित एवं कार्य के समान है। प्रो० टीप्पे ने भी मिल के समान गुप्त मतदान को ष्कुत्सित चालक कहा है।

संसद के कार्य— मिल ने संसद के कार्यों का वर्णन किया है। संसद का कार्य सरकार को सीमा में रखना है। अगर सरकार जनहित में काम नहीं करती तो उस पर रोक लगाना संसद का काम है। इसी तरह से संसद में जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों पर विचार होना चाहिए और उन्हें दूर करने के कदम उठाये जाने चाहिए। श्रमशासन कार्य में संसद का उचित कार्य अपने मत द्वारा उसका निर्णय करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि वे व्यक्ति उसका निर्णय करने योग्य हों। इसी तरह से मिल नौकरशाही के बढ़ते हुए अधिकारों पर भी रोक लगाना चाहता था। वह लार्ड सभा का समर्थक था क्योंकि इस सदन में बुद्धिमान लोगों को स्थान मिला हुआ है। वह तो कानून का मसविदा तैयार करने का काम लार्ड सभा को देने के पक्ष में था।

उपरोक्त विचारों से पता चलता है। कि मिल ने मानव कल्याण की भावना को भासन सम्बन्ध विचारों में पूरा स्थान दिया। उसने प्रतिनिधियों की बुद्धि व चरित्र पर भी बराबर जोर दिया। उसने बेन्थम के लोकतंत्रवाद को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। संसद सदस्यों को वेतन न देकर व निर्वाचन व्यय को सरकार पर डालकर तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करके उसने व्याहारिक लोकतंत्रवादी होने का प्रमाण दिया।

स्त्री मताधिकार (वउमद थ्दंदबीपेम) मिल भारू से ही स्त्रियों की दुर्दशा से चिन्तित था। उस समय राजनैतिक व सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था। वे घर की चहारदीवारी में कैद पुरुषों की सेवा व बच्चों को पालती थीं। कानून में भी स्त्रियों की निम्न स्थिति को स्थापित कर दिया गया था। स्त्रियों की स्थिति वास्तव में गुलामों जैसी बनकर रह गई थी। विवाहित जीवन के बाहर स्त्री का समाज में कोई स्थान नहीं था। अगर कोई स्त्री विवाह नहीं करती थी तो उसका जीवन और भी कष्टमय हो जाता था। वह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। उसे नौकरियों के अयोग्य समझा जाता था। वह अपनी रोटी के लिए पुरुष पर निर्भर थी।

मिल को इन सब बातों को देखकर दुःख होता था। इसलिए उसने उनकी दशा सुधारने के लिए काम किया। उसने संसद में सबसे पहले स्त्री वर्ग के अधिकारों का जोरदार समर्थन किया। वह लन्दन में स्थित स्त्री मताधिकार समिति का सक्रिय समर्थक था। उसका कहना था कि अगर लिंग सम्बन्धी अन्तर केवल बाहरी है तो उसे दूर किया जा सकता है। उसने यह साबित किया कि पुरुष व स्त्री के बीच भेद बनावटी है जो पुरुष ने पैदा किया है। पुरुष स्त्री को सिर्फ अपनी वासना पूर्ति का साधन समझता है। अगर एक बार स्त्री जाति को भी पुरुष के बराबर अधिकार और अवसर दे दिये जायें तो वे भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकती हैं। पुरुष इसी डर से ऐसा नहीं होने देता।

मिल ने कहा कि नौकरियाँ योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए न कि लिंग के आधार पर मिल यह बात कतई नहीं मानता कि बुद्धि या भारीर में स्त्रियाँ पुरुषों से कमजोर हैं। लेकिन पुरुषों ने ऐसा कहकर स्त्रियों को गुलाम जरूर बना रखा है।

MATs Centre for Distance and Online Education, MATs University

मिल का इस समन्ध में कथन था कि, शराजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में लिंग के आधार पर भेद करना वैसा ही अप्रासंगिक मानता हूँ जैसे कि बालों के रंग के आधार पर भेद करना।



अगर कोई भेद ही करना हो तो महिलाओं को पुरुशों की तुलना में मताधिकार की अधिक आवश्यकता है क्योंकि भारीरक दृष्टि से निर्बल होने के कारण वे अपनी रक्षा के लिए विधि और समाज पर अधिक निर्भर हैं।

विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

मिल ने उपयोगिता के आधार पर भी स्त्री मताधिकार का समर्थन किया जिस तरह स्वषासन से पुरुशों का सुख मिलता है, उसी तरह से स्वतंत्र वातावरण में रहकर स्त्रियों को सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा उन्हें अपनी प्रतिभा व योग्यता को बढ़ाने का मौका मिलेगा। समाज को भी पुरुशों व स्त्रियों के सुख से लाभ मिलेगा।

मिल के सभी मताधिकार सम्बन्धी विचार उसके समय से आगे थे। आज इंग्लैण्ड में स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में बराबरी प्राप्त है। ऐसा बड़े संघर्श के बाद हुआ। इस संघर्श में जहाँ स्त्रियों के स्वयं के प्रयत्नों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई वहीं मिल सरीखे लोगो के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है।

प्रतिनिधि— मिल का विचार है कि प्रतिनिधि जनता का प्रत्यायुक्त मात्र ही नहीं होता है वरन् वह एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक होता है, जिसके द्वारा स्थानीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए।

प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय— मिल के मतानुसार कानून निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य है इसीलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों को एक छोटी संस्था का होना चाहिए। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता तथा दक्ष सरकारी कर्मचारी हों। विधानसभा का कार्य इस समिति के कार्यों को आलोचना करना तथा अवसर पड़ने पर उन्हें पद से हटाने तक ही समिति होना चाहिए, मिल का विचार है कि समाज के नीति निध रिण तथा कानून बनाने कार्य करने के लिए भासन में भी दक्ष तथा कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में मिल का सुझाव है कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा लेकर एक स्वतंत्र आयोग द्वारा स्थायी रूप से की जानी चाहिए। इन कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें पदच्युत करने का अधिकार विधानसभा को दिया जा सकता है। जन प्रतिनिधियों को कर्मचारी वर्ग की जनता की इच्छाओं से अवगत कराना चाहिए तथा कर्मचारी वर्ग को उपयुक्त कार्य की सिद्धि के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। इस प्रकार एक श्रेष्ठ भासन में प्रजातंत्र और कार्य कुशलता के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। मिल के प्रतिनिध्यात्मक भासन सम्बन्धी विचारों की आलोचना मिल के प्रतिनिध्यात्मक भासन सम्बन्धी विचारों की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती

1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपयोगी—आलोचकों का मत है कि अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जिस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है वह जटिल तथा अनुपयोगी है यह पद्धति छोटे-छोटे अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहित कर प्रतिनिधि भासन के लिए संकट का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यह सर्व साधारण की समझ से भी बाहर है। प्रो० स्ट्रांग के भावों में, शैक्षणिक दृष्टि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सभी प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत होता है, किन्तु व्यवहार में स्थिति ऐसा नहीं है।

2. खुला मतदान उचित नहीं मिल के विचारानुसार खुला मतदान अपनाने पर प्रजातंत्र न रहकर एक आतंकवादी और वर्गतंत्रीय व्यवस्था के रूप में परिणत हो जायेगा ।

3. बहुल मतदान अव्यवहारिक – मिल द्वारा प्रतिपादित बहुल मतदान सैद्धान्तिक दृष्टि से भले ही उचित प्रतीत हो किन्तु व्यवहार के अन्तर्गत अपनाने में अधिक कठिनाईयाँ हैं ।

4. मताधिकार पर लगाये गये प्रतिबन्ध अनुचित – मिल के द्वारा मताधिकार पर भौक्षणिक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी जो प्रतिबन्ध लगाये हैं वे न तो सैद्धान्तिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण हैं और न ही व्यवहारिक हैं। व्यवहार में अनेक बार शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा निरक्षर किन्तु व्यवहारिक ज्ञान से सम्पन्न व्यक्ति अपने मताधिकार का भली प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति की योग्यता तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

रु निश्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि मिल प्रतिनिधि भासन के दोषों तथा उसकी कमियों से परिचित तथा उन्हें दूर करने के प्रति जागरूक था। इस सम्बन्ध में वेपर लिखते हैं कि, शमिल प्रजातंत्र की बुराईयों से प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहता था क्योंकि वह तत्कालीन आवश्यकता थी और ऐसा करने में वह सफल रहा। उसका महत्व चिरंजीवी तथा चिरस्मरणीय है ।

स्वतंत्रता पर विचार (View of Liberty)

मिल अपने स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। उसके स्वतंत्रता पर विचारों के कारण फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उसे सम्मानित किया व उसे फ्रेंच नागरिकता प्रदान की थी । उसके स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार हमें उसकी पुस्तक द स्पिरीट ऑफ़ लॉ में देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक में उसने स्वतंत्रता के स्वरूप, व्यक्ति व समाज के लिये उसकी उपयोगिता नागरिकता और राज्य तथा व्यक्ति व लोकमत के बीच पाये जाने वाले संघर्शों की चर्चा की है।

मिल के समय तक इंग्लैण्ड में राजा की निरंकुषता खत्म हो गई थी। संसद की भाक्ति का विस्तार हो गया था। लेकिन एक नई समस्या यह पैदा हो गई थी कि संसद में बहुसंख्यक दल निरंकुष होने लगा था। इस बहुसंख्यक वर्ग की निरंकुषता से अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा करना एक समस्या थी ।

संसद में बहुसंख्यक वर्ग की निरंकुषता पर रोक— मिल ने लिखा है कि, श्रवणसित राज्यों में जो लोग भासन करते हैं, वे सदैव ही उन लोगों का ध्यान नहीं रखते जिनके ऊपर भासन हो रहा है। इसीलिये आज स्वशासन का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ऊपर भासन कर रहा है बल्कि यह है कि प्रत्येक के ऊपर अन्य भासन करते हैं कृकृ राजनीतिक चिन्तन में बहुसंख्यक की निरंकुषता ऐसी बुराई समझी जाने लगी हैं, जिससे समाज को रक्षा करनी जरूरी है।

लोकमत से खतरा— मिल ने यह भी बताया कि संसद में बहुसंख्यक की निरंकुषता से अधि एक खतरनाक लोकमत हो सकता है। लोकमत के प्रभाव में कोई मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

नहीं कर सकता है। समाज तथा लोकमत दोनों ही मिलकर व्यक्ति को अमुक हप्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाता है। इससे व्यक्ति के स्वयं विचार करने की भाक्ति समाप्त हो जाती है और वह हर कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाता है। उसने लिखा है, श्विचारशील मनुष्य ने यह भी देखा कि जब समाज स्वयं निरंकुष हो जाता है— समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के ऊपर उन व्यक्तियों का सामूहिक रूप से निरंकुष होने लगता है तो उसके दमन के साधन केवल राजनीतिक सत्ता के कार्य और व्यवहारों तक ही समिति नहीं रहते। समाज स्वयं अपने आदेशों का पालन करता है इसलिये केवल न्यायाधीश का निरंकुषता से बचना ही काफी नहीं है, प्रचालित लोकमत से भी बचने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता की समस्याएं — मिल ने अपनी पुस्तक (द स्पइमतजल) में बताया है कि वह जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने जा रहा है — वे केवल अपनी सामान्य प्रतिभाओं से युक्त वयस्क व्यक्तियों के लिए हैं। इन सिद्धान्तों का प्रयोग बालकों, अपरिपक्व व्यक्तियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों पर नहीं किया जाना चाहिए। इनका उपयोग ऐसे लोगों पर भी नहीं होना चाहिए। जिनके मस्तिष्क विक त हों अथवा चिरत्र दूषित हो या जिनकी प वाह करने की जरूरत दूसरे लोगों को पड़ती हो। पिछड़ी जाति व हिंसात्मक प्रकृति वाले लोगों के लिए तो मिल ने निरंकुष भासन ही सबसे अच्छा बताया है। स्वतंत्रता के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे ही लोगों में होना चाहिए। जिन्होंने अपना विकास करने की क्षमता पैदा कर ली है।

डॉ० वार्कर ने कहा है कि कार्य और विचार की स्वतंत्रतास की कल्पना से ऊपर उठकर मिल ने एक ऐसी स्वतंत्रता का रूप निर्धारित किया जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक और लोकोत्तर विकास भी हो सकें।

स्वतंत्रता की धारणा— मिल का कहना है कि मनुष्य को अपने विकास के लिए अधिक से अधिक और ऐसे मिलने चाहिए जिनमें वह पूरी तरह अपना विकास कर सकें। उसका बौद्धिक क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि वह अपना व्यक्तित्व वह निखार सकें। प्रश्न यह है कि मिल ने इस तरह के विचार क्यों अपनाये? इसका मुख्य कारण इंग्लैण्ड में तेजी से लोकतंत्रवाद का अपनाया जाना था। ब्रिटिश संसद अनेक प्रजातान्त्रिक विधियाँ बना रही थी। अधिक कानूनों के राज्य द्वारा बनाये जाने का अर्थ व्यक्ति व उसकी स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबन्ध होना व उसका राज्यसत्ता के सामने नतमस्तक होना था। लोकतंत्र के इस भात्रु को मिल अच्छी तरह समझता था। उसका यह कहना ठीक ही था कि अगर नांगरिक का व्यक्तिगत उत्साह समाप्त हो जाता है तो किसी तरह की सामाजिक व राजनीतिक तरक्की सम्भव नहीं है।

लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मिल हर तरह के व्यक्तित्व को विकास के अवसर देने का समर्थन करता है। चोर को बेहतर चोर बनाने के पक्ष में नहीं था। वह मानता था कि व्यक्ति की भावना में एक अंश ऐसा भी होता है जिसके दमन की जरूरत होती है। लेकिन साथ ही वह व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता देना चाहता था जिससे वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहते हुए भी सामाजिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को न भूले।

1. विचार तथा भाषण की स्वतंत्रता – मिल का मत है कि हर व्यक्ति को विचारों का अपनाने और उन्हें प्रकट करने की पूरी-पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग में आता है—या तो व्यक्ति का मत सत्य है या मिथ्या अथवा कुछ सत्य और कुछ मिथ्या। यदि सरकार या प्रशासन किसी ऐसे मत का दमन करता है जो अपने स्थान पर सत्य है तो इसका मतलब यह है कि सरकार सत्य की खोज के मार्ग में बाधक है। यह सरासर अन्यायपूर्ण है। ऐसी अवस्था में अधिकारी में अधिकारी वर्ग बहुधा अपनी रक्षा करने के लिए ऐसी बात करता है कि हम उस समय यह नहीं कर सकते कि वह मत सही या गलत था। लेकिन कम से कम उस समय तो यह हमें गलत ही लगा और हमने सोचा कि वह सार्वजनिक कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह के अधिकारी वर्ग ने यही सोचा कि जो कुछ उसका विचार है वही सत्य है, बाकी लोग जो कुछ सोचते हैं या कहते हैं वह गलत है।

सत्य को हम विरोधी विचारों के सम्पर्क में लाकर ही जीवित रख सकते हैं क्योंकि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं और विभिन्न पक्ष परस्पर विरोधी नहीं वरन् पूरक होते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर ही हम सत्य के पूर्ण रूप को समझ सकते हैं।

सरकार प्रायः यह दावा करती है कि हानिकारक मतों को रोकने का अधिकार रखती है। इस बात का उत्तर मिल ने इस तरह से दिया कि अगर वह मत गलत या हानिकारक भी है तो सरकार को उसे दमन करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अगर कोई विचार गलत या असत्य भी था तो जनता स्वयं उसे समझ सकती हैं और उसकी निन्द कर सकती है। जनता खुद ही असत्य बात टुकरा देगी। अगर कोई विचार आंशिक रूप में सत्य है तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उसमें सत्य का कुछ अंश तो है। मिल का कहना था कि झक्की या सनकी व्यक्तियों को भी अपने मतों का प्रचार करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुधा देखा गया है कि जिनको समाज से सनकी समझा है, उन्हीं में से किसी ने ऐसे विचार प्रस्तुत किये हैं जो युग की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व कर बैठे हैं!

इस सम्बन्ध में वह कहता है कि श्रद्धा सनकी व्यक्तियों में से नौ निरर्थक बुद्ध हो सकते हैं किन्तु दसवाँ व्यक्ति मानव जाति के लिए इतना लाभदायक हो सकता है जितने अनेक साधारण व्यक्ति मिलकर भी नहीं हो सकते।

मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप वरन् असहिष्णु समाज बहुमत और परम्पराओं के दबाव से भी करने के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सेवाइन ने लिखा है कि, श्मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता वरन् ऐसे बहुमत की ओर से आता है, जो नवीन विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को सन्देह की दृष्टि से देखता है और जो अपनी संख्या के जोर से उन्हें दबा देना चाहता है।

मिल का विचार है कि चूँकि बहुमत सदैव ही सही नहीं हुआ करता, अतः बहुमत के द्वारा अल्पमत का दमन नहीं किया जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सरकार को भी सबसे बुरी सरकार ने अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। मिल के अनुसार श्रद्धा हानिकारक है जबकि भासन इसका प्रयोग जनमत के विरुद्ध करता है और उस समय इससे भी अधिक हानिकारक है जबकि दूसरा प्रयोग जनमत के अनुकूल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति को छोड़कर सम्पूर्ण मानवता एक ही विचार की हो, तो भी मानवता को इस एक व्यक्ति को मौन



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

रखने का इससे अधिक अधिकार नहीं हो सकता। जितना कि उस व्यक्ति को यदि उसके पास मात्ति हो तो सम्पूर्ण मानवता को मौन रखने का अधिकार हो सकता है।

उसका कहना था कि अगर सारी मानव जाति में से एक व्यक्ति का भोश तमाम लोगों से भिन्न मत है तो भी उस अकेले व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने से नहीं रोकना चाहिए। जिस तरह से वह अन्य लोगों को मत प्रकट करने से नहीं रोक सकता उसी तरह से वे उसे नहीं रोक सकते हैं। मिल यहाँ तक कहता है कि समाज में उस व्यक्ति नात्तिषाली होकर समस्त लोगों को अपना मत प्रकट करने से रोके।

विचार व भाषण का स्वतंत्रता में मिल का मूलभूत विचार यह है कि हम सत्य को सिर्फ तर्क-वितर्क से ही जान सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी विचार को यों ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए बल्कि खुले मस्तिष्क से विचार करने के बाद ही कोई निश्कर्ष निकालना चाहिए। वास्तव में मिल का स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार उपयोगिता पर आधारित था। व्यक्ति जब भाषण व विचार की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है तो उसे सुख मिलता है। वह यह महसूस करता है कि समाज में उसकी बात सुनी जाती है। वह समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे मानव को ही नहीं समस्त मानव जाति को लाभ होता है। इसके विपरीत जैसा कि मिल ने कहा है कि श्विचार की अभिव्यक्ति का दमन करने का एक विषिष्ट दोष यह है कि ऐसा करना मानव जाति की आगामी और वर्तमान पीढ़ियों को लूटना है।

2. कार्य की स्वतंत्रता भाषण व विचार की स्वतंत्रता के साथ व्यक्ति के लिए कार्य की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। मिल व्यक्तित्व को मानवीय सुख का मुख्य तत्व तो मानता ही है, साथ ही उसे सामाजिक प्रगति का भी उच्चतम तत्व समझता है। लेकिन व्यक्तित्व को आचरण में प्रकट होने का भी अवसर मिलना चाहिए। उसका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक सोचता है, परन्तु दूसरों की आज्ञानुसार आचरण करता है तो उसके लिए यही बेहतर है कि वह गुलामी का जीवन बिताये।

मिल के अनुसार, श्कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व है और वही वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है।

कार्य की स्वतंत्रता को कार्य इस सीमा तक महत्व बताने के बाद मिल ने इस बात पर विचार किया है कि मनुश्य को कार्य की कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उस पर समाज का कितना नियंत्रण उचित है। वह राज्य के हस्तक्षेप की सीमाएँ तय करने के लिए मनुश्य के कार्यों को दो वर्गों में बाँटता है—

1. स्व-विशयक — वे कार्य जो व्यक्ति के स्वयं से सम्बन्धित हैं 2. स्व-विशयक — वे कार्य जो दूसरों से भी सम्बन्ध हैं पहले प्रकार के कार्य के अन्तर्गत वे कार्य आते हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के व्यक्तिगतजीवन से होता है। जैसे—खाना, पहलना, सोना, आचार-विचार आदि। मिल इन कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है।

मिल का कहना है जब तक कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता जिससे दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता तो राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति क्या खाता

है, कहीं रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, यह उसके व्यक्तिगत मामले हैं जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

मिल का विचार है कि व्यक्ति ही अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक है। अतः यदि कोई व्यक्ति घर के अन्दर जुआ खेलता है या भाराब पीता है तो राज्य को उसे ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए। दूसरों से सम्बन्धित या पर विषयक कार्य वे होते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। दूसरों से सम्बन्धित मामलों में राज्य कार्य की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति भाराव पीकर ऊधम मचाता है या तेजी से मोटर चलाता है तो राज्य व्यक्ति को भाराव पीकर ऊधम मचाने से या तेज रफतार से मोटर चलाने से रोक सकता है क्योंकि इन गलत काम से दूसरी को हानि हो सकती है। मिल का कहना है कि शसभ्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सत्ता का प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से किया जा सकता है और वह दूसरों को हानि से बचाता है।

इस प्रकार मिल व्यक्तिगत कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी है किन्तु सामाजिक जीवन या कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है वह कहता है कि शअपने ऊपर अपने भारीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति सम्प्रभु है।

यदि कोई व्यक्ति भाराव पीकर ऊधम मचाता है या तेजी से मोटर चलाता है तो डेविडसन ने मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों को संक्षेप विचारों को संक्षेप में निम्न तरहसे रखा है—

(1) व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उचित स्थान दिया जाये। बौद्धिकता द्वारा इनका पूर्ण अपहरण नहीं करना चाहिए। (2) सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाये। इससे मानव कल्याण में वृद्धि होगी और लोगो को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। (3) समाज की ऐसी परम्पराओं का विरोध किया जाये जिनसे भाषण और कार्य की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है।

मिल के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों की आलोचना

मिल के विचारों को जहाँ स्वतंत्रता प्रेमियों ने सराहा है वहीं उसकी आलोचना भी की गयी है—

1. तर्क—वितर्क से ही सत्य की खोज सम्भव नहीं मिल का कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि सिर्फ तर्क—वितर्क से ही सत्य तक पहुँचा जा सकता है। गौतम बुद्ध ईसा व गांधी ने आत्मा की प्रेरणा से जो विचार रखे, वे भी सत्य का दर्शन कराते हैं। अतः चिन्तन के द्वारा भी सत्य की खोज —होती है। कलाकार अपनी मूर्ति से सत्य की खोज करत है। उसके जीवन में तर्क—वितर्क का कोई स्थान नहीं है।

2. खोखली स्वतंत्रता तथा काल्पनिक व्यक्ति — मिल की स्वतंत्रता खोखली इसलिए हैं क्योंकि यह केवल व्यक्ति तक सीमित है तथा वह समाज की उपेक्षा करता है। काल्पनिक व्यक्ति इस अर्थ में कि वह राज्य का समाज से बाहर से बाहर से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

डॉ० बार्कर ने लिखा है, १ मिल हमें खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्तिका ही दूत लगता है। व्यक्ति के अधिकारों के बारे में उसके पास कोई दर्शन नहीं है। वह समाज की कोई ऐसी पूर्व कल्पना नहीं कर पाया जिसमें राज्य और व्यक्ति का मिथ्या अन्तर अपने आप खत्म हो जाता।

मिल के विचारों में काफी दोष है। वह सभी सनकी और बुद्धिहीन लोगों की स्वतंत्रता की हिदायत करता है। इसके खराब परिणाम हो सकते हैं। सनकी एक तरह से पागल होता है। उससे सत्य की आशा नहीं की जा सकती है। अगर एक हजार लोगों में से एक की बात में सत्य का अंश है तो उसे जानने के लिए नौ सौ निन्यानवे झूठों को सुनना होगा। इसका समाज पर बहुरा असर पड़ सकता है।

3. व्यक्ति के कार्यों का विभाजन अव्यहारिक – मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो हिस्सों में गलत बाँटा है। मनुष्य के कार्य उसने अपने से सम्बन्धित और दूसरों से सम्बन्धित बताये हैं। यह भेद तर्कसंगत नहीं है। मनुष्य का कोई भी काम खुद से सम्बन्धित नहीं है। क्या समाज व्यक्ति को नंगा घूमने की इजाजत देगा या क्या राज्य व्यक्ति को सड़ा-गला खाकर खुद बीमार पड़ने व औरों को बीमार कराने का मौका देगा। अगर इन मामलों में राज्य नियम बनाता है तो उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता भले ही कम होती है लेकिन उससे समाज और व्यक्ति का भला होता है।

4. मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं – आलोचकों का मत है कि आज सामाजिक संगठन इतना अधिक जटिल है और मानव-जीवन के सम्मुख ऐसी विशाल समस्याएँ हैं कि व्यक्ति की भौतिक, नैतिक अथवा बौद्धिक आवश्यकताओं का स्वयं उसकी अपेक्षा समाज ही अधिक अच्छा निर्णायक हो सकता है। अतः व्यक्ति का अपने जीवन पर सम्प्रभुता का विचार सामाजिक जीवन के तथ्यों से मेल नहीं खाता है।

5. सनकी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता प्रदान करना उचित नहीं मिल विक त मस्तिष्क वाले लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करता है, किन्तु वह सनकियों को स्वतन्त्रता प्रदान करता है जो कि पूर्णतः अनुचित है। व्यवहार में विक त मस्तिष्क वाले और सनकी व्यक्तियों में कोई अन्तर नहीं होता है और सनकियों को भी स्वतन्त्रता प्रदान करना समाज के लिए अहितकर होगा। प्रो० मैक्कन के भावों में, सनकपन व्यक्तिवाद का प्रहसन है। सर सेस्ली स्टीफेन कहते हैं कि सनकी व्यक्ति इस प्रकार बेडौल कटे हुए माहतीर के समान है, जिसका राज्य में कोई उपयोग नहीं हो सकता। सकरात तथा ईसा मसीह के सनकियों की श्रेणी में रखना इन महान पुरुषों का अनादर करना है।

6. पिछड़े वर्ग को स्वतन्त्रता नहीं मिल का यह विचार की समाज में पिछड़े लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान न की जाये स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह इस वर्ग के साथ अन्याय तथा प्रजातन्त्र का उपहास है। यह मिल के संकीर्ण विचारों को भी प्रकट करता है।

7. अनुचित बहस को बढ़ावा मिल की विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से अनुचित बहस को बढ़ावा मिलता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर भी तर्क करने लग जाये और बिना बहस के उन्हें मानने से इन्कार कर दें, तो इसके परिणाम निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे।

8. राज्य का प्रतिबन्ध – मिल की यह धारणा दोषपूर्ण है कि राज्य व्यक्तियों के उन कार्यों को नियन्त्रित कर सकता है जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। इसकी आड़ में तो राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्यों को नियन्त्रित करने लग सकता है ।

9. निशेधात्मक धारणा – मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतन्त्रता की धारणा पूर्णतया निशेधात्मक है क्योंकि वह नियन्त्रणों के अभाव को ही स्वतन्त्रता मानता है । स्वतन्त्रता केवल व्यक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करना ही नहीं है वरन् स्वतन्त्रता के लिए अवसरों की उपस्थिति भी आवश्यक है।

मिल की स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों का महत्व

उपरोक्त आलोचनाओं का अर्थ यह नहीं है कि मिल की स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा एकदम निरर्थक है। मिल के स्वतन्त्रता का दर्शन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।

1. लोकतन्त्र को बढ़ावा मिल के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों से लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मिल ने व्यक्ति की महत्ता पर बल देकर लोकतन्त्र को मजबूत बनाया है तथा इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि बहुमत भी निरंकुश हो सकता है।

2. व्यक्तिवाद का समर्थन – मिल ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों से व्यक्तिवाद का समर्थन किया है तथा व्यक्तिवाद के विकास एवं उसकी उत्पत्ति में भारी योगदान दिया है। इस सम्बन्ध में मुरे का कथन है, शमिल के स्वतन्त्रता के निबन्ध में व्यक्तिवाद के दर्शन को उसका सबसे महत्वपूर्ण और सुसंगत योगदान मिलता है ।

3. विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण मिल के द्वारा जिस विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का जो सशक्त समर्थन किया गया है। सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शन में उसकी कोई समता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैक्सी का कथन है कि, श्विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मिल का लेख इस विषय पर सम्पूर्ण राजनीतिक साहित्य में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ लेखों में से एक है जिसने वही उत्कृष्टता प्राप्त की है जो मिल्टन स्पिनोजा, वाल्टेयर, रूसों, पेन जैफरसन के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्य प्रबल समर्थकों ने प्राप्त की हुई है। मिल के राज्य सम्बन्धी विचारराज्य की उत्पत्ति – मिल ने अपने दर्शन में समाज भाव का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया है। राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सामान्यता दो धारणायें प्रचलित रही हैं – (1) राज्यका स्वाभाविक विकास हुआ है, (2) राज्य मानवीय प्रयास का परिणाम है। मिल इन दोनों विचारों के बीच का मार्ग अपनाते हुए कहता है कि, श्रद्धापि राज्य प्राकृतिक है, परन्तु उसका विकास उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से बक बार रोपे जाने के बाद मनुष्य के सोतेरहने पर भी पेड़ों का विकास होता रहता है। प्रत्येक सतर पर राजा का स्वरूप वैसा ही होता है, जैसा कि मनुष्यों द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ राज्य का विकास होता गया है परन्तु यह विकास जड़ पदार्थों की तरह बरन् चेतन जीवों का विकास था। इस प्रकार, राज्य का उदयस्वाभाविक रूप में हुआ, किन्तु उसके विकास में मानवीय प्रयत्नों का निश्चित योग है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

राज्य का उद्देश्य – मिल के मतानुसार राज्य का उद्देश्य सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण करना है। चूँकि राज्य का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना है, अतः उसके कार्यों का संचालन इस प्रकार किया जाये जिसे उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास हो तथ सामाजिक कल्याण की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जा सके।

राज्य का कार्य क्षेत्र – मिल नहीं चाहता था कि राज्य व्यक्ति के कार्यों में अकारण हस्तक्षेप करें, अतः वह राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। उसका मत है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता करने के लिए कुछ स्थितियों में राज्य का हस्तक्षेप अपरिहार्य है। मिल के भावों में, सरकार का बहुत अधिक मात्रा में हस्तक्षेप भारीरक अथवा मानसिक योग्यताओं के कुछ भाग के विकास को नष्ट करता है, जबकि वह व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कार्य करने में अथवा उसके निर्णय के अनुसार कि क्या वांछनीय है, कार्य करने में वंचित करता है।

मिल के मतानुसार राज्य का कार्यक्षेत्र निम्नांकित कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए (1) राज्य का प्रथम कार्य देश व नागरिकों की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना है। (2) राज्य का दूसरा कार्य एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के अत्याचारों से रक्षा करना है। (3) राज्य को व्यक्ति की चोरी, डकैती और अन्य प्रकार से सम्पत्ति की हानि से रक्षा करनी चाहिए। (4) राजा को व्यक्ति की रक्षा झूठे समझौतों से तथ्य ठीक समझौते को तोड़ने वालों से रक्षा करनी चाहिए। (5) राज्य की अपाहिजों और अयोग्यों की रक्षा भी करनी चाहिए। (6) राज्य की प्लेग, मलेरिया आदि बीमारियों से भी व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मिल राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देना चाहता है।

व्यक्ति की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए वह राज्य की भाक्ति या उसके कार्यों को सीमित कर देना चाहता है।

सर्वश्रेष्ठ भासन पद्धति

मिल के मतानुसार आदर्श भासन, संचा प्रजातन्त्र है जिसमें सभी व्यक्ति भासन कार्यों में भाग लें। मिल का मत है कि, आदर्श सरकार वह है जिसमें सम्प्रभुता या अन्तिम नियन्त्रण की भाक्ति समुदाय के पूरे समूह में हो। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा न केवल सम्प्रभु इच्छा को

व्यक्ति करने वरन् सार्वजनिक कार्यों के सम्पादन में भी किसी-न-किसी रूप-किसी रूप में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए।

मिल का मत है कि जहाँ केवल एक ही वर्ग के हाथ में सत्ता होता है वहाँ भासन वर्ग कितना ही विवेकशील क्यों न हो वह भासितों के हित पूर्णरूप से समझकर उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता। मिल का मत है कि प्रजातन्त्र में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित सुरक्षित रखने का अवसर मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और हित उसी समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी अवहेलना नहीं हो सकती। जब मनुष्य में अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। और यह प्रजातन्त्र से ही सम्भव है।

इस प्रकार मिल प्रजातन्त्र को ही सर्वश्रेष्ठ भासन व्यवस्था मानता है। मिल ने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को अव्यवहारिक मानकर प्रतिनिधि भासन को ही अपनाने पर बल दिया है। साथ

ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अलग-अलग प्रकार के समाज के लिए विभिन्न प्रकार का भासन. उपयुक्त हो सकता है।

मिल व बेन्थम की तुलना – मिल का मूल्यांकन

बेन्थम पूरी तरह से उपयोगितावादी विचारक था जबकि मिल उपयोगितावादी से अधिक एक व्यक्तिवादी विचारक था। उसने बहुत से स्थानों पर बेन्थम के विचारों से असहमति प्रकट की है। उसने एक बार लिखा था

1. मिल ने बेन्थमवादी अध्यात्मिक की कठोरता को नरम बनाया। उसने उपयोगितावादी को अधिक मानवीय बनाया और उसे यह सिद्धान्त भी दिया कि सुख केवल मात्रा में ही असमान नहीं होते बल्कि गुणों में भी होते हैं। जबकि बेन्थम पुश्पिन नामक खेल से प्राप्त सुख वैसा ही मानता है जैसा कि कविता पढ़ने से मिलता है। मिल ने यह बताया कि एक सन्तुष्ट सूरार असन्तुष्ट मानव होना बेहतर है। इसके अलावा मिल ने बेन्थम के व्यक्तिगत सुख सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। उसने सार्वजनिक सुख और व्यक्तिगत सुख के बीच की खाई को समाप्त करने का प्रयत्न किया। उसने लिखा है कि उपयोगितावादी नैतिकता के पूर्ण सिद्धान्त का अर्थ यह है कि दूसरों के साथ बैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने साथ आशा करते हो अपने पड़ोसियों से उतना ही प्रेम करो जितना स्वयं से करते हो

2. बेन्थम ने सार्वजनिक सुख को बढ़ाने के लिए बाह्य मर्यादाएँ भी स्वीकार की जबकि मिल ने बाह्य आन्तरिक दोनों ही मर्यादाओं को स्वीकार किया। उसने प्रत्येक व्यक्ति में सबसे सबको सुखी देखने की इच्छा होती है। इस तरह सार्वजनिक सुख को बढ़ाने की इच्छा होती है। उसने आगे कहा, शक्योंकि ष्ण का सुख अच्छाई है, ष्ण का सुख एक अच्छाई है, ष्ण का सुख एक अच्छाई है— इन सब सुखों का योग भी एक अच्छाई होगा।

3. मिल बेन्थम की गुप्त मतदान प्रणाली को स्वीकार नहीं करता। उसने सार्वजनिक मताधिकार और स्त्री मताधिकार का समर्थन किया, इस तरह बेन्थम से मिल अधिक उदार था।

4. बेन्थम ने लोकतन्त्रवाद को समर्थन मानव स्वभाव के आधार पर किया। बेन्थम यह स्वीकार करता है कि लोकतन्त्र हर प्रदेश के लिए श्रेष्ठ भासन है। मिल इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि उद्यमि लोकतन्त्र एक श्रेष्ठ भासन है लेकिन यह पिछड़े और असभ्य लोगों के लिए नहीं है।

मिल का योगदान मिल का राजनीतिक विचारकों में महान स्थान था। बायल ने लिखा है, यदि लेखकों की योग्यता का निर्णय इस बात से होता है कि उसका नीति पर क्या।

अभ्यास प्रश्न

1. जे० एस० मिल के स्वतन्त्रता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
2. जे0 एस0 मिल के उपयोगितावादी से समझाइये
MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University
3. प्रतिनिधि भासन पर मिल के विचारों के वर्णन करें।
4. राज्य के सम्बन्ध में जे० एस० मिल के विचारों पर टिप्पणे लिखें।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ राइट है। उसके कुछ भाषण में उसकी मृत्यु के पश्चात् फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित हुए। हीगल को दार्शनिकों का राजा ही नहीं, राजाओं का दार्शनिक भी कहा जाता है। वह राजकीय विश्वविश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। इसलिए उसने तत्कालीन व्यवस्था अर्थात् निरंकुष राजतन्त्र का समर्थन किया। कहा जाता है कि, शबिस्मार्क व हिटलर जैसे निरंकुषवादियों ने उसी से प्रेरणा ली थी। एक लेखक लिखता है, शबिस्मार्क का भाक्ति पर मानव क्रिया से उच्चतम लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय राजय पर बल देना, उसका यह विश्वास कि राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि एक सावयवी सम्पूर्ण है। उसका लोकतन्त्र व नौकरशाही का समर्थन और उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी सिद्धान्त इस सबकी जड़ हीगल का विचार था।

जीवनी – हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ड में सन् 1770 में हुआ था। उनके पिता वैर्टनवर्ग एक सरकारी पदाधिकारी थे। सन् 1788 से 1793 तक हीगल ने ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की शिक्षा पाई। सन् 1801 में हीगल ने अपने भोध प्रबन्ध पक्षत्रों की कक्षाओं का मण्डल किया और येना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गये। सन् 1807 में उनकी फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक रचना प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विकासशील चेतना के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालते हुए द्वन्द्वात्मक विप्लेशन के एक विषेश उपकरण के नाते बोध का दार्शनिक महत्व प्रतिपादित किया। अक्टूबर 1816 में हीगल हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गये। अक्टूबर 1818 से 14 नवम्बर 1831 तक (मृत्युपर्यन्त) हीगल बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। 61 वर्ष की उम्र में 14 नवम्बर, 1831 के अचानक हैजे की बीमारी से उनका देहान्त हो गया। बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में हीगल को अपूर्ण ख्याति मिली। उन्हें जर्मनी का राष्ट्रीय दार्शनिक कहा जाने लगा। हीगल की रचनाएँ

हीगल की रचनायें निम्नलिखित हैं—

- (1) फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट
- (2) साइंस ऑफ लोजिक ।
- (3) ऐनसाइक्लोपीडिया ऑफ दि फिलोसोफिकल साइन्स
- (4) फिलोसॉफी ऑफ लॉ
- (5) कॉन्स्टीट्यूसन ऑफ जर्मनी
- (6) दी फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री

हीगल का मत है कि मानवीय सभ्यता की प्रगति या विकास कभी भी एक सीधी रेखा के समान नहीं होता है। जिस प्रकार एक जहाज प्रचण्ड तूफान के थपेड़े खाता हुआ अपना मार्ग बनाता है, उसी प्रकार से मानव सभ्यता भी अनेक टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती है। चूँकि राज्य एक जड़ वस्तु नहीं वरन् एक विकसित संस्था है, अतः इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधर पर ही किया जाना चाहिए। विकास की प्रक्रिया में निम्न कोटि की वस्तुएँ उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित होकर पूर्णता प्राप्त करती हैं और उनकी निम्नता नष्ट न होकर उच्चता ग्रहण कर लेती हैं। विकसित होने के बाद कोई भी वस्तु वह नहीं रहती जो पहले थी वरन् कुछ आगे बढ़ जाती है। हीगल ने इसी विकासवादी प्रक्रिया को द्वन्द्वात्मक पद्धति का नाम दिया है।

हीगल अपने विचार इस धारणा से आरम्भ करता है कि विश्व एक सम्पूर्ण इकाई है। इसमें सामयिक एकता (वृहदपक्ष नदपक्ष) है जिसे वह अन्य नामों भाव (पक्ष) आत्मा (चपतपक्ष), प्रज्ञा (तत्त्व) अथवा दैवी विवेक (अपक्ष उपक्ष) से सम्बोधित करता है, एकमात्र वास्तविकता है। प्रत्येक वस्तु जिसके अन्तर्गत पदार्थ व बाहरी दुनिया शामिल है। इसी भाव, आत्मा व प्रज्ञा से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह कहना सही होगा कि भाव या आत्मा ही विश्व प्रभु (तत्त्व पक्ष जीम व अमृतमपक्ष व जीम व तत्त्व) है। हीगल यह बताता है कि इस आत्मा व प्रज्ञा का स्वभाव अन्य विशयों के सम्बन्ध में खोज करना व ज्ञान प्राप्त करना है। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे यह विश्व के इतिहास में प्रगति करती जाती है, इसका ज्ञान बढ़ता जाता है और तब तक बढ़ता है, जब तक यह अपने उद्देश्य— प्रत्येक बात का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है। दूसरे भावों में, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ है, अपने ही विशय में अन्त में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करती है।

इस तरह से हीगल कहता है, कि विश्व का इतिहास हमारे सामने एक बौद्धिक प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, आत्मा अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत प्रयोग करती है। यह बहुत से आवरण ओढ़ती है, जिन्हें वह उस समय के लिए उपयुक्त समझती है और अन्त में त्याग देती है। इसी बात को हीगल संक्षेप में इस तरह कहता है, बौद्धिक ही वास्तविक है, वास्तविक ही बौद्धिक है हीगल, फिण्टे के इस विचार को अस्वीकार करता है कि केवल आदर्श राज्य बौद्धिक है और वर्तमान राज्य अबौद्धिक है। हीगल करता है कि प्रत्येक राज्य बौद्धिक होता है और पूरे सम्मान का पात्र होता है। हीगल का वास्तविकता को आदर्श रूप देने का यह स्वभाव उसके इस विचार पर आधारित है कि संसार में जो कुछ भी होता है, उसका कारण यह होता है कि आत्मा को उसकी आवश्यकता होती है और जो भी चीज आत्मा चाहती है, वह सदैव सही होता है।

समस्त इतिहास में आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वह कष्ट उठाती है, मर जाती है, फिर पैदा होती है और गौरव प्राप्त करती है। इस तरह से हीगल का सिद्धान्त परिवर्तन का सिद्धान्त है और यह परिवर्तन भी बुरे से अच्छे की ओर होता है। जो लोग यह कहते हैं कि हीगल रूढ़िवादी था, उन्हें भी यह मानना पड़ेगा कि हीगल प्रगति व परिवर्तन के नियम का स्वीकार करता है।

लेकिन हीगल सिर्फ यही नहीं बताता कि इतिहास आत्मा की प्रतिक्रिया लिखा है। विस्तार से यह भी बताता है कि आत्मा किस तरह के एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट होती है। इस



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

क्रिया का वर्णन वह अपने सिद्धान्त द्वन्द्ववाद के द्वारा करता है, ष्डायलेक्टिक भाब्द यूनानी भाशा ष्डायलेगो भाब्द से लिया गया है, जिसका मतलब विचार—विमर्ष या वाद—विवाद करना होता है। सुकरात व प्लेटो ने बहुत पहले इस तरीके का प्रयोग किया था। इस तरीके में वाद—विवाद के द्वारा विचार—विमर्ष किया जाता है और सत्य की खोज की जाती

हीगल बताता है कि कोई भी वस्तु जो जन्म लेती है, वाद कहलाती है, उसकी विरोधी बात प्रतिवाद होता है। बाद तथा प्रतिवाद दोनों में ही गुण व दोष कहते हैं, क्योंकि दोनों परस्पर विरोध होते हैं। अतः उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक है। इस संघर्ष का परिणाम एक नई तीसरी चीज का जन्म संवाद के रूप में होता है। संवाद की स्थिति वाद तथा प्रतिवाद दोनों से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें वाद तथा प्रतिवाद दोनों के गुण की भावनाओं का मिश्रण होता है। संवाद के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब संवाद स्वयं एक बाद जाता है फिर उसी तरह वाद और प्रतिवाद का संघर्ष आरम्भ हो जाता है। उसका परिणाम पुनः संश्लेषण होता है। यह क्रिया चलती रहती है। संक्षेप में, हीगल के दर्शन का रहस्य विकास है, जो कि द्वन्द्वात्मक प्रणाली के आधार पर अनन्त तक चलता रहता है।

हीगल इसी द्वन्द्वात्मक प्रणाली के आधार पर समाज तथा राज्य के विकास का अध्ययन करता है। उसका विचार है कि यूनानी राज्य ष्वाद थे, धर्मराज्य उसके प्रतिवाद तथा राष्ट्रीय राज्य उनका एक ष्वाद होगा। वह कला, धर्म तथा दर्शन को भी वाद, प्रतिवाद तथा संवाद मानता है। हीगल के मतानुसार द्वन्द्व की इस पद्धति से ही विश्व के सभी विचार विकसित होते हैं। द्वन्द्वात्मक प्रणाली की विशेषताएँ

हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक प्रणाली की प्रभु विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

(1) हीगल की द्वन्द्वात्मक प्रणाली स्वतः प्रेरित तथा स्वतः संचालित स्थिति है और इसी आधार पर वह निरन्तर प्रतिगामी है।

(2) द्वन्द्वात्मक प्रणाली प्रगति के व्यवस्थित विचार से सम्बन्धित है। उसका विचार है कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है। यह विवेकपूर्ण विश्वात्मा अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करती है तथा लक्ष्य सिद्धि तक उसे निरन्तर आगे बढ़ाती है। यह व्यवस्थित मानव प्रगति द्वन्द्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही सम्भव है। —

हीगल का विचार है कि प्रगति या विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं व भाक्तियों में द्वन्द्व अथवा संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का माध्यम है। संघर्ष की प्रक्रिया ही याद, प्रतिवाद तथा संवाद को जन्म देती है। संवाद में पहले दोनों के गुण विद्यमान होते हैं तथा जो वाद तथा प्रतिवाद से उच्च स्थिति का प्रतीक है।

उदाहरणार्थ — हीगल के अनुसार, जीव एक संघर्ष का परिणाम है। यह वीर्य (वाद) और रज (प्रतिवाद) के संयोग से गर्भाशय में नौ माह बाद षिषु का रूप (संवाद) धारण करता है। षिषु उस समय तक संवाद रहते हैं, जब तक की उनमें प्रजनन के लिए वीर्य या रज का उत्पादन नहीं हो जाता। वनस्पति जगत में इसे बीज के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। मटर के एक दाने का खेत में बोया जाना वद है। धरती में इस दाने का रूपान्तर होकर अंकुर बनना प्रतिवाद है। पौधे के रूप में विकसित होने की तीसरी दषा संवाद हुई।

इसमें बाद और प्रतिवाद के आवश्यक तत्वों ने मिलकर एक नई स्थिति का निर्माण किया, जो दोनों से भिन्न एवं उत्कृष्ट है ।

इसी प्रकार परिवारवाद है, समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है, जो दोनों परिवार व समाज से उत्कृष्ट है ।

(4) हीगल का यह मान्यता है कि संघर्ष की इस समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त होती है। विचार ही पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित तथा निर्धारित करता है। इसी आदर पर कुछ लेखकों के द्वारा हीगल के द्वन्द्ववाद को आध्यात्मिक द्वन्द्ववाद का नाम दिया गया है।

इसी प्रकार स्पष्ट है कि हीगल के अनुसार सामाजिक प्रगति विरोधी तत्वों के माध्यम से होती है। ये विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं और उनके टकराव से एक नये विचार का जन्म होता है जिसमें सहयोगी और विरोधी दोनों ही प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण होता है और वह उनसे बढ़कर स्थिति में होता है। इस प्रकार प्रगति की यह प्रक्रिया आदर्शों की प्राप्ति तक बराबर चलती रहती है और सामाजिक विकास की गति निरन्तर नये लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। इस सम्बन्ध में राइट कहते हैं कि श्रद्धावाद विषुद्ध तर्क की अत्यन्त निराकार धारणा से प्रारम्भ होता है और इसकी समाप्ति विचार के अत्यन्त साकार रूप अपनी पूर्ण व्यापकता तथा साकारता के साथ निरपेक्ष बुद्धि के दर्शन के रूप में होती है ।

द्वन्द्वात्मक पद्धति द्वारा हीगल का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्रवाद के पूर्णत्व को प्रमाणित करना था। उस समय जर्मनी अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और राष्ट्रीय भावनाएँ लगभग मिटती जा रही थीं। हीगल ने कहा कि यूनानी राज्यवाद थे, धर्म राज्य उसके प्रतिवाद और राष्ट्रीय राज्य उसका एक संवाद है। हीगल की कामना थी कि जर्मनी में भी राष्ट्रीय राज्य का उदय होगा। द्वन्द्वात्मक प्रणाली की आलोचना हीगल के द्वन्द्वात्मक प्रणाली की आलोचना निम्नांकित रूपों में की जाती है—

(1) द्वन्द्वात्मक पद्धति द्वारा हीगल ने विभिन्न वस्तुओं में विरोध की अनावश्यक कल्पना कर ली है। हीगल जहाँ कहीं थोड़ी भिन्नता देखता है, वहाँ तुरन्त द्वन्द्वात्मक विरोध की कल्पना करके वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रिकोण की स्थापना कर देता है।

(2) हीगल ने इस प्रणाली को बहुत ही मनमाने तरीके से अपनाया है तथा खींचतान करके इसे ऐसे तथ्यों पर भी लागू करने का प्रयास किया है जिन पर इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता ! उदाहरणार्थ— हीगल सम्पूर्ण विश्व के इतिहास को तीन युगों— (1) पूर्वी युग, (2), यूनानी तथा रोमन युग व (3) जर्मन युग में विभाजित करता है। यह स्थिति इतिहास की दृष्टि से सत्य से बहुत दूर, भ्रान्तिपूर्ण और दूषित मनोवृत्ति की परिचायक है। यह पद्धति हमें वास्तविकताओं का ज्ञान कराने के बजाय विभिन्न भ्रान्तियों के जाल में उलझा देती है ।

(3) आलोचकों के अनुसार, हीगल की पद्धति अस्पष्ट और विलुप्त है। उसके द्वन्द्व की अस्पष्टता को उसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उदाहरणों में देखा जा सकता है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

(4) हीगल की आलोचना करते हुए सेबाइन ने लिखा है कि उसने विभिन्न पारभाषिक भाषाओं का जिनकी परिभाषा करना कठिन है, का प्रयोग बड़ी अस्पष्टता के साथ किया है।

हीगल द्वारा प्रतिपादित द्वन्द्वात्मक प्रणाली में वैज्ञानिकता का अभाव है। इस प्रणाली को अपनाने पर मनमाने रूप से बाद प्रतिवाद तथा संवाद की स्थिति उत्पन्न करके किसी भी अच्छी व्यवस्था को बुरी तथा बुरी व्यवस्था को अच्छी सिद्ध किया जा सकता है। इस पद्धति की अवैज्ञानिकता इस बात से स्पष्ट है कि इस पद्धति को अपनाकर हीगल तथा मार्क्स ने राज्य के सम्बन्ध में परस्पर नितान्त विरोधी धारणाएँ व्यक्त की। इस पद्धति का प्रयोग करके हीगल के प्रषिया के अनिरंकुष राजतंत्र को विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था सिद्ध की। वेपर के भाषों में, १ हीगल की यह पद्धति सिर्फ नाममात्र के लिए ही वैज्ञानिक है क्योंकि इसका विकास विज्ञान के बगीचे में नहीं वरन् एषिया के भासनों की दासता के कूड़े में हुआ। २

इस प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न घटनाओं और विकासक्रमों की व्याख्या करने वाले सिद्धान्त के रूप में यह प्रणाली बहुत भ्रामक है।

द्वन्द्वात्मक प्रणाली की उपयोगिता या महत्व – इन आलोचनाओं के बावजूद द्वन्द्वात्मक पद्धति में निम्नलिखितगुण हैं—

इसके द्वारा वस्तुओं को यथार्थ रूप में समर्थन में मदद मिलती है।

(2) इस पद्धति द्वारा स्पष्ट होता है कि सभ्यता का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है। बट्रेण्ड रसल के भाषों में, हीगल की द्वन्द्वात्मक पद्धति मानव मन की कार्यप्रणाली को सुचारु रूप से चित्रित करती है क्योंकि कई बार मानव मन इसी प्रकार के विरोधों के मार्ग से आगे बढ़ता है।

हीगलके राज्य सम्बन्धी विचार— हीगल का दर्शन आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में पूर्णतः एक नये परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। उसने राष्ट्रीय राज्य के विचार को उच्चतम स्थान दिया। उसके दर्शन का उद्देश्य इसी इकाई राष्ट्र की महानता व श्रेष्ठता को स्थापित करना था। राज्य राष्ट्रीय विकास एवं प्रगति का निर्देशक तथा साध्य है। राज्य महान संस्था है, समस्त सभ्यता च संस्कृति की जननी है। ये विचार वास्तव में, तत्कालीन जर्मनी राजनीतिक स्थिति से ही प्रभावित थे।

हीगलराज्य को अस्तु की भाँति एक स्वाभाविक संगठन मानता है। उसका विचार है कि व्यक्ति का उच्चतम विकास राज्य में ही सम्भव है। हीगल राज्य को व्यक्तियों के एक कोरे समूह के स्थान पर श्वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता एवं विश्वात्मा की अभिव्यक्ति मानता है।

राज्य की उत्पत्ति— हीगल आध्यात्मिक द्वन्द्ववाद के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। वह कहता है कि कोई भी वस्तु पदार्थ के रूप में जन्म लेती है। उसका प्रतिवाद भी पैदा हो जाता है। इन दोनों के संघर्ष में संश्लेषण पैदा होता है। इसमें वाद तथा प्रतिवाद दोनों के गुण होते हैं। यह बताता है कि राज्य का निर्माण दो प्रकार के तत्वों से होता है एक ओर तो विश्वात्म अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई इसके विकास में सहयोग देती है तथा दूसरी ओर मनुष्य अपने को पूर्ण बनाने का प्रयत्न करते हुए इसका निर्माण करते हैं। मानवीय जीवन का सार स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति ही विश्व का

इतिहास है। स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अब तक जो मानवीय संगठन बनाये गये हैं उनमें सर्वप्रथम था परिवार ।

राज्य की प्रकृति

हीगल के अनुसार, परिवार सामाजिक जीवन की प्रारम्भिक इकाई है, परन्तु विभिन्न प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से परिवार बहुत छोटा समुदाय था। जब परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ी तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई। परिवार से सबकी आवश्यकता पूरी न हो सकी तो बहुत से सदस्यों का परिवार से बाहर जाना शुरू हो गया। इस बाहर के जगत को हीगल बुर्जुआ समाज या नागरिक समाज (ठवनतहमवपैवबपमजल) कहत है। बुर्जुआ समाज मनुष्यों व स्त्रियों का एक ऐसा समूह था, जो कि संविदा ((ब्बदजतंबज) और निजी हितों से बँधा हुआ था, जबकि परिवार का आधार स्नेह व सहयोग था, बुर्जुआ समाज का आधार व्यापक प्रतिस्पर्द्धा व स्वार्थ था। बुर्जुआ समाज की व्यापार तथा वाणिज्य की प्रक्रिया समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नया संगठन हो गया, जिसका उद्देश्य न केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना था, बल्कि अपने अन्य साथियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना था ।

इस प्रकार के कार्यों से बुर्जुआ समाज एक नैतिक, बौद्धिक व व्यापक स्थान ग्रहण कर लेता है, साथ ही बुर्जुआ समाज अपने कानूनों का निर्माण करता है और धीरे-धीरे राज्य के रूप को अपना लेता है। जैसे-जैसे यह विस्तार करता है, वह अपने गिल्ड व कॉरपोरेशन्स बना लेता है जो सदस्यों को यह शिक्षा देते हैं कि उन्हें केवल अपने हितों व स्वार्थों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस व्यापक समाज के हित के बारे में सोचना चाहिए, जिसके वे एक भाग हैं। इसमें प्रतियोगिता की सामाजिक प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती, बल्कि सहयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार से प्वाद परिवार है, जिसकी विशेषता प्रेम और सहयोग की प्रवृत्ति दिई देती है। इस प्रकार से प्वाद परिवार है, जिसकी विशेषता प्रेम और सहयोग है। इसका प्रतिवाद बुर्जुआ समाज है, जिसका आधार प्रतियोगिता है। प्संप्लेशण जिसमें प्वाद व प्रतिवाद दोनों के सद्गुण हैं, राज्य है। इस प्रकार. राज्य में परिवार की एकता व बुर्जुआ समाज की प्रतिस्पर्द्धा दोनों हैं। ऐसा इस कारण से है, क्योंकि यह श्रेष्ठ जीवधारी है। इस प्रकार हीगल ने राज्य को संघर्ष का परिणाम माना। उसके मतानुसार द्वन्द्वात्मक विकास की चरम सीमा राज्य है तथा विकासवादी प्रक्रिय में राज्य से उच्चतर व अधिक पूर्ण कोई नहीं है। हीगल के भावों में, इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और आत्मकथा में जो स्थान व्यक्ति का होता है. इतिहास में वही स्थान राज्य का है

राज्य का स्वरूप: राज्य साध्य तथा व्यक्ति साधन

राज्य की बहुत-सी विशेषताएँ हैं। यह आत्मा के अधिकतम विकास का प्रतीक हैं। इसके आगे अब कोई विकास नहीं होता। यह पृथ्वी पर दैवी विचार के रूप में है। यह भी कहा जा सकता है कि, श्राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है श्राज्य एक स्थायी संस्था हैं जो अपने नैतिक गुणों के कारण व्यक्तियों के भाग्य की सच्ची निर्वाचिका है। राज्य एक विकसित संस्था है जो अपने विकास के प्रत्येक चरण में मानव की विवेकशीलता के स्तर को प्रकट करती है। हीगल मानता है कि राज्य स्वयं में साध्य है । यह पूर्ण है। अतः अपने समस्त विभिन्न भागों में से श्रेष्ठ और व्यापक है। व्यक्तियों का जो कुछ महत्व है, वह राज्य के



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

कारण है। वह लिखता है कि व्यक्ति श्व्यक्ति का जो भी सत्य है या जो भी आध्यात्मिक यथार्थता उसके पास है, वह राज्य के ही कारण है। व्यक्ति को पूर्ण राज्य के अधीन रहना चाहिए। इसा व्यक्ति पर अधिकतम अधिकार है जिनका उच्चतम कर्तव्य राज्य से मर्यादित नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं नैतिकता का प्रतीक, निर्माता व भण्डार है। राज्य यह निश्चित करता है कि उसके व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नैतिकता का क्या आदर्श व स्तर होगा। सच तो यह है कि राज्य ही सबसे भली प्रकार सामाजिक रीति-रिवाजों व प्रथाओं की व्याख्या कर सकता है। राज्य ही यह बात बता सकता है कि हमारे लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित। साधारण भाषा में यह कहा जा सकता है कि राज्य जो भी करता है, वह सही होता है। प्रो० मैकगबर्न के भावों में, “पुराने उदारवादी इस बात पर जोर देते थे कि राज्य अपने साध्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र हैं, और साध्य है जनता की भलाई और कल्याण। इसके विपरीत, हीगल ने यह घोषित किया कि राज्य स्वयं साध्य है और व्यक्ति एक साध्य के लिए साधनमात्र है। वह साध्य है उस राज्य का एक ऐश्वर्य, जिसके कि वह घटक हों।

हीगल का कहना है कि जहाँ तक राज्य का अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध का प्रश्न उठता है, राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने अस्तित्व को बनाये रखना है। प्रत्येक राज्य सर्वप्रथम अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है। वह अपने स्वार्थ का रक्षक है। वह जो काम करता है, इसी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर करता है। वह लिखता है कि, “राज्य एक आत्म-निश्चित पूर्ण मस्तिष्क है जो कि अच्छे या बुरे, निम्नकोटि या धोखाधड़ी के भावात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता है।

हीगल ने राज्य की नैतिकता को व्यक्ति की नैतिकता से श्रेष्ठतर बतलाया है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राज्य की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हीगल ने राज्य की अग्रलिखित विशेषताएँ बताई हैं—

(1) राज्य देवी सत्ता है — हीगल के अनुसार, यद्यपि राज्य की उत्पत्ति द्वन्द्ववाद की प्रक्रिया से क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुई है, तथापि इस विकास क्रम में देवी चेतना कार्य करती है। राज्य के रूप में उस दैवी चेतना को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर माना है

(2) राज्य का सावयव रूप— हीगल ने राज्य को सावयव माना है। राज्य भारीर है। व्यक्ति तथा समुदाय उसके अंग हैं। जिस प्रकार बिना भारीर के अंगों का महत्व नहीं, उसी प्रकार बिना राज्य के व्यक्ति व समुदायों का महत्व नहीं।

(3) राज्य साध्य हैं— हीगल के अनुसार, राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। इसलिए व्यक्तियों को अपना सर्वस्य राज्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए।

(4) राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं होगल राज्य और व्यक्तियों में कोई विरोध नहीं मानता, क्योंकि दोनों के हित एक हैं। हीगल कहता है कि राज्य हमारी सच्ची निःस्वार्थ एवं निःसामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अतः राज्य और व्यक्ति के हित में किसी पारस्परिक

(5) राज्य सर्वशक्तिमान हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान है। राज्य से ऊपर कोई संस्था नहीं हो सकती।

(6) राज्य नैतिक बन्धनों से मुक्त— राज्य पर वे नैतिक बन्धन लागू नहीं किये जा सकते, जो व्यक्ति पर लागू होते हैं, क्योंकि राज्य नैतिक बन्धनों से मुक्त है।

हीगल यह भी मानता है कि व्यक्ति की भांति राज्य का भी अपना व्यक्तित्व व इच्छा है। इस इच्छा को वह सामान्य इच्छा के नाम से पुकारता है।

सामान्य इच्छा का सिद्धान्त

हीगल का कहना है कि मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएँ होती हैं, एक तो उसके अन्तःकरण की इच्छा है जो सदैव पवित्र निस्वार्थ होती है और दूसरी उसकी साधारण इच्छा है जो बाहर परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इस कारण यह स्वार्थ भावना से प्रेरित रहती है। जोड़ के अनुसार, हीगल की सामान्य इच्छा सभी लोगों को अच्छी इच्छाओं के निचोड़ से सत के समान है। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तब राज्य उसे दण्ड देकर उसकी इच्छा को ही लागू करता है। राज्य सामान्य इच्छा का एकमात्र प्रतिनिधि है।

संक्षेप में, हीगल ने हर प्रकार के तर्क द्वारा यह सिद्ध किया कि राज्य श्रेष्ठ है और व्यक्ति किसी भी दशा में उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता।

• हीगल के राज्य सम्बन्धी विचारों की आलोचना— हीगल के राज्य के दर्शन सम्बन्धी विचारों की कड़ी आलोचना की गई है—

(1) हीगल का कहना है कि विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही विवेकपूर्ण है, गलत है। हत्या करना, चोरी करना वास्तविकता होता है, परन्तु उसे कदापि विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। (2) हीगल का यह कहना कि राज्य संघर्ष की उपज है, गलत है। राज्य भावैः—षनैः विकास से बना है और इसमें संघर्ष भी एक तत्व रहा है। साथ ही रत्त सम्बन्ध, धर्म, मनुष्य की आवश्यकताओं, आदि ने राज्य के विकास में योग दिया। वस्तुतः हीगल ने तो भावित सिद्धान्त का समर्थन किया। (3) हीगल कहता है कि राज्य पूर्ण है। अब आगे कोई विकास नहीं होगा। यह बात राज्य को ईश्वर तुल्य ठहरने के लिए हीं गई है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य और उसकी संस्थाएँ निरन्तर विकास की अवस्था में हैं। मनुष्य और उसकी संस्थाएँ समय व आवश्यकता के अनुसार, रूप ग्रहण करती हैं। (4) हीगल का सामान्य इच्छा का सिद्धान्त दोषपूर्ण है। मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाओं में भेद करना कठिन है। आत्मा की आवाज व बाहरी आवश्यकताओं का परस्पर विरोध है भी तो उसे पहचानना मुश्किल है। हीगल ने इस सिद्धान्त का केवल इसलिए समर्थन किया कि राज्य के हर कार्य को व्यक्तियों की इच्छा का ही प्रतीक ठहराया जा सके। (5) हीगल ने अधिनायकवाद व निरंकुषवाद का समर्थन किया। उसका राज्य आत्याचारी है। उसमें व्यक्तियों को कोई स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। ऐसे राज्य में व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। (6) हीगल ने राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन माना। राज्य के लिए व्यक्ति है, न कि व्यक्ति के लिए राज्य। यह तर्क भी उसकी निरंकुष भाक्ति का परिचायक है। वास्तव में यह दृष्टिकोण गलत है। राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

व्यक्ति अपने नाना प्रकार के हितों की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास व आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है।

हीगल के दर्शन में निरंकुषवाद को बढ़ावा दिया। बीसवीं सदी में फासीवाद व नाजीवाद ने हीगल के विचारों को ही अपनाया और विश्व को युद्धों में झोंक दिया।

हीगल के युद्ध सम्बन्धी विचार— हीगल ने युद्ध को पूरी तरह से बुराई नहीं माना है। युद्ध एक गुणकारी क्रिया है। हीगल युद्ध को मानव जाति की अनिवार्य आवश्यकता मानता था। वेपर के भावों में, “शान्ति मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने वाली और स्थायी भान्ति पूर्णतया भ्रष्ट करने वाली होती है। वह लिखता है कि, शत्रु मानव के स्वार्थी अहं का नाश करती है और इस प्रकार मानव जाति को पतन के मार्ग से बचाकर उसमें क्रियाशीलता का संचार करता कृकृकृकृ किस प्रकार समुद्र में भान्ति के समय उत्पन्न होने वाली गन्दगी प्रबलतूफान से नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मानव समाज की गन्दगी तथा भ्रष्टाचार की पुद्गियुद्ध से हो जाती है।

हीगल का विचार है कि युद्ध लोगों को उत्साहित रखता है और उनमें नये उत्साह व जीवन का संचार करता है। व्यक्ति के लिए युद्ध का महत्व उतना ही है, जितना कि पानी के तालाब के लिए हवा का होना। हवा के चलने से पानी सड़ने नहीं पाता। इस प्रकार से युद्ध के होने से लोगों में उत्साह बना रहता है और वे जड़ नहीं हो पाते। हीगल के अनुसार, सफल युद्धों ने नागरिक विद्रोहों को रोककर राज्य की आन्तरिक भाक्ति को संगठित और बलशाली बनाया है। युद्ध मनुष्यों में विभिन्न सद्गुणों, जैसे— साहस, देशभक्ति, एकता भाववीरता, बलिदार आदि का विकास करता है। बन्दूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कारक थे।

हीगल के अनुसार, युद्ध व्यक्ति के स्वार्थी अहं का नाश करता है और इस प्रकार मानव जाति का पतन के मार्ग से बचाकर क्रियाशील करता है। उसके अनुसार, युद्ध स्वयं एक नैतिक कार्य है। भान्ति भ्रष्टाचार फैलाती है और अनन्त भान्ति अनन्त भ्रष्टाचार फैलायेगी। युद्ध का महत्व यह भी है कि इसके द्वारा जनता का नैतिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।

हीगल युद्ध का समर्थन मुख्यतः दो आधारों पर करता है

- 1) वह यह मानता है कि राज्य की आत्मा विश्व आत्मा में विलीन होना चाहती है, जो राज्य युद्ध के द्वारा विश्व – आत्मा को प्राप्त करने के लिए युद्ध का लड़ा जाना आवश्यक है।
- (2) युद्ध के कुछ आन्तरिक लाभ भी हैं— (i) इससे लोगों में उत्साह पैदा होता है। (ii) इससे लोगों में आत्मनिर्भरता व विश्वास पैदा होता है। (iii) लोगों में एकता की भावना पैदा होती है। (iv) लोगों में एकता की भावना से राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलता है। (v) युद्ध में विजय मिलने से राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है। (vi) युद्ध में विजय मिलने से क्षेत्र का विस्तार होगा।

इस प्रकार से हीगल युद्ध का समर्थन करता है, परन्तु वह यह भी कहता है कि भासक को युद्ध सोच-समझकर करना चाहिए। यदि राज्य की युद्ध में हार हो जाती है तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसलिए युद्ध में हार नहीं होनी चाहिए।

स्वतंत्रता (श्वतममकवउ) हीगल सनसत्ताधारी राज्य का समर्थन करता है। वह दैवीय है और स्वयं में साध्य है। वह अपने निर्माणात्मक अंगों से श्रेष्ठ है तथा नैतिकता को तय करने वाला है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे राज्य में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बगैर स्वतंत्रता के व्यक्ति दास बना रहता है, परन्तु स्वतंत्रता क्या है? हीगल के विचार में पूर्ण राज्य की पूर्ण आषाओं का पालन ही पूर्ण स्वतंत्रता है। हीगल के भावों में, एक पूर्ण राज्य वस्तुतः वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिरूप होता है और राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु स्वतंत्रता को वास्तविक रूप प्रदान नहीं कर सकती।

इसका मतलब यह है कि हर राज्य पूर्ण है और उसकी जो भी आज्ञा होती है, वह पूर्ण होती है। यदि व्यक्ति उसका पालन करता रहे तो वह स्वतंत्र बना रहता है। संक्षेप में वही व्यक्ति स्वतंत्र है, जो राज्य की हर आज्ञा का पालन करता है। वह व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्रदान नहीं करता है। वास्तव में हीगल ने स्वतंत्रता का अर्थ आज्ञापालन से लिया है, जो गलत है। मनुष्य की सारी स्वतंत्रता छीन लेता है और उसे गुलाम बना देता है। ऐसी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है।

सेबाइन हीगल के इन विचारों के सम्बन्ध में कहते हैं कि, शहीगल का मस्तिष्क जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न से चिन्तित था, अतः उसने व्यक्ति को राज्य में विलीन करते समय कुछ भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है।

हीगल के राजनीति सम्बन्धी विचार—— हीगल के राज्य सम्बन्धी विचारों का लोकतंत्र व स्वतंत्रता समर्थकों ने स्वागत नहीं किया है। विशेष तौर से इंग्लैण्ड के लोगों ने उसके विचारों की प्रशंसा नहीं की। हीगल के विचार इंग्लैण्ड की परम्परागत विषेशता व उसके राजनीतिक विचारों से मेल नहीं खाते थे। यही कारण है कि इंग्लैण्ड में हीगल का प्रभाव नहीं पड़ा। उसके निरंकुषवादी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक थे। उसने निरंकुषता का समर्थन किया और व्यक्ति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हीगल के विचारों में कोई गुण ही नहीं थे। सर्वप्रथम तो यह मानना पड़ेगा कि हीगल का दर्शन स्थिर नहीं है। यह राज्य को एक सम्बद्ध संस्था के रूप में जो कि अपने प्रत्येक बौद्धिक अवस्था के चरण से व्यक्ति की उन्नति प्रदर्शित करती है, देखता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह समस्या पैदा हो जाती है कि हीगल के दर्शन को रूढ़िवादी कहें या प्रगतिशील, क्योंकि एक ओर वह रूढ़िवादिता का परिचय देता है तो दूसरी ओर विकास के सिद्धान्त का भी समर्थन करता है। यह मानना होगा कि उसका राज्य के विकास का सिद्धान्त प्रशंसा के योग्य है।

हीगल का सिद्धान्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह मनुष्य की समाज पर निर्भरता पर जोर देता है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे समाज कमजोर हो जाता है। MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University होगल यह बात स्पष्ट कर देता है कि व्यक्ति का महत्व सिर्फ इसलिए है कि वह समाज का अंग है और इसी में रहकर उसकी तरक्की हो सकती है। वह स्वतंत्रता को भी समाज की देन बताता है और कहता है कि इसका समाज के कल्याण में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि राज्य केवल भौतिक संस्था ही नहीं



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

है। यह लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। हीगल राज्य को नैतिकता का प्रतीक मानता है। इसलिए उसके लिए राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है। राज्य का काम लोगों को नैतिक उच्चता प्रदान करना है।

परन्तु यदि हीगल के दर्शन की प्रशंसा की जा सकती है तो उसके खिलाफ भी कहा जा सकता है। उसने द्वन्द्ववाद का प्रयोग नया नहीं किया और न ही उचित रूप से किया है। एक स्थान पर वह कहता है कि, श्वेज्ञान का लख्य सत्य का ज्ञान कराना है। साथ ही वह यह भी कहता है कि राज्य कार्य उस सत्य की रक्षा करना होना चाहिए। यह कथन बड़ा ही उदार लगता है, परन्तु कुछ समय बाद हीगल का दूसरा कथन हमारे सामने आता है जिसकी अपनी विशेषता है। वह कहता है कि स्वनिष्ठितता ही स्वतन्त्रता का सार है। इस प्रकार से आत्मा का विकास ही स्वतन्त्रता का विकास है। अतः एक पूर्ण राज्य ही वास्तव में स्वतन्त्र राज्य होता है और जो नागरिक इस पूर्ण राज्य के पूर्ण कानूनों का पूर्ण पालन करता है, वह ही पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।

हीगल यह भी बताता है कि राज्य व्यक्ति के यथार्थ व्यक्तित्व का संरक्षक है।

उसके अनुसार, मनुष्य समाज की सदस्यता द्वारा जिस स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं, वह उस स्वतन्त्रता से अधिक सत्य है, जिसका उन्होंने अपनी कल्पित विधिहीन प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर समाज में प्रवेश करते समय, परित्याग किया था। यह स्वतन्त्रता जो केवल समाज में ही सम्भव है, व्यक्ति के हृदय में स्थित स्वतन्त्रता की उदात्त धारणा का बाह्य जगत में प्रत्यक्षीकरण है। यह धारणा समाज के बगैर अप्रत्यक्ष ही रहती है। हीगल की भाषा में राज्य में व्यक्ति ने अपने बाह्य रूप को पूर्णतः आध्यात्मिक चिन्तनमय स्तर तक उन्नत कर लिया है। यह यथार्थ स्वतन्त्रता जो समाज में स्थित है तथा इसका फल है, सक्रिय और विकासशील है। यह स्वतन्त्रता प्रथम विधि में दूसरे आन्तरिक नैतिकता के नियम में, कि जो व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है तथा तीसरे सामाजिक संस्थाओं तथा प्रभावों की सम्पूर्ण प्रणाली में जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, प्रकट होती है।

इस तरह से राज्य में व्यक्ति के लिए ऐसी स्वतन्त्रता का उपभोग सम्भव हो जाता है जो उसे अन्य किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती थी। हीगल के भाषाओं में, श्मात्र राज्य ही स्वतन्त्रता का वास्तवीकरण है। राज व्यक्तियों को स्वतन्त्र बनाने के लिए आवश्यक है, परन्तु राज्य को पूर्ण बनाने के लिए स्वतन्त्र व्यक्ति भी आवश्यक है। यह ध्यान रहे कि हीगल की स्वतन्त्रता आज्ञापालन का ही दूसरा रूप है।

हीगल कहता है कि सत्य क्या है, यह राज्य ही तय करता है। इससे अधिक तानाशाही की बात क्या होगी। यदि राज्य अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहता है तो हीगल के विचार में राज्य की बात माननी होगी।

हीगल की स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणा भी काल्पनिक है। इसे स्वतन्त्रता नहीं, दासता कहा जा सकता है। हीगल से जो लोग वास्तव में प्रभावित हुए, वे हिटलर जैसे तानाशाह थे। इसी से उसके विचारों का सार मालूम हो जाता है।

प्रतिवाद तथा दोनों के द्वन्द्व व सत्यांशों से मिलकर संवैधानिक राजतंत्र अर्थात् समवाद है। यह निरंकुषतंत्र व प्रजातंत्र से अधिक विकसित है। किन्तु हीगल का आदर्श एषिया का राजतंत्र था जिसमें राजा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता था। मंत्रियों की नियुक्ति व पदच्युति राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। . हीगल के संवैधानिक राजतंत्र में राजा को प्रशासकीय, वित्तीय तथा विधायी भाक्तियाँ प्राप्त थी।

हीगल सरकार के तीन अंग बताता है— 1— व्यवस्थापिका, 2— कार्यपालिका, 3— राजपद। वह न्याय पालिका को कार्यपालिका का ही एक अंग मानता है तथा राजपद को राज्य की सर्वोच्च संस्था तथा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करने वाली इकाई के रूप में देखता है।

हीगल व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को बहुत अधिक महत्व प्रदान करता है, क्योंकि भासन संचालन की मुख्य भाक्ति उसी के हाथों में केन्द्रित होती है। वह व्यवस्थापिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की कोई भाक्ति प्रदान नहीं करता है। उसकी मान्यता थी कि श्राज्य के संगठन और आवश्यकताओं को समझने में उच्चतम सरकारी अधिकारियों में अधिक गम्भीर और व्यापक दृष्टि होती है। अतः वे व्यवस्थापिका की सहायता के बिना भी अच्छी तरह से भासन का संचालन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए सामान्यतया कानून निर्माण का कार्य राज्य कर्मचारियों के हाथ में ही केन्द्रित होना चाहिए। इस दृष्टि से व्यवस्थापिका के दो कार्य हैं—

(1) राज्य कर्मचारियों के सम्मुख समाज की ऐसी माँगों को प्रस्तुत करना जो उनकी दृष्टि में न आये। (2) भासन की जनता द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं की ओर राज्य कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करना।

भोश सभी कार्य राज्य कर्मचारियों के लिए छोड़ देने चाहिए।

हीगल द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का समर्थक था। उसका विचार है कि प्रथम सदन तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा की भांति कुलीनतंत्रीय हो तथा द्वितीय सदन निर्वाचित हो। उसका मत था कि मताधिकार बहुत थोड़े से ही शिक्षित और धनी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। वह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था। वह प्रतिनिधित्व का सही आधार विभिन्न व्यवसायों को मानता था। उसके अनुसार व्यवस्थापिका में विभिन्न वर्गों और नियमों के प्रतिनिधि होने चाहिए। हीगल की यह व्यवस्था मध्य युगीन ब्रिटिश संसद की व्यवस्था से मिलती है। मध्य युग में ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लॉर्ड सभा में बड़े भूमिपति और पादरी सदस्य होते थे तथा निम्न कॉमन सभा में नगरों के व्यापारी अन्य नगरवासी तथा जिलों व देहातों में रहने वाले ज्वाइंट्स सम्मिलित होते थे। इस प्रकार हीगल पूर्णतः सत्तावादी भासन में विश्वास करता था।

हीगल द्वारा प्रस्तुत इस भासन व्यवस्था को बाद में उसके मानस पुत्र इटली के तानाशाह मुसोलिनी द्वारा अपने फासीवादी राज्य की रचना में प्रयुक्त किया था।

अभ्यास— प्रश्न MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

1. हीगल के जीवन का संक्षिप्त परिचय दें।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

2. हीगल के अनुसार अध्यात्मिक द्वन्द्ववाद क्या है? व्याख्या करें।
3. हीगल के राज्य सम्बन्धी विचार की विवेचना करें।
4. हीगल के अनुसार युद्ध बुरा नहीं बल्कि एक गुणकारी प्रक्रिया है। समीक्षा करें।
5. भासन सम्बन्धी हीगल के राजतंत्र समर्थक विचारों पर टिप्पणी लिखें।

इकाई – 14

टी०एच० ग्रीन (T-H- Green) (1836–1882)

टी०एच० ग्रीन का जनम यार्कषायर के रेक्टर के यहाँ 6 अप्रैल, 1836 में हुआ। उसने रगबी

व बेलिमोल कॉलिज ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। सन् 1860 में वह बेलिमोल का फैलो और सन् 1866 में ट्यूटर निर्वाचित हुआ। यह पहला साधारण व्यक्ति था, जो इस पद पर चुना गया था। एक दार्शनिक के अलावा ग्रीन राजनीतिक कार्यकर्ता भी था। उसने अपने समय की राजनीति में भाग लिया। वह कई साल तक बकिंघम नगर की शिक्षा संचालन समिति का सक्रिय सदस्य रहा। सन् 1878 में वह नैतिक दर्शन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गया। उनका 46 वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। ग्रीन के दर्शन पर मुख्यतः तीन बातों का प्रभाव पड़ा था – (1) यूनानी विचारकों प्लेटो व अरस्तू का जिससे उसने यह विचार ग्रहण किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। (2) दूसरा स्रोत जर्मन आदर्शवाद था। ग्रीन ने ब्राह्मण सम्बन्धी विचार हीगल से लिया था, लेकिन नैतिक व राजनीतिक क्षेत्र में ग्रीन के विचार हीगल की अपेक्षा काण्ट के अधिक निकट हैं। (3) तीसरा स्रोत परम्परा विरोधी लोगों के सिद्धान्त थे। परम्परा विरोधी लोग नैतिकता पर बड़ा जो देते हैं।

ग्रीन की प्रमुख रचनायें – ग्रीन की प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं

1. उदार व्यवस्थापन और अनुबन्ध की स्वतन्त्रता । 2. राजनीतिक दायित्व के सिद्धान्त पर व्याख्यान । 3. इंग्लैण्ड की क्रान्ति पर व्याख्यान । 4. नैतिकता का प्राक्कथन ।

इनमें से द्वितीय रचना का सर्वाधिक महत्व है।

आध्यात्मिक विचार

शराज्य का आधार इच्छा नहीं भाक्ति है

अंग्रेजी आदर्शवादी विचारक ग्रीन का विचार है कि, शराज्य का आधार भाक्ति नहीं, इच्छा है। व्यक्तिवादी साम्यवादी तथा अराजकतावादी राज्य का मात्र भाक्ति का प्रतीक मानते हैं, किन्तु ग्रीन उनके विचारों से सहमत नहीं है। ग्रीन कहता है कि जो राज्य जनता में भय उत्पन्न करके अपनी- आज्ञाओं का पालन कराता है, वह राज्य स्थायी नहीं हो सकता।

ग्रीन के अनुसार, राज्य का उदय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है। सभी व्यक्तियों की यह सामान्य इच्छा है कि अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए और इस सामान्य इच्छा के परिणामस्वरूप राज्य का उदय होता है। अतः राज्य का आधार यही सामान्य इच्छा है !

यद्यपि राज्य कभी-कभी हमारे विरुद्ध बल का प्रयोग करता है, परन्तु वह सब हमारी इच्छा से ही करता है। जैसे मनुष्य की दो प्रकार की इच्छाएँ होती हैं – यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा स्वार्थपूर्ण होती है और आदर्श इच्छाओं का योग है। यदि कोई मनुष्य अपनी यथार्थ इच्छा से प्रेरित होकर दूसरों की सम्पत्ति चुराता है तो वस्तुतः वह स्वयं



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

अपनी आदर्श नैतिक इच्छा और समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। ऐसी स्थिति में राज्य पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था के आधार पर इस असामाजिक कार्य को जो रोकने का प्रचलन करता है तो

राज्य के इस कार्य में उस चोर की आदर्श इच्छा सम्मिलित है। अतः पुलिस और न्यायालय उसे दण्ड देते हैं तो वे भाक्ति का नहीं, वरन् समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार भाक्ति नहीं, वरन् इच्छा है।

ग्रीन के राज्य का आधार भाव्य चेतना है जो मानव चेतना के सामाजिक अच्छाई को प्रदान करती है। इसी को पूर्ण बनाने के लिए मानव चेतना प्रयत्नशील रहती है। उच्च वर्ग के समाजों में उसने यह पूर्णता आंशिक रूप से प्राप्त भी कर ली है। इसलिए मानव चेतना के परिणामस्वरूप ही राज्य का जन्म होता है बार्कर ने लिखा है, श्मानव चेतना से स्वतन्त्रता पैदा होती है, स्वतन्त्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की माँग करते हैं। स्वतन्त्रता से पुरुष कर हम यह देखते हैं कि ग्रीन अपने विचार काण्ट की स्वतन्त्र नैतिक इच्छा, जिसकी वजह से मनुष्य स्वयं को साध्य समझता है, से ग्रहण करता है। समाज की अच्छी वस्तु अच्छी इच्छा है। राज्य को इसकी स्वनिष्ठता को न तो दमनकारी हस्तक्षेप से और न पैतृक सरकार से रोकना चाहिए। राज्य को एक काम यह जरूर करना चाहिए कि व उन तमाम बाधाओं को दूर करें जो व्यक्ति के विकास में बाधक है।

इसलिए स्वतन्त्रता कोई नकारात्मक प्रतिबन्ध के अभाव का नाम नहीं है जैसे कि सुन्दरता के अभाव को ही कुरूप नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में स्वतन्त्रता एक सकारात्मक व्यक्ति है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को ऐसे कार्यों को करने की आज्ञा रहती है, जो करनेवा उपभाग करने लायक हों।

चूँकि स्वतन्त्रता का निवास श्रेष्ठ इच्छा (त्संसूपसस) में होता है। यह कोई ऐसी भाक्ति नहीं है कि किसी भी य सभी कार्यों के सम्बन्ध में हो, बल्कि यह उन्हीं विषयों में होती है जिनको कि श्रेष्ठ इच्छा अपने सामने प्रस्तुत करती है। संक्षेप में, स्वतन्त्रताओं की दो विशेषताएँ होती हैं – कुछ कार्य करने की स्वतन्त्रता, न कि किसी के लिए कुछ किए जाने की स्वतन्त्रता। यह निष्ठित होती है और ऐसे कार्य करने की इजाजत नहीं देती है, जो करने लायक नहीं हैं।

इस तरह से आत्म—चेतना स्वतन्त्रता को जन्म देती है। आत्म—चेतना केवल अपने ही बारे में चेतना नहीं है, बल्कि दूसरों के विषय में भी उतनी ही चेतना है। ऐसी स्थितियों में स्वतन्त्रता का अर्थ उन कार्यों के करने से होगा जो कि हमें दूसरों के साथ रहते हुए करने चाहिए। ग्रीन का कहना था कि आत्म केवल स्वयं की ही भलाई नहीं करता, वह अपने साथ दूसरों का भी भला चाहता है। समाज इसी भलाई की भावना से संगठित होता है। इसी के साथ हम ग्रीन के अधिकारों के विचार पर आ जाते हैं जो इसी सामाजिक अच्छाई की भावना पर आधारित होते हैं। अधिकारों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्य साथियों के अस्तित्व को स्वीकार कर आदर्श वस्तुओं को प्राप्त करने का सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं माँगों को अधिकार कहते हैं। सामाजिक मान्यता इन माँगों को अधिकार का रूप देती है। ग्रीन के विचार में अधिकारों के दो पहलू हैं। एक ओर तो

अधिकार व्यक्ति की आत्म—चेतना से उत्पन्न एक माँग हैं, दूसरी ओर यह समाज द्वारा उस माँग की स्वीकृति है ।

अधिकार लागू किये जाने के लिए होते हैं। उन्हें सुरक्षा की जरूरत होती है। इसलिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सके। यह कार्य राज्य ही कर सकता है। सर्वोच्च सत्ता जो भाक्ति का प्रयोग करती है, समाज में ही निहित होती है। दूसरे भावों में, यह सामान्य चेतना में सामान्य उद्देश्य के लिए निहित होती है। अगर सामान्य चेतना की जगह सामान्य इच्छा भाव का प्रयोग करें तो सामान्य इच्छा प्रभु है।

राज्य का आधार ग्रीन के विचार में राज्य सामान्य उद्देश्यों की सामान्य चेतना का प्रतिफल है। इसकी विशेषता नैतिक प्रकृति है। नागरिकों पर भाक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जबकि औचित्य सिद्ध किया जा सके। किसी भी समाज का राजनीतिक संगठन तब तक सम्भव नहीं है, जब तक कि उसके सदस्यों में चेतना थी। राजनीतिक इच्छा का तत्व मौजूद नहीं है। नागरिकों को यह समझना चाहिए कि राज्य का आदेशात्मक सत्ता का प्रयोग सामान्य हित के लिए हो रहा है। राज्य का सत्ता और नियमों के पालन का आधार और औचित्य इनके द्वारा सामान्य हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि अवज्ञा करने पर उन्हें दण्ड मिलेगा।

- नियम

कानून पालन की समस्या ग्रीन कहता है कि किसी भी आदर्श राजनीतिक समाज में आज्ञापालन का आधार दण्ड का भय अथवा स्वभाव से आज्ञापालन के बजाये यह चेतना होनी चाहिये कि राज्य के नियम सामान्य हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। सिर्फ उन्हीं राज्यों में, जिनकी नीति को आधार सामान्य हितों की वृद्धि है। आज्ञापालन सक्रिय इच्छा पर आधारित है, लेकिन उन राज्यों में नहीं। राज्य को नीति का उद्देश्य किसी राजा, अधिनायक या वर्ग से समाज के भाग की रक्षा करना है। आज्ञापालन का आधार दण्ड का भय होता है, जो निष्पक्ष इच्छा के अस्तित्व को प्रदर्शित करता है !

ग्रीन, आस्टिन के प्रभुता के सिद्धान्त को जिसके अनुसार, राज्य की आज्ञा का पालन जनता दण्ड के भय अथवा स्वभाव से करती है, अस्वीकार करता है। अगर किसी समाज में नागरिकों को आचरण केवल भय के द्वारा ही निर्देशित होता है तो उसे हम वास्तविक राजनीतिक समाज नहीं कह सकते। कभी—कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए भाक्ति के अत्यधिक प्रयोग द्वारा तैमूर या चंगेज खाँ की तरह कोई विजेता जनता को भयभीत करके तक्षण एवं पूर्ण आज्ञापालन कराने में सफल हो जायें, लेकिन वह किसी भी वास्तविक राजनीतिक समाज में स्थायी रूप से निर्देशन नहीं कर सकता। इस तरह से ग्रीन आस्टिन की भाक्ति की प्रधानता देने के सिद्धान्त को अस्वीकार करता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में भावित का तत्व वास्तव में उपस्थित हैं और रहेगा भी, लेकिन भाक्ति का आधिक्य स्वेच्छा के तत्व को, जो कि किसी भी राजनीतिक समुदाय का वास्तविक आधार है, नष्ट कर देगा

भावित राज्य का अस्तित्व को बनाये रखने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

राज्य का आधार ही भावित है। भाक्ति का अधिकार व्यवस्था को बनाये रख सकती है, लेकिन अधिकारों को जन्म नहीं दे सकती हैं।

इनका कुछ आधार ग्रीन के समान उद्देश्यों की समान चेतना या रूसो के अनुसार, सामान्य इच्छा है। राज्य को बनाये रखने के लिए भावित जरूरी है। साधारणतः अधिकांश नागरिक निष्क्रिय होते हैं। वे राज्य पर और राज्य के भाक्ति साधनों पर अपने अधिकारों और स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए निर्भर रहते हैं। समाज-विरोधी व्यक्तियों से अपनी रक्षा-स्वयं, अपने प्रयत्नों से करने की अपेक्षा वे राज्य से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से अगर नागरिकों का बड़ा समूह राज्य से रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी तरह अगर नागरिकों का बड़ा समूह राज्य के किसी कानून अथवा आषा का चेतन यप से विरोध करता है तो राज्य की सम्पूर्ण भाक्ति के प्रयोग पर भी राज्य के लिए आज्ञा का पालन कराना व्यावहारिक रूप से असम्भव हो जाता है। कोई भी राज्य अपने समस्त या अधिकांश नागरिकों को मृत्युदण्ड नहीं दे सकता है। राज्य का विरोध चेतना, इच्छा अथवा इस विश्वास पर कि ऐसा करना नैतिक दृष्टि से उचित है, आधारित है तो भाक्ति अकेले ही राज्य को नहीं बनाये रख पायेगी।

ग्रीन का कहना है कि स्वभाव से अज्ञापालन तभी तक होती है, जब तक कि प्रभु जनता के सामान्य हितार्थ कार्य करता है और परम्पराओं पर प्रहार नहीं करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि निरंकुष सीमाएँ हैं और कोई भी भासन उन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। किसी समाज में अन्तिम भाक्ति नैतिक ही है।

प्रश्न यह उठता है कि किसी भी विषेश प्रश्न पर सामान्य चेतना क्या है? इसका पता कैसे लगायेंगे। केवल संख्या के द्वारा ही यह पता नहीं लगाया जा सकता। यह जरूरी नहीं है कि सबकी या बहुमत की इच्छा ही सही हो। बहुमत भी अत्याचारी हो सकता है। इसके लिए वह मनुष्य की इच्छाओं को दो हिस्सों में बाँटता है— वाह्य इच्छा (बजनंसूपसस) व आन्तरिक इच्छा (त्मंसूपसस) य सामान्य इच्छा सामान्य लोगों की आन्तरिक इच्छा का योग है। यह श्रेष्ठ होती है। दूसरे भावों में यह कहा जा सकता है कि राज्य सामान्य हितकी सामान्य चेतना को सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त करता है। इसलिए राज्य सर्वोच्च है। उसके निर्णय सबको मानने चाहिए। स्पष्ट है कि ग्रीन ने राज्य का आधार संघर्ष नहीं माना, बल्कि इच्छा माना। ग्रीन इसकी पुष्टि निम्नलिखित आधारों पर करता है—

(1) यदि भाक्ति राज्य का आधार होता तो पुलिस व सेना राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते? (2) भाक्ति एक अस्थायी तत्व है। राज्य स्थायी संस्था है। अतः राज्य का आधार भाक्ति नहीं हो सकता। ग्रीन के अनुसार, श्राज्य का वास्तविक आधार अधिकार भाक्ति ही हो सकता है। निराधार भाक्ति को अधिक से अधिक राज्य का अस्थायी आधार ही माना जा सकता है। रूसो भी कहता है कि, “षक्तिषाली का अधिकार कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं है।

भाक्ति तो भौतिकषक्ति है। मनुष्य को भाक्ति के सम्मुख विवषता के कारण या अधिक से अधिक चतुराई के कारण झुकना पड़ता है न कि अपनी इच्छा से। (3) इतिहास इस बात का साक्षी है कि फ्रांस में लुई भासन, सोवियत रूस में ज़ार भासन और भारत

में ब्रिटिश भासने इसलिए समाप्त हो गया, क्योंकि वह भाक्ति पर आधारित था। (4) यदि राज्य का आधार भाक्ति होता तो यह कभी का समाप्त हो गया होता, परन्तु यह अभी तक है। अतः राज्य का आधार भाक्ति नहीं, वरन् इच्छा है। (5) राज्य के नागरिकों में पाई जाने वाली सहयोग, न्याय तथा ईमानदारी की भावनायें भी सिद्ध करती हैं कि राज्य का आधार इच्छा है।

आलोचना — (1) ग्रीन ने मानव इच्छा को दो भागों में बांटा है। यह विभेद प्रमणपूर्ण है। मनुष्य की आन्तरिक व बाहरी इच्छा के बीच स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है। (2) यह कहना कि सामान्य इच्छा हमेषा जनहित में काम करती है, सही नहीं है। सामान्य व्यक्ति सामान्य इच्छा निर्देषों को मानने से बाध्य है, निरंकुषता का प्रतीक है। सामान्य इच्छा के प्रतिनिधि होने के कारण राज्य का विरोध नहीं किया जा सकता है। निरंकुषवादी भी यही बात कहते हैं। (4) ग्रीन राज्य को आध्यात्मिक उद्देश्य से संगठित आध्यात्मिक संस्था मानता है। वास्तव में राज्य एक भौतिक एवं कानूनी संस्था है। (5) राज्य का आधार इच्छा के साथ भौतिक बल भी है। पुरु में राज्य की स्थापना और विस्तार भौतिक बल द्वारा ही हुआ। राजा की भाक्ति कमजोर हो जाती थी तो उसका पतन हो जाता था। आज भी अनेक देशों में राष्ट्रीय एकता ताकत के बल पर कायम है।

इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त द्वारा ग्रीन ने राज्य के लिए एक भावी आदर्श प्रस्तुत किया तथा प्रजातन्त्र तथा लोक-प्रभुत्व का प्रतिपादन किया। राज्य के कार्य

ग्रीन ने राज्य के कार्यों के बारे में जो विचार रखे हैं, वे मौलिक हैं। ग्रीन के विचार के बारे में डॉ० वार्कर कहता है, "राज्य का अन्तिम नैतिक मूल्य होता है और यह एक अत्यन्त गौरवपूर्ण मूल्य है। यह एक नैतिक प्राणी है, जिसे इसके नैतिक उद्देश्य ही जीवित रखते हैं।"

ग्रीन की राज्य सम्बन्धी धारणा असीमित राज्य ही नहीं है। वह राज्य को अन्दर व बाहर सीमित मानता है। ग्रीन का विश्वास था कि राज्य का उद्देश्य से प्रेरित होने चाहिए। ग्रीन का मत है कि राज्य का कार्य मनुष्य का नैतिक उत्थान करके उसे भाभ जीवन को व्यतीत कर सकने योग्य बनाना है। अतः राज्य को वे ही कार्य करने चाहिए, जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। नैतिक उत्थान से उसका तात्पर्य व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लाना है, जिससे वह स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक निश्चित कार्यों को दूसरों के प्रति कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर करें। अर्थात् व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करें, बाहरी भाक्ति के भय से होकर नहीं। राज्यके कार्य सकारात्मक व नकारात्मक है। नकारात्मक तो वह यह चाहता है कि राज्य व्यक्ति को वह कार्य करने दें, जो करने योग्य है। इनको करने में जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें राज्य को उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। उसने लिखा है, "राज्य की उन बाधाओं को दूर करना चाहिए, जिनका सामना व्यक्ति को करने योग्य काम करने में करना पड़ता है।" सकारात्मक दृष्टि से राज्य के कार्य-क्षेत्र की व्याख्या करते हुए ग्रीन राज्य को यह अधिकार देता है कि जहां नैतिकता के विकास के लिए वह उपयुक्त समझे, वहां नागरिक के कार्य में हस्तक्षेप करें और उचित अवसरों पर बल-प्रयोग भी करें। इस तरह से राज्य का काम उन बाधाओं का अन्त करने तक सीमित है, जो मानव की भाक्ति में बाधा पहुंचाते हैं। राज्य सकारात्मक रूप से अपने सदस्यों को अच्छा बनाने का कार्य नहीं कर सकता है। उसका सिर्फ नकारात्मक नैतिक कर्तव्य है कि उन बाधाओं का अन्त करें,



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

जो मानव को नैतिक बानने के मार्ग में बाधा डालती है। इस प्रकार राज्य का काम बाधाओं में बाधा डालने तक सीमित है। इस कथन से यह भी आभास होता है कि राज्य को कोई रचनात्मक काम नहीं करना

• है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाये तो यह काम बहुत रचनात्मक है। जब राज्य बाधाओं में बाधा डालेगा तो उसे कुछ ठोस काम करना पड़ेगा। ये बाधाएँ निम्न हैं। —कृकृ

(1) पहली बाधा अधिका है। ग्रीन के अनुसार, श्रमिकों का ज्ञान के मनुष्य उसी प्रकार पंगु है, जिस प्रकार वह किसी अंगविहीन हो जाने से पंगु हो जाता है। इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य को विद्यालयों की स्थापना करनी होगी और शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। (2) दूसरी बाधा मद्यपान की बुराई है। इसको दूर करने के राज्य को मद्य निषेध को कदम उठाना चाहिए।

(3). तीसरी बाधा दरिद्रता की है। इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य को जमींदारी निषेध का कदम उठाना चाहिए। (4) चौथी बाधा खराब स्वास्थ्य है। इस बाधा को दूर करने के लिए राज्य को अस्पताल बनवाने पड़ेगे। (5) पाँचवी बाधा कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा है। इसके लिए वह राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक मानता था। (6) छठी बाधा अशान्ति और अव्यवस्था है। इसको करने के लिए राज्य को पुलिस व सेना का गठन करना पड़ेगा।

इस तरह से साफ पता चलता है कि ऊपरी तौर पर ग्रीन द्वारा बताये गये राज्य के कार्य नकारात्मक हैं, लेकिन वास्तव में यह सकारात्मक हैं।

राज्य के हस्तक्षेप की सीमा— राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में कहां तक होगा और बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य क्या-क्या करेगा? इसकी कोई निश्चित सीमा ग्रीन ने नहीं बताई है, लेकिन उसने कुछ उदाहरणों द्वारा इसका संकेत जरूर दिया है। नकारात्मक दृष्टि से वह मानता है कि अज्ञानता, बर्बरता, आदि का निराकरण करके राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए उचित— शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। राज्य को भूमि व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में रखना चाहिए। व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा और देखभाल करनी चाहिए, मद्यपान निषेध करना चाहिए द्रव्य भिक्षावर्षी को खत्म करना चाहिए। भिक्षावर्षी को खत्म करना चाहिए आदि। ग्रीन ने इन बातों को मानव के विकास में बाधाएँ माना है।

मैकगबर्न के अनुसार, शपक्का परम्परावादी होने तथा नैतिकता को बहुत महत्व देने के कारण ग्रीन का विश्वास था कि राज्य के द्वारा उन संस्थाओं एवं दशाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जो अनैतिकता की ओर ले जाती हैं। उसका कहना था कि राज्य चाहे किसी व्यक्ति पर नैतिकता लाद न सके, किन्तु वह उन दशाओं को मिटा सकता है, जो मनुष्यों को अनैतिक बनने के लिए आकर्षित करती है। संक्षेप में ग्रीन के अनुसार, राज्य के निम्नलिखित कार्य हैं

(1) नैतिकता में बाधा पैदा करने वाली परिस्थितियों का दमन करना।

(2) सदाचार, पवित्रता और संयम को प्रोत्साहन देना

- (3) राज्य उन साधनों की व्याख्या करें, जिनसे नागरिकों में अधिकाधिक नैतिक भावनाओं और चरित्र का विकास हो ।
- (4) राज्य ऐसे लोगों के लिए दण्ड की व्यवस्था करें, जो नैतिक विधान बाधक हो ।
- (5) राज्य शिक्षा प्रसार द्वारा अज्ञानता रूपी सामाजिक अभिषाप को समाप्त करें ।
- (6) राज्य सामान्य इच्छा और सामान्य कल्याण में बाधा पैदा करने वाले मदिरापान को रोक दें ।
- (7) राज्य वैयक्तिक सम्पत्ति की रक्षा करें ।
- (8) राज्य नैतिकता स्थापित करने के लिए बल-प्रयोग करें ।
- (9) अन्तर्राष्ट्रीय भावना को बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय भ्रान्ति को बढ़ावा दें ।

ग्रीन ने इस विचार को दृढ़ता से व्यक्त किया है कि राज्य का कार्य व्यक्तियों को अच्छा जीवन सुलभ कराना है । राज्य व्यक्तियों को ऐसे कार्यों को करने के लिए कभी बाध्य नहीं कर सकता, जिनसे व्यक्तियों को हानि पहुँचाती है । लेकिन ऐसे मौके भी आते हैं, जबकि व्यक्ति विवेकपूर्ण लक्ष्य के विषय में नहीं सोच पाता है । ऐसी दशा में राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप ही उसे उस लक्ष्य को बताता है । कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही बुद्धिमान व चतुर क्यों न हो, उसके जीवन में ऐसा अवसर आता है, जबकि वह अज्ञानता का भाव अनुभव करता है अथवा वह दूसरों पर निर्भर होकर या उनकी बुरी संगत में पड़कर लक्ष्य से भटक जाता है । इसलिए जब राज्य सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, फैक्ट्रियों का नियमन करता है और भूमि सम्बन्धी कानून बनाता है या खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकता है तो ऐसा करने में राज्य लोगों के ऊपर नागरिक अच्छाई नहीं थोपता, बल्कि अपनी समस्त भाक्तियों को खोलकर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है ।

इस तरह ग्रीन ने उत्साह के साथ अपने समय के शिक्षा, स्वास्थ्य व श्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन का समर्थन किया । ग्रीन ने इन सीमाओं को स्वतन्त्रता विरोधी कभी नहीं माना, बल्कि ग्रीन का विश्वास था कि सरकार सामूहिक कानूनों द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बढ़ा सकती है । इसलिए वह कहता है कि राज्य कोई नाजायज कार्य नहीं करता । अगर वह माता-पिता को बच्चा स्कूल भेजने के लिए कहता है अथवा उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने से रोकता है, जहाँ काम करके उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है । इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्यों के बारे में भी ग्रीन भलाई – बुराई, उचित – अनुचित जैसी नैतिक बातों से प्रभावित था ।

ग्रीन के राज्य सम्बन्धी विचारों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने राज्य को साध्य नहीं है, अपितु साधन माना है । ग्रीन के अनुसार, व्यक्ति का हित साध्य है और राज्य उसको प्राप्त करने का साधन । इस प्रकार ग्रीन के विचारों में लोक कल्याणकारी राज्य को विचार सन्निहित है ।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

जहाँ तक व्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, ग्रीन ने काण्ट का अनुसरण किया है। उसने स्वतन्त्रता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि, स्वतन्त्रता का अभिप्राय उन कार्यों को करने व उपभोग करने की सकारात्मक भाक्ति से है, जो करके या उपभोग करने लायक है। ग्रीन से पहले बेन्थम, मिल व उसके अनुयायियों ने प्रतिबन्धों के अभाव को ही स्वतन्त्रता माना था। ग्रीन उसे नकारात्मक स्वतन्त्रता बताता है और उसने अपनी सकारात्मक स्वतन्त्रता की व्याख्या की। ग्रीन ने बताया कि इस तरह की स्वतन्त्रता मिल जाने पर क्या नतीजा होता है? इस स्वतन्त्रता से मनुष्य नैतिक चेतना के आदेशों का पालन कर लेने से मुक्ति पा लेता है। इसका यह अर्थ है कि एक स्वतन्त्र मनुष्य ऐसे कार्यों को करने की भाक्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वह अपना उच्चतम विकास कर सकता है। बार्कर ने ग्रीन की स्वतन्त्रता के दो लक्षण बताये हैं

(1) सकारात्मक स्वतन्त्रता (चेपजपअम स्पइमतजल) — स्वतन्त्रता सकारात्मक होती है, यह हस्तक्षेप अभावमात्र नहीं है। इसका सच्चा अर्थ है कि इच्छित कार्यों को करने की सुविधा। यह व्यक्ति को इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि वह कुछ कार्य कर सके, ऐसे कार्य जिनसे मनुष्य अपना नैतिक विकास कर सकने में सक्षम हो। इस स्वतन्त्रता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने लिए कुछ करा सके।

स्वतन्त्रता कुछ काम करने

(2) निष्चयात्मक स्वतन्त्रता (क्मजमतउपदंजम स्पइमतजल) का अवसर देती है, लेकिन इन कार्यों का स्वरूप निष्चयात्मक होता है अर्थात् एक निश्चित कार्य करने की स्वतन्त्रता, कोई ऐसा कार्य जो किये जाने योग्य है, न कि प्रत्येक कार्य। कुछ कार्य का अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति अच्छे-बुरे हर कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। जुआ खेलना, भाराब पीना, चोरी करना, आदि बातों के लिए छूट देना स्वतन्त्रता नहीं है। एक व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले कार्यों को करने की छूट नहीं दी जा सकती। केवल उचित कार्यों को ऐसे कार्य करने की एक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दूसरे किसी व्यक्ति की ऐसी ही स्वतन्त्रता से कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, इसलिए यह स्वतन्त्रता दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की स्वतन्त्रता है। इसी तरह ग्रीन के अनुसार, स्वतन्त्रता दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कार्यों को करने की निष्चयात्मक सत्ता है।

ग्रीन की स्वतन्त्रता की अवधारणा से यह बातें भी भामिल हैं—

(अ) स्वतन्त्रता का अर्थ आत्म-सन्तुष्टि नहीं है — उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रीन स्वतन्त्रता को प्रत्येक कार्य करने की छूट नहीं मानता है और न ही स्वतन्त्रता और स्वच्छन्दता को पर्यायवाची मानता है। उदाहरणार्थ, यदि विद्यार्थी अपने आपको तब स्वतन्त्र रूप से जब उन्हें परीक्षा भवन में मनवाना आचरण करने की छूट हो तो ग्रीन इसे स्वतन्त्रता नहीं, वरन् स्वच्छन्दता और अनुशासनहीनता मानेगा। उसके अनुसार, स्वतन्त्रता तब है जब विद्यार्थी बड़े मनोयोग से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें तथा उचित साधनों से परीक्षा दें। उसका विश्वास— स्वतन्त्रता राज्य के हस्तक्षेप के उचित क्षेत्र में ही बनी रह सकती है।

ग्रीन की स्वतन्त्रता विधेयात्मक है। आत्मपरक एवं आन्तरिक होने के साथ-साथ यह वास्तविक व सकारात्मक भी है। कानून व्यक्तिगत कानून का रक्षक है।

(ब) स्वतन्त्रता मानव-चेतना की एक विशेषता ग्रीन के अनुसार, मनुष्य को आत्म-चेतना के विकास के लिए स्वतन्त्रता का होना अनिवार्य है। मानव-चेतना विश्व-चेतना का एक अंश है और विश्व-चेतना का सार स्वतन्त्रता है, इसलिए आत्म चेतना भी स्वतन्त्रता होती है। यह मानव-चेतना स्वतन्त्रता के लिए राज्य की माँग करती है।

(स) स्वतन्त्रता में अधिकार निहित है स्वतन्त्रता की उपर्युक्त भावना स्वयं अधि कारयुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस काम को अपने लिए अच्छा समझता है, अन्य मनुष्य भी उसे पूर्णया के लिए उपयोगी समझते हैं और सम्पूर्ण समाज ही उन्हें अपने-अपने विकास में सहायक समझने लगता है जिसका नतीजा यह होता है कि सामाजिकता की भावना पैदा होती हैं

स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें। स्वतन्त्रता भाब्दा स्वयं अपने आपमें ही स्वतन्त्र है और साथ ही दूसरों को भी उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान करता है, जितना वह खुद स्वतन्त्र है। व्यक्ति को जीवन, सम्पत्ति, घूमने-फिरने, व्यवसाय, कार्य आदि की स्वतन्त्रता की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य व्यक्ति भी उसी की तरह उपर्युक्त अधिकार रखते हैं। इसलिए व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग इस तरीके से करेगा, जिससे दूसरों को वैसी ही स्वतन्त्रता में बाधा न पहुँचे।

स्वतन्त्रता का वास्तविक उपयोग तभी हो सकता है, जब वह अधिकारयुक्त है। अधिकार विहीन स्वतन्त्रता उच्छ खलता होती है। अगर हमें व्यक्तित्व की उन्नति करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की अपेक्षा है तो यह स्वभाविक है कि हमें जीवन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार एवं कार्य का अधिकार आदि प्राप्त हों। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने मार्ग में आने वाली बाधों को इस रूप में हटाने के लिए प्रयत्नशील हो जायें कि अन्य अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को इस रूप में हटाने के लिए प्रयत्नशील हो जायें कि अन्य व्यक्तियों में वैसे ही अधिकारों का हननकृ हो !

ग्रीन के अधिकार सम्बन्धी विचार-ग्रीन का कहना है कि कुछ अपनी माँगे व दावे भी होते हैं इनको अधिकारों की मर्यादा की सीमा के अन्तर्गत बाँध देना चाहिए। एक बार जब अधिकार निश्चित हो जाये तो राज्य के लिए भी आवश्यक है कि वह ऐसे वातावरण को उत्पन्न करें, जिससे कि इन अधिकारों को प्रयोग सम्भव हो सके ।

ग्रीन अधिकार को परिभाषित करते हुए कहता है कि, अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की भाक्ति है जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है तथा समाज यह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज को लाभ पहुँचेगा।

यहाँ पर हम ग्रीन के प्राकृतिक अधिकार सम्बन्धी विचारों पर आ जाते हैं। उसका मत है कि किसी-न-किसी दषा में प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अवष्य रहा होगा, लेकिन वह हॉब्स, लॉक व रूसो की तरह यह स्वीकार नहीं करता कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त थे। इसका कारण यह है कि व्यक्ति की किसी भी माँग का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक वह समाज में रहना पुरु नहीं कर देता या समाज की स्थापना नहीं



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

हो जाती। समाज की स्वीकृति के बगैर व्यक्ति का कोई दावा अधिकार नहीं बन सकता

ग्रीन यह भी बताता है कि अधिकार क्या है? अधिकार के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो व्यक्ति का है जो अपनी एक निश्चित चेतना के बाद वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है और दूसरा पक्ष समाज का है जो व्यक्ति को कुछ निश्चित वस्तुएँ रखने का कार्य करने की अनुमति देता है। जब समाज व्यक्ति को किसी माँग की पूर्ति अपनी स्वीकृति देकर करता है तो वह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर समाज यह निश्चित कर दे कि किसी भी व्यक्ति का वेतन सौ रुपये मासिक से कम नहीं होगा तो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार हो जायेगा। अतः प्राकृतिक अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि यह अधिकार मनुष्य को समाज पूर्ण अवस्था में प्राप्त था। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो मनुष्य को उन अवसरों को प्राप्त कराते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करता है।

प्राकृतिक व कानूनी अधिकार— ग्रीन ने प्राकृतिक व कानूनी अधिकारों में भेद किया है। जब तक व्यक्ति के अधिकार पर केवल समानता की स्वीकृति रहती है, तब तक राज्य बल प्रयोग द्वारा किसी भी वर्ग या व्यक्ति के उन अधिकारों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ है कि प्राकृतिक अधिकारों को क्रियान्वित कराने का अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं है, लेकिन एक बार प्राकृतिक अधिकारों को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई तो फिर वे कानूनी अधिकार हो जाते हैं। राज्य कानूनी अधिकारों को लागू करने का अधिकार रखता है। इसके लिए वह बल—प्रयोग भी कर सकता है।

कभी—कभी प्राकृतिक अधिकार केवल सामाजिक चेतना के अंग ही बने रहते हैं और उन्हें राज्य की स्वीकृति नहीं मिलती। अधिकांश सामाजिक रीति—रिवाज व परम्पराएँ इसी तरह की होती हैं। ग्रीन का विचार है कि आदर्श राज्य या समाज में प्राकृतिक अधिकारों और वैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

अधिकार व स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में ग्रीन ने मानव क्रियाओं को दो भागों में बाँटा है—

- (1) एक तो के वे कार्य जिनका केवल उसी से सम्बन्ध है।
- (2) वे कार्य जो व्यक्ति के साथ समाज से भी सम्बन्ध रखते हैं।

ग्रीन का कहना है कि राज्य को व्यक्ति के पहले प्रकार के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे प्रकार के सम्बन्धों को सुनिश्चित कानून द्वारा किया जाता है। ग्रीन का यह विवेक भ्रमपूर्ण है।

अधिकार व नैतिकता— ग्रीन के अधिकार व नैतिकता के बीच अन्तर है। नैतिकता व्यक्ति के अधिकारों से ठीक विपरीत अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। अधिकारों का सम्बन्ध मनुष्य

की चेतना पर विवेक व्यक्ति से होता है। नैतिकता वहाँ कार्य करती है, जहाँ राज्य की पहुँच नहीं होती है। उदाहरण के लिए, राज्य कानून बनाकर लोगों को विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य कर सकता है, परन्तु लोगों में उस धर्म के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर सकता। अधिकार तो सिर्फ मनुष्य की बाह्य क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अधिकारों के प्रयोगों से



ही कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बन जाता है। नैतिक व्यक्ति वही होता है, जो अपनी अन्तःप्रेरणा या भली इच्छा (त्मसंप्रसस) के वशीभूत होकर कार्य करता है। यह जरूरी है कि अधिकार व्यक्ति को नैतिक बनने में सहायता दे सकते हैं।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

उसके द्वारा होनी चाहिए। मनुष्य को नैतिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा

वहीं हो सकता है, जहाँ उस समाज के सदस्य आमतौर से यह स्वीकार करते हों कि इस तरह की स्वतन्त्रता उनके सामान्य हित के लिए है। यह स्वीकृति कानूनों से प्रकट होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति संस्थाओं की सत्ता की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, जिनके द्वारा कानून बनाये जाते हैं और लागू किये जाते हैं तो वह अपने जीवन पर ऐसी अवस्थाओं का नियमन स्वीकार कर लेता है, जिनके बगैर वह वैसा जीवन भोग नहीं सकता। इस तरह कानून व राज्य व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसलिए व्यक्ति कानून का पालन करता है। इसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ-साथ अपना विकास करता है।

(अ) दण्ड – ग्रीन का कहना है कि दण्ड के बारे में दो विचार प्रचलित हैं — (1) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त— इसके अनुसार, अपराध न करें। (2) सुधारात्मक सिद्धान्त—दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति का सुधार करना है। व्यक्ति मूलतः अपराधी नहीं होता।

ग्रीन के इन दोनों सिद्धान्तों को अस्वीकार किया। प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त मानवता के खिलाफ है, निवारण सिद्धान्त के खिलाफ है कि एक व्यक्ति को दूसरे का साधन नहीं बनाया जा सकता है। सुधारक सिद्धान्त भी सही नहीं है, क्योंकि असली सुधार तो अन्तरात्मा की प्रेरणा से होता है।

ग्रीन का कहना है कि दण्ड का उद्देश्य सिर्फ अधिकारों को भंग होने से रोकना है। उसका उद्देश्य अधिकारों और कर्तव्यों की उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, जो जीवन के नैतिक उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने के लिए मानती है।

अगर अपराधी यह महसूस करता है कि दण्ड के रूप में जो उसे मिला है, उसका वह पात्र है और दण्ड उसके गलत काम का ही परिणाम है तो दण्ड सुधारात्मक हो जाता है। अपराधी को अपने किये कार्य का पश्चाताप होना चाहिए। दण्ड ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी भावना को बदलने पर मजबूर हो जाय

ग्रीन का कहना है कि दण्ड राज्य के कार्य का ही अंग है। वह व्यवस्थित समाज के मार्ग की बाधा को रोकता है। हर अपराध संस्थागत समाज को बिगाड़ने का प्रयत्न होता है। दण्ड के द्वारा सामाजिक व्यवस्था सन्तुलित बनी रहती है।

(ब) सम्पत्ति (चतुर्वचमजल) – ग्रीन सम्पत्ति के मुख्य स्रोत व मुख्य दोशों को बताता है। वह लिखता है, भूमि का व्यक्तियों द्वारा अधिकांश अवस्थाओं में श्रम व्यय द्वारा जन्म नहीं हुआ, बल्कि भाक्ति द्वारा हुआ है। भूमि के मूल स्वामी विजेता रहे हैं। भूमि के प्रारम्भिक स्वामित्व ने सामन्तवाद को बना दिया है। इसी तरह से जब औद्योगिक युग प्रारम्भ हुआ तो संघ लोगों के उत्तराधिकारी श्रमिक हो गये लेकिन ग्रीन इन विषयों का विस्तार से वर्णन नहीं करता। ग्रीन यह जरूर चाहता था कि जमींदार को खेलने की स्वतन्त्रता नहीं मिलनी चाहिए। खेलने से मतलब यह है कि पहले अगर जमींदार का पिकार खेत में चला जाता है तो उसका खेत में पीछा करना, चाहे उसके फसल को कितना ही नुकसान हो। ग्रीन का कहना

था कि अगर किसान जमींदार की जमीन को छोड़ता है तो उसे उसके रम का मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन ग्रीन सम्पत्ति के निजी स्वामित्व का समर्थक था। इसके द्वारा व्यक्तियों को विकास करने का अवसर मिलता है, लेकिन राज्य को सम्पत्ति से जुड़ी बुराइयों को दूर या कम करना चाहिए। अगर सम्पत्ति वाला वर्ग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए।

(स) युद्ध व विश्व—व्यवस्था — ग्रीन ने युद्ध व विश्व व्यवस्था पर भी विचार प्रकट किये कुछ लोग युद्ध को बड़े पैमाने पर हत्याकाण्ड मानते हैं, ग्रीन युद्ध व हत्या में अन्तर मानता है। युद्ध का उद्देश्य सामाजिक हित होता है, जबकि हत निजी स्वार्थ के लिए होती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या करता है तो उसमें द्वेष भावना होती है तो कोई एक सैनिक जब दूसरे सैनिक को मारता है तो उसमें द्वेष भावना नहीं होती है। इसलिए युद्ध को हत्या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सही है कि युद्ध से व्यक्ति के जीवन के अधिकार को छीना जाता है। जो लोग यह समझते हैं कि सिपाही अपनी इच्छा से सेना में भर्ती होते हैं। इसलिए राज्य पर इन सैनिकों को जीवन के अधिकार से वंचित करने का दोष नहीं लगता है, वे गलत हैं। समाज का उद्देश्य व्यक्तियों की भलाई है और सैनिकों का इसका अपवाद नहीं है। इसलिए सैनिकों के मामले में भी राज्य जीवन अधिकार की माँग करने के आरोप से मुक्त नहीं हो सकता कुछ लोग युद्ध को नैतिक जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। उनका विचार है कि न्याय और नैतिक जीवन की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी होता है। आत्म निर्णय के लिए, सत्य की विजय के लिए और लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए राज्य को युद्ध लड़ना चाहिए।

लेकिन ग्रीन का मत अलग है—

(1) युद्ध पूर्णतः उचित नहीं हो सकता है। यह अपेक्षित रूप में ही न्यायसंगत हो सकता है। (2) युद्ध एक बर्बर आवश्यकता के रूप में लड़ा जा सकता है। (3) युद्ध अपूर्ण राज्य की निषानी है। (4) जैसे-जैसे लोगों व विश्व के राज्यों के आपसी सम्बन्ध बढ़ेंगे, उनमें भाई-चारे की भावना पैदा होगी व समान हितों के लिए समान चेतना पैदा होगी। युद्ध का अपने आप खात्मा हो जायेगा। (5) ग्रीन का आदर्श एक भान्तिमय समाज है।

विश्व व्यवस्था के विषय में ग्रीन बताता है कि राज्य हॉब्स के लेवियाथन की भाँति एकांकी नहीं है। वह हॉब्स के इस विचार को अस्वीकार करता है कि राज्यों में परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं होते हैं वस्तुतः राज्य को अन्य राज्यों से सम्बन्ध रखने चाहिए और इन सम्बन्धों का आधार विश्व-बन्ध श्रुति की भावना होनी चाहिए। इस विषय में ग्रीन जीवन का अधिकार लेता है। यह अधिकार समस्त विश्व में मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अभ्यास — प्रश्न

1. राज्य का आधार इच्छा नहीं भाक्ति है, इस कथन की विवेचना करें।
2. राज्य के कार्यों का वर्णन करें।
3. ग्रीन के स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट करें।
4. अधिकारों के सम्बन्ध में ग्रीन की क्या सोच है?



विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय (1818 ई० से 1883

ई०)

20वीं शताब्दी के विषय को मार्क्सवादी चिंतन ने जितना प्रभावित किया, उतना अन्य किसी राजनीतिक चिंतक ने नहीं किया। विश्व में आधुनिक काल में साम्यवाद जैसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। मार्क्स के चिंतन को आधार मानकर ही रूस और चीन में क्रांति हुई और समस्त विश्व के पूंजीवादी देश साम्यवादी क्रांति से भयभीत रहे। यद्यपि मार्क्स से पूर्व भी दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, लेकिन मार्क्स ने विश्व को बदलने का प्रयास किया है। उसके विचारों ने दुनिया को बदल डाला, पूंजीवादी भासकों के तख्ते पलट दिए

मार्क्स द्वारा समाज के आर्थिक एवं भौतिक विश्लेषण में अपनाई गई दृष्टि को मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद का उदय तब हुआ, जब पूंजीवादी व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ऐसे समय में मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके मानव की समस्याओं को हल करने के अनेक उपाय बताए। मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और उसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। मार्क्सवाद ऐसा दर्शन है, जिसने सर्वहारा वर्ग के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

जीवन परिचय

मार्क्स का जन्म 1818 में सम्पन्न यहूदी परिवार में जर्मनी के त्रियेर नामक नगर में हुआ। बचपन से ही वे अपना अधिकांश समय पढ़ने में लगाते थे और उनकी यह प्रवृत्ति जीवन भर बनी रही। मार्क्स के जीवन का ज्ञान यस्टेपानोवा की पुस्तक मार्क्स एक जीवनी से होता है। मार्क्स ने जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कानून, दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया। मार्क्स को डेमोक्रेटस और एपीक्यूरिपन के प्रकृति दर्शन में भेद पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। मार्क्स विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करना चाहते थे, लेकिन उनके उग्र विचारों के कारण, ऐसा संभव न हो सका। उन्होंने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध समाचार पत्र में 1842 से लिखना आरम्भ किया, लेकिन एक वर्ष बाद ही सरकार ने इसे बन्द कर दिया। 1843 में जेनी से विवाह के पश्चात वे प्रुसिया फ्रांस वार्षिकी का संपादन करने हेतु पेरिस चले गए। परन्तु इसका पहला अंक ही अंतिम सिद्ध हुआ और उन्हें प्रुसिया सरकार के दबाव पर पेरिस से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने विवाह होकर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आरण ली, जहाँ जीविकोपार्जन का कोई साधन न होने के कारण, उन्होंने एंजिल्स से मदद ली। मार्क्स और एंजिल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, यह साम्यवाद की बाइबिल की तरह है। इसके अंत में कहा गया है मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त खोने को कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।

बेल्जियम सरकार ने भी उन्हें क्रांतिकारी विचारों के कारण जेल में डाल दिया, इसके बाद मार्क्स ने इंग्लैंड को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। यद्यपि उन्होंने यहां आर्थिक तंगी में कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया लेकिन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल की रचना की 1864 में प्रथम इंटरनेशनल संविधान बनाने में भी मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मार्क्स

ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेशवादी तथा आर्थिक भोशण की कड़ी आलोचना की । आर्थिक अभाव और बीमारी से संघर्ष करते हुए 1883 में उनकी मृत्यु हो गई । यद्यपि उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनकी विचारों की यात्रा जारी रही ।

मार्क्स की रचनाएँ

मार्क्स की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित है

1. The Poverty of Philosophy (1844)
2. German Ideology
3. Communist Manifesto (1848)
4. Value Price and Profit (1865) .
5. Capital

Vol- 1 (1867)

Vol- 2 (1885)

Vol- 3 (1894)

6. The Civil War in France 1871

मार्क्स के प्रमुख सिद्धान्त

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) के सिद्धान्त द्वारा मार्क्स ने काल्पनिक या स्वप्नलोकीय समाजवाद को बास्तविकता के धरातल पर उतारने का कार्य किया । उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ-साथ पूंजीवाद का अंत कर, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए विधिवत् प्रक्रिया का भी वर्णन किया । इसीलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी भी कहते हैं और उसके दर्शन को वैज्ञानिक समाजवाद (बपमदजपपिब 'वबपंसपेउ) द्य मार्क्स ने अध्ययन के उपरान्त यह निश्कर्ष निकाला कि मानव समाज में परिवर्तन अकस्मात नहीं होते वरन कुछ विषिष्ट नियमों के अनुसार ही होते हैं मार्क्सवाद का भवन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की आधारषिला पर खड़ा हुआ है वि० अफानास्येव के अनुसार, श्मार्क्सवाद ने द्वन्द्ववाद का विचार हींगल से तथा भौतिकवाद का विचार फायरबाख से ग्रहण किया और उनका भौद्धिकरण एवं समन्वय करके द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का निर्माण किया मार्क्स ने इसे साम्यवादियों के लिए दिषा निर्देषक यंत्र कहा जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिषा निर्धारित करते हैं । मार्क्स की विचारधारा हींगल के द्वन्द्ववाद पर आधारित है, लेकिन मार्क्स ने हींगल के द्वन्द्ववाद को बिल्कुल उल्टा कर दिया है । द्वन्द्व भाब्द ग्रीक भाषा के क्पंसमह भाब्द से बना है, जिसका तात्पर्य है, संवाद या विचार-विमर्ष । मार्क्स ने हींगल के सिद्धान्त के मुख्य आधार ष्विचार के स्थान पर भौतिक पदार्थ को स्वीकार किया । हींगल के समान ही मार्क्स का भी मानना है कि समाज की प्रगति के तीन अंग हैं



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

वाद, के प्रतिवाद, संवाद मार्क्स के अनुसार प्लाद समाज की ऐसी स्थिति है, जिसमें अंतर्विरोध नहीं पाया जाता कुछ समय बाद प्लाद की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिवाद का जन्म होता है। यह अवस्था भी अंतिम या पूर्ण नहीं होती, इसलिए वाद और प्रतिवाद में संघर्ष के कारण एक नई स्थिति संवाद का जन्म होता है जो अपने आप वाद बन जाता है। इस प्रकार वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से विकास क्रम निरन्तर चलता रहता है। मार्क्स ने इसे गेहूँ के पौधे के उदाहरण से समझाया है। गेहूँ का दाना याद है, भूमि में बोने पर अंकुरित पौधा, प्रतिवाद – है, उस पौधे में बालें आने पर, गेहूँ के नये दानों आना प्लाद है। समाज के संदर्भ में पूंजीवाद वाद है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद प्रतिवाद है और साम्यवाद संवाद है।

भौतिकवाद

मार्क्स ने भौतिकवाद का विचार फायरबाख से लिया है। मार्क्स ने भौतिक परिस्थितियों का अर्थ आर्थिक सम्बन्ध माना है। मार्क्स के अनुसार, भौतिक जगत द्वन्द्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्ण यात्रा पर अग्रसर है और इसके विभिन्न रूप, उसकी इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता –

1. सभी पदार्थों की आंगिक रूप में एकता पाई जाती है !
2. प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ गतिशील है ।
3. प्रकृति में द्वन्द्व के इस आधार पर पदार्थ विकास करता है
4. परिवर्तन गुणात्मक एवं भावात्मक होते हैं। यह दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
5. परिवर्तन पहले परिमाणात्मक होते हैं, तब गुणात्मक होते हैं, जैसे पहले पानी गर्म होता है, यह परिमाणात्मक परिवर्तन हैं, लेकिन जब यह भाप बन जाता है तो गुणात्मक परिवर्तन होता है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना –

मार्क्स के सिद्धान्त की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की गई है

1. मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यधिक गूढ़ एवं अस्पष्ट है।
2. यह मात्र भौतिकवादी दर्शन है जबकि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन है।
3. मार्क्स जड़ पदार्थों में स्वयं गति मानता है जबकि संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ भावित के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं ।
4. द्वन्द्वात्मक पद्धति का विकास हींगल और मार्क्स के मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। मार्क्स का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य के ज्ञान के लिए यही एक मात्र पद्धति है।
5. मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक पद्धति के लिए केवल कुछ उदाहरण दिए हैं. कोई प्रमाण नहीं दिए यह नहीं माना जा सकता कि भौतिक जगत के नियम, मानव समाज में लागू नहीं किए जा सकते । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स एक नए समाज की स्थापना का तर्कपूर्ण औचित्य सिद्ध करना चाहता था, जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता था। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वह स्पष्ट करता है कि भोशण जब विशेष सीमा तक पहुँच जाएगा, तब श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा न कि पूंजीवाद धीरे-धीरे समाप्त होगा ।

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (Materialistic Interpretation of History)

मार्क्स के इस सिद्धान्त को आर्थिक नियतिवाद (स्वदवउपब कमजमतउपदंजपवद), ऐतिहासिक भौतिकवाद (भेजवतपबंस उंजमतपंसपेउ) या इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं मार्क्स का मत है कि इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों द्वारा होता है। उसकी यह मान्यता है कि उत्पादन पद्धति, समाज के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है। मार्क्स ने इतिहास को कुछ विशेष महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम नहीं माना क्योंकि मार्क्स मानता है कि इतिहास की दिशा और गति मानवीय क्रियाओं, नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मार्क्स के अनुसार जब मनुष्य उत्पादन करते हैं, वे एक दूसरे के साथ, निश्चित सम्बन्ध सूत्र में बंध जाते हैं। इन उत्पादन सम्बन्धों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन भाक्ति के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली ही जीवन की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हैं उत्पादन प्रणाली (डवकम वचितवकनबजपवद) में जैसे-जैसे परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे मनुष्य के सामाजिक सम्बन्ध (तमसंजपवदे वचितवकनबजपवद) भी बदल जाते हैं। उत्पादन प्रणाली के दो पहलू हैं एक उत्पादन के साधन (डमंदे वचितवकनबजपवद) जैसे हल, ट्रैक्टर या चक्की आदि और दूसरा उत्पादन के सम्बन्ध (तमसंजपवदे वचितवकनबजपवद) छ इसीलिए मार्क्स का मत है, शजब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है, तब सामन्त वर्ग अस्तित्व में आता है, जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तब पूंजीपति वर्ग का जन्म होता है। इस प्रकार तकनीकी विकास के कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और सामाजिक सम्बन्धों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन होता है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए उस परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ, सामाजिक विकास के नए चरणों को जन्म देती है। मार्क्स के अनुसार, ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है, क्योंकि वह विकास की चरम अवस्था के निकट होती है।

उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलने वाले, समाज के इतिहास को मार्क्स ने निम्नलिखित पांच भागों में विभाजित किया है—

1. आदिम साम्यवादीयुग —

मार्क्स के अनुसार, प्रारम्भिक आर्थिक व्यवस्था साम्यवादी ही थी, क्योंकि मनुष्य कन्द मूल और षिकार से अपना पेट भरता था। इस समाज में मानव द्वारा मानव का भोशण नहीं होता था, न कोई भोशक था, न कोई भोशित न भासन था न भासित इसलिए न वर्ग थे और न वर्ग संघर्ष।

2. दासयुग

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

आदिम साम्यवादी युग में परिवर्तन आए और दास युग आरम्भ हुआ। क शि व्यवस्था के विकास के साथ निजी सम्पत्ति अस्तित्व में आई। इसके साथ ही श्रम विभाजन आरम्भ हुआ और परजीवियों का भी जन्म हुआ। आदिम वर्ग हीन समाज मालिक (डेंजमते) और दासों



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

(संअमे) में विभक्त हुआ। इस युग में, मालिक का दास पर जमीन या पशु के समान हक होता था।

3. सामन्तीयुग

इस युग में राजा और उसके सामन्त जमीन के मालिक होते थे। उनके लिए उत्पादन कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। इस युग में दास, मालिकों की गुलामी से तो आजाद हो गए, लेकिन जमीन के गुलाम बन गए इस तरह से सामन्त जमीन का टुकड़ा देकर अधिकांश समय अपनी जमीन पर काम करवा कर किसान का भोशण करने लगे।

4. पूंजीवादीयुग –

औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन आया। पूंजीवाद में उत्पादन साधन मशीनें महंगी थीं, जो साधारण जनता की पहुंच से दूर थी। अतः मजबूर होकर जनता को अपना श्रम बेचना पड़ा और इस तरह दो वर्ग अस्तित्व में आए पूंजीपति और श्रमिक। मार्क्स के अनुसार, पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं, वे पूंजीवादी समाज के गर्भ में ही छिपी होती हैं। पूंजीवाद की चरम सीमा आने पर, पूंजीवाद का पतन आरम्भ हो जाता है।

5. साम्यवादी युग

जब पूंजीवादी भोशण चरम सीमा पर पहुंच जाता है, सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रान्ति कर देता है। इसके बाद वर्गविहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। लेकिन इससे पूर्व संक्रमण कालीन युग होता है। जिसमें उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाता है।

और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। इसकी समाप्ति के बाद, ऐसे समाज की स्थापना होगी, जो राज्यविहीन व वर्गविहीन होगा और इसमें वितरण का सिद्धान्त होगा प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करे। उत्पादन सम्बन्धों के आधार पर ही मार्क्स के द्वारा समाज के इतिहास को पांच प्रमुख युगों में बांटा गया है।

इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना—

मार्क्स के इस सिद्धान्त की पूंजीवाद के समर्थकों के कटु आलोचना की है जो निम्नलिखित

1. आर्थिक तत्व ही निर्णायक नहीं

यद्यपि आर्थिक तत्वों का समाज में होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण स्थान है, तथापि अन्य तत्व भी सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भौगोलिक तत्व, राजनीतिक तत्व सामाजिक वातावरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

—मार्क्स की व्याख्या इतनी यांत्रिक है कि यह मनोवैज्ञानिक आंदोलनों और राष्ट्रीयता के विकास को नहीं समझा सकती। भौतिकवादी होने के कारण, मार्क्स आदर्शवादी तत्वों की व्याख्या भी नहीं कर सका।

3. संयोग तत्व की उपेक्षा

मानव इतिहास में अनेक परिवर्तन संयोग के कारण हुए हैं। जैसे यदि जर्मनी और रूस की सरकार, लेनिन को रूस आने की अनुमति नहीं देता तो रूस में बोल्शेविक क्रांति इतनी जल्दी नहीं होती।

4. धर्म की उपेक्षा

धर्म की इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूरोप में लम्बे समय तक ईसाई धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज भी इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण होता जा रहा है परन्तु मार्क्स ने इसे कोई स्थान नहीं दिया।

5. राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक नहीं

यद्यपि मार्क्स ने आर्थिक कारणों को ही एक मात्र कारण माना है परन्तु इतिहास से यह प्रमाणित नहीं होता। नेपोलियन ने फ्रांस की राजनीतिक सत्ता सैनिक भाक्ति से प्राप्त की थी, आर्थिक भाक्ति से नहीं।

6. इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या

मार्क्स ने अपनी व्याख्या को प्रमाणों से पुष्ट नहीं किया। उसने पूर्वाग्रहों से नियम ढूँढने का प्रयास किया। इसलिए उसने कल्पना कर ली कि पूंजीवाद विनाश की ओर उन्मुख है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है।

7. मानवीय चेतना एवं सजनात्मक कौशल की उपेक्षा

मार्क्स के अनुसार, उत्पादन की भाक्तियों में परिवर्तन आने पर उत्पादकीय सम्बन्धों में भी परिवर्तन आते हैं, लेकिन उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक प्रकार की उत्पादन प्रणाली, दूसरी उत्पादन प्रणाली में कैसे रूपांतरित हो जाती है। इसका कारण है — मनुष्य द्वारा सचेतन रूप से अपनी रचनात्मक बुद्धि, उद्यम और आविश्कार कौशल का प्रयोग यह मनुष्य की चेतना है जो अचेतन उत्पादन भाक्तियों का निर्माण करती है, उन्हें विकसित और परिवर्तित करती है।

8. मार्क्स की वैज्ञानिक मान्यता के विपरीत

एक ओर मार्क्स भौतिक तत्व को गति भील मानता है और दूसरी ओर कहता है कि प्साम्यवाद तक पहुँच कर यह भौतिक तत्व गतिशीलता छोड़ देता है। यह कैसे संभव है?

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का महत्व

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University

मार्क्स के इस सिद्धान्त की चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास को बल देने में आर्थिक तत्व चाहे एकमात्र कारण नहीं रहा हो लेकिन इसका



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

सर्वाधिक योगदान आवश्यक ही रहा है। इस सिद्धान्त के कारण ही इतिहास के अध्ययन की नवीन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास हुआ।

वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त (Theory of Class war)

वेपर के अनुसार, श्माक्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की अवधारणा का विषेश महत्व है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को ही आदिकाल से अब तक के समस्त परिवर्तनों का कारण मानता है। इसलिए फ्कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो में वह स्पष्ट भावों में लिखता है— अब तक अस्तित्व में आए, समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। श्माक्स के अनुसार, समाज में हमेशा से रहने वाला वर्ग संघर्ष, समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी वर्गों के मध्य चलता रहा है। इनमें से एक वर्ग के हाथ में आर्थिक सत्ता है और दूसरा वर्ग केवल भारीरक श्रम ही करता है। पहला वर्ग हमेशा ही दूसरे वर्ग का भोशण करता रहा है। भोशक और भोशित वर्गों में समझौता कभी संभव ही नहीं है। इस सिद्धान्त को समझने के लिए कुछ अवधारणाओं को समझना अनिवार्य है जो निम्नलिखित हैं— वर्ग—

उत्पादन की किसी विषेश प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले उन व्यक्तियों का समूह है, जिनके साधारण हित एक हों।

संघर्ष—

असंतुष्ट उत्पादक वर्ग, अपने असंतोश को समय—समय पर असहयोग, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है और जब यह असंतोश चरम पर पहुंच जाता है तो संघर्ष क्रान्ति का रूप धारण कर लेता है, जिसमें भोशित वर्ग की विजय अवष्यम्भावी है।

वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद

मार्क्स के अनुसार, समाज का विकास सहयोग से नहीं वरन वर्ग संघर्ष से ही होता है। दास युग, सामंतवादी युग या पूंजीवादी युग सब में दो वर्ग रहे हैं और वर्ग संघर्ष रहा है। पूंजीवाद युग में हालांकि पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, लेकिन इनके हित विरोध होते हैं पूंजीपति चाहता है कि वह स्वयं अधिकतम लाभ कमाएँ और मजदूर को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करें, जबकी मजदूर चाहता है कि वह अधिकतम मजदूरी प्राप्त करे यही हमेशा से चले आ रहे संघर्ष का आधार रहा है इस संघर्ष के कारण ही समाज में या तो क्रान्तिकारी परिवर्तन आए या संघर्ष वाले वर्ग को हानी उठानी पड़ी।

पूंजीवादी युग में यह संघर्ष अपनी चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि पूंजी और जमीन धीरे—धीरे कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाती है इसके कारण पूंजीपति वर्ग बड़ा होता जाएगा। श्रमिक वर्ग अपनी विषाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर मुड़ी भर पूंजीपतियों को धरापायी करने में समर्थ होगा। श्रमिक वर्ग की विजय के बाद पूंजीपतियों को भी श्रमिक बनने पर विवष किया जाएगा और इस तरह वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी सर्वहारा वर्ग इतिहास में एक मात्र ऐसा वर्ग है, जो स्वयं को ही नहीं वरन सम्पूर्ण मानव जाति को भोशण से मुक्त करेगा।

मार्क्स के अनुसार अब तक ऐसा हुआ है कि जिस वर्ग ने भोशणकर्ताओं से सत्ता छीनी वह स्वयं भी कालांतर में भोशक बन गया, परन्तु सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति इस रूप में भिन्न है,

क्योंकि इसके बाद भोशक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वर्ग संघर्ष सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है—

1. मानव इतिहास मात्र संघर्ष का इतिहास नहीं है

समाज में यदि मात्र संघर्ष ही होता तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती थी। समाज में संघर्ष के साथ ही सहयोग भी विद्यमान रहा है यह सहयोग ही मानव विकास का आधार रहा है, अन्यथा यह माना समाज समाप्त ही हो जाता।

2. समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं

समाज में केवल दो वर्गों का अस्तित्व बताकर, मार्क्स ने जाति समाज को अत्यधिक सरल रूप में समझने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त समाज का नेतृत्व करने वाले और प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले मध्यम वर्ग की उपेक्षा, मार्क्स की बहुत बड़ी कमजोरी है।

3. मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत

मार्क्स की पूंजीवाद की व्याख्या गलत सिद्ध हुई क्योंकि जहाँ जिन देशों में क्रांति की सबसे कम आशा थी, वहाँ क्रांति हुई, जबकि इंग्लैण्ड जैसे देश जहाँ पूंजीवाद पूरा विकसित था, में क्रांति नहीं हुई।

4. मार्क्स की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं

सर्वहारा की विजय, तानाशाही या वर्गविहीन समाज की स्थापना का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह भी हो सकता है, जैसा लास्की का मत है पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद नहीं वरन अराजकता भी हो सकता है। औद्योगिक समाज की वर्ग व्यवस्था इतनी अधिक जटिल होती है कि उसे मार्क्स के इतने सरल सिद्धान्त से नहीं समझा जा सकता

वर्ग संघर्ष सिद्धान्त का महत्व

मार्क्स ही वह प्रथम चिन्तक है, जिसने वर्ग हितों के आधार पर इतिहास की व्याख्या की है। मार्क्स का यह सिद्धान्त, श्रमजीवी वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि इसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग की विजय निश्चित बताई गई है। इस सिद्धान्त का सम्पूर्ण विश्व पर प्रभाव हुआ है। पूंजीवादी देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के प्रयत्न किए गये इस प्रकार पूंजीवादी भोशण से रक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हथियार प्रमाणित हुआ। यह मानवता के लिए उपयोगी रहा है क्योंकि यह विश्व में समानता की स्थापना और भ्रान्ति की दृष्टि से भी उपयोगी रहा है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त

मार्क्स ने पूंजीवाद का गहन अध्ययन करके, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि पूंजीवादी व्यवस्था भोशण पर ही आधारित है। इसका प्रतिपादन मार्क्स ने प्लैपिटल में किया है। यह सिद्धान्त रिकॉर्डो एडम स्मिथ के मूल्य के श्रम सिद्धान्त (स्वयंनत जीमवतल वा अंसनम) से लिया गया है। यह सिद्धान्त मानता है कि किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य, उस वस्तु के उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

लाभदायक श्रम पर निर्भर करता है। मार्क्स ने इस सिद्धान्त को रामझाने के लिए दो प्रकार के मूल्यों का उल्लेख किया है—

1. उपयोग मूल्य —

जो भी वस्तु मनुष्य की इच्छा पूरी करती है, वह मनुष्य के लिए उपयोगी है, अतः मनुष्य के लिए मूल्यवान भी है। जैसे रेगिस्तान में पानी सबसे अधिक उपयोगी है, इसलिए सर्वाधिक मूल्यवादन भी है।

विनिमय मूल्य

यह मूल्य वह अनुपात है, जिसका वस्तु के बदले में वस्तु के रूप में विनिमय हो सके किसी वस्तु का विनिमय मूल्य क्या होगा, यह उस वस्तु में लगाए गए, श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है इस प्रकार मार्क्स भी रिकार्डों के समान मानता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है।

अतिरिक्त मूल्य

प्रत्येक श्रमिक जितना कार्य करता है, उससे कम मजदूरी प्राप्त करता है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है, जिसे एक श्रमिक पैदा करता है, तथा जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। इस अतिरिक्त मूल्य या लाभ का कोई भी अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता। पर इसके संचय

से ही पूंजी बनती है। मजदूरों के विरुद्ध भोशण का यह कुचक्र लम्बे समय से चल रहा है और इसका अंत, पमंजीवाद के अंत के साथ ही होगा। यह अतिरिक्त मूल्य, एक प्रकार की बेईमानी है, क्योंकि पूंजी अपने आप में कोई मूल्य उत्पन्न नहीं करती, श्रम से यह मूल्य उत्पन्न हाता है, जिसकी पूंजीपति चोरी कर लेता है। साम्यवादी व्यवस्था में श्रमिकों को उनके श्रम का मूल्य दिया जाएगा, अतः उनका भोशण नहीं होगा। सामाजिक सेवाओं के लिए श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य का कुछ हिस्सा रखा जाएगा, लेकिन वह अतिरिक्त मूल्य नहीं होगा।

अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त की आलोचना—

1. केवल श्रम, उत्पादन और मूल्य निर्धारण का स्रोत नहीं है

मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे—पूंजी, मशीन, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध कौशल आदि। इसके अलावा वस्तु की उपयोगिता, माँग और उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। अतः मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है, जितनी मार्क्स बताता है। जैसे लोहे और सोने को निकालने में समान श्रम लगने के उपरान्त भी उनके मूल्य में अंतर होगा, जिसका कारण उनकी उपयोगिता, उपलब्धता और माँग है।

2. सम्पूर्ण अतिरिक्त मूल्य, लाभ नहीं है

पूंजीपति किसी वस्तु के उत्पादन के लिए केवल श्रमिकों को ही मजदूरी नहीं देता वरन् उसे अन्य अनेक खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कच्चा माल, मशीनें, प्रबन्ध, श्रमिकों की बीमारी बीमा आदि। इन सबके उपरान्त उसका लाभ बहुत कम बचता है।

3. मानसिक श्रम की पूरी तरह उपेक्षा

मार्क्स ने केवल भारीरिक श्रम को ही उत्पादन का स्रोत माना है, मानसिक श्रम की वह पूरी तरह उपेक्षा करता है। जबकि तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धन क्षमता आदि के अभाव में उत्पादन संभव ही नहीं है।

4. विरोधाभासी सिद्धान्त

एक ओर तो मार्क्स यह स्वीकार करता है कि पूंजीपति मुनाफा बढ़ाने के लिए नई मशीनें लगाता है, दूसरी ओर वह कहता है कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही होता है। इस प्रकार इन दोनों तथ्यों में विरोधाभास दिखाई देता है।

5. यह सिद्धान्त आर्थिक कम और प्रचारात्मक ही अधिक है

इसका उद्देश्य केवल पूंजीवाद को बदनाम करना और श्रमिकों के पक्ष में माहौल बनाना है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह आर्थिक सत्य होने के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारा मात्र है।

6. मार्क्स का सिद्धान्त मौलिक नहीं है

कोकर का मत है कि यह सिद्धान्त 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान विलियम पेंटी ने प्रदान किया था। वेपर के अनुसार, यह रिकार्डो के सिद्धान्त का ही व्यापक रूप है। सेबाइन का भी यही मत है।

इकाई – 17 मार्क्स के अनुसार सामाजिक इतिहासों का वर्गीकरण

अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त का महत्व

यद्यपि मार्क्स के इस सिद्धान्त को मौलिक नहीं माना जाता, तथापि इसके माध्यम से मार्क्स ने पूंजीवाद के भोशण और मुनाफे के नकारात्रांक स्वरूप को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। यद्यपि मार्क्स के इस सिद्धान्त को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता परन्तु यह भी सच है कि पूंजीपति श्रमिकों के श्रम के बल पर ही अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

अस्तित्व नहीं था। लेकिन दास युग में समाज दो भागों में विभाजित हो गया, स्वामी और दास स्वामी वर्ग ने दासों पर नियंत्रण रखने के लिए, जो संख्या में बहुत ज्यादा थे, भावित का सहारा लिया। इसके परिणाम स्वरूप सेना पुलिस, जेल, न्यायालयों का जन्म हुआ। यहीं से राज्य अस्तित्व में आया। एंगेल्स के अनुसार, पुराने समय का राज्य गुलामों पर भासन करने के लिए, गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामन्तवादी राज्य किसानों तथा भूमि हीनों पर भासन करने के लिए कुलीनों का राज्य था तथा आधुनिक राज्य मजदूरों पर भासन करने के लिए, पूँजीपतियों का भासन है। राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही हुई है तथा राज्य एक आर्थिक वर्ग के हाथ में, दूसरे आर्थिक वर्ग का भोशण करने के अधिकार को न्याय संगत बनाने में सहायक होता है। इसी प्रकार मार्क्स का मत है कि राज्य संपत्तिषाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है।

राज्य भोशण का यंत्र –

मार्क्स के अनुसार, राज्य भासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने का तथा अन्य वर्गों का भोशण करने का साधन मात्र है। पूँजीवादी व्यवस्था में राज्य पूँजीपतियों का संगठन है जिसका उद्देश्य श्रमिकों का भोशण करना है। इसलिए वह पूँजीपतियों की सम्पत्ति की सम्पत्ति और हितों की रक्षा की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है और कानून का पालन करवाने के लिए पुलिस और न्यायालयों की व्यवस्था करता है। एंगेल्स के अनुसार, राज्य एक वर्ग के द्वारा, दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र है। इस प्रकार मार्क्स व एंगेल्स दोनों यह मानते हैं कि इतिहास में राज्य का जन्म उस समय हुआ जब समाज का विभाजन दो परस्पर विरोधी गुटों में हो गया, जिनके परस्पर विरोध हित थे। इस प्रकार राज्य वर्गीय संगठन है, जिसका जन्म वर्ग संघर्ष के कारण हुआ है। राज्य का उद्देश्य एक वर्ग विशेष की प्रभुता बनाए रखना तथा उसे अन्य वर्ग के भोशण का अधिकार देना है। यह अमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूँजीपतियों का सहायक है।

अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग, क्रान्ति द्वारा पूँजीपति वर्ग को नष्ट कर देगा और श्रमिकों की तानाशाही स्थापित को जाएगी। पूँजीवाद के अंत के बाद भी कुछ समय तक राज्य अस्तित्व में रहेगा क्योंकि वर्गहीन समाज की स्थापना एक ही दिन में नहीं हो जाएगी। इस अंतरिम काल में श्रमिकों का भासन स्थापित हो गया इस काल में राज्य की भाक्ति का प्रयोग, सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूँजीवाद के विरोध को कुचलने और पूँजीवाद के अवषेशों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। पूँजीवाद की समाप्ति के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. जमींदारी उन्मूलन
2. सब प्रकार के उत्तराधिकार की समाप्ति
3. आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर
4. संचार व परिवहन साधनों को राज्य के हाथ में केन्द्रीकरण
5. प्रत्येक के लिए श्रम करना समान रूप से अनिवार्य
6. निःशुल्क एवं सार्वजनिक स्कूली शिक्षा द्य

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सर्वहारा वर्ग को, राजनीतिक दल का गठन करके, राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा।

राज्य का विलोप—

यह ऐसी स्थिति होगी, जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे, तब तक विशेष वर्ग के समर्थक राज्य की भी सत्ता बनी रहेंगी जब समाज में वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो राज्य भी अपनी उपयोगिता खो देगा और धीरे-धीरे स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। इस अवस्था में सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे तथा अपनी आवश्यकतानुसार प्राप्त करेंगे। जो काम करने लायक नहीं होंगे, उकने लिए सामाजिक सहायता और बीमों की व्यवस्था होगी। इसीलिए मार्क्स मानता है कि जैसे फूल सूखकर झड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य रूपी वक्ष मुरझाकर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही दमन करने वाली अन्य संस्थाएँ भी समाप्त हो जाएँगी। इसीलिए एंगेल्स कहता है, श्वह युग आने वाला है, जब राज्य संग्रहालयों में रखने योग्य प्राचीन वस्तुओं चरखे या कांसे के कुल्हाड़े की भांति अतीतकाल की वस्तु बन जाएगा।

राज्य सिद्धान्त की आलोचना

मार्क्स राज्य के सकारात्मक स्वरूप की उपेक्षा करते हुए, केवल नकारात्मक पक्ष का अध्ययन करता है। उसके राज्य के सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है

1. राज्य कल्याणकारी संस्था है

मार्क्स ने राज्य को भोशण करने वाली संस्था माना है, जबकि यह केवल आंशिक सत्य है। क्योंकि राज्य का प्रधान कार्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। पिछले लगभग अनेक वर्षों में अमरीका और पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिक कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया है। इस प्रकार राज्य लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

2. भांतिपूर्ण साधनों से परिवर्तन संभव

मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज की स्थापना के लिए पूंजीवादी राज्य के विनाश का एकमात्र साधन हिंसा है। जबकि अमरीका, इंग्लैण्ड, भारत जैसे देशों में भांतिपूर्ण एवं वैध साधनों से पूंजीवादी राज्य का समाजवादी राज्य में रूपान्तरण करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, भले ही वे ऐसा मार्क्स के साम्यवादी सिद्धान्त के भय से ही कर रहे हों।

3. राज्य के विलोप की धारणा कल्पना मात्र —

मार्क्स के अनुसार, राज्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन सोवित संघ में इतने वर्षों तक भी राज्य समाप्त नहीं हुआ, इसके स्थान पर साम्यवाद ही समाप्त हो गया। यद्यपि मार्क्स के राज्य सिद्धांत की आलोचना की गई है, परन्तु यह सिद्धांत इस रूप में महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ कि अनेक देशों ने साम्यवाद के भय से अपनी नीतियों को श्रमिकों के प्रति कल्याणकारी बनाया।

MATs Centre for Distance and Online Education, MATs University

मार्क्स के अन्य विचार —



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

मार्क्स के अनुसार, क्रान्ति का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रान्ति से ही समाज का विकास होता है क्योंकि उसके द्वारा प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और उसके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। परन्तु यह परिवर्तन भांतिपूर्ण तरीकों से संभव नहीं होगा। क्योंकि पूंजीवादी वर्ग कभी भी स्वेच्छा से उत्पादन के साधनों पर से अपना स्वामित्व नहीं छोड़ेगा और इसलिए हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रान्ति के हिंसक साधनों का प्रयोग करना होगा।

मार्क्स के अनुसार, समाजवादी क्रान्ति तब होती है, जब राज्य की भाक्ति पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो जाता है और उत्पादक भाक्ति श्रमिक वर्ग के हाथ में केन्द्रित हो जाती है। क्रान्ति एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें संक्रमण अवस्था के दौरान, सर्वहारा के अधिनायकवाद से राज्य हीन समाज की अंतिम अवस्था की दिशा में अग्रसर होने की अपेक्षा की जाती है। एंगेल्स का मत है, शसब बातों से ऊपर, मार्क्स एक क्रान्तिकारी था और उसके जीवन का वास्तविक ध्येय किसी न किसी तरह से पूंजीवादी समाज को और इसके द्वारा अस्तित्व में लाई गई राज्य की संस्थाओं को उखाड़ फेंकना है।

परिवार, धर्म और मार्क्स—

उत्त—कंत

मार्क्स के साम्यवादी समाज में परिवार, सम्पत्ति और धर्म तीनों का ही कोई स्थान नहीं है। परिवार के लुप्त होने के साथ—साथ धर्म का भी लोप हो जाएगा। इस प्रकार समाजवादी राज्य में परिवार और धर्म दोनों की स्वाभाविक मष्ट्यु हो जाएगी। परन्तु मार्क्स के ये विचार अब तक सत्य प्रमाणित नहीं हुए हैं। इस प्रकार उसके ये विचार अव्यावहारिक और काल्पनिक प्रतीत होते हैं। पूंजीवाद की प्रकृति या पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है—

मार्क्स का मत है कि पूंजीवाद में ही इसके विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीवाद के विकास के परिणामों का पांच नियमों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं ही खोदता है। ये पांच नियम मार्क्स के अनुसार, पूंजीवाद में उत्पादन, मुनाफे के लिए होता है, मशीनों व उद्योगों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में होता है और वे केवल लाभ कमाने के लिए अधिकतम उत्पादन करते हैं। पूंजीपति श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं और अतिरिक्त मूल्य से मुनाफा कमाते हैं श्रमिकों का जितना अधिक भोशण होता है, उनमें उतनी ही जागरूकता आती है, जिसके कारण वे पूंजीवाद की समाप्ति हेतु प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं ही अपना विनाश करता है, जिसे पांच नियमों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं—

1. पूंजी संचय का नियम

पूंजीपति श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को हड़प लेता है तो पूंजी संचय का नियम लागू हो जाता है। बाजार की प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं और केवल बड़े पूंजीपतियों के हाथों में ही उत्पादन केन्द्रित हो जाता है, और पूंजी का केन्द्रीकरण (बुदबुदजतजपवद वूमंसजी) हो जाता है। जो पूंजीपति प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते हैं, वे सर्वहारा वर्ग में शामिल हो जाते हैं।

2. श्रमिकों के निरंतर बढ़ते हुए दुखों का नियम

जहाँ एक ओर कुछ लोगों के हाथों में पूंजी का संचय हो जाता है, वहीं दूसरी ओर असंख्य लोग निर्धन से निर्धनतर होते जाते हैं। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होने से श्रमिकों की आवश्यकता में कमी होती है, उनकी स्थिति भी मशीन के पुर्जों की तरह ही हो जाती है। उनका दमन और भोशण बढ़ने लगता है, मजदूरी कम हो जाती है, इन सबके कारण उनके पास अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए संगठित होकर क्रान्ति करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता ।

3. स्थानीय करण का नियम

इसका अर्थ कि उत्पादन के बड़े-बड़े कारखाने एक स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं, जिससे बड़े-बड़े नगरों का विकास होता है। लेकिन यह स्थानीयकरण भी श्रमिक संघर्ष हेतु वरदान साबित होता है। एक ही स्थान पर इतने अधिक श्रमिक होने से उनमें अपनी समस्याओं के प्रति जागरूकता आती है और सहयोग सरल हो जाता है इसके कारण मजदूर सामूहिक हड़ताल करने में सफल होते हैं ।

4. आवर्ती आर्थिक संकट का नियम

पूंजीवाद में इतना अधिक उत्पादन किया जाता है कि आर्थिक मंदी की संभावना रहती है। उपभोक्ता उत्पादित वस्तु का अत्यंत सीमित भाग ही खरीद सकता है, जिससे उत्पादन इकट्ठा होता जाता है। इस प्रकार आर्थिक संकट का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में पूंजीवाद सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता और श्रमिक क्रान्ति करने के लिए विवश हो जाता है।

5. विश्व बाजारों की माँग तथा साम्राज्यवाद

जब उत्पादन स्थानीय बाजार की आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जब पूंजीपतियों की नजर अविकसित देशों के बाजारों पर होती है, जहाँ से वे कच्चा माल प्राप्त कर सकें और तैयार वस्तुएँ बेच सकें। इसके लिए यातायात और संचार साधनों का भी विकास होता है। लेकिन इस विकास के कारण श्रमिकों को अपने संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का अवसर मिलता है जो संघर्ष पहले राष्ट्रीय स्तर पर सीमित था, वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापक हो जाता है। इसीलिए मार्क्स ने कहा है, श्रुर्जुआ स्वयं सर्वहारा वर्ग को उसके लड़ने के यंत्र प्रदान करता है ।

पूंजीवाद की प्रकृति के सिद्धान्त की आलोचना— पूंजीवाद की प्रकृति के सम्बन्ध में मार्क्स की व्याख्या की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है—

1. पूंजीवाद की प्रकृति के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी राष्ट्रों में संयुक्त पूंजी कम्पनियों के विकास से पूंजी के केवल कुछ हाथों में एकत्रित हो जाएगी, मार्क्स की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि

संयुक्त पूंजी कम्पनियों के हिस्से मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के लोग भी खरीदते हैं।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

2. मार्क्स ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि पूंजीवाद में अपने आपको सुधारने और नई परिस्थिति के अनुरूप समझौता करने की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि 1929-30 में आर्थिक संकट

पूंजीवाद के लिए अभिषाप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ।

3. औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान के साथ सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं वरन् कमी हुई है।

4. मार्क्स राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की भी कल्पना नहीं कर सका। अतः उसकी यह भविष्यवाणी कि श्रमिकों के दुखों में निरंतर वृद्धि होगी भी गलत प्रमाणित हुई। आज का श्रमिक कहीं अधिक सुविधापूर्ण जिंदगी व्यतीत कर रहा है।

5. मध्यम वर्ग के भविष्य की मार्क्स ने कोई कल्पना ही नहीं की, जबकि मध्यम वर्ग का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

मार्क्स की आलोचना

मार्क्स के विचारों और चिंतन के सम्बन्ध में दो विरोधी मत दिखाई देते हैं। एक ओर वह श्रमिकों का मसीहा है, जिसने श्रमिकों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। दूसरी ओर पूंजीपतियों के लिए वह मात्र है, जिसने पूंजीवाद के विनाश की घोषणा की है। कार्ल पॉपर, बर्नस्टीन और कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने उसकी आलोचना की है। मार्क्स के विचारों की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है—

1. आर्थिक माक्तियों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना

मार्क्स ने यह स्वीकार किया है कि आर्थिक भाक्तियाँ मानव मस्तिष्क से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं यदि मानव आर्थिक अवस्थाओं की उपज है तो वह उन आर्थिक अवस्थाओं का निर्माता भी हैं। मार्क्स यह भूल जाता है कि वह एक नैतिक प्रणाली है जिस पर केवल आर्थिक तत्वों का ही नहीं वरन् विचारों, आदर्शों, धर्म, भावनाओं आदि का प्रभाव भी होता है

2. वर्गों का आधार, केवल आर्थिक नहीं

धर्म, जाति, व्यवसाय, भाषा आदि भी वर्ग का आधार होते हैं। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग बताना समाज को सही रूप में समझना नहीं है।

3. हिंसा को बढ़ावा देना

मार्क्स ने वर्ग सहयोग को कोई महत्व नहीं दिया है, वह वर्ग संघर्ष को ही समाज के विकास का एकमात्र आधार मानता है। वह मानता है कि केवल एक नए समाज को जन्म देने वाले, पुराने समाज की दाई है। वह भांतिपूर्ण तरीकों से समाज में परिवर्तन या सुधार की कल्पना ही नहीं करता। वह क्रान्ति को ही परिवर्तन का आधार मानता है।

एवन्टन के अनुसार, मार्क्स की सबसे बड़ी भूल यह है कि पूंजीवाद के पिछले 100 वर्ष के आधार पर उसने समूचे इतिहास को पांच युगों में विभाजित किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता ।

5. पूंजीवाद के संबंध में गलत भविष्यवाणियाँ

मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद का अंततः विनाश होगा क्योंकि उसमें विनाश के बीच स्वयं निहित है। मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई। मार्क्स पूंजीवाद के लचीलेपन और कल्याणकारी स्वरूप का आकलन नहीं कर सका। जबकि पूंजीवाद ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से स्वयं को अधिक भाक्तिषाली बना लिया है। इसलिए पूंजीवाद के विनाश के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते।

6. अधिनायकवाद को प्रोत्साहन देना

मार्क्स ने अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की कल्पना की है। अधिनायकवाद को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। सोवित रूस और चीन में साम्यवादी क्रान्ति के कारण जो सरकारें अस्तित्व में आई, उन्होंने चाहे अनेक क्षेत्रों में प्रगति की हो, लेकिन वहाँ के नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित ही रहे ।

7. क्रान्ति का विचार हानिकारक

क्रान्ति द्वारा किए गए परिवर्तन, भांति विरोधी तो होते ही हैं स्थायी भी नहीं होते। पॉपर के

अनुसार, श्रव्यावहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से हिंसात्मक क्रान्ति की भविष्यवाणी मार्क्सवाद में संभवतः सबसे अधिक हानिकारक तत्व हैं हालांकि मार्क्स निर्धनों का उत्थान चाहता है, परन्तु क्या सर्वहारा वर्ग के नेता, क्रान्ति की आड़ में, अपने अत्याचारों को नहीं छिपाएंगे।

8. धर्म विरोधी

मार्क्स के चिंतन में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। उसने धर्म को जनता के लिए ष्डीफा कहा है। एक ओर वह धर्म की उपेक्षा करता है, जो प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, दूसरी ओर मार्क्सवाद के प्रति कट्टरता दिखाई देती है ।

9. राज्य के सम्बन्ध में मिथ्या विचार

राज्य कोई अस्थायी संगठन नहीं है, जिसका लोप हो जाएगा। राज्य वर्गीय, दमनकारी संस्था नहीं वरन स्वाभाविक अनिवार्य, नैतिक, कल्याणकारी संस्था है । सोवित रूस व चीन जैसे साम्यवादी राज्यों में राज्य की भाक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई और राज्य के विलोप होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद अगले दरवाजे से राज्य को बाहर निकालता है और पिछले दरवाजे से उसे वापस ले आता है।

10. मौलिकता का अभाव

MATSCentre for Distance and Online Education, MATS University



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

मार्क्स ने अपने विचारों को अन्य विचारकों से हो ग्रहण किया है अतः उसमें मौलिकता का अभाव था। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि उसका सम्बन्ध मजदूरों से बहुत कम था। उसे उनकी स्थिति का ज्ञान ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में बैठकर सरकारी रिपोर्टों और पुस्तकों से हुआ था उसका सम्बन्ध मजदूरों से कम, बद्धिवादी निर्वासित अंतर्राष्ट्रीय शङ्खत्रकारियों से अधिक था।

मार्क्स का योगदान.

मार्क्स केवल एक चिंतक ही नहीं था वरन महानतम क्रान्तिकारी भी था। उसका यह कथन क्रांति का आह्वान करता है, श्रद्धार्थिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए। मार्क्सवाद आधुनिक युग का अत्यधिक प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक दर्शन है मार्क्स के विचारों ने संपूर्ण विश्व को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जितना प्रभावित किया, अन्य किसी विचारक ने नहीं। मार्क्सवाद तथ्यों पर आधारित है और प्रेरणा भाक्ति और उत्साह देने वाला है इसलिए मेकसी का कथन है; श्मार्क्स ने साम्यवाद को केवल वैज्ञानिक आधार ही प्रदान नहीं किया वरन उसे विषाल भाक्ति भी प्रदान की। श्र लेनिन के अनुसार, प्केवल मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन ने ही सर्वहारा वर्ग को उस आत्मिक दासता से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है जिसमें सभी उत्पीड़ित वर्ग अब तक सिसकते हुए दिन काट रहे थे। श्र मार्क्स की विश्व को अमिट देने के कारण, मार्क्स का कटु आलोचक भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मार्क्स ने अनेक महत्वपूर्ण सत्यों की खोज की और उस भविष्य को देखा, जिसे अब तक कोई चिंतक नहीं देख पा रहा था। मार्क्स ने ही यह बताया कि इतिहास के अध्ययन में आर्थिक तत्वों की उपेक्षा की गई है और इतिहास के अधः ययन की नई दिशाओं को खोल दिया। मार्क्स ने ही राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं व आर्थिक प्रणाली में पारस्परिक निर्भरता सिद्ध की। उसने समाजवाद को व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। मार्क्स के समय में सभी समाजवादी या तो मार्क्स समर्थक थे या मार्क्स विरोधी। किसी भी एक व्यक्ति या उसके चिंतन को सम्पूर्ण विश्व में इतना अधिक महत्व पहले कभी नहीं मिला। मार्क्स के विचारों के आधार पर विश्व में सोवित संघ, चीन और पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारें अस्तित्व में आई और विश्व के अनेक देशों में साम्यवादी दल बने। इतिहास में ऐसा अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता।

मार्क्स का यह द द विश्वास था कि पूंजीवाद का पतन निश्चित है और भविष्य साम्यवाद का है मार्क्स के इन वाक्यों ने विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। विजय के लिए सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे सामने हैं तुम्हें अपनी जंजीरों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। श्रमिक वर्ग में अपूर्व भाक्ति एवं ऊर्जा का संचार किया। मार्क्स की रचनाओं के कारण, समाज को निम्न वर्ग के बारे में सोचने और उसका विकास करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पूंजीवादी राष्ट्रों ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जो कदम उठाए, वे स्वेच्छा से नहीं उठाए थे। साम्यवादी क्रांति के भय ने ही इन्हें सदाचारी बनाया था आज श्रमिक जिस तरह कारखाने के मालिकों को भातें मानने के लिए बाध्य करने का साहस रखते हैं। यह उनकी वर्ग चेतना का ही साद परिणाम है जिसका आरम्भ मार्क्स व एंजिल्स ने 1964 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के निर्माण द्वारा किया था। मार्क्स के सिद्धान्तों को 19वीं व 20वीं माताब्दी में जितनी लोकप्रियता एवं सफलता मिली, उतनी अन्य किसी विचारधारा को नहीं मिली। आज दुनिया के कारोड़ों लोग मार्क्स के अनुयायी हैं। सभी देशों में साम्यवादी दल सक्रिय हैं और सभी सरकारें किसी न किसी रूप में समाजवादी नीतियाँ अपनाने की कोषिष कर

रही हैं मार्क्स के लिए यह कहा जाता है कि उसके विचारों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि जब तक वर्ग भ्रंश और अंधविश्वास है, तब तक मार्क्स का औचित्य बना रहेगा ।

अभ्यास—प्रश्न

1. काले मार्क्स की संक्षिप्त जीवनी लिखें ।
2. मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये ।
3. मार्क्स के वर्ग संघर्ष के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये ।
4. मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त राजनीतिक तथा सामाजिक महत्व का है, आर्थिक महत्व का नहीं । व्याख्या करें ।
5. मार्क्स के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये ।

विश्व के प्रमुख राजनीतिक
विचारक

संक्षिप्त जीवन परिचय

लास्की का जन्म 30 जून, 1911 को इंग्लैंड के एक यहूदी

परिवार में हुआ। लास्की ने 1911 ई. में एक ईसाई लड़की फ्रीडा कैरी से विवाह कर लिया। फलतः क्रुद्ध होकर उसके पिता ने लास्की पर कठोर आर्थिक नियंत्रण लगा दिये, लेकिन लास्की का अध्ययन जारी रखा। 1920 में फ्रीडा ने यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया और अपने सास-श्वसुर को संतुष्ट कर दिया। 1914 में लास्की ने ऑक्सफोर्ड से इतिहास में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता नियुक्त हो गये। 1920 में इंग्लैंड में लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स में व्याख्याता तथा बाद में वहाँ राजनीति भास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन् 1950 तक वे इस पद पर आसीन रहे। 56 वर्ष की आयु में सन् 1950 में उनका स्वर्गवास हो गया। एक विचारक, व्याख्याता तथा श्रमिक दल के नेता के रूप में लास्की ने अत्यधिक प्रतिभा अर्जित की। लास्की सहमति के साथ क्रान्ति का पक्षपाती था। वह मार्क्सवादी वैज्ञानिक पद्धति तथा समाजवाद में विश्वास रखते हुए भी इंग्लैंड की उदारवादी परम्पराओं से अपने को मुक्त नहीं कर सका। वह मानवतावादी, व्यक्तिवादी था। उसने हिंसावाद, सर्वसत्तावाद का विरोध तथा अनतंत्र का समर्थन किया। कैटलिस द्वारा उसे मध्यमवर्गीय शिक्षितों के बीच मार्क्सवाद की विक्रेता कहा। वह ब्रिटिश मजदूर दल का अध्यक्ष भी रहा तथा प्रजातान्त्रिक समाजवाद का समर्थक रहा।

प्रमुख रचनाएँ – (1) ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स (1925) (2) स्टडीज इन दी प्रॉब्लम ऑफ सोवरेन्टी (1917) (3) ऑथरिटी इन दि मॉडर्न स्टेट (4) कार्ल मार्क्स (1921) (5) सोषलिज्म एण्ड फ्रीडम (6) कम्युनिज्म (1927) (7) लिबर्टी इन दि मॉडर्न स्टेट (1930) (8) व्हेयर सोषलिज्म स्टेण्ड्स टुडे? (1933) (9) डेमोक्रेसी इन क्राइसिस (1933) (10) पार्लियामेन्ट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड (1938) (11) दि स्टेट इन थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस (1934) (12) राइज ऑफ दि यूरोपियन लिबरलिज्म (1936) (13) एन इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स (14) फाउन्डेशन ऑफ सोवरेन्टी (15) दि डिलेमा ऑफ अवर टाइम्स।

लास्की पर प्रभाव

लास्की के विचारों पर निम्न परिस्थितियों, विचारों एवं व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा—

(1) औद्योगिक क्रान्ति (2) पूँजीवादी, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद आदि का मिश्रित प्रभाव (3) इंग्लैंड का उदारवादी चिंतन का प्रभाव (4) लिडसे, वाकर तथा माहम वालास का प्रभाव (5) श्रमिक आन्दोलन का प्रभाव (6) कार्ल मार्क्स के चिंतन का

प्रमुख राजनैतिक विचार—राज्य की प्रकृति तथा संप्रभुता – सामज राज्य से उच्चतर है। राज्य अन्य मानवीय समुदायों की भाँति एक समुदाय है तथा अन्य समुदायों में प्रथम है।

बहुलवादी विचारक होने के कारण लास्की राज्य को भाक्ति का दमनकारी नहीं मानता। राज्य समस्त भाक्तियों का स्रोत नहीं है तथा संप्रभुता असीमित नहीं है। राज्य अन्ततः संप्रभु नहीं है। राज्य का निर्माण भी व्यक्ति द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए हुआ है।

1938 के बाद उसके विचारों में मार्क्सवादी प्रभाव दिखाई देता है। मार्क्स की तरह लास्की ने भी कहा कि राज्य समाज में एक विषिष्ट वर्ग के हितों की सुरक्षित रखने के लिए संगठन मात्र है, वह विषिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा का एक साधन है।

लेकिन लास्की ने श्रमजीवी तानाशाही का विरोध किया। लास्की हिंसक क्रान्ति का समर्थक नहीं है।

अधिकारों के सम्बन्ध में लास्की के विचार राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता।

बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। लास्की के भावों में, "अधिकार वे भाते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने सर्वोत्तम हित की खोज नहीं कर सकता।" राज्य को अधिकारों की व्यवस्था करनी ही चाहिए। यदि राज्य अधिकार नहीं देता तो उसे आज्ञाकारिता भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अधिकार राज्य के साथ उत्पन्न होते हैं सारा इतिहास अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष है। लास्की अधिकारों को कहीं भी प्राकृतिक नहीं कहता। वह अधिकारों का अस्तित्व उपयोगिता में मानता है।

लास्की के भावों में, राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है तथा उसकी प्रकृति उन अधिकारों से स्पष्ट होती है जिन्हें वह खास समय में मान्यता प्रदान करता है। राज्य अधिकारों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण भाते हैं— (प) राज्य को विकेंद्रित होना चाहिए (पप) केन्द्र सरकार के चारों ओर परामर्षदात्री समितियाँ हों तथा (पपप) अन्य संघों के आंतरिक जीवन में राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप न करें।

लास्की के अनुसार अधिकारों की पूर्व भाते हैं— कानून, संस्था तथा राज्य।

लास्की का स्वतंत्रता तथा समानता सम्बन्धी दृष्टिकोण लास्की सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। उसके अनुसार, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने में है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने चरम विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बिना अधिकारों की स्वीकृति के स्वतंत्रता केवल एक नारा है। लास्की स्वतंत्रता के तीन पक्षों की ओर संकेत करता है— (1) व्यक्तिगत (2) राजैतिक (3) आर्थिक आत्महत्या स्वतंत्रता का भीषण दुरुपयोग है।

स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता एक आवश्यक भाते है। समानता से अभिप्राय है— समाज में कोई भी विषिष्ट सुविधाओं से युक्त वर्ग नहीं होगा।

मार्क्सवादी विचार — लास्की ने मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा मार्क्स द्वारा प्रस्तुत पूँजीवाद समाज के विच्छेदन तथा वर्ग-विहीन समाज के सिद्धान्तों को स्वीकार किया लेकिन उसने मार्क्स के इतिहास का भौतिकवादी विवेचन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, हिंसक क्रान्ति का सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। वह लोकतांत्रिक समाजवादी विचारकों को समर्थक था। संवैधानिक व लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहता था। उसने श्रमिकों की तानाशाही को स्वीकार नहीं किया।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

पूँजीवाद व साम्यवाद के दोशों व संकीर्णता से दूर रह कर, लोकतान्त्रिक समाजवाद की उदार विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले यूरोप के विचारकों में प्रो० हैराल्ड जोसेफ लास्की (1993–1950) का प्रमुख स्थान है। एक शिक्षक के रूप में उसने सर्वत्र गहरी छाप डाली और अपने छात्रों का अगाध प्रेम अर्जित किया लास्की एक प्रभावशाली व्याख्यता, प्रख्यात राजनीतिक विचारक तथा ब्रिटिश लेबर पार्टी का मुख्य परामर्शदाता था।

वह एक महान लेखक था और उसने सैकड़ों लेखों के अतिरिक्त, लगभग 25 ग्रन्थ लिखे। इन ग्रन्थों में उसने राजनीति की समस्याओं व सिद्धान्त, साम्यवाद, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता, राजनीतिक विचारों का इतिहास, फ्रांस की राज्य क्रान्ति, अमेरिकन संविधान आदि पर विस्तृत तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किये।

लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचार (Main Political Ideas of Laski)

हेराल्ड लास्की के राजनीतिक विचार सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं विचारों के प्रभाव के कारण उसकी विचारधारा में परिवर्तन होते रहे हैं। लास्की के मुख्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन निम्नलिखित भीषकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(1) लास्की के बहुलवादी विचार (संप्रति अपमू वद चसनतंसपेउ) — लास्की ने इस मत को अस्वीकार किया है कि राज्य एवं समाज एक है। उसने राज्य की अपेक्षा सामाजिक सत्ता को सर्वोच्च माना है। उसके मतानुसार, अन्य समुदाय की तरह राज्य भी एक संस्था है। उसके अनुसार, समाज में समुदायों की स्थिति स्वाभाविक है और जीवन दर्शन तथा भासन—व्यवस्था पर उनका पूरा प्रभाव पड़ता है। राज्य और भासन के बाहर भी कुछ भाक्तिषाली भाक्तियाँ होती हैं, जिनकी अपेक्षा भारी विनाष का कारण बन सकती है। तब यह स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि राज्य, एक सामाजिक संस्था से अधिक उपयोगी और भाक्तिषाली नहीं है। प्रत्येक संस्था अपने—अपने ढंग से उपयोग व ग्राह्य है। राज्य श्वराबरी वालों के प्रमुख कहा जा सकता है। राज्य समाज की महत्वपूर्ण स्थिति है, न कि सामाजिक ढाँचे का सर्वोच्च शिखर। राज्य को उच्च स्थान देने का अभिप्राय यह नहीं माना जा सकता कि वह अधिक भाक्तिषाली या अनन्त है। अन्य सामाजिक उपयोगी संस्थाओं की तरह वह भी एक संस्था है।

लास्को ने आरंभिक ग्रंथ

समाज का संघात्मक स्वरूप में अपने बहुलवादी विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कृराज्य को अद्वैत सिद्ध करने के लिए उसे वृष्टों का वृष्ट कहा जाता है और जैसे ही हम व्यक्ति से परिवार की ओर परिवार से गाँव की ओर गाँव से नगर की ओर, नगर से देश की ओर अन्त में सबको समाहित करने वाले राज्य की ओर जाते हैं, एक वृष्ट दूसरे को आच्छादित करता जाता है। इस प्रकार राज्य को एक केन्द्रीकृत व्यक्तित्व का रूप दे दिया जाता है। लेकिन यदि राज्य के अन्य समुदायों की रचना का भी विप्लेशन किया जाये तो ऐसा प्रतीत होगा कि सामुदायिक जीवन व्यतीत करने वाला प्रत्येक समूह इसी प्रकार से अपने अलग वृष्ट का निर्माण करता है जो अपने निर्माणकारी अंगों से भिन्न होता है। और अगर यह सही है तो राज्य के अन्दर ऐसे अद्वैतवादी समुदायों की संख्या बहुत है। उदाहरण के लिए क्लैब, ट्रेड यूनियन, चर्च, समाज, नगर, देश, विश्वविद्यालय आदि। इनमें

से प्रत्येक में सामुदायिक जीवन है। इनमें से प्रत्येक की दूसरे समुदाय से अपनी पथ्य कार्यप्रणाली है और सभी एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। वे राज्य इस प्रकार के साथ सम्बन्धित हो सकते हैं, लेकिन राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। राज्य इस प्रकार एक विकेंद्रित सत्ता है, न कि केन्द्रीकृत। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रकृति होती है और उसका मूल्यांकन होता है और उसके मूल्यांकन में न राज्य का मूल्यांकन होता है। अतः राज्य अनेक समुदायों में से केवल एक समुदाय है, इसलिए उसके प्रति सभी की अधीनता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार लास्की ने समाज को स्वरूप, कार्य तथा गुणों से संघात्मक माना है। इस सम्बन्ध में उसने निम्न तर्क दिये हैं—

राज्य, विभिन्न समुदायों में से किसी का भी काम बिना व्यक्तियों की सहायता व सक्रिय सहयोग के नहीं संभाल सकता।

अगर राज्य किसी विषिष्ट उद्देश्य के कारण अस्तित्वपूर्ण है तो अन्य समुदायों का भी अपना-अपना उद्देश्य होता है और ये उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अस्तित्वपूर्ण हैं।

समाज का निर्माण विभिन्न समुदायों के मेल से होता है और विभिन्न समुदायों का निर्माण व्यक्ति की तीन मूलभूत प्रवृत्तियों के कारण होता है। ये तीन प्रवृत्तियाँ हैं—साथ में रहने की प्रवृत्ति, संगठित होने की प्रवृत्ति तथा प्रेम व सहानुभूति की प्रवृत्ति। इन विभिन्न प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के समुदायों का निर्माण होता है।

सभी समुदाय अपने-अपने क्षेत्रों में प्रायः स्वतंत्र होते हैं और राज्य केवल इन क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करता है। विभिन्न हित समाज में तभी कायम रखे जा सकते हैं जबकि सत्ता विभिन्न समूहों में विकेंद्रित रहे क्योंकि समाज की प्रकृति संघात्मक है।

विभिन्न प्रकार के समुदाय समाज को उसके उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं और अपने सहयोग के अनुपात में अपनी स्वयत्तता का दावा करते हैं। भक्ति के द्वारा उनके बीच एकल पैदा नहीं किया जा सकता है।

समुदायों की कार्यप्रणाली एक-दूसरे से पथ्य होती है और राज्य इनमें से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

व्यक्ति विभिन्न समुदायों के प्रति आश्रित पहले है और राज्य के प्रति बाद में।

राज्य अन्य समुदायों की तरह ही समुदाय है।

- इस प्रकार लास्की न समाज को संघात्मक न केवल अपने स्वरूप में माना बल्कि उसके कार्य और गुणों में भी माना है। लेकिन जब वे समाज को संघात्मक कहते हैं और राज्य की सत्ता को उन पर सर्वोपरि नहीं मानते तो उनका तात्पर्य अराजकतावादी समाज के निर्माण से नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा यह स्वीकार कराना है कि वह अपनी इच्छा को डण्डे के बल पर किसी समुदाय पर नहीं लाद सकता और यह कि उसे अपने महत्वपूर्ण कार्य के कारण अन्य समुदायों के स्थान व कार्यों को उपेक्षित नहीं कर सकता, न ही उन्हें अपने आश्रित समझ सकता है।

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

लास्की के बहुलवादी विचारों में परिवर्तन — धीरे-धीरे लास्की के बहुलवादी विचारों में भी परिवर्तन आता गया है। जिस प्रकार उनके व्यक्तिवादी विचारों में समय के साथ परिवर्तन



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

हुआ है, उसी प्रकार समाज, समुदाय और राज्य विषयक विचारों में भी परिवर्तन हुआ। कोकर ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुलवादी लास्की अन्त में सत्तावादी लास्की बन गया है।

(2) संप्रभुता के सम्बन्ध में लास्की के विचार अपने ग्रन्थ ग्रामर ऑफ पोलिटिक्स में लास्की ने निरंकुष भासिन के स्थान पर बहुलवादी सिद्धान्त का समर्थन किया है। उसने बोदां, हॉब्स, ऑस्टिन आदि विचारकों के राज्य के एकलवादी (डवर्देजपब) सिद्धान्त पर आक्रमण करते हुए इस विचार को अस्वीकार किया है कि राज्य सभी भाक्तियों को स्रोत है तथा वह नैतिकता एवं कानून से परे है। ऑस्टिन की आलोचना करते हुए लास्की ने कहा है कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों पर असीमित एवं निरंकुष भाक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। लास्की ने हेनरी मैन के इस कथन का समर्थन किया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धान्त मूर्खता की सीमा तक काल्पनिक है। लास्की के संप्रभुता संबंधी विचारों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है

राज्य को व्यक्ति की निश्ठा प्राप्त करने का केवल वहीं तक

अधिकार है जहाँ तक उसकी अन्तरात्मा सहमत है। राज्य के सामान्य हित की रक्षा करने के दावे को भी लास्की स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति राज्य के प्रति इस आधार पर तभी निश्ठावान होगा, जबकि उसे पूर्ण विश्वास हो जाये कि राज्य वास्तव में सामान्य हित एवं लोक-कल्याण का पोशक है। दूसरे भावों में, व्यक्ति हो ही यह निर्णय लेना है कि सरकार के कार्य उचित हैं या नहीं।

कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सम्प्रभुता सिद्धान्त की आलोचना ऑस्टिन कानून को सम्प्रभु का आदेश मानता है। लास्की के मतानुसार, कानून सम्प्रभु की आज्ञा मात्र नहीं है, वरन् यह परम्पराओं एवं रीतिरिवाजों द्वारा भी निर्मित होता है और उसका पालन स्वयं के कारण होता है बाह्य रूप से एक सर्वोच्च और स्वाधीन सम्प्रभुता सम्पन्नराज्य का विचार मानवता के हितों के प्रतिकूल है। लास्की के मतानुसार, सम्प्रभुता के सिद्धान्त को राजनीति से निकालना मानवता एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रान्ति के हित में होगा। शैजनकपमे पद जीम च्त्तवइसमडे वव्विअमतमपहदजलश में लास्की ने लिखा है कि श्राज्य अन्ततः संप्रभु नहीं है, समाज सर्वत्र समूह पाये जाते हैं जो उसकी सर्वोच्चता को चुनौती देते रहते हैं।

लास्की का मानना है कि

(पपप) राज्य सामाजिक संगठन का सर्वोच्च पिखर नहीं समाज के विविध हित समूहों के मध्य सन्तुलन एवं सामञ्जस्य बनाए रखने का ऐतिहासिक दायित्व राज्य का है। इसी कारण लास्की राज्य को बराबर के समूहों में प्रथम कहता है। इस प्रकार लास्की राज्य को समाज का एक महत्वपूर्ण संगठन तो मानता है, लेकिन वह उसे सामाजिक संगठन का सर्वोच्च पिखर नहीं मानता। उसका मानना है कि समाज के विविध समूह व्यक्ति के कल्याण

के लिए कार्य करते हैं, राज्य भी उनमें से एक है। अतः समाज की समस्त भाक्ति संघात्मक होती है।

(पअ) समान तथा राज्य में अन्तर — लास्की समाज और राज्य को एक समझने की

भूल नहीं करते जो परम्परावादी संप्रभुता सिद्धान्त के प्रणेता हॉब्स और आस्टिन ने की। वह समाज और राज्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राज्य मानव की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखता। राज्य तथा समाज में अन्तर है, लेकिन यह इसके समरूप नहीं है। इसे समझ लेना अत्यधिक अवश्य है।

(अ) संप्रभुता को सीमित होना आवश्यक है लास्की का मत है कि किसी भी राज्य को अनुत्तरदायी होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। समय-समय पर चुनाव होते रहने चाहिए ताकि जनता को वर्तमान सरकार की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करने का अवसर मिले। किसी भी एक दल को सदैव सत्तारूढ़ रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि भावित सदाचारी लोगों को भी भ्रष्ट कर देती है। लास्की के भावों में, सरकार के केवल वे ही कार्य उचित माने जाएंगे जो जन अधिकारों की रक्षा करते हों।

(ब) समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए संप्रभुता श्री संघात्मक होनी चाहिए लास्की के अनुसार मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, इसलिए उसने राज्य संस्था को जन्म दिया, परन्तु साथ ही उसने अपने आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक लक्ष्यों के लिए बहुत से संघों व समुदायों का भी निर्माण किया है। राज्य बहुत से समुदायों में से केवल एक समुदाय है मानव की राज्य के साथ-साथ अन्य समुदायों के प्रति भी वफादारी होती है। राज्य मनुष्य की सानुदायिक भावनाओं की तृप्ति नहीं करता, न ही राज्य इसे पैदा करता है। ये समुदाय राज्य के ऊपर आश्रित नहीं रहते। इस प्रकार लास्की समूह तथा समुदायों को महत्वपूर्ण, वास्तविक तथा राज्य से स्वतंत्र मानते हैं। इस प्रकार के समुदाय सदस्यों के लिए उतने ही प्राकृतिक हैं जितना कि राज्य, यद्यपि वे अपने सदस्यों को राज्य की तरह भारीरक दण्ड नहीं दे सकते। अतः लास्की के अनुसार समाज का स्वरूप संघात्मक है। राज्य भी एक समुदाय है और अन्य समुदायों के समान सामाजिक जीवन का एक अंग है। अतः राज्य की भाक्ति अन्य समूह के ऊपर या उनसे बढ़कर नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी समूहों को अपने-अपने कार्य के महत्व के अनुसार सत्ता के प्रयोग में हिस्सा मिलना चाहिए। लास्की के भावों में श्रुति कि राज्य का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए।

(स) कानून को केवल राज्य का आदेश कहना अपिश्टता है — ऑस्टिन के अनुसार, कानून राजसत्ताधारी का एक आदेश मात्र है, लेकिन लास्की ऑस्टिन की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है। उसके अनुसार ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धान्त हमें उस निरंकुष राजतंत्र की याद दिलाता है, जब राजा कानूनों के ऊपर माना जाता था। आधुनिक लोकतंत्रीय देशों में कानून का पालन करना केवल जन-साधारण के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जिन्होंने उसका निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, बहुत से कानून लोकाचार और रीति-रिवाज पर भी आधारित होते हैं। व्यवहार में सभी कानून आदेशों पर आधारित हो ही नहीं सकते



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

सीमिति संप्रभुता का समर्थन – लास्की संप्रभुता के स्थान पर सत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं और लोकतांत्रिक राज्य में सीमित सत्ता के पक्षधर हैं। एक प्रजातांत्रिक राज्य में सत्ता का आधार है— नागरिकों की सहमति और यह सहमति समय-समय पर चुनावों द्वारा व्यक्त की जाती है। लास्की यह भी कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार का आधार है कि नागरिक इसके कामों में खुलकर हिस्सा लें और केवल चुनावों में हिस्सा लेने मात्र से यह काम नहीं चलेगा। नागरिकों को आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए लास्की सत्ता को उत्तरदायी सत्ता के रूप में स्थापित किये जाने की सलाह देते हैं और इसके लिए वे तीन तरीके बतलाते हैं— (1) सत्ताधारी को या सरकार को सत्ता से हटा देने के तरीके दिये जाने चाहिए। (2) परामर्षदात्री संस्थाओं का गठन किया जाना चाहिए तथा (3) नागरिक समान रूप से शिक्षित तथा आर्थिक रूप से भी समान होने चाहिए। तभी सत्ता सीमित और उत्तरदायी होगी।

(प•) सत्ता का विकेन्द्रीकरण – लास्की के मतानुसार सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र की पहली भाँत है। विकेन्द्रीकरण के दो पक्ष हैं— (1) भाक्तियों का पथक्करण और (2) प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण अर्थात् संघीय भासन की स्थापना जिसमें भाक्तियाँ केन्द्र और राज्यों में वितरित कर दी जायें। इसके अलावा स्वशासन संस्थाओं को भी पुष्ट किया जाए।

(•) उद्योगों में स्वशासन की स्थापना – लास्की ने उद्योगों में स्वशासन की स्थापना पर बल देते हुए कहा है कि उद्योगों के प्रबन्ध के लिए औद्योगिक परिशदें बनायी जानी चाहिए जिनमें उद्योगपति, उपभोक्ता, मजदूरों और सरकारी प्रतिनिधियों को भांमिल किया जाये। इसे लास्की ने औद्योगिक लोकतंत्र का नाम दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वयंमेव नष्ट हो जायेगी।

(3) लास्की के स्वतंत्रता एवं समानता सम्बन्धी विचार – लास्की के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है—

(प) स्वतन्त्रता का अर्थ – लास्की के दर्शन की आधारषिला उसका व्यक्ति में विश्वास है। लास्की यह स्वीकार नहीं करता कि स्वतंत्रता बन्धनों का अभाव है। वह स्वतंत्रता का अर्थ आत्मानुभूति और समान अवसरों की उपस्थिति से लगाता है। लास्की से स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार कुछ ग्रीन और एक्टन के समान हैं। लास्की के ही भाब्दों में, श्स्वतंत्रता उन सामाजिक अवस्थाओं की सत्ता पर बन्धनों का अभाव है जो आधुनिक परिस्थितियों को निष्चित करते हैं। लास्की ने स्वतंत्रता की एक अन्य परिभाशा यह दी है कि श्स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाये रखने में है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने चरम विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लास्की का मानना है कि बिना अधिकारों की स्वस्थ व्यंवस्था के स्वतंत्रता संभव नहीं है अधिकारों की व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता केवल एक नारा है।

लास्की के स्वतन्त्रता एवं समानता सम्बन्धी विचारों का अध्ययन निम्नलिखित भीर्शकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—

(पप) स्वतन्त्रता के तीन पहलू – लास्की ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित तीन पहलू बतलाये हैं—

को प्रभावित करता है जैसे— धार्मिक—क्षेत्र, निर्धनों का वैधानिक आश्रम का अधिकार आदि

(इ) राजनीतिक स्वतन्त्रता

इसका आशय व्यक्ति के राज्य के कार्यों में भाग लेने, निर्वाचित होने, विचार व्यक्त करने, राज्य की आलोचना करने, प्रतिनिधि चुनने आदि की स्वतन्त्रता से है

(ब) आर्थिक स्वतन्त्रता

इसके अन्तर्गत, लास्की उद्योग सुरक्षा, काम के अवसर, उचित वेतन प्राप्त करने आदि स्वतन्त्रताओं को सम्मिलित करता है। उसके अनुसार राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना आर्थिक स्वतन्त्रता के निरर्थक एवं अव्यावहारिक है।

स्वतन्त्रता एवं अधिकारों का घनिष्ठ सम्बन्ध लास्की के अनुसार, अधिकारों की अनुपस्थिति में स्वतन्त्रता सम्भव नहीं है। अधिकारों के प्राप्त होने पर ही स्वस्थ व सक्षम वातावरण एवं विकास सम्भव है किन्तु जिन नियमों व नियन्त्रणों से व्यक्ति व समाज का हित होता है तथा बुराईयाँ होती हैं या रुकती हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए

स्वतन्त्रता की रक्षार्थ आवश्यक भाते निम्नलिखित भातों का होना आवश्यक बतलाया है—

लास्की ने स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए

समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग का न होना,

कुछ व्यक्तियों के अधिकार दूसरे व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर न होना,

भाक्ति पर साधारण जनता की थी पहुँच होना,

राज्य का आचरण पक्षपातरहित होना, तथा

पिक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होना ।

लास्की के अनुसार, समानता के बिना

(अ) स्वतन्त्रता के साथ समानता भी होना

स्वतन्त्रता एकांगी व एकपक्षीय है। लास्की के लिए समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं क्षमताओं से भिन्नता तो रहेगी ही। किन्तु यह आवश्यक है कि न्यूनतम स्तर पर समानता हो, उन्नति एवं विकास के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हों, जन्म एवं सम्पत्ति के आधार पर कोई विशेषाधिकार न हों तथा प्रतिफल के सम्बन्ध में कोई भेदभाव न हो ।

व्यक्ति की गरिमा एवं उपयोगिता में विश्वास — लास्की के अनुसार, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भेद—भाव तभी स्वीकार किये जा सकते हैं, जबकि सम्पूर्ण समाज के लिए समानता का न्यूनतम स्तर प्राप्त हो जाए जैसे—भोजन, आवास, वस्त्र आदि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति द्य सबको अपने—अपने विकास के लिए समुचित अवसर प्राप्त हो, इसके लिए कुछ लोगों की स्वतन्त्रता को सीमित करना आवश्यक है। धन के अधिक न्यायपूर्ण व समान वितरण के



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

लिए लास्की ने राज्य द्वारा नियोजन एवं आर्थिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने का समर्थन किया।

कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता नियन्त्रित करने की आवश्यकता लास्की के मतानुसार, समाज में अधिकाधिक समानता लाने के लिए कुछ व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करना आवश्यक है, उदाहरणार्थ, राष्ट्रीयकरण या नियोजन करते समय कुछ व्यक्तियों की भाक्ति और स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो जाता है। वास्की का मत है, इसमानता की ओर बढ़ना स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयास है। स्वतन्त्रता एवं समानता दोनों का व्यावहारिक प्रयोग होना चाहिए, इसी से विश्व-सहयोग सम्भव हो सकेगा।

लास्की की अधिकारों सम्बन्धी धारणा (सिंपे अपमू वद जीम तपहीजे) – लास्की की मान्यता है कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता वरन् उन्हें स्वीकार करता है। लास्की के ही भावों में अधिकार वे भाते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने सर्वोत्तम हित की खोज नहीं कर सकता लोक कल्याण की दृष्टि से अधिकार अनिवार्य हैं।

लास्की के अधिकारों सम्बन्धी धारणा का विवेचना निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है—

अधिकार से अभिप्राय — लास्की के अनुसार, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं, जिनके बिना सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। अधिकार राज्य से पूर्व भी होते हैं। राज्य उनको स्वीकार करे अथवा न करे, इस बात का अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राज्य के असामान्य कर देने पर भी अधिकार रहेंगे और उनकी प्राप्ति के लिए लोग संघर्ष करेंगे। अधिकारों को राज्य से प्राप्त करना व्यक्ति का अधिकार है। राज्य को अधिकारों की व्यवस्था करनी ही चाहिए। राज्य उन परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए बाध्य है जिनके बिना व्यक्ति अपनी योग्यता की चरम सीमा को नहीं पहुँच सकता जिसके कि वह योग्य है। जहाँ तक संभव हो सके राज्य को उन बाधाओं को दूर करना चाहिए जो व्यक्ति को सर्वोत्तम हित अर्जित करने से रोकती हैं।

व्यक्ति के प्रमुख अधिकार बतलाये हैं—

लास्की ने व्यक्ति के निम्नलिखित प्रमुख अधिकार

सम्पत्ति का अधिकार

प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएँ

भाषण देने व संघ बनाने का अधिकार,

पर्याप्त वेतन प्राप्त करने का अधिकार

शिक्षा का अधिकार

राजनीतिक भासन में भाग लेने का अधिकार तथा

लास्की की दृष्टि में यदि निरन्तर राज्य व्यक्ति के

न्यायिक संरक्षण का अधिकार

राज्य के विरुद्ध अधिकार

व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक परिस्थितियों को प्रदान करने में पिथिलता और उदासीनता दिखाता है जो व्यक्ति उस स्थिति को बहुत समय तक सहन नहीं कर सकते। उनमें क्षोभ और प्रतिषेध की भावना का जागृत होना स्वाभाविक हैं। यदि राजा अधिकार नहीं देता है तो उसे आज्ञाकारिता भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। लास्की के अनुसार, व्यक्ति को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्य की अवज्ञा करने का अधिकार है—

जब व्यक्ति संगठित रूप से यह अनुभव करे कि राज्य सामान्य हितों की रक्षा

नहीं कर रहा है तथाजब ऐसा प्रतीत हो कि राज्य आत्म-विकास के आवश्यक अधिकारों का अपहरण कर रहा है।

राज्य के विरुद्ध अधिकार का समर्थन करते हुए लास्की ने कहा है—

यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के लिए उन बाह्य स्थितियों की व्यवस्था करे, जो उनके चरित्र के विकास के लिए आवश्यक हैं। राज्य पर नागरिक अपने दावे रखता है। इसलिए राज्य को उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य का उसके लिए ऐसी भात की गारण्टी करनी चाहिए, जिनके बिना वह अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता।

(पअ) अधिकारों की रक्षा तथा अधिकारों के पूर्ण भोग हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ अधिकारों की रक्षा के लिए लास्की संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था अथवा भाक्तियों के पथ्यकरण—सिद्धान्त को कोई विशेष महत्व नहीं देता। उनके अनुसार, अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों के पूर्ण भोग के लिए निम्नलिखित तीन परिस्थितियों का होना आवश्यक है राज्य विकेंद्रित हो, जिससे जनता राजकीय मामलों में अधिकाधिक रुचि ले और अपने स्थानीय अधिकारों पर अधिक नियन्त्रण कर सके

केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए पर्याप्त परामर्शदात्री संस्थाएँ हों, ताकि उ प्रमुख समस्याओं एवं उनके समाधान पर विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त हो सके। विशेषज्ञों का समूह प्रत्येक विभाग के साथ हो ।

राज्य अन्य संस्थाओं के आन्तरिक मामलों में तब तक कोई हस्तक्षेप न करे, जब तक कोई समुदाय या संस्था राज्य को हिंसात्मक साधनों से नष्ट करने का प्रयत्न न करें }

अधिकारों की पूर्व मार्ले लास्की के अनुसार अधिकारों की पूर्व भातें हैं— कानून, संस्था तथा राज्य छ इनको लास्की अधिकारों के भौतिक साधन कहता है।

(5) प्रजातंत्र पर लास्की के विचार — प्रजातंत्र को लास्की सर्वोत्तम व्यवस्था मानता है, जिसके अन्तर्गत ही व्यक्ति का समग्र विकास सम्भव है। प्रजातंत्र एवं पूंजीवाद एक साथ



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

कभी नहीं चल सकते । पूँजीवाद प्रजातान्त्रिक होने का ढोंग तो रचता है, किन्तु उसकी आत्मा निक शटम अधि नायकत्व की सूचक होती है। पूँजीवाद प्रजातंत्र को अपने हितों व स्वार्थों की रक्षा के लिए काम में लेता है। पूँजीवाद के अन्तर्गत वास्तविक स्वतंत्रता एवं समानता नहीं रह सकती, जिनका विद्यमान रहना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। .

लास्की ने प्रजातंत्र की वर्तमान निर्वाचन-पद्धति की आलोचना निम्नलिखित भाषों में की है—

यह बात प्रजातंत्र के विरुद्ध है कि प्रति 5 वर्ष में एक बार मतपेटियों के पास पहुंचकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाये। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सरकार 5 वर्ष में केवल एक दिन अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करती है और भोश दिनों स्वेच्छाचारी रहती है। घोशणा—पत्र, कार्यक्रम, निर्वाचन—मंच, चुनावों के समय के वायदे, ये सब व्यावहारिक दृष्टि से निरर्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि भासक दल इनका उपयोग अपने क्षणिक लाभ के लिए करते हैं आदर्श प्रजातंत्र वह है, जिसमें समाज द्वारा निश्चित मतों को कार्य रूप में परिणत किया जाये और महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णयों में जनता की राय अनिवार्य रूप से ली जाये। ऐसा प्रजातंत्र पूँजीवाद पर आधारित न होकर समाज की आध रषिला पर निर्मित होगा। प्रतिक्रियावाद पूँजीवाद के स्थान पर प्रगतिशील प्रजातंत्र मानवता के लिए वरदान सिद्ध होगा

(6) अन्तर्राष्ट्रीय पर लास्की के विचार — लास्की विश्वएकता और अन्तर्राष्ट्रीय भान्ति व सहयोग का समर्थन था। उसके लिए एक विश्व की धारणा एक आदर्श थी । लास्की राज्य की असीमित सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध मानता था । विश्व संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रभाव की वृद्धि के लिए वह संघवाद की धारणा को सुदृढ़ बनाने का समर्थक था । वह भान्ति — प्रचारक एवं युद्ध विरोधी था । लास्की ने भारत तथा अन्य उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। पं० नेहरू से लास्की के घनिष्ठ सम्बन्ध थे। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को लास्की अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ी बाधा मानता था। उसका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को पिछड़े व अविकसित देशों की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाने चाहिये। लास्की मानवता को विश्व धर्म के रूप में स्वीकार करता है। मानवता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की रक्षा करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। उसका कहना था कि अपना भासन करते हुए लोगों को भ्रातृत्व की भावना से ओत-प्रोत रहना चाहिए।

(7) लास्की के मार्क्सवादी विचार — मार्क्स और लास्की दोनों का लक्ष्य है — आर्थिक भोशण से मानवता की मुक्ति द्य लेकिन 1931 तक लास्की पर मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव नहीं था। लेकिन 1933 में प्रकाशित उनकी पुस्तक "कमउबबतंबल पद बतपेपेश में मार्क्सवादी प्रभाव दिखाई देता है।

1 लास्की ने मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया तथा इस बात में भी अपना विश्वास प्रकट किया कि व्यक्ति में अच्छाई तथा बुराई आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है। उसने मार्क्स द्वारा प्रस्तुत पूँजीवादी समाज के विप्लेशन को भी स्वीकार किया । वह मार्क्स के गर्वविहीन समाज में भी विश्वास करता है।

लेकिन लास्की कट्टर मार्क्सवादी नहीं है। उसने रूसी क्रांति को श्रमिकों के लिए प्रेरणा स्रोत कहा, लेकिन उसके अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रसारवादी स्वरूप को पसन्द नहीं किया। उसने आत्म

रक्षा के अधिकार के लिए श्रमिकों को पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति के प्रयोग का अधिकार दिया, लेकिन वह संवैधानिक एवं लोकतंत्रीय साधनों के प्रयोग का समर्थक रहा।

वह रूसी राज्य क्रांति के प्रति सद्भावना रखते हुए भी श्रमिकों की तानाशाही का समर्थन नहीं कर सका। वह तानाशाही के सख्त खिलाफ रहा, चाहे तानाशाही का कोई भी रूप हो। लास्की के राजनैतिक विचारों की आलोचना

लास्की के राजनैतिक विचारों की आलोचना विद्वानों ने अनेक आधारों पर की है। कुछ प्रमुख आलोचनाएँ अग्रलिखित हैं—

(1) सिद्धान्तों में संगतिहीनता

लास्की के विचारों में लगातार परिवर्तन होते रहने से उनके बीच कोई संगति नहीं बिठाई जा सकती। सच तो यह है कि 1920 के आसपास तथा 1936-37 के आसपास राज्य सम्बन्धी लास्की के विचारों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो ऐसा लगेगा कि लास्की ने अपने ही विचारों का बाद में प्रतिवाद लिखा है क्योंकि लास्की ने पहले अपने बहुलवादी विचारों के अन्तर्गत राज्य की सत्ता में अत्यधिक अविश्वास व्यक्त किया और बाद में मार्क्स के प्रभाव के कारण उसने राज्य में मानवता को बचा लेने वाली एकमात्र भाक्ति के दर्शन कर डाले। दोनों परस्पर विरोधाभासी हैं। अंत में लास्की ने उक्त दोनों ही विचारों का त्याग करते हुए एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था का पक्ष लिया इस प्रकार उनका सिद्धान्त दो अतियों के बीच हमेशा लटकता रहा। कभी अतिवादी व्यक्तिवाद का समर्थन किया और कभी अतिवादी समाज का समर्थन किया। इस प्रकार उनके विचारों में परस्पर संगति का अभाव पाया जाता है।

लास्की के विचार केवल विचार हैं, वे न व्यावहारिकता की भूमि पर उतार कर कोई

(2) लास्की के विचार केवल विचार हैं सिद्धान्त हैं और न योजनाएं। उन्होंने अपने विचारों को योजना नहीं बनाई। कैरोल हॉकिन्स के भावों में कहें तो लास्की एक विद्वान की अपेक्षा एक विचारक अधिक हरे। किंग्सले मार्टिन के भावों में, 19वीं सदी के बाद के लोकतंत्रीय विचार और संस्थाओं का जितना गहहरा तथा भौतिक ज्ञान लास्की को था, उतना यूरोप और अमेरिका में अन्य किसी को नहीं था। परन्तु यह ज्ञान पढ़ाने वाला स्कूली ज्ञान था, काम करने वाला नहीं। हरबर्ट डीन ने लिखा है कि लास्की की रचनाओं में पाठक को कोई ऐसा आभास नहीं मिलता कि लेखक किसी विचार से जूझ रहा है।

(3) मौलिकता का अभाव लास्की के लगभग सभी विचार उधार हैं। कहीं-कहीं तो भाव रचना भी ज्यों की त्यों उधार ले ली गई है पर विप्लेशन और विस्तार उनका अपना है। आरम्भ में उन्होंने बहुलवादियों से धार लिया, व्यक्तिवाद में ग्रीन और कांट से उधार लिया और मार्क्स के प्रभाव में ही उन्होंने मार्क्स के सिद्धान्त को अपना बनाने की कोषि की है।

(4) अनावश्यक विचार — लास्की के थोड़े से विचारों को समझने के लिये उनकी पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ती है। उनकी सारी पद्धति पुरानी भास्त्रीय पद्धति है जिसमें अनावश्यक विस्तार के साथ विप्लेशन किया गया है, पर निश्चय पाठकों के ऊपर छोड़ दिया गया है



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

(5) विचारों में विरोधाभास – लास्की के विचार परस्पर विरोधी भी हैं। एक तरफ लास्की राज्य की निरपेक्ष संप्रभुता पर कठोर प्रहार करते हुए कहता है कि श्यदि संप्रभुता की सूची अवधारणा का परित्याग कर दिया जाये तो यह राजनीति विज्ञान के लिए चिरस्थायी रहने वाला लाभ होगा। दूसरी तरफ वह अन्तिम निर्णायक, नियामक और समन्वयकर्ता के रूप में राज्य को बनाए रखना चाहता है। इसी प्रकार एक तरफ, लास्की वर्ग संघर्ष को एक संजीव सिद्धान्त और क्रान्ति को सामाजिक परिवर्तन की जननी मानता है।

(6) विचारों में अराजकता की बू

लास्की के आज्ञाकारिता सम्बन्धी विचारों में अराजकता की बू आती है। लास्की ने आज्ञाकारिता को अन्तरात्मा पर आधारित कर आज्ञा पालन की भावना का हील लोप कर दिया है। दूसरे, लास्की ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के कानून की परख करने के लिए आवश्यक योग्यता और क्षमता नहीं होती।

मूल्यांकन – 20वीं शताब्दी के राजनीतिक चिन्तकों में हैराल्ड लास्की का प्रमुख स्थान है। यद्यपि उसके विचार पूर्णतः मौलिक नहीं कहे जा सकें, तथापि उसने तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में जो कुछ भी लिखा, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व उपयोगी था।

किंग्सले मार्टिन के मतानुसार, लास्की की तुलना मॉण्टेस्क्यू एवं टॉकविल से की जा सकती है। दूसरी ओर हर्बर्ट डीन जैसे विचारकों का मत है, शक से कम 1930 के पश्चात लास्की के दर्शन में बौद्धिक हास के दर्शन होते हैं। प्रो. कैरोल हॉकिंस के अनुसार, 1930 के बाद लास्की एक विद्वान की अपेक्षा प्रचारक अधिक बन गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 1930 के पहले के और बाद के लास्की के विचारों तथा उनकी गहनता में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, फिर भी एक महान विचारक और जनतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलन के पथ प्रदर्शन के रूप में उसने महत्वपूर्ण व उपयोगी विचार प्रस्तुत किये। लास्की की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि उसका स्वतंत्रता व समानता का साथ-साथ विद्यमान रहने का सिद्धान्त अव्यवहारिक सिद्ध हो चुका है परन्तु लास्की की यह धारणा कदापि नहीं थी कि समाज में पूर्णतः समानता हो। वह तो आय व सम्पत्ति की अत्यधिक विषमताओं, जन्मजात विशेषाधिकारों और साधारण जनता को अपनी उन्नति के अवसर प्राप्त न होने के विरुद्ध था। लास्की पर यह आरोप भी लगाया गया है कि राज्य के कानून की अवज्ञा का अधिकांश लोगों को देकर उसने अराजकता फैलाने की सम्भावना उत्पन्न कर दी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कानून का औचित्य परखने की क्षमता नहीं होती।

लास्की के विचारों में परिवर्तनों और असंगतियों के बावजूद, यह कहना असत्य न होगा कि उसने अपना जीवन समाज की सेवा के लिए अर्पित किया और आधुनिक युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोगी सुझाव दिये। एक महान अध्यापक एवं लेखक होने के साथ-साथ वह एक महान नेता भी था, जिसके पथ-प्रदर्शन के कारण 1945 में ब्रिटेन के मजदूर दल को सत्ता प्राप्त करने में सहायता मिली। लास्की ने पूंजीवाद और साम्यवाद के साथ-साथ साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की भी आलोचना की। वह विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सहभावना का प्रबल समर्थक था।

राजनीतिक दर्शन के विकास में लास्की के योगदान का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है—

लास्की ने राज्य सम्बन्धी

1) राज्य सम्बन्धी व्यवहारवादी धारणाओं का विकास व्यवहारवादी धारणाओं के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। उनके राजदर्शन का केन्द्र व्यक्ति है और सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के हितों की पूर्ति के साधन मात्र हैं। इसी मापदण्ड से आधुनिक राज्य का मूल्यांकन कर वे इस निश्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी समाज व्यवस्था में राज्य एक सर्वोच्च बल प्रयोगी भाक्ति है। आधुनिक राज्य इस भाक्ति का प्रयोग उन लोगों के हितों की रक्षा एवं अभिवर्द्धि के लिए करता है जिन लोगों के हाथों में उत्पादन के साधन रहते हैं इससे

समाज में न तो भांतिपूर्ण परिवर्तनों की व्याख्या संभव हो सकती है और न ही नागरिकों की न्यायोचित नांगों की पूर्ति, भले ही वह बल प्रयोग के द्वारा लौहर्क्त, जीवनहीन व्यवस्था के ढाँचे को बनाये रख सकें।

उनका कहना है कि राज्य का वर्गीय पक्षपात और वर्ग-व्यवस्था की अन्यायपूर्ण लाभ एवं वितरण प्रणाली राज्य के वास्तविक उद्देश्यों से असंगत है। इस स्थिति का अन्त क्रांति द्वारा ही हो सकता है जिससे कि समाज का बहुसंख्यक भोशित वर्ग राजसत्ता को अपने हाथों में लेकर अन्याय का अन्त कर न्याय स्थापित कर सके। तभी वर्ग सम्बन्धों की पुनर्व्याख्या और राज्य की वैधिक उपह रणाओं की पुनर्परिभाषा की जा सकती है। लास्की का विचार है कि आधुनिक राज्य के इस विकृत स्वरूप के कारण एक नवीन राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता है।

इस प्रकार लास्की ने व्यावहारिक राजनीति दर्शन की आवश्यकता पर जोर देकर नवीन राजनीतिक चिंतन की ओर विद्वानों को उन्मुख किया।

(2) व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन — लास्की ने व्यक्ति को आर्थिक और राजनैतिक दोनों प्रकार की पराधीनता से मुक्त करने के सिद्धान्त की खोज की। उनके मत में मनुष्य पशुतुल्य समाज की एक इकाई मात्र नहीं है, बल्कि उसका अपना व्यक्तित्व है। उन्होंने ग्रीन की तरह ही यह कहा कि व्यक्ति के पूर्णत्व के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के लिए ही उपयोगी नहीं है, अतएव यह सामाजिक हित में ही है कि समाज व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे। इस प्रकार लास्की ने व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। मिल के व्यक्तिवाद में व्यक्तिवाद और सामाजिक हित के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। मिल के व्यक्तिवाद में व्यक्तिगत और सामाजिक हित के बीच इतना समन्वय नहीं हो पाया है। लास्की ने आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक सुरक्षित करने और सामाजिक हित के साथ उसे अधिक समन्वित करने की दृष्टि से ही समाजवादी विचारधारा को अंग नाया है। लास्की के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचारों के विकास का एक क्रम रहा है। उनकी स्वतंत्रता आरम्भ में श्रुततुल्य विचारों के विकास का एक क्रम रहा है। उनकी स्वतंत्रता आरम्भ में श्रुततुल्य विचारों के विकास का एक क्रम रहा है। उनकी स्वतंत्रता आरम्भ में श्रुततुल्य विचारों के विकास का एक क्रम रहा है।



विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक

चक्सपजपबेश के लिखेन तक विधेयात्मक (च्वेपजपअम) रही हे जो बहुत कुछ ग्रीन से मिलती जुलती है, . लेकिन बाद में मार्क्सवाद के प्रभाव में उनकी स्वतंत्रता का रूप निशेधात्मक (छमहंजपअम) होता गया और उन्हें यह विश्वास होता गया कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए सही अवसर और स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उनके रास्ते से आर्थिक बाधाओं को दूर नहीं कर दिया जाता जिन्हें वर्तमान पूँजीवाद ने व्यक्ति के सामने खड़ा कर रखा है।

इस प्रकार लास्की के व्यक्ति के स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार राजनीतिक चिंतन के इतिहास को महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने बाद के विचारों में स्वतंत्रता से अधिक महत्व स्वतंत्रता के लिए आवश्यक राजनीतिक परिस्थितियों को दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता के रास्ते में विशेषाधिकारों की प्रदत्तता तथा बहुमत की निरंकुषता को प्रमुख बाधक माना है।

(3) लास्की के संप्रभुता सम्बन्धी विचार . लास्की की एक अन्य देन उनके संप्रभुता सम्बन्धी विचार हैं। लास्की ने राज्य संप्रभुता के विरुद्ध बड़े गहरे अनुभवपूर्ण एवं तीखे प्रहार किये हैं उनके अनुसार राज्य संप्रभुता का सिद्धान्त उसी प्रकार समाप्त हो जायेगा जिस प्रकार देवी सिद्धान्त समाप्त हो गया है। उसने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह बताया है कि यह सिद्धान्त अवास्तविक, असत्य और अयुक्तिपूर्ण है। राज्य को धार्मिक सम्प्रदायों, मजदूर संघों आदि की मांगों के समक्ष झुकना पड़ता है। यह धारणा कानून की भाक्ति का निर्माण करने वाली सामाजिक और राजनीतिक भाक्तियों की उपेक्षा करती है। नैतिक आधार पर लास्की ने बताया है कि नैतिकता का मूलाधार स्वेच्छापूर्ण कर्म तथा व्यक्तित्व का विकास है। राज्य की आज्ञा का आंख मूंदकर पालन कराने वाला यह सिद्धान्त व्यक्ति को दास बनाकर छोड़ देता है। व्यक्ति नैतिक दृष्टि से, राज्य की आज्ञाओं का पालन उनका अच्छा जीवन बिताने में सहायक होने तथा उनकी नितान्त आवश्यकताएँ पूरी करने के कारण करता है। इस प्रकार ऑस्टिन की संप्रभुता की विचारधारा अषांति पैदा करने वाली है।

अतः स्पष्ट है कि लास्की ने ऑस्टिन की संप्रभुता की धारणा का खंडन तथा बहुलवादी विचारों का समर्थन करते हुए उनको विकसित किया है।

अभ्यास—प्रश्न

1. लास्की की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करें।
2. लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों का वर्णन करें।
3. लास्की के अनुसार अधिकार के क्या अभिप्राय हैं? व्याख्या करें।
4. लास्की के राजनैतिक विचारों की आलोचना पर टिप्पणी लिखें।
5. राजनीतिक दर्शन के विकास में लास्की के योगदान की समीक्षा कीजिये।



संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजनीतिक विचारधारा के मूल सिद्धांत – डॉ. रामचंद्र प्रधान
2. पश्चिमी राजनीतिक चिंतन – डॉ. ब्रज नारायण मिश्र
3. राजनीतिक विचारक – डॉ. आर.सी. गुप्ता
4. राजनीतिक सिद्धांत और विचारक – डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी
5. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत – डॉ. भानुप्रकाश
6. राजनीतिक चिंतन का इतिहास – डॉ. हेमचंद्र पाठक
7. पाश्चात्य राजनीति विचारधारा – डॉ. हनुमान प्रसाद
8. राजनीतिक चिंतन: प्लेटो से मार्क्स तक – डॉ. शशिकांत शर्मा
9. भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक – डॉ. ओ.पी. गौतम
10. राजनीतिक चिन्तन के प्रवक्ता – डॉ. महेंद्र सिंह राणा
11. पश्चिमी राजनीति दर्शन – डॉ. डी.सी. भगत
12. राजनीतिक दर्शन और विचारक – डॉ. एम.एल. व्यास
13. राजनीतिक विचारकों का इतिहास – डॉ. प्रभात कुमार

MATS UNIVERSITY

MATS CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION

UNIVERSITY CAMPUS: Aarang Kharora Highway, Aarang, Raipur, CG, 493 441

RAIPUR CAMPUS: MATS Tower, Pandri, Raipur, CG, 492 002

T : 0771 4078994, 95, 96, 98 Toll Free ODL MODE : 81520 79999, 81520 29999

Website: www.matsodl.com

